



INDIA'S PORT OF THE MILLENNIUM



KAMARAJAR PORT LIMITED

(A Company of Chennai Port Authority)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण कंपनी)

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)

CIN : U45203TN1999PLC043322

24th ANNUAL REPORT

2023 - 24



Inauguration of KPL Silver Jubilee Block at Loganatha Narayanasamy Govt College (Autonomous), Ponneri under CSR of KPL



KPL Silver Jubilee Block at Loganatha Narayanasamy Govt College (Autonomous), Ponneri constructed at a cost of Rs.525 lakhs



KAMARAJAR PORT LIMITED

(A Company of Chennai Port Authority)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

(CIN : U45203TN1999PLC043322)



TWENTY FOURTH ANNUAL REPORT 2023 - 24



Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Authority)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

Board of Directors

Shri Sunil Paliwal, Chairman (was also MD upto 20.08.2023)	DIN 01310101
Smt. J.P. Irene Cynthia, Managing Director (w.e.f. 21.08.2023)	08839241
Shri S. Viswanathan, Nominee Director- ChPA (w.e.f. 27.04.2023)	09634577
Shri V.M.V. Subba Rao, Independent Director	02435597
Capt. Anoop Kumar Sharma, Independent Director	03531392
Smt. Sarla Balagopal, Independent Director	01572718

Key Officials

General Manager (MS)

Shri G.M. Balan

General Manager (Finance)

Smt. Kavita Satvi (w.e.f. 1.8.2023)

General Manager (CS & BD)

Shri Yatin Kishorbhai Patel (w.e.f. 7.8.2023)

Chief Financial Officer

Shri C.S. Vemanna (up to 13.8.2023)

Smt. Kavita Satvi (w.e.f. 14.8.2023)

Deputy General Manager (Finance)

Shri C.S. Vemanna (w.e.f. 1.6.2023)

Deputy General Manager (MS)

Shri C. Uma Shankar (w.e.f. 1.6.2023)

Deputy General Manager (Civil)

Shri A. Karuppiah (w.e.f. 1.9.2023)

Company Secretary & Compliance Officer

Smt. Jayalakshmi Srinivasan

Registered Office

2nd Floor (North Wing) & 3rd Floor
Jawahar Building,
17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.
Ph: 044 - 25251666-70 / Fax : 044 - 25251665

Registrar & Share Transfer Agent

Link Intime India Private Limited,
C-101, 247 Park, L.B.S Marg,
Vikhroli (West), Mumbai – 400 083.
Ph : 022 – 49186000 / Fax : 022 - 49186060

Depositories

National Securities Depository Limited
Central Depositories Services (India) Limited

Statutory Auditors

M/s. Jasinder Singh & Associates
Chartered Accountants

Internal Auditors

M/s. Joseph & Rajaram,
Chartered Accountants

Secretarial Auditors

M/s. S. Dhanapal & Associates
Company Secretaries

Bankers

State Bank of India
Axis Bank
HDFC Bank



VISION

“ To develop Kamarajar Port as a mega port with world class facilities to become the Eastern gateway Port of India ”

MISSION

“ To Provide Port Services of International Standards ”





Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Authority)
(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

BOARD OF DIRECTORS (As on 12.08.2024)



SHRI SUNIL PALIWAL, I.A.S.
CHAIRMAN
DIN : 01310101



SMT J.P. IRENE CYNTHIA, I.A.S.
MANAGING DIRECTOR
DIN : 08839241



SHRI S. VISWANATHAN, I.A.S.
NOMINEE DIRECTOR
DIN : 09634577




SHRI V.M.V. SUBBA RAO FCA, DISA (ICAI)
INDEPENDENT DIRECTOR
DIN : 02435597




CAPT. ANOOP KUMAR SHARMA
INDEPENDENT DIRECTOR
DIN : 03531392



SMT. SARLA BALAGOPAL, I.R.T.S. (Retd)
INDEPENDENT DIRECTOR
DIN : 01572718



Operating Income & PBT during the last 5 years



Cargoes handled during the last 5 years



Kamarajar Port Limited

Annual Report 2023 - 24

INDEX

Sl.No.	Contents	Page No.
1.	Chairman's Message	8
2.	Notice	10
3.	Board's Report	13
4.	Annual Report on CSR Activities	36
5.	Secretarial Audit Report	41
6.	Report on Corporate Governance	47
7.	Comments of Comptroller & Auditor General	53
8.	Independent Auditors' Report	59
9.	Statement of Assets and Liabilities	72
10.	Statement of Profit and Loss	73
11.	Cash Flow Statement	74
12.	Notes to the Financial Statements	76

Chairman's Message



Dear Shareholders,

I welcome you all to the 24th Annual General Meeting of the Company which is falling in the Silver Jubilee year of your Company. It is my pleasure to share with you the progress and achievements that have defined our journey in 2023-2024.

Physical Performance & Highlights

I am pleased to inform that the average total turnaround time (from Pilot Boarding to De-boarding) and the average output per Ship Berth day has improved by 2.27% and 4.30% respectively over the previous year.

A new Coastal Container service (CCG) has commenced from the Container Terminal on 02.01.2024 and The NEMO (North Europe Med Oceania)/Australian Express Mainline Container Service which commenced calling your Port will serve as a direct Europe call for the customers.

- On 31.03.2024, the newly constructed General Cargo Berth No. 2 was put into operation by berthing maiden RoRo vessel M.V. IRIS ACE.

- The largest Container vessel M.V. MSC GIUSY having 16,550 TEU's capacity berthed at Container Terminal on 01.03.2024. Container traffic handled was 22.04% higher at 6,71,393 TEUs as against 5,50,151 TEUs handled during previous year.

- Your Port has been declared as an authorized Immigration Check Post for entry into/exit from India with valid travel documents for all class of passengers and operations have commenced in the Container Examination yard developed by your Port.

Financial Performance

During the year under review, your Company reported an Operating Income of Rs.1062.23 Cr as against Rs.982.72 Cr reported in the previous year, an increase of 8.09%. Consequently, the Company has made a Profit Before Tax (PBT) of Rs.766.59 Cr, compared to the Previous year of Rs.577.39 Cr, an increase of 32.77%.

Dividend

For the Financial Year 2023-24, your Company has paid Interim Dividend @ 20% of paid up equity share capital (which is equivalent to Rs.2/- per share) amounting to Rs.60 Crore.

Board of Directors have recommended a final Dividend @ 80% on paid up equity share capital which is equivalent to Rs.8/- per share amounting to Rs.240 Crore which will be paid, subject to your approval at the ensuing Annual General Meeting. With this the total dividend for the financial year 2023-24, (including the proposed final dividend) will amount to 100% dividend on paid up equity share capital consistent with 100% dividend paid in the previous financial year 2022-23.

Accomplishments and Awards

It is a matter of great pride to inform that your Company has received award from the Hon'ble Minister of Micro, Small and Medium Enterprises Shri. Narayan Rane, for the highest percentage in procurement from women owned MSME during the year under review.

Your Company was also felicitated for completing 25 years of service to the trade during the 15th South East CEO Conclave & Awards 2024 organized by EXIM INDIA Shipping Times in Chennai on 03.07.2024.

Corporate Governance

Your Company considers good Corporate Governance a pre-requisite for meeting the needs and aspirations of its stakeholders. Towards this end, your Company maintains transparency in its dealings through robust policies, practices, effective processes and systems with clear accountability, integrity and the highest standards of governance. Hence, the Report on Corporate Governance is being voluntarily provided.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Your Company's zeal to undertake CSR projects in line with the well-laid out CSR policy and requirements of the Companies Act, 2013, can be seen from the fact that Board of Directors of

your Company have approved CSR initiatives to the value of Rs.9.65 Crore which is Rs.1.54 Crore higher than the CSR Obligation of Rs.8.11 Crore. Your Company has spent Rs.4.55 Crore in financial year 2023-24 towards various activities out of which Rs.2.20 Crore and Rs.1.91 Crore were contributed to Loganatha Narayanaswamy Govt. Arts College and Greater Chennai Corporation respectively for construction of classroom buildings.

Acknowledgement

On behalf of the Board of Directors, I would like to place on record our gratitude for the support and guidance received from Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, Chennai Port Authority and appreciate the co-operation received from TANGEDCO/TNEB, NTECL, IOCL, TNPCL, TNRDC, Government of India, Government of Tamilnadu, Indian Port Association, Ministry of Finance and Indian Railways/Southern Railways. I gratefully acknowledge the continued support and cooperation received from the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Internal Auditors, Secretarial Auditor, the Port Users, BOT Concessionaires, Contractors and Bankers. Last but not least, I wish to place on record the appreciation for the continued excellent work done by all the employees of the Company.

Regards,

Sd/-

**Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman**

KAMARAJAR PORT LIMITED

(A wholly owned subsidiary of Chennai Port Authority)

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building,
17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

Phone: 044 - 25251666 -70 Fax No: 044 - 25251665.

Website: www.kamarajarport.in, Email: jayasrin@kplmail.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 24th Annual General Meeting of Members of Kamarajar Port Limited will be held on Monday, the 30th day of September 2024 at 03.00 P.M. (IST) through two way Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as at 31st March 2024, the Statement of Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2024 and the reports of the Board of Directors, the Auditors' Report and Comments of Comptroller and Auditor General of India under Section 143 (6) of the Companies Act, 2013.
2. To confirm the Interim Dividend paid @ 20% of the paid-up equity share capital (Rs.2/- per share) for the financial year 2023-24 and to

approve declaration of the Final Dividend @ 80% on paid-up equity share capital (Rs.8/- per share).

3. To appoint a Director in place of Shri. S. Viswanathan, I.A.S., (DIN: 09634577), who retires by rotation and being eligible offers himself for re-appointment.

4. To pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution for payment of remuneration to Statutory Auditors:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 142(1) of the Companies Act, 2013, approval be and is hereby given to the Board of Directors for fixing the remuneration of the Statutory Auditors of the Company, to be appointed by Comptroller and Auditor General of India for the financial year 2024-25."

By the Order of the Board of Directors

Sd/-

Jayalakshmi Srinivasan
Company Secretary

Place : Chennai
Date : 12.8.2024

NOTES:

a) Pursuant to General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), Companies are allowed to hold Annual General Meeting ("AGM") through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue till September 30, 2024. In compliance with the Circulars, the 24th AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The deemed venue for the 24th AGM shall be the Registered Office of the Company. The Notice of 24th AGM along with Annual Report 2023-24 is being sent through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants. Members may note that the Notice will be available on the Company's website www.kamarajarport.in.

b) Pursuant to the provisions of the Act, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. However, as this AGM is being held through VC / OAVM, and physical attendance of Members has been dispensed with, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and therefore the Proxy Form, Route Map and Attendance Slip is not annexed to this Notice. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Members participating through VC or OAVM may cast their votes on the resolutions during the meeting by show of hands or by sending emails only through their email addresses registered with the Company in case

of a Poll. The said emails shall only be sent to the designated email address circulated by the Company.

c) The relevant details of the directors retiring by rotation seeking appointment/re-appointment at the forthcoming Annual General Meeting pursuant to Secretarial Standard - 2 on General Meetings is annexed hereto and forms part of the Notice.

d) Corporate members intending to authorize their representatives to participate and vote at the meeting are requested to send a certified copy of the Board resolution/such other documents authorizing their representative to attend the AGM through VC/OAVM on its behalf and to vote.

e) The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

f) Statutory registers as stipulated in the Companies Act, 2013 will be available electronically/ kept open for inspection during the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to agm-shareholders@kplmail.in.

g) Members are requested to notify immediately any change of address to their respective Depository Participant.

Instructions for attending the AGM through VC:

1. Web-link and log-in credentials for attending AGM through VC/OAVM will be provided in the e-mail forwarding the Notice and Annual Report.
2. Members can join Video Conference either through Mobile/Laptop/Desktop.

DETAILS OF THE DIRECTOR SEEKING APPOINTMENT/RE-APPOINTMENT AT THE FORTHCOMING ANNUAL GENERAL MEETING IN PURSUANCE OF SECRETARIAL STANDARD - 2 ON GENERAL MEETINGS.

Item No. 3

Brief Resume of Shri S. Viswanathan is as under:-

Particulars	Details	
Date of Birth and Age	07/11/1979 and 44 years	
Date of First appointment on the Board	27/04/2023	
Educational & Professional Qualification	BE (Mech)., MBA.,	
Experience	<p>Shri S. Viswanathan, is the Deputy Chairperson of Chennai Port Authority, under Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Govt of India, since April 2023.</p> <p>He has previously served as Managing Director, MP Tourism Development Corporation from 04/08/2020 to 05/04/2023. He also held additional charge as Additional Secretary, Government of Madhya Pradesh, Medical Education Department and CEO- Ayushman Bharat Yojana, Bhopal. His last place of posting was Managing Director, Madhya Pradesh Jal Nigam.</p> <p>His wide experience in various districts as Collector ranged between 2015 and 2020 in two states namely Assam and Madhya Pradesh.</p> <p>He started his career as Assistant Commissioner of Jorhat District in Assam in the year 2009.</p>	
Securities held in KPL	1 Equity Share of Rs.10/- as a Nominee of Chennai Port Authority	
Relationship with other Directors/ KMP of KPL	Shri S. Viswanathan, I.A.S., Nominee Director is the husband of Smt.J.P. Irene Cynthia, I.A.S., Managing Director, Kamarajar Port Limited.	
Directorship/ Membership in other Companies	Name of the Company	Nature of interest/ concern
	Chennai Ennore Port Road Company Limited	Nominee Director
	Kanniyakumari Port Limited	Nominee Director
Chairmanship/Membership of various committees in other companies	Nil	
Terms and conditions of appointment	Nominee Director liable to retire by rotation. No sitting fees is payable.	
Remuneration last drawn	Not applicable	
Number of Meetings of the Board attended during the year	Corporate Governance Report (Annexure V of Board's Report) may be referred	

BOARD'S REPORT

Dear Members,

Your Board of Directors take immense pleasure in submitting the Annual Report on the business, operations, developments and progress made by your Company along with the Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2024.

1.0 PERFORMANCE & HIGHLIGHTS

1.1 FINANCIAL PERFORMANCE

(Rs. in Crs.)

Particulars	2023-24	2022-23
Income from Operations	1062.22	982.72
Other Income	19.22	26.50
Total Income	1081.44	1009.22
Operating Expenses	176.67	164.47
Finance Costs	62.63	58.70
Depreciation and Amortization	75.55	61.78
Total Expenses	314.85	284.95
Profit Before Exceptional Items and Tax	766.59	724.27
Exceptional Items	-	146.88
Profit Before Tax	766.59	577.39
Taxes	270.91	203.88
Profit After Tax	495.68	373.51

1.2 FINANCIAL HIGHLIGHTS

During the year under review, your Company reported an Operating Income of Rs.1062.22 Crore as against Rs.982.72 Crore reported in the previous year, an increase of 8.09%. This is due to higher throughput of 45.28 Million Tons achieved compared to 43.51 Million Tons in the corresponding previous year (an increase of

about 4.07%). Consequently, the Company has made a Profit Before Tax of Rs.766.59 Crore, compared to Rs.577.39 Crore made in the previous year (an increase of 32.77%).

1.3 OPERATIONAL PERFORMANCE

The improvement in Average Total Turn Round Time and Average Output per Ship Berthday can be seen from the following parameters:

Performance Parameters	Units	2023-24	2022-23	Remarks
Average Total Turn Round Time (From Pilot Boarding to De-boarding)	Hours	44.37	45.40	2.27% improved
Average Output per Ship Berth day	Tons	27,197	26,075	4.30% improved

(i) Performance Highlights

- The NEMO (North Europe Med Oceania)/Australian Express Mainline Container Service which commenced calling your Port on 15.06.2023 will serve as a direct Europe call for the customers.
- M/s. Sima Marine (India) Pvt Ltd commenced new Coastal Container service (CCG) from the Container Terminal on 02.01.2024.
- The newly constructed General Cargo Berth No.2 was put into operation on 31.03.2024, by berthing maiden RoRo vessel M.V. IRIS ACE for loading a total of 2,422 units of automobiles of Nissan, Renault, Toyota, Maruti, Citroen and heavy equipments of Kobelco & Komatsu.



M.V. IRIS ACE Maiden RoRo vessel berthed at GCB-2

ii) Other Achievements

- Your Port has been declared as an authorized Immigration Check Post for entry into/exit from India with valid travel documents for all class of passengers.
- Container Examination Yard developed by your Port has got the go ahead from Chennai Customs for commencing operations.

iii) Cargo Performance

- 61,940 Metric Ton of Thermal coal was unloaded in 24 hours at Coal Berth 1 on 27.12.2023 which is the highest during the year under review.
- Your Company handled
 - the highest Cargo quantity of 2.68 lakh Tonnes in a day on 22.03.2024.
 - the highest monthly Cargo throughput of 4.39 Million Tonnes in March 2024.

- 7,119 TEU's of Containers at Container Terminal on 23.10.2023 surpassing the previous highest record.
- the highest Container volume of 62,242 TEU's in the month of November 2023.
- the maximum number of 95 Vessels in a month in March 2024.
- the largest Container Vessel M.V. MSC GIUSY having LoA 366 mtrs, GRT 155492, draft 15mtrs and 16,550 TEU's capacity at Container Terminal on 01.03.2024.



Largest Container Vessel M.V. MSC GIUSY berthed at Container Terminal

- 22.04% higher Containers during 2023-24 i.e 6,71,393 TEU's vis a vis 5,50,151 TEU's handled during 2022-23.
- 4.07% higher cargo throughput in the financial year 2023-24 vis a vis financial year 2022-23 as detailed below:

(in Million Tons)

Sl. No.	Name of Terminal	Fy 2023-24		Fy 2022-23		Variation in Traffic Handled	
		Cargo Qty	No. of Vessels	Cargo Qty	No. of Vessels	(+/-)	%
1	Coal Berth 1	9.36	129	7.88	110	1.48	18.78
2	Coal Berth 2	5.53	72	7.65	99	-2.12	-27.74
3	Common User Coal Terminal	9.30	153	8.71	133	0.59	6.77
	Total Coal	24.19	354	24.24	342	0.05	-0.21
4	Marine Liquid Terminal 1	4.16	233	4.20	246	0.04	-0.95
5	General Cargo Berth	1.51	110	1.93	102	0.42	-21.76
6	Container Terminal (Phase 1)	12.96	219	10.62	186	2.34	22.03
7	Multi Cargo Terminal	1.47	35	1.89	40	0.42	-22.22
8	LNG Terminal	0.99	16	0.63	11	0.36	57.14
	Grand Total	45.28	967	43.51	927	1.77	4.07
9	Automobiles handled (in Nos.)	1,14,604	110	1,48,307	102	-33,703	-22.73
10	Containers handled (in TEU's)	6,71,393	219	5,50,151	186	1,21,242	22.04

2.0 DIVIDEND

Based on the recommendation of the Board of Directors an Interim Dividend @ 20% on paid up equity share capital which is equivalent to Rs.2/- per share amounting to Rs.60 Crore was paid on 22.05.2024. Board of Directors in their meeting held on 12.08.2024 have recommended a Final Dividend @ 80% on paid up equity share capital which is equivalent to Rs.8/- per share amounting to Rs.240 Crore which will be paid, subject to approval of Shareholders at the ensuing Annual General Meeting.

3.0 TRANSFER TO RESERVES

3.1 General Reserve

Your Company has not transferred any amount to General Reserve during the year as it is not mandatory to transfer any amount before declaration of dividend under the Companies Act, 2013. The balance as on 31st March 2024 remains at Rs.79.02 Crore.

3.2 Debenture/Bond Redemption Reserve

Consequent to redemption of Tax Free Bonds to the extent of Rs.79.49 Crore, Debenture/Bond Redemption reserve amounting to Rs.15.31 Crore (net) was reversed during the year pursuant to Section 71 of the Companies Act, 2013 and the balance as on 31st March 2024 stood at Rs. 50.45 Crore.

4.0 FINANCE

During the reporting year, your Company has repaid scheduled installments of Term loan of

- Rs.10 Crore to HDFC Bank out of the availed amount of Rs.40 Crore.
- Rs.23.01 Crore to Chennai Port Authority.

During the reporting year, your Company redeemed 7,94,951 Nos. of 10 Year Tax Free Bonds of face value of Rs.1000/- each, amounting to Rs.79.49 Crore issued in the year 2013-14 and promptly discharged on the due dates with annual interest obligation to the tune of Rs.0.88 Crore and Rs.32.03 Crore on Tax Free Bonds issued during the financial years 2012-13 and 2013-14 respectively.

4.1 Ratings

As per the offer document of Tax Free Bonds issued by your Company, your Company has carried out the annual surveillance of Credit Ratings and the following Ratings have been assigned by the Credit Rating Agencies:

Credit Rating Agencies	Ratings / Outlook
CRISIL	AA / Stable
CARE	AA / Stable
ICRA	AA- / Stable
Brick Work	AA / Stable

4.2 Particulars of transaction made with Related Parties

The disclosure of Related Party Transactions as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 in Form AOC-2 is not applicable to your Company. Members may refer to Note No.30(12) to the financial statement which sets out related party disclosures pursuant to Ind AS-24.

4.3 Material changes and commitments affecting financial position between the end of the financial year and date of report

There are no material changes and commitments affecting financial position of your Company between the end of financial year and date of report.

4.4 Change in the nature of business, if any

There has been no change in the business of the Company during the financial year.

4.5 Particulars of Loans, Guarantees

Your Company has not given any Loans and Guarantees or provided any Security under Section 186 of the Companies Act, 2013.

4.6 Investments

During the year under review, your Company has not invested/paid advance towards Investments.

4.7 Capital Expenditure

Your Company spent Rs.327.39 Crore on Capital Expenditure during the financial year 2023-24 as against Rs.279.80 Crore spent in the previous year.

4.8 Fixed Deposits

During the year under review, your Company has not accepted any Fixed Deposits, nor has any outstanding unclaimed or unpaid deposits as on 31.03.2024.

4.9 Internal Financial Control

Your Company adheres to policies and procedures adopted for:-

- ensuring orderly and efficient conduct of its business,
- safeguarding its assets, for preventing and detecting frauds and errors,
- accuracy and completeness of the accounting records, and
- timely preparation of reliable financial disclosures.

The internal control and governance processes are regularly reviewed by the Internal Auditor and the Audit Committee for their adequacy and effectiveness. Internal control procedures are considered sufficient to provide a reasonable assurance as to the integrity and reliability of the Financial Statements.

5.0 GLOBAL MARITIME INDIA SUMMIT 2023

Your Company formalized MoUs for an aggregate value of approximately Rs.1,920 Crore at Global Maritime India Summit (GMIS) 2023 with the following esteemed Organisation:

1. Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) – 2 nos
2. Ennore Tank Terminal Private Limited (ETTPL)
3. National Technology Centre for Port, Waterways and Coasts - NTCPCW-IITM -3 Nos
4. Water Resource Department (WRD), Govt of Tamil Nadu
5. Tamil Nadu Road Development Company Limited (TNRDCL)
6. Indian Port Rail and Ropeway Corporation Limited (IPRCL)
7. Tamil Nadu Handicrafts Development Corporation Ltd
8. Industrial and Technical Consultancy Organization of Tamil Nadu (ITCOT)
9. Tamil Nadu Water Investment Company Limited (TWIC)
10. Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA)

11. Indian Maritime University (IMU) and
12. Ocean Sparkle Ltd (OSL)

This substantial investment aligns with the vision of 'Atmanirbhar Bharat Abhiyaan' set forth by the Hon'ble Prime Minister and promises to significantly enhance trade and commerce in the region.

6.0 CORPORATE DAY

Your Company which is the first Corporatised Major Port celebrated the 24th Corporate Day on 11.10.2023. Smt. J.P. Irene Cynthia, IAS, Managing Director, presided over the function and commended the efforts of all employees for the achievements made by KPL and urged all to take further concerted efforts to make KPL as the leading Port in the country.

7.0 TNGIM 2024

Your Port was given an opportunity to display its strengths and opportunities at the TN ecosystem pavilion in the Tamilnadu Global Investors Meet 2024 inaugurated by Shri M.K. Stalin, Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu in the august presence of Shri Piyush Goyal, Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Textiles from 7th – 8th January, 2024.

8.0 SPORTSEVENTS

All India Major Ports Shuttle Badminton and Carrom Tournament – 2023 was jointly conducted by Kamarajar Port Sports Council and Chennai Port Sports Council at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium from 7th – 9th February, 2024. The event was inaugurated by Ms. R. Gajalakshmi, IAS, MD, Tamilnadu Text Book and Educational Service Corporation on 07.02.2024. Approximately 280 players including 30 women players from all the Major Ports of India participated in the tournament. Shri M.Arvind, IAS, MD Tamil Nadu Medical Services Corporation was the Chief Guest for the valedictory function held on 09.02.2024. During the function, trophies, medals and certificates were given to the winners of the sports events.



Inaugural Function of All India Major Ports Shuttle Badminton and Carrom Tournament - 2023

9.0 VISIT OF PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE

Meeting of Department related Parliamentary Standing Committee on Industry, Rajya Sabha, under the Chairmanship of Hon'ble MP of Rajya Sabha, Shri Tiruchi N Siva, was held in Chennai on 25.01.2024 to discuss on Public Procurement Policy.

10.0 AWARDS

Kamarajar Port was felicitated for completing 25 years of service to the trade during the 15th South East CEO Conclave & Awards 2024 organized by EXIM INDIA Shipping Times in Chennai on 03.07.2024.

Shri P. Raveendran, former Chairperson, ChPA presented the Award to Shri Sunil Paliwal, IAS, Chairman, KPL and Smt. J.P. Irene Cynthia, IAS Managing Director, KPL for 25 years of proficient service to the trade as a key gateway in South India.



Shri P. Raveendran, former Chairperson, ChPA presented the Award to Shri Sunil Paliwal, IAS, Chairman, KPL and Smt. J.P. Irene Cynthia, IAS Managing Director

Your Company has received award from the Hon'ble Minister of Micro, Small and Medium Enterprises Shri. Narayan Rane, for the highest percentage in procurement from women owned MSME during the year under review.



Shri. Yatin Kishorhbhai Patel, General Manager (CS&BD) receiving Award from Hon'ble Shri. Narayana Rane, Union Minister of MSME

11.0 MOU

The Memorandum of Understanding (MoU) for the year 2023-24 was signed with Chennai Port Authority on 15.11.2023. MoU rating is 'Excellent' for financial year 2023-24 based on its performance as against 'Good' Rating accorded during the financial year 2022-23.

12.0 OPERATIONS



Kamarajar Port Limited signed MoU 2023-24 with Chennai Port Authority

Presently, your Company has 9 Nos. of Terminals in operation, out of which 4 Terminals are BOT Terminals, three (3) are Captive user Terminals and Two (2) are KPL owned Terminals. All the Terminals are equipped with 'State-of-the-Art' infrastructure facilities with fully mechanized

cargo handling operations for faster evacuation and pollution free environment. Capacity of the 9 operational berths is 57.44 Million Tonnes. Brief of the existing Terminals are as detailed below:

i) Coal Berths 1 and 2

Coal Berths 1 & 2 with handling capacity of 8MTPA each can accommodate 280m long two Coal Carriers of up to 77,000 DWT and handles Thermal Coal for the Thermal Power Plants of TNEB (TANGEDCO) and its JV Companies. Unloaded Coal is directly moved through the conveyor system to the stackyard located in the adjoining North Chennai Thermal Power Station (NCTPS) from where a part of it, is moved further to Mettur, through Rail connectivity. As per the business model, your Company built Berthing structure and TANGEDCO has invested in and is operating and maintaining all top side facilities like shore unloaders, conveyor system, etc. for handling Thermal Coal.



Coal Berths 1 & 2 for handling Thermal Coal for TANGEDCO

ii) Marine Liquid Terminal

Marine Liquid Terminal with cargo handling capacity of 3 MTPA was developed under BOT basis by M/s. Ennore Tank Terminals Private Limited (ETTPL) and commercial operations commenced from 16th January 2009. To meet the demand in the trade, the BOT Operator developed additional storage tanks and installed LPG handling equipment. The Terminal

handles POL, LPG, CBFS, Chemicals and others. To mitigate the congestion of vessels, M/s.ETTPL laid additional dock lines and installed marine unloading arms thereby reducing the vessel waiting time. The Tank Farm is located in a 33 acre port-leased plot at about 3.7 km from the berth with a total storage capacity of about 247,990 KL and can store class A/B/C petroleum products, petrochemicals, vegetable oils, bio fuels, acids and safe class liquids. The entire Terminal is having an integrated fire fighting system consistent with the requirements of OISD.



Marine Liquid Terminal

iii) **Common User Coal Terminal**

Common User Coal Terminal with cargo handling capacity of 10 MTPA was developed on BOT basis by M/s. Chettinad International Coal Terminal Pvt. Ltd and commercial operations began from 11th March 2011. To handle Cape size vessels, the BOT Operator extended the berth length by 22.5m with draft of 16m. The stackyard area of 48.0 Ha is located at about 2.50 km from Port compound wall. An in-motion wagon loading station has been installed for loading one full rake of 59 wagons (3500T). Truck loading stations are provided for evacuation through trucks. A Conveyor has been installed with the dust suppression mechanism to reduce pollution. The Terminal has been renamed as M/s. Ennore Coal Terminal Pvt. Ltd. after acquisition of the Terminal by JSW Infrastructure Ltd. Group.



Common User Coal Terminal

iv) **General Cargo Berth cum Automobile Export Terminal**

The berth can accommodate the world's Largest Car Carrier Vessel and has a back-up area of about 3,70,313 sq.m with an expansive Car Parking Yard including Transit Parking Yard for 25,000 Cars, which is the largest facility in any Indian Port. As on 31.03.2024 the export of automobile units through GCB crossed 22.18 lakh units since inception.

Your Company has executed long term agreements with the major OEM's viz. M/s. Nissan Motor India Pvt. Ltd., M/s. Ford India Pvt. Ltd., M/s. Toyota Kirloskar Motor India Pvt. Ltd., M/s. Daimler India Commercial Vehicles Pvt. Ltd., M/s. Isuzu Motors India Pvt. Ltd. and M/s. ZF Wind Power Coimbatore Pvt. Ltd. (Windmill Components), M/s. Maruti Suzuki India Ltd., M/s. Caterpillar India Pvt. Ltd. and M/s. PCA Automobiles India Pvt. Ltd. for export of Automobiles through your Port. Your Port is also providing volume based rebate on Wharfage Charges.



General Cargo Berth cum Automobile Export Terminal

v) Container Terminal

Your Company entered into a Concession Agreement with M/s. Adani Ennore Container Terminal Private Limited for developing Container Terminal with handling capacity of 1.40 Million TEUs per annum under PPP mode in a phased manner. The total backup area for Container Terminal is 36.5 Ha. Phase-I berth is equipped with four Rail Mounted Quay Cranes each with 62M outreach and 12 ERTGS. Three more Rail Mounted Cranes and 9 ERTGS will be added during the second phase as and when implemented. Container evacuation is through road and rail mode. The commercial operations of Container Terminal (Phase-I) began from the financial year 2017-18.



Container Terminal

vi) Multi Cargo Terminal

The Terminal was developed by M/s. Chettinad International Bulk Terminal Private Limited with 2.0 Million Tonnes capacity on DBFOT basis. The Terminal handles Steel, Fertilizer, Gypsum, Barytes and Limestone. The total backup area for the Terminal is 13.5 Ha. The berth is equipped with Two (2) Nos. of Harbour Mobile Cranes with capacity of 100 Ton each and yard is equipped with storage facilities. Cargo evacuation is through road and rail mode. The commercial operations of the Terminal began from 05.08.2017. The Terminal is renamed as M/s. Ennore Bulk Terminal Pvt. Ltd after acquisition by M/s. JSW Infrastructure Ltd Group on 13.11.2020.



Multi Cargo Berth

vii) Liquefied Natural Gas (LNG) Import Terminal

M/s. IOCL, lead partner of JV, has set up the LNG Terminal with re-gasification facilities with capacity of 5 MTPA (expandable upto 10 MTPA). Re-gasification Terminal consists of 2 Tanks each of gross capacity 1,80,000m³. The Terminal was commissioned on 26.02.2019 and the cost of the project is Rs.3834.51 Crore.



Indian Oil LNG Tank Farm

(viii) Automobile Export/ Import Terminal-2 (3 MTPA)

Your Company had selected M/s. L&T Geostructure Pvt. Ltd. as Contractor to develop the 2nd Automobile Export/Import Terminal with estimated capacity of 3 MTPA. The awarded project cost was Rs.149.36 Crore. The Terminal was inaugurated by the Hon'ble Prime Minister of India on 2nd January 2024 and is operational from March 2024.

13.0 PROJECTS:

To increase your Port's ability to provide various services to its customers, action has been initiated for development of various Berths/Terminals, the status of which is as detailed below:

(i) Coal Berths 3 & 4 (18 MTPA)

Based on the request of TANGEDCO, your Company has constructed two additional Coal Berths (CB3 & CB4) at an investment of Rs.500 Crore. The two new Coal Berths have capacity of 9 MTPA each and can accommodate Cape size vessel of 18 m draft. The berths have been handed over to TANGEDCO for installation of top unloading facilities like Unloaders, Conveyor system, etc. The mechanization of CB-3 & CB-4 is underway and is expected to be commissioned in financial years 2025-26 and 2024-25 respectively.

(ii) IOCL Captive Jetty (3 MTPA)

Your Company has signed Concession Agreement with M/s. Indian Oil Corporation Limited (IOCL) for Construction of Captive Jetty to handle POL and LPG products at an estimated project cost of Rs.921 Crore and has appointed M/s. Assystem India Ltd (Formerly known as L&T Infrastructure Engineering Ltd) as Independent Engineer. M/s. IOCL has selected M/s. ITD Cementation Ltd, Mumbai as the EPC Contractor for jetty construction. Your Company has allotted the land portion, water front and ROW for pipeline corridor to M/s. IOCL and has declared the Date of Award of Concession with effect from 02.03.2022. Construction works commenced from July 2022 and the jetty is expected to be commissioned by December 2024.

(iii) Modification of Iron Ore Terminal on "as is where is basis" to also handle common user coal (12 MTPA)

Your Company had signed an agreement for Iron Ore Terminal on a 30 years BOT basis during September 2006 with the Project Company

M/s. SICAL Iron Ore Terminal Limited (SIOTL). The BOT Operator had developed the first phase of 6 MTPA during 2010-11. However, due to ban on export of Iron Ore, the Terminal was never put into use. Consequently, Modification of existing Iron Ore Terminal on "as is where is" to also handle Common User Coal was contemplated and accordingly License Agreement was signed on 11.07.2016 between KPL and SIOTL.

However, due to the occurrence of Financial Default by the Concessionaire, 'Termination Notice' was issued by your Company to M/s. SIOTL on 22.03.2021 and the License Agreement was terminated on 20.06.2021. However, SIOTL is facing NCLT proceedings under IBC code and the matter is sub judice.

(iv) Marine Liquid Terminal – 2 (3 MTPA)

To meet ever increasing demand for POL, your Company initiated action for development of 2nd Marine Liquid Terminal consisting of berth and tankage facilities in DBFOT mode at an investment of Rs.393 Crore. After competitive bidding, your Company issued Letter of Award to Consortium of BPCL-HPCL on 14.02.2018. However, because of litigation by existing BOT Operator of MLT-1, the signing of Concession Agreement and allotment of water front is pending. Matter has been referred to Conciliation and Settlement Committee (CSC).

(v) Container Terminal - Phase 1 (stage 2) (6,00,000 TEUs/11.58 MTPA)

The Concessionaire, M/s. AECTPL was supposed to commence Stage-2 construction on 19.01.2019 as per the Concession Agreement. However, due to delay in commencement of Stage II, liquidated damages were levied on the Concessionaire. The Concessionaire invoked Arbitration dispute on 16.8.2020. A majority Award was passed on 28.5.2024. It is proposed to file an appeal against the arbitration award.

14.0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

As a Corporate Port, functioning on "Landlord" model, your Port has to provide the basic

infrastructure like road & rail connectivity, dredged basin/channel, marine services and other common utilities. Towards this end, your Company has initiated actions for effective network of Road and Rail connectivity to the National Highway to ensure faster receipt and evacuation of cargo as detailed below:-

14.1 Road connectivity

(i) Internal Road Connectivity

To provide better road connectivity to the IOCL Regasification Terminal inside the Port, your Company signed an agreement with TNRDC for construction of 2 lane concrete road at a cost of Rs.17.43 Crore. The total length of the road is 2.4 km and has been dedicated for service.

(ii) External Road Connectivity

(a) Southern Port Access Road

Present road connectivity of your Port to the three National Highways (NH5, NH4 & NH45) is through the Port Access Road, the NCTPS approach road, Tiruvottiyur – Ponneri – Panchetty (TPP) Road, the Inner Ring Road (IRR) and the Chennai Bypass Road. Considering the increasing road traffic movement of import/export of cargoes, the existing two lane road starting from Vallur Junction (TPP Road) to Kamarajar Port Main entrance has been widened to four lane road on a turnkey basis by TNRDC for a cost of Rs.195 Crore.

The road works were implemented by TNRDC in 2 stretches. Stretch-1 involves road widening/improvement from Vallur Junction to NCTPS Junction for 4.8 km length and Stretch-2 involves road improvement from NCTPS Junction to Port Main Gate for a length of 2.3 km. The works were completed and inaugurated by Shri. Sarbananda Sonowal, Hon'ble Minister for Ports, Shipping and Waterways & Ayush on 23.04.2023.

(b) Northern Port Access Road (NPAR)

The Northern Port Access Road, which connects your Port to NH5 has a length of 21.148 km with a 4.35 km SPUR Road to the existing Chennai ORR. This Northern Port Access Road forms part of Section-1 of the Chennai Peripheral Ring Road (CPRR). The State Government vide G.O.(Ms) No.37 Highways and Minor Ports (HW2) Department dated 8.3.2019 has accorded administrative sanction for Rs.2122 Crore for the formation of the road. The project is being executed by TNRDC and funded by JICA. M/s.Tata Projects was selected as the Contractor. Works commenced in January 2022 and is expected to be completed by December 2026.

14.2 Rail Connectivity

Presently, your Company is connected by rail to the mainline at Attipattu and Attipattu Pudunagar Stations located in the Chennai – Gudur Section of the Southern Railway on the Chennai – Delhi/Kolkata route. Your Company developed the railway facilities connecting Coal and Iron Ore Terminals to the existing NCTPS railway line. Further, as part of obligations of your Company, Rail Connectivity to Container and Multi Cargo Terminals has been provided.

To ease congestion in rail bound traffic, your Company has initiated actions for the following Rail Connectivity projects:

(i) Southern Rail Connectivity

Your Company has entered into an agreement with M/s. Indian Port Rail & Ropeway Corporation Limited for doubling the existing single line rail connectivity from Holding Yard No.1 to Container Yard at a project cost of Rs.88.81 Crore. The total length of doubling rail connectivity is 2.65 km. The project is expected to be commissioned by the end of November 2024.

(ii) Northern Rail Connectivity

Northern Rail Link (NRL) connects your Port to Northern side of Minjur Station i.e. Chennai - Gudur Railway mainline. Total length of the NRL Connectivity is 11.211 km. Your Company and Kattupalli Port agreed for 30m ROW (15m each) out of 100m ROW being acquired by Government of Tamil Nadu for NPAR. Your Company has considered this NRL connectivity project as a long term project.

(iii) Onetime Upgradation of KPL and NCTPS Railway lines

Your Company has entered into an agreement with M/s. Indian Port Rail & Ropeway Corporation Limited for onetime upgradation of KPL tracks (Holding yard I, II & KPCA) and NCTPS Railway tracks (Common railway track) including modification work (P.Way, OHE and S&T) in Holding Yard II. The total upgradation length of rail connectivity is 26.38 track km at an estimate cost of Rs.35.20 Crore. Original scope of works such as Civil, OHE & S&T works have been completed. Additional work of S&T at Attipattu Station is in progress. The work is expected to be completed by November 2024.

14.3 Dredging Plan**(i) Capital Dredging Phase-V**

The work of Capital Dredging Phase-V awarded to M/s. Jan De Nul Dredging India Pvt. Ltd, Chennai for the value of Rs.156,08,56,760/- (excluding GST) for providing water depth of (-) 16m CD for the berths such as Ro-Ro cum General Cargo Berth-II and IOCL Captive Terminal got completed during October 2023.

(ii) Capital Dredging Phase-VI

With increase in EXIM trade demand, the preference of trade will be to deploy deep draft vessels to gain economies of scale. To align with the MIV-2030 initiative, your Company has

re-initiated the action for carrying out Capital Dredging Phase-VI to provide (-)18m deep draft in the Basin and Channel area of the Port. The detailed Feasibility Report prepared by NTCPWC for the work has been approved. The estimated dredging cost is Rs.513.83 Crore as approved by PIB will be financed through Internal and Extra Budgetary Resources.

Your Company has initiated the tender process for Capital Dredging.

15.0 INDUSTRIAL RELATIONS

Your Company continues to maintain cordial and harmonious industrial relations during the year 2023-24. No man days were lost during the year due to any strike or stoppage of work. The labour situation at the port was normal.

16.0 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**16.1 Manpower**

The manpower details with respect to all employees as on 31.03.2024 are given below:

	SC	ST	OBC	Others	Total
Officers	13	2	27	20	62
Staff	9	1	15	9	34
Total	22	3	42	29	96

16.2 Representation of SCs/STs/OBCs, Minorities

Your Company meticulously follows the Presidential Directives and orders of the Central Government from time to time on reservation of posts/benefits in favour of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Minorities etc. SC employees constitute 23% of total manpower and ST employees constitute 3% of total manpower.

Liaison Officers for SC/ST and OBC have been appointed to ensure compliance and implementation of the reservation orders in the organization.

16.3 Training

As your Company believes that imparting training to its employees is essential to keep them abreast of the knowledge in their related fields, 153 man days of training was imparted to the employees during the year incurring an expenditure of Rs.17.59 lakh approximately.

Programs attended by the employees during the year are Smart Port Technologies and Port & Terminal Optimization, Port Environmental Management and Sustainability, Port and Marine Services, Dredging Technology, IMO Level I & II Training, Green Ports, SEBI, Cyber Threat Intelligence, Disaster Management with NIDM, PPP Frameworks for Infrastructure Development, Environmental, Social and Governance way to sustainability, CSR, Port and Harbor Engineering, Reservations, Port Security, Energy Conservation and Energy Audit, Hindi Workshops, etc.

16.4 Grievance Redressal Mechanism

Your Company has in place a grievance redressal procedure for Executives as well as Non-executive employees. No grievance was received during the period under review.

17.0 MARINE

Your Port provides round the clock prompt Pilotage Services with improved efficiency parameters including just in time pilotage for facilitation of sea trade to all vessels calling the Port.

Your Port is equipped with adequate resources which includes four tugs with different bollard pull capacities to handle upto 1,50,000 DWT vessels of container and biggest LNG and Car Carriers. All tugs are fitted with FiFi systems and equipment for controlling oil pollution as tanker vessels carrying POL, Chemicals, LPG and LNG are predominantly handled. To encourage Make in India Policy, support crafts that are built in India are engaged.

17.1 Vessel Traffic Services (VTS)

Your Port is equipped with Vessel Traffic Services with indigenously developed software as part of "Aatmanirbhar Bharat Make-in-India" initiative.

17.2 Vessels Handled

Your Port

- has successfully handled 967 vessels in the year 2023-24 surpassing its previous record.
- is regularly handling various type of vessels upto DWT 1,50,000.
- has handled 36 Ships of LOA more than 325 mts at AECTPL.
- has handled the largest Container vessel MV MSC Giusy having LOA 366 meters, GRT 155492, draft 15.0 meters and 16550 TEU's capacity on 01.03.2024.
- has handled 16 nos. LNG vessels in the year which is 45.5% increase over the previous year.
- has facilitated bunker for 172 nos of vessels through bunker barge which is 53.6% increase over the previous year.
- is complying Entry & Exit rules, by using the NLP – Marine Online Portal only for smooth & transparent clearance of vessel related process.

18.0 SURVEY & DREDGING

Your Port

- carries out maintenance dredging to maintain scheduled depths in the Channel, Basin, Harbour and alongside berths to facilitate safe navigation of vessels. To monitor scheduled depths, periodical bathymetry of pre-monsoon and post monsoon surveys are being

conducted on half yearly basis during March/April & September/October.

- is complying with NHO, MoS, MoEF, SOI, IPA, CPCB & TNPCB Guidelines for Shoreline monitoring, by conducting topography surveys on periodical basis and has also conducted "A Study on shoreline changes of Kamarajar Port".
- ensures good practice of coordination with National Hydrographic Office, Dehradun for updating/amending the existing Navigational & Enc Charts upon completion of each project at Port.
- gives utmost importance to maintain the dredged depths in the Harbour, Berths and Channel. To maintain scheduled depths, maintenance dredging is being carried out.
- is committed to maintain & record the Tidal Data in coordination with Survey of India, Dehradun for port official use and to publish in the Indian Tide Tables on yearly basis. For the first time in the history of KPL, Tidal data of Kamarajar Port is published in Indian Tide Table-2024.

19.0 PORT SECURITY

Your Port is ISPS compliant and is under the security cover of CISF. Port Facility and Security Levels are declared and maintained as per the DG Shipping guidelines. Your Port is periodically audited and complying the guidelines of ISPS Code issued by DG Shipping. As a part of compliance, Port Facility Security Advisory Committee meeting is held regularly every quarter. Regular security drills are also conducted in the Port with CISF and other security agencies. Your Company has also participated in joint security drills with Coast Guard, Indian Navy and State administration.

20.0 HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT

All are expected to adhere and promote good safety practices, as Health and Safety in the workplace is a shared responsibility. Your Port sets an example to all stakeholders to comply with the requirements of all applicable legislation and regulations with respect to matters of occupational health and safety at workplace.

To maintain sustainable Port operations, the following Health, Safety and Environment practices are being followed:

20.1 Health

Your Port is running an Occupational Health Centre (OHC) equipped with trained paramedical staff on 24x7 basis along with one medical practitioner in general shift on all working days. Additionally, an Ambulance stationed 24x7 in port caters to any first aid requirements of employees and other stakeholders.

Your Port organized a medical camp on cancer to all women employees, Self Help Group Women and contractors through Adyar Cancer Institute, Chennai and a Basic Life Support (BLS) training to employees and stakeholders through Port Health Organization, Chennai. Awareness sessions were conducted on World AIDS Day by distributing face towels, awareness pamphlets to drivers and other personnel. Periodical health check-ups, medical camps were also conducted for employees and other stakeholders.

20.2 Safety

By conducting periodical trainings and drills, your Port promotes safety culture at workplace. Your Port has achieved Zero Fatal incidents and Zero Lost Time injuries in operations during the year 2023-24. The Terminal Operators and

project executers also achieved zero fatal incidents. To enhance the safety culture at workplace and to mitigate risk, the near misses/incidents/accidents are analysed and the lessons learnt are implemented as corrective actions.

National Safety Week and Road Safety Week was observed to sensitize employees, stakeholders and Port users on necessity and importance of complying with safety and ensuring healthy work environment.



Safety Week Valedictory Function at KPL

In-house training programmes on Fire fighting and mock drills for Port users, BOT operators were conducted. Your port actively participates in mutual aid drills with industries in oil & gas and thermal power plant sectors which are in proximity.

For effective response and actions during any unforeseen exigencies, your Port has approved and put in place Disaster Management Plan & Crisis Management Plan. The employees and stakeholders of your port adheres to personal

safety and understands the importance of procedures that needs to be followed during exigency situations.

Your port conducts safety audits and follow-up audits by engaging National Safety Council (NSC) for the berths/terminals/storage facilities handling non-flammable products and Oil Industry Safety Directorate (OISD) for the berths/terminals/storage facilities handling flammable products as per the directions of the Ministry of Ports, Shipping & Waterways.

Your port is equipped with adequate safety equipment including Tier I - Oil Spill Response equipment which are maintained as per standards to comply with the requirements of the National Oil Spill Disaster Contingency Plan (NOS-DCP) guidelines. The requirements of IMO Level I, II & III trainings as per NOS-DCP guidelines have also been fulfilled. Additionally, Radiological Detection Equipment (RDE) has been installed at new gate complex to facilitate trade.

20.3 Environment

Your Port is in the process of transition towards Green Port and is implementing the Harit Sagar guidelines in a phased manner. Your Port is complying with all the applicable Environmental Laws and submitting the compliance reports to MoEFCC, CPCB and TNPCB on the conditions stipulated in various Environmental Clearances of Port projects. BOT operators are also monitoring the environment in their respective terminals and are submitting environmental quality reports regularly to the State Pollution Control Board.

Your Port was granted Environmental & CRZ clearance for ECTPL Terminal to handle augmented capacity of 9.6 Million Tons Per Annum and has obtained Consent To Operate Automobile Export/Import Terminal-II (GCB-2) of 3 Million Tons Per Annum capacity.

As a part of compliance of MARPOL regulations, your port has facilitated the reception facilities under Annexes I, II, IV, V & VI of MARPOL. Five nos. of Tamil Nadu Pollution Control Board approved recyclers have been empaneled for collection and disposal of ship generated oily wastes. Organic waste converter have been installed inside the premises to treat the Port and ship generated organic/food wastes which is thereafter used as manure for the green belt. To sustain as an eco-friendly and green port, M/s. Nitya Laboratories, a NABL accredited and MoEF&CC recognized laboratory was engaged for sampling and testing of various environmental parameters like ambient air quality, ambient noise levels, marine water quality, surface water quality, ground water quality, and STP outlet water quality. 3nos. of continuous ambient air quality monitoring stations have been installed at main gate, signal station and general cargo berth areas to synchronize data with the servers of CPCB and TNPCB for realtime monitoring. All the environmental parameters including air quality levels are being maintained well within the limits prescribed by Central Pollution Control Board.

Your Port is authorized for the generation, collection and disposal of Hazardous Wastes and is submitting the annual returns under Hazardous and Other Wastes (Transboundary & Management) Rules, 2016 for the quantity of hazardous wastes handled during the preceding year. Single Use Plastics have been banned inside the Port and a circular in this regard has been issued to all the stakeholders for strict compliance.

For creation of circular economy, your Port is following the Reduce Reuse & Recycle (RRR) principle for the sustainable Port operations. The solid wastes collected from the ships and various locations inside the Port areas are segregated into different categories and sent to Pollution Control Board approved re-cyclers for further beneficial use.

Your Port has installed renewable energy (Solar Power) of 320KWp and drawing 50% of its captive usage from renewable energy.

Your Port and BOT operators had installed 83KLD capacity Sewage Treatment Plants in their respective premises as your Port is interested in Zero Liquid Discharge (ZLD) principle and reuse of recycled water.

To reduce the ship generated emission levels, shore power supply is provided to the harbor crafts when they are idle. The installation of shore power supply facility has been completed at Coal Berths 1 & 2. Further, by electrifying all the cargo handling equipment, emissions have been considerably reduced.

Your Port had introduced three numbers of e-vehicles for the Solid Waste Management and has observed World Environment Day on 5th June 2023 by conducting various awareness activities. Plantation of tree sapling was carried out in the new CISF barracks in a massive way by engaging various stakeholders.



Plantation Drive during World Environment Day 2023

Your Port had organized extensive cleanliness programs on a daily basis both inside and outside the port areas. A week long extensive cleanup programs was conducted on the eve of Coastal Cleanup Day on 16th September 2023. About 300 participants including employees, stakeholders, CISF personnel were engaged in the cleanup programs and solid wastes of about 100kgs were collected from the north

breakwater premises. To highlight the menace of garbage to the marine environment, your port regularly engages in beach cleanup activities to clean the seashore areas.

21.0 DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013 AND WOMEN EMPOWERMENT

As on 31st March 2024, 18 women employees are on Company rolls, out of which 3% are in staff cadre and about 14% are in officers cadre. International Women's Day was celebrated with active participation of women employees. The provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 have been implemented to provide protection to women against sexual harassment at workplace and for prevention and redressal of complaints. No case of any harassment has been reported at any time in your Company.

22.0 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Your Company as a responsible Corporate citizen has undertaken projects in line with adopted CSR Policy and Companies Act, 2013. CSR Annual Report containing the requisite disclosures relating to composition of the CSR committee, CSR policy and initiatives taken during the year are enclosed as **Annexure - I** and forms part of the Board's Report.

23.0 PUBLIC PROCUREMENT POLICY

The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has notified Public Procurement Policy. Your Company has procured 26.26% of annual value of goods and services from Micro and Small Enterprises (including MSE's owned by SC/ST and women Entrepreneurs).

24.0 RISK MANAGEMENT POLICY

Your Company has adopted Risk Management Policy to provide a framework to identify, assess and manage potential risks and opportunities for managers to make informed management

decisions. Some of the objectives of a Risk Management Framework are given below:

- A focused approach in identifying the obstacles & managing them to help the Organization perform better.
- Introduce a structured risk management initiative across the Organization to identify potential risks that may adversely affect the objectives of the Organization and plan for their mitigation with specific responsibilities assigned.
- Improve strategic decision making.
- Improve business performance.
- Reduce operational surprises and losses.
- Improve deployment of capital.
- Provide a sound basis for integrated risk management and internal control as components of good corporate governance;

The risks are identified, evaluated and mitigating plans are reviewed and monitored from time to time.

25.0 WHISTLE BLOWER POLICY

Your Company has put in place a "Whistle Blower Policy" for employees to report to the management instances of unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Company's Code of Conduct and Ethics by adopting highest standards of professionalism, honesty, integrity and ethical behavior. No complaints which will come under the purview of the Policy have been received during the year. The Whistle Blower Policy has been hosted on the website of your Company <http://www.kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/blower.pdf>

26.0 NOMINATION AND REMUNERATION POLICY

Pursuant to provisions of the Companies Act, 2013, the Nomination and Remuneration

Committee has formulated a policy on appointment of directors, remuneration of Directors, other employees including Key Managerial Personnel. The Nomination and Remuneration Policy is available in the weblink http://www.kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/Nomoination_Remuneration_Policy.pdf

27.0 RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company is complying with the Right to Information Act, 2005 and has designated a Public Information Officer, and an Appellate Authority to look after the compliances of RTI Act, 2005. The information required to be provided as per Section 4(1)(b) of the Right to Information Act, 2005 has been posted on the website of the Company www.kamarajarport.in. 49 applications and one appeal received during the year were disposed off within the stipulated time.

28.0 INFORMATION TECHNOLOGY

Your Company has always been at the forefront in technology adoption for better business process management and providing value to the business. Your Company has realized the digital transformation propounded by the Government of India by undertaking many IT initiatives to carry out all business processes and service delivery through IT systems and IT enabled services. More than 99.5 percent uptime of SAP operations was maintained during the year.

POS and Business Interface Portal in SAP certified No Code/Low Code Application Development Platform (Mendix) has been developed. POS is an internal application primarily for planning, recording and monitoring of entire Marine and Cargo Operational activities rendered by the Port. The Business Interface Portal acts as an interface for the customers to access the Tax Invoices, Accounts Summary, Gate-in / Gate-out Applications, provide feedback on quality of service, etc. The POS is integrated with Sagar-Setu (NLP-M) System for exchanging information with various stakeholders like

Shipping Agent, Shipping Lines, Custom Brokers, etc. Online Vigilance Complaint Management Portal has also been developed & implemented to improve transparency in process & for convenience of the stakeholders.

Your Company is planning to

- adopt the 'Rise with SAP' platform and move the entire SAP system to private Cloud.
- establish an Integrated Port Command Control Center covering CCTV & Video Analytics Software, Monitoring of Electrical Distribution System & Smart Street Lights, Solid Waste Management, integration with Continuous Ambient Air Quality Monitoring System, Fire Station & Other Utilities, Public Address System, Integrated GIS Solutions, etc. which will improve the overall administration, monitoring & surveillance of the Port premises.

29.0 IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

To propagate and implement official language policy of the Government of India:

- Official Language Implementation Committee headed by MD meets every quarter.
- All the Rules / Regulations / Manuals / Forms done in bilingual.
- All the rubber stamps, sign boards, seals, letterheads, Name plates, official description on vehicles, visiting cards, etc. done in bi-lingual.
- Resolutions are done in bi-lingual.
- Hindi workshops were conducted every quarter to give wide publicity on progressive use of Hindi.

The Port celebrated Hindi Day for a fortnight from 16.09.2023 to 27.09.2023 by organizing Essay competition, noting and drafting and poster making for officers and employees. As an

innovative measure, family members were integrated into essay writing and poster making competitions which resulted in spreading awareness to larger section of people.



Poster Making Competition

Hindi Fortnight ended with the organization of "Hindi Day" on 27th September 2023. Dr. Chitti Annapurna, Professor and Head, Department of Hindi, University of Madras, Chennai was the Chief Guest in the function organized on the occasion of Hindi Diwas. Employees who had successfully completed Hindi Exams held during Nov 2023 were incentivized.



Chief Guest Dr. Chitti Annapurna was honoured by Chairman, KPL

30.0 DETAILS OF DIRECTORS OR KEY MANAGERIAL PERSONNEL WHO WERE APPOINTED OR HAVE RESIGNED/CEASED DURING THE YEAR AND TILL THE DATE OF REPORT

30.1 Directors

During the year, the Members approved the following appointment and re-appointment of Directors:

- appointment of Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S (DIN: 08839241) as the Managing Director of the Company for a period of 5 years with effect from 21st August 2023.
- appointment of Shri S. Viswanathan, I.A.S., (DIN:09634577) as the Nominee Director of the Company with effect from 27th April 2023.
- re-appointment of Captain Anoop Kumar Sharma (DIN:03531392) and Smt. Sarla Balagopal (DIN: 01572718) as Independent Directors for a second consecutive term of three years w.e.f. 10th November 2023.

In the opinion of the Board, Captain Anoop Kumar Sharma and Smt. Sarla Balagopal are persons of integrity and possesses relevant expertise, experience and requisite proficiency.

During the year, Shri S. Balaji Arunkumar I.R.T.S. (DIN:07526368) ceased to be a Nominee Director of Chennai Port Authority w.e.f. 27th April, 2023.

30.2 Key Managerial Personnel

Pursuant to the provisions of Section 203 of the Act, Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S., Managing Director, Smt. Jayalakshmi Srinivasan, Company Secretary and Smt. Kavita Satvi, Chief Financial Officer are the Key Managerial Personnel of the Company as on 31st March 2024. Consequent to the appointment of Smt. Kavita Satvi as Chief Financial Officer (CFO) of the Company w.e.f.

14.8.2023, Shri C.S. Vemanna ceased as CFO (i/c) w.e.f 14.8.2023.

Consequent to the appointment of Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S (DIN: 08839241) as the Managing Director, w.e.f 21st August 2023, Shri Sunil Paliwal, I.A.S (DIN: 01310101) ceased to be Managing Director (i/c), but continues to be Chairman (Non Executive).

30.3 Directors liable to retire by Rotation:

Pursuant to Section 152 of the Companies Act, 2013, Shri S. Viswanathan, I.A.S., (DIN:09634577) is liable to retire by rotation at the ensuing Annual General meeting and being eligible offers himself for reappointment. His brief Resume along with other requirements is annexed to the Notice of the 24th Annual General Meeting.

30.4 Details of Meetings of the Board/ Committees and Composition

The Board is assisted by Board Level Committees. The Company Secretary acts as the Secretary to all the Board Level Committee(s). The details of Meetings of the Board/Committee and their composition are given in the Corporate Governance Report that forms part of this Annual Report. All the recommendations of the Committees have been accepted by the Board.

30.5 Annual Evaluation

In terms of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013, annual evaluation of the individual Directors, performance of the Board as a whole, its Committees was carried out by the Directors by circulating an evaluation criteria questionnaire to all the Directors on various parameters like level of participation and devotion of enough time.

31.0 DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

Your Company has received necessary Declaration from each of the Independent

Directors of the Company during the year conforming that they meet the criteria of Independence as prescribed under 149(6) of the Companies Act 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015.

32.0 VIGILANCE

Shri S. Murali Krishnan, I.D.A.S., Chief Vigilance Officer, Chennai Port Authority is holding additional charge as CVO of your Company with effect from 25.04.2022 and is assisted by a Manager from Planning Department.

The Vigilance Division scrutinizes the documents with respect to the works contract executed by the departments. Procedural lapses, deviations from tendering norms and shortcomings in contract works are pointed out to the concerned departments for corrective actions and system improvements. The recovery of money is also advised in fitting cases.

The CVC guidelines/notifications are circulated to the departments. The Annual Immovable Property Returns submitted by the officers of KPL are scrutinized by the Vigilance Division. Clarifications are sought for the abnormalities, if any, from the concerned officers/staff. The Audit reports are studied at Vigilance Division and departments are advised to take necessary corrective action, wherever required.

32.1 Vigilance Awareness Week, 2023

Vigilance Awareness Week was observed in your Company from 30th October 2023 to 5th November 2023, on the theme "Say no to corruption; commit to the Nation". As a prelude to Vigilance Awareness Week 2023, the following six Preventive Vigilance measures were taken as focus areas during the 3 month campaign period (16th August 2023 to 15th November 2023):

1. Awareness building about Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI Resolution).

2. Capacity Building programs.
3. Identification and implementation of Systemic Improvement measures.
4. Leveraging of IT for complaint disposal.
5. Updation of Circulars / Guidelines / Manuals.
6. Disposal of complaints received before 30.06.2023.

Walkathon rally was organized and Pamphlets on PIDPI resolution was issued to common public. Workshop was conducted by Dr. Upendar Vennam, IPoS, CVO, Bharat Dynamics Ltd on the topic of "Disciplinary Proceedings". Training programs on Public procurement, Systems and procedures in Office Management, Inquiry Officer/ Presenting Officer training were conducted at IMU, Chennai for Port employees. Other outreach activities like essay writing competitions involving various schools and colleges in Chennai, Street plays on PIDPI awareness were also conducted during the campaign period. Shri Sunil Paliwal, I.A.S., Chairperson, Chennai Port Authority and Chairman, KPL who presided over the Valedictory function held at Chennai Port Authority on 07th November 2023 stressed about the importance of ethics in work place, honesty and simple living. Smt.J.P.Irene Cynthia, I.A.S., Managing Director, KPL stressed upon incentivizing honest people and importance of honesty in public life. Shri S. Murali Krishnan, I.D.A.S., CVO, Chennai Port Authority and KPL highlighted the various initiatives taken by CVC on the aspects of Preventive Vigilance and measures to create awareness among public & stake holders. On the occasion, prizes were also distributed to school/college students, Port employees.

A dedicated "Online Complaint Management Portal" has been developed for receipt / lodging of complaints on corruption related matters. Your Company is in the process of updating the existing tender and works manual aligned with

procurement manuals issued by Department of Expenditure.



Walkathon Rally



VAW – 2023 Valedictory Function

32.2 Adoption of Integrity Pact

As a part of vigilance administration and superintendence, Central Vigilance Commission has been promoting Integrity, transparency, equity and competitiveness in Government/PSU transactions. As Public procurement is a major area of concern various steps have been taken to put proper systems in place.

Pursuant to the recommendation of the Commission for adoption of Integrity Pact your Board has approved Integrity Pact in the Board Meeting held on 21.02.2015 in respect of major procurements. The threshold value for contracts/ procurement to be covered under Integrity Pact is Rs.1 Crore and above.

The two IEMs for implementing the Integrity Pact are:

- 1) Shri Virendra Narayan Gaur, I.A.S. (Retd).
- 2) Shri Ashwani Kumar, Former CMD, Dena Bank,

Integrity Pact covers all phases of the contract i.e. from the stage of Notice Inviting Tender (NIT) till the conclusion of the contract. All the Departments were advised to incorporate Integrity Pact clause in the tender documents for works/procurements having project value of Rs.1 Crore and above.

32.3 IEM's review meeting

As per CVC's SOP, review meetings are being conducted every quarter by inviting stake holders of your Company. During the year under review, 4 IEM's Review meetings were conducted on 07.07.2023, 17.11.2023, 02.02.2024 and 12.06.2024 to resolve the issues raised by the contractors/vendors/Consultants, if any, within the purview of IEMs.

33.0 NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE ITS SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR

During the year, no Company has become or ceased to be its Subsidiary, Joint Venture or Associate Company.

34.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Directors state that:-

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at

the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;

- (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- (e) the directors had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- (f) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

35.0 DISCLOSURE AS PER SECTION 197 OF THE COMPANIES ACT AND THE REQUIREMENTS OF COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014.

The requisite details pursuant to Section 197 of the Companies Act, 2013, read with Rule 5 of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, forms part of Board's Report and is Annexed to this Report as Annexure - II.

36.0 AUDITORS

Pursuant to the provisions of Section 139 of the Companies Act, 2013, the Comptroller & Auditor General of India, New Delhi has appointed M/s. Jasminder Singh & Associates, Chartered Accountants as Statutory Auditors of the Company for auditing the books of accounts of the Company for the period ended 31st March 2024.

36.1 Statutory Auditors' Report

The Statutory Auditor of the Company, M/s. Jasminder Singh & Associates, Chartered Accountants, have given an unqualified report on the accounts of the Company for the financial year 2023-24. The Emphasis of matters and Notes on financial statement referred to in the Auditor's Report are self-explanatory and do not call for any further comments.

36.2 Review of Accounts by Comptroller and Auditor General of India

The comments of C & AG under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of the Company for the Financial Year 2023-24 and replies of the management thereto are attached as Annexure to the Board's Report and will form part of this report. The Company has also forwarded the Management Replies to Director General (Commercial-I), CAG, New Delhi requesting to drop the comments and issue 'NIL' Certificate.

37.0 SECRETARIAL AUDIT

M/s. S. Dhanapal & Associates, Practicing Company Secretaries was appointed to conduct Secretarial Audit of your Company for the financial year 2023-24. The Secretarial Auditors have given an unqualified report and the report is enclosed as **Annexure – III**.

38.0 SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY REGULATORS OR COURTS

There are no significant and material orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future.

39.0 ANNUAL RETURN

Pursuant to Section 92(3) and Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013, the Annual Return is available in the following link <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/annual-return.php>

40.0 DEBENTURE TRUSTEES

Your Company had appointed M/s. SBICAP Trustees Company Ltd. and M/s. Catalyst Trusteeship Ltd. (formerly known as GDA Trusteeship Ltd.) as Debenture Trustees for Tax Free Bonds issued during the financial years 2012-13 and 2013-14 respectively. The contact details of the Debenture Trustees are given below:-

Debenture Trustees	
SBICAP Trustee Company Ltd, Mistry Bhavan, 4 th Floor, 122, Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020. Ph: 022 – 43025555 Fax: 022 - 43025500	Catalyst Trusteeship Limited, GDA House, Plot No.85, Bhusari Colony (Right), Paud Road, Kothrud, Pune – 411 038 Ph: 020 – 66807200 Fax : 020 - 25280275

41.0 REPORT ON CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO.

In accordance with the provisions of Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 information regarding Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange earnings and outgo is enclosed as **Annexure – IV** to this report.

42.0 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

A voluntary report on Corporate Governance for the year ended 31st March 2024 is enclosed as **Annexure - V** to this report.

42.1 Secretarial Standards

Your Company has complied with the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2).

43.0 COST RECORDS

The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the Company.

44.0 ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors would like to place on record their gratitude for the support and guidance received from the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India and Chennai Port Authority and appreciates the co-operation received from TANGEDCO/TNEB, NTECL, IOCL, TNPCL, GoTN and GoI, particularly the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indian Port Association, Ministry of Finance and Indian Railways/Southern Railways.

Your Directors gratefully acknowledge the continued support and cooperation received from the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Internal Auditors and Secretarial Auditor. Last but not least, your Directors thank the Port Users, BOT Concessionaires, Contractors and Bankers for their continued support and assistance and wish to place on record their appreciation of the continued excellent work done by all the employees of the Company during the year.

For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited

Sd/-

Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman
(DIN: 01310101)

Place: Chennai
Date : 12.08.2024

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-24

[Pursuant to Section 135 of the Companies Act, 2013 ('the Act') & Rules made thereunder]

1. Brief outline on CSR Policy of the Company:

Your Company consistently strives to meet the expectations of the society by supporting initiatives for improving infrastructure/ quality of life of society / community without compromising on ecological issues on sustainable basis consistent with the CSR provisions of the Companies Act, 2013; Schedule VII of the Companies Act, 2013.

Your Port, as a socially responsible Corporate Port endeavors to

- promote and leverage green technologies to produce goods and services that contribute to social and environmental sustainability.
- take up on priority CSR projects, which are in the National Development agenda like safe drinking water, provision of Toilets especially for girls, health and sanitation and education, etc., with the main focus to address the basic needs of the deprived, under privileged and are in line with CSR rules and the policy directions issued by the Government from time to time.

2. Composition of CSR Committee (as on 31.03.2024):

Sl. No.	Name of the Director Designation	Nature of Directorship	Number of Meetings of CSR Committee held during the year	Number of Meetings of CSR Committee attended during the year
1	Shri Sunil Paliwal	Chairman, KPL & Chairman of CSR Committee	5	5
2	Smt J.P.Irene Cynthia	Managing Director, KPL & Member of CSR Committee	2	2
3	Shri S. Viswanathan	Nominee Director & Member of CSR Committee	5	4
4	Shri V.M.V. Subba Rao	Non Official Independent Director & Member of CSR Committee	5	5
5	Capt Anoop Kumar Sharma	Non Official Independent Director & Member of CSR Committee	2	2

3. Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the board are disclosed on the website of the Company:

Composition of CSR Committee link:

<http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/board.level.committee.php>

CSR Policy Link:

https://kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/csr_Policy.Revised.26072021.pdf

CSR Projects Link:

<https://kamarajarport.in/content/innerpage/corporate.social.responsibility.csr.php>

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable: Not Applicable
5. (a) Average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135 : Rs.47060.38 lakhs
- (b) Two percent of average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135: Rs.9,41,20,760/-
- (c) Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years: NIL
- (d) Amount required to be set-off for the financial year, if any: Rs.1,30,05,780/-
- (e) Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)]: Rs.8,11,14,980*/-

Foot Note: *Although KPL's total CSR Obligation is Rs. 8,11,14,980/-, KPL Board has approved CSR Initiatives to the value of Rs.9,65,79,906/- being Rs. 1,54,64,926/- higher than the CSR Obligation for the FY2023-24.

6. (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project) : Rs.4,55,03,070/- (exclusive of GST under RCM)
- (b) Amount spent in Administrative overheads: NIL
- (c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: NIL
- (d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]: Rs.4,55,03,070.00/- (exclusive of GST under RCM)
- (e) CSR amount spent or unspent for the Financial Year:

Total Amount Spent for the financial year (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per Sub-Section (6) of Section 135		Amount transferred to any fund specified in Schedule VII as per second proviso to Sub-Section (5) of Section 135		
	Amount	Date of transfer	Name of the fund	Amount	Date of Transfer
4,55,03,070/-	5,10,79,560/-*	29.04.2024	NA	NA	NA

*KPL has deposited Rs.5,10,79,560/- in the Unspent CSR Account as the total value of CSR Initiatives approved by the KPL Board stands at Rs. 9,65,79,906/-(i.e Rs. 1,54,64,926/- higher than the CSR Obligation of Rs.8,11,14,980/-)

- (f) Excess amount for set-off, if any:

Sl.No.	Particulars	Amount (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
(i)	Two percent of average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135	9,41,20,760/-
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	4,55,03,070/-
(iii)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	0*
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	0
(v)	Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	0

*However KPL Board has approved projects worth Rs. 1,54,64,926/- in excess of CSR obligation Rs. 8,11,14,980/-.

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

1	2	3	4	5	6		7	8
Sl.No.	Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)	Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)	Amount spent in the Financial Year (in Rs.)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135, if any		Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs.)	Deficiency, if any
					Amount (in Rs.)	Date of transfer		
1	FY-2020 - 21	2,83,37,640/-*	0	0	NA	NA	0	0
2	FY-2021 - 22	1,49,70,952/-	15,134/-	15,134/-	NA	NA	0	0
3	FY-2022 - 23	3,88,19,827/-	3,88,19,827/-	3,00,00,000/-	NA	NA	88,19,827/-	0

*Entire amount transferred has been utilized completely by end of the FY 2022-23.

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: No

If Yes, enter the number of Capital assets created/ acquired : NA

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: NA

Sl.No.	Short particulars of the property or asset(s) including complete address and location of the property	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

9. Specify the reason(s), if the Company has failed to spend two per cent of the average net profit as per sub-section (5) of section 135:

Not applicable, because the money has been transferred to unspent CSR account for ongoing projects.

<p style="text-align: center;">Sd/- Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S. (Managing Director)</p>	<p style="text-align: center;">Sd/- Shri Sunil Paliwal, I.A.S. (Chairman-CSR Committee)</p>
--	--

INFORMATION UNDER SECTION 197 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Read with Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

- 1. The ratio of the remuneration of each director to the median remuneration of the employees of the Company for the financial year:**

See Note 1 & 2.

- 2. The percentage increase in remuneration of each director, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Company Secretary or Manager, if any, in the financial year:**

Sl. No.	Name	Percentage
1	Shri Sunil Paliwal, Chairman	See Note 1
2	Smt. J.P. Irene Cynthia – MD (w.e.f 21.8.2023)	See Note 2
3	Shri C.S. Vemanna, CFO (upto 13.8.2023)	See Note 2
4	Smt. Kavita Satvi, CFO (w.e.f 14.08.2023)	See Note 2
5	Smt. Jayalakshmi Srinivasan, CS	24.88 %

- 3. The percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year:**

	CY	PY	Percentage
Median Remuneration	1364422.63	1249356.86	9.21%

- 4. The number of permanent employees on the roll of Company:**

The total number of permanent employees on the roll of the Company as on 31st March 2024 is 96.

- 5. Average percentile increase already made in the salaries of employees other than the managerial personnel in the last financial year and its comparison with the percentile increase in the managerial remuneration and justification thereof and point out if there are any exceptional circumstances for increase in the managerial remuneration:**

As per the policy of the Company, the annual increment in basic pay of the employees of the Company is 3%. The Dearness Allowance is increased as per Government rules. Further the Performance related payments/Terminal benefits are paid as per the applicable rules depending on the performance of the Company during the relevant year.

- 6. Affirmation that the remuneration is as per the remuneration policy of the Company:**

The remuneration to all employees of the Company is as per the Nomination and Remuneration Policy of the Company.

7. The particulars for the year 2023-24 as required to be disclosed under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014:

No employee earned beyond the limits prescribed therein.

Note1: Pursuant to Shri Sunil Paliwal assuming charge as Chairman of Chennai Port Trust (Now Chennai Port Authority) no remuneration is being paid to him w.e.f. 10.11.2021. Consequently, ratio/percentage cannot be determined.

Note 2: Since the remuneration of these KMP's is only for the part of the year, consequently the percentage increase cannot be determined.

Top ten employees in terms of remuneration drawn as on 31.03.2024

S. No.	Name & Designation	Remuneration received (Rs.)	Qualifications & Experience	Date of Commencement of employment	Age	Last employment held
1	Shri S.P. Desikamani, Chief Manager (Dock Master)	45,23,452/-	B.Sc/Master FG with 31 years of experience	27-04-2018	53	West Asia Maritime Limited
2	Shri G.M. Balan, General Manager (MS)	42,72,738/-	B.Sc Physics & Master (FG) with 28 years of experience in various capacities.	16-08-2013	51	LP Logistics Pvt. Ltd
3	Shri C.S. Vemanna, Deputy General Manager (Finance)	42,37,144/-	B COM, AICWAI, Dip in Fisheries Tech & Navigation Engg & MBA with 32 years of experience in various capacities.	05-03-2012	56	IOCL
4	Shri Subramanian Mageswaran, Chief Manager (Dock Master)	38,59,103/-	Master FG with 18 years of experience	02-05-2018	53	Wallem Ship Management
5	Shri A. Karuppiyah, Deputy General Manager (Traffic)	37,05,234/-	B.E. (Civil) & M.Tech (Ocean Engineering) with 26 years of experience	01-02-2007	57	Chennai Port Authority
6	Shri Nirbhik Singh Puar, Senior Manager (Pilot)	36,39,048/-	Master FG with 20 years of experience	01-08-2018	49	Hapag Lloyd Pvt. Ltd.
7	Shri P. Om Pragesh, Sr. Executive Secretary	35,88,197/-	B.COM, MBA, PGDM (PM) with 29 years of experience.	25-02-2002	51	Central Government, Ministry of Shipping
8	Smt. Jayalakshmi Srinivasan, Company Secretary	35,16,970/-	A.C.S, B.GL with 30 years of experience	29-05-2015	59	Tenneco Automotive India Pvt. Ltd
9	Shri C. Uma Shankar, Deputy General Manager (Marine Services)	34,71,964/-	B.E.(Mechanical)/Master FG with 31 years of experience.	02-05-2018	56	DP World Chennai Container Terminal
10	Shri K. Kannan, Chief Manager, HSE	32,41,196/-	B.E. (Civil) with 30 years of experience	01-07-2011	54	Andaman Public Works Department

Note:

- Nature of Employment: Employees of the Company.
- None of the employees are covered under Rule 5(3)(viii) of the Companies (Appointment & Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.
- No employee is a relative of any Director or Manager of the Company.
- "Remuneration" means any money or its equivalent given or passed to any person for services rendered by him and includes perquisites as defined under the Income-Tax Act 1961.

Suite No.103, First Floor, Kaveri Complex No.96/104, Nungambakkam High Road
(Next to NABARD & ICICI Bank), Nungambakkam, Chennai – 600 034
Phone No.044-45530256, 4553 0257/4265 2127
E-mail: csdhanapal@gmail.com, secrertarial@csdhanapal.com
website: www.csdhanapal.com

S Dhanapal & Associates LLP

Practising Company Secretaries

LLPIN: ACB 0368

(Regd.with Limited Liability under the LLP Act, 2008)

Designated Partners

S. Dhanapal, B.Com., B.A.B.L., F.C.S

N. Ramanathan, B.Com., F.C.S

Smita Chirimar, M.Com., F.C.S, DCG(ICS)

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2024

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies
(Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

KAMARAJAR PORT LIMITED

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **M/s. KAMARAJAR PORT LIMITED**, (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted based on records made available to us, in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion/understanding thereon.

Based on our verification of the Company's Books, Papers, Minute Books, Forms and Returns filed and Other Records maintained by the Company and made available to us and also the information provided by the Company, its Officers, Agents and Authorized Representatives during the conduct of Secretarial Audit, we, on strength of those records, and information so provided, hereby report that in our opinion and understandings, the Company, during the audit period covering the financial year ended on **March 31, 2024**, appears to have complied with the statutory provisions listed hereunder and also in our limited review, the Company has proper and

required Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the Books, Papers, Minutes' Book, Forms and Returns filed and Other Records maintained by the Company and made available to us, for the financial year ended on **March 31, 2024** according to the applicable provisions of:

- i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder as applicable;
- ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings to the applicable extent.
- v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and

exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI ACT') as applicable during the year:-

- a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital And Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
- e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
- f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
- g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021;
- h) The Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018.
- vi) Acts, Rules and Regulations relating to Port Management as identified by the Management and communicated to us.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2), and
- ii) The Listing Agreement entered into by the Company with BSE Limited and The Securities and Exchange Board of India

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the period under review, the Company has complied in accordance with the requirements to be met with the applicable provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above to the required extent.

It has been informed to us that the accounts of the associate Company, M/s. Kanniyakumari Port Limited has not been consolidated with that of the Company as there was no significant income / expenditure in the associate Company and statement in form AOC 1 will be annexed to the financials of the Company.

It is represented to us that the Company has initiated measures, wherever required, to address issues raised by the Statutory Authorities and Letters/Notices received by the Company during the financial year under various enactments as applicable to the Company.

We further report that, subject to the above, the related documents that we have come across depict that:

The Board of Directors of the Company is constituted as applicable with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors and the changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, Agenda and detailed notes on Agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes, if any.

We further report that based on our limited review of the compliance mechanism established by the Company, there appear adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines.

We further report that the Company has obtained approval of its members for following Special Business during the year:

- A) Appointment of Shri. S. Viswanathan, IAS (DIN: 09634577) as a Nominee Director of the Company.
- B) Appointment of Smt. J.P. Irene Cynthia, IAS (DIN: 08839241) as Managing Director of the Company.
- C) Re-appointment of Capt. Anoop Kumar Sharma (DIN:03531392) as Independent Director of the Company.

- D) Re-appointment of Smt. Sarla Balagopal (DIN: 01572718) as Independent Director of the Company.

We further report that our Audit was subjected only to verifying adequacy of systems and procedures that are in place for ensuring proper compliance by the Company and we are not responsible for any lapses in those compliances on the part of the Company. Compliance with provisions of applicable laws which have been subject to other audits/reviews and Acts, Rules and Regulations relating to Port Management as identified by the Management have not been independently reviewed by us and the audit / compliance reports as placed before the Board and made available to us have been relied upon in rendering this report.

We further report that we have conducted the Secretarial Audit wherever required through online verification and examination of records, as requested and facilitated by the Company, for the purpose of issuing this Report.

For S DHANAPAL & ASSOCIATES LLP
(Practicing Company Secretaries)
(Firm Regn. No. L2023TN014200)
LLPIN: ACB 0368

Sd/-
RAMANATHAN NACHIAPPAN
(Designated Partner)
FCS. 6665
CP NO. 11084

PEER REVIEW CERTIFICATE NO.1107/2021
UDIN :F006665F000954865

Place: Chennai
Date : 12.08.2024

This Report is to be read with our testimony of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

**To
The Members,
Kamarajar Port Limited
Chennai**

Auditor's responsibility

Based on audit, our responsibility is to express an opinion on the compliance with the applicable laws and maintenance of records by the Company. We conducted our audit in accordance with the auditing standards CSAS 1 to CSAS 4 ("CSAS") prescribed by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"). These standards require that the auditor complies with statutory and regulatory requirements and plans and performs the audit to obtain reasonable assurance about compliance with applicable laws and maintenance of records.

Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non-compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the CSAS. Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records, financial statements and Books of Accounts of the Company and for which we relied on the report of statutory auditor.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For S DHANAPAL & ASSOCIATES LLP
(Practicing Company Secretaries)
(Firm Regn. No. L2023TN014200)
LLPIN: ACB 0368

Sd/-

RAMANATHAN NACHIAPPAN
(Designated Partner)

FCS. 6665

CP NO. 11084

PEER REVIEW CERTIFICATE NO.1107/2021
UDIN :F006665F000954865

Place: Chennai
Date : 12.08.2024

**INFORMATION UNDER SECTION 134(3)(m) OF THE COMPANIES ACT, 2013
READ WITH RULE 8 OF THE COMPANIES (ACCOUNTS) RULE, 2014**

A) CONSERVATION OF ENERGY:

(i) Steps taken or impact on Conservation of Energy:

For effective utilization of electrical energy, Energy Audit was conducted by M/s. Greenserve Energy and audit report was obtained during June-2020. Following energy conservation measures were recommended by the auditor:

- Arresting of Air conditioner duct leakages inside false ceiling in both 2nd and 3rd floor of Jawahar Building at Registered and Corporate Office.
- Installing of occupancy sensor in toilet and board rooms and motion sensor in pathway of chairman corridor and other walkways to improve the operational effectiveness of lighting.
- Installation of additional 40KW new solar power plant in signal station and renovation of existing storage system.
- Installing new substation near signal station to help in reduction of distribution losses.

Action taken on the recommendations is provided below:

- a) Arresting of Air conditioner duct leakages inside false ceiling in both 2nd and 3rd floor of Jawahar Building at Registered and Corporate Office was carried out during September 2020.
- b) The existing storage system of 20KW Solar Power Plant installed at signal station has

been renovated at the cost of Rs.5,90,360/- during October - 2022.

- c) A contract has been awarded to M/s. Kevin Electricals Private Limited, Chennai for the value of Rs.3.97 Crore for installation of new 11KV/433V substation near signal station and the same is nearing completion.
- d) Installation of occupancy sensor in toilet and board rooms and motion sensor in pathway of chairman corridor and other walkways to improve the operational effectiveness of lighting is not being considered for implementation as it will not conserve considerable amount of energy vis a vis implementation cost.

Impacts

- Reduce carbon footprint.
- Significantly reduce utility bills.
- Protect the environment.
- Energy Efficient.
- Prolong the existence of fossil fuels.
- Reduce distribution losses.

(ii) Steps taken by the Company for utilizing alternate sources of energy:

Around 39180 KWh (Units) of power generated through Diesel Generator and around 3,98,361 KWh (Units) of power generated through solar has been utilized during the year 2023-24.

(iii) Capital Investment on energy conservation equipments:

Nil.

B) TECHNOLOGY ABSORPTION:**Efforts made towards technology absorption:****(i) SAP ERP System**

SAP S/4 HANA 1610 ERP system covering various functional areas like, Budget, Accounts & Finance, HR & Payroll, Material Management, Project Systems, etc. was successfully implemented during November 2017 and subsequently upgraded to SAP S/4 HANA 2020 during the FY 2021-22. This has not only enhanced IT utilization and increased the overall productivity, but also enhanced the customer services, service level commitments, utilization of resources at optimal level, etc.

Your Company has also successfully implemented SAP certified No Code/Low Code Application Development Platform (Mendix) for development of web and mobile applications.

(ii) Benefits derived

Business processes and functionalities of HR/Payroll, Finance & Accounting, Purchase & Contracts and Project Systems

(WBS), Employee Requests/Claim and Loan processes are made online through Employee Self Service (ESS) Portal resulting in increased transactional efficiency and productivity leading to cost reduction.

(iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year

a) The details of technology imported:
Not applicable

b) The year of import: Not applicable

c) Whether the technology been fully absorbed: Not applicable

d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reason thereof: Not applicable

(iv) The expenditure incurred on Research and Development: Rs.28.88 lakhs**C) FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO:**

Foreign Exchange Earnings is Nil and Foreign Exchange Outflow is Rs.0.63 lakhs.

For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited

Sd/-
Sunil Paliwal, I.A.S.
Chairman
(DIN: 01310101)

Place: Chennai
Date : 12.08.2024

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1.0 BRIEF STATEMENT ON COMPANY'S PHILOSOPHY ON THE CODE OF GOVERNANCE

Your Company believes that Corporate governance practices is the only way to build a strong Company. Hence, the Report on Corporate Governance is being voluntarily

provided. Your Company's business strategies guarantees ethical operations, and fairness to all parties involved, including suppliers, consumers, employees, investors, regulators, and the community at large. While striving to achieve goals your Company takes stakeholders' interests into consideration.

2.0 BOARD OF DIRECTORS**2.1 Composition and Category of the Board of Directors as on 31.03.2024.**

Sl. No.	Name	Category
1.	Shri Sunil Paliwal, I.A.S.	Chairman
2.	Smt J.P. Irene Cynthia, I.A.S.	Managing Director
3.	Shri S. Viswanathan, I.A.S.	Nominee Director
4.	Shri V.M.V. Subba Rao, FCA, DISA (ICAI)	Independent Director
5.	Capt. Anoop Kumar Sharma	Independent Director
6.	Smt. Sarla Balagopal, I.R.T.S. (Retd.)	Independent Director

Composition and Category of the Board of Directors during the financial year 2023-24 and up to date of this Report:

Sl.No.	Name	Category	Date of appointment	Date of Cessation
1.	Shri Sunil Paliwal, I.A.S.	Chairman (Non Executive)	10.11.2021	Continues
		Managing Director (I/c)	10.11.2021	21.08.2023
2.	Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S.*	Managing Director	21.08.2023	Continues
3.	Shri S. Viswanathan, I.A.S.*	Nominee Director	27.04.2023	Continues
4.	Shri V.M.V Subba Rao, FCA, DISA (ICAI)	Independent Director	06.11.2022 (Second term)	Continues
5.	Capt. Anoop Kumar Sharma	Independent Director	10.11.2023 (Second term)	Continues
6.	Smt. Sarla Balagopal, I.R.T.S. (Retd.)	Independent Director	10.11.2023 (Second term)	Continues

* Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S. is the spouse of Shri S. Viswanathan, I.A.S.

2.2 No. of Board Meetings held with dates of the Meeting:

During the financial year 2023-24, 10 (Ten) Board meetings were held on 05.05.2023, 24.05.2023, 26.06.2023, 24.07.2023, 14.08.2023, 22.09.2023, 08.11.2023, 11.01.2024, 14.02.2024, and 23.03.2024.

2.3 Meetings and Attendance during the year

Attendance of each member along with Chairmanship/Membership of the Audit

Committee (AC) and Stakeholder Relationship Committee (SRC) of Public Limited Companies (including KPL) as per the data/details made available to the Company/Committee is given below:

Name of the Director	Designation of the Director	No. of Board Meeting held during the tenure of respective Director in F.Y. 2023-24	No. of Board Meeting Attended	Last AGM attended	Other Directorship as on 31 st March 2024	No. of Committee across all Companies	
						As Member as on 31 st March 2024	As Chairman as on 31 st March 2024
Shri Sunil Paliwal	Chairman	10	10	Yes	2	AC - KPL SRC - KPL AC - SCL	Nil
Smt. J.P. Irene Cynthia	Managing Director	5	5	Yes	4	AC-KPL SRC - KPL	Nil
Shri.S. Viswanathan	Nominee Director	10	9	Yes	2	Nil	Nil
Shri. V.M.V Subba Rao	Independent Director	10	10	Yes	1	Nil	AC-KPL
Capt. Anoop Kumar Sharma*	Independent Director	10	10	Yes	1	AC-KPL	Nil
Smt. Sarla Balagopal*	Independent Director	10	10	Yes	Nil	AC-KPL	SRC-KPL

Note : KPL - Kamarajar Port Limited, SCL - Sethusamudram Corporation Limited

* re-appointed as Independent Director of the Company for another period of three years w.e.f. 10.11.2023 in the Annual General Meeting held on 29th September, 2023.

3.0 AUDIT COMMITTEE

The role, terms of reference, Composition of the Audit Committee is in accordance with Companies Act, 2013 and other applicable provisions. Head of Finance, Internal Auditors, Statutory Auditors and Senior Executives from various functions were invited to the Audit Committee meetings for interacting with the members of the Audit Committee. The members of Audit committee maintain a strong oversight of the financial reporting process, the audit process, the Company's system of internal controls and compliance with laws and regulations.

A. Composition of Audit Committee

The Audit Committee of the Company comprised of the following members as on 31.03.2024:

Shri V.M.V. Subba Rao	- Chairman
Shri Sunil Paliwal	- Member
Smt J.P. Irene Cynthia	- Member

Capt. Anoop Kumar Sharma - Member

Smt. Sarla Balagopal - Member

In the Board Meeting held on 22.9.2023, Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S., Managing Director was inducted as a Member of the Audit Committee.

B. Meetings and Attendance during the year:

During the year 2023-24, 6 (six) Audit Committee meetings were held on 24.05.2023, 26.06.2023, 14.08.2023, 22.09.2023, 08.11.2023 and 14.02.2024 and the attendance of Members is as detailed below:

Members	No. of Meeting held during tenure	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Shri V.M.V. Subba Rao	6	6	100
Shri Sunil Paliwal	6	6	100
Smt J.P. Irene Cynthia	2	2	100
Capt. Anoop Kumar Sharma	6	6	100
Smt. Sarla Balagopal	6	6	100

4.0 NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The role, terms of reference and composition of the Nomination and Remuneration Committee is in accordance with the Companies Act, 2013 and other applicable provisions and the Committee recommends to the Board the appointment/re-appointment of Directors, Key Managerial Personnel and Senior Management.

A. Composition of Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee comprised of the following Members as on 31.03.2024:

Capt. Anoop Kumar Sharma	- Chairman
Shri Sunil Paliwal	- Member
Shri S. Viswanathan	- Member
Smt. Sarla Balagopal	- Member

Shri S. Balaji Arunkumar ceased to be a member of the Committee w.e.f. 27.04.2023 and Shri S. Viswanathan, I.A.S. was inducted as member w.e.f. 27.04.2023.

B. Meetings and Attendance during the year

During the year 2023-24, 5 (five) Nomination and Remuneration Committee meetings were held on 05.05.2023, 26.06.2023, 24.07.2023, 14.08.2023 and 22.09.2023 and the attendance of members is as detailed below:

Members	No. of Meeting held during tenure	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Capt. Anoop Kumar Sharma	5	5	100
Shri Sunil Paliwal	5	5	100
Shri S. Viswanathan	5	4	80
Smt. Sarla Balagopal	5	5	100

C. Remuneration received by Functional Directors

Details of remuneration of Functional Directors of the Company paid for the financial year 2023-24:

Name of the Directors	Salary & Other Allowances (Rs.)	Bonus / Commission/ PRP (Rs.)	Total (Rs.)
Shri Sunil Paliwal (upto 21.8.2023)	Nil*		
Smt J.P. Irene Cynthia (w.e.f 21.8.2023)	20,76,255/-	-	20,76,255/-

*as Shri Sunil Paliwal was Managing Director(i/c).

5.0 STAKEHOLDER RELATIONSHIP COMMITTEE

Stakeholder Relationship Committee looks into redressal of complaints/ grievances of bondholders pertaining to non receipt of interest/transfer/ transmission of bonds and other miscellaneous complaints. Smt. Jayalakshmi Srinivasan, Company Secretary is the Compliance Officer. M/s. Link Intime India Private Limited, Mumbai, is the Registrar and Transfer Agent of the Company and they attend to all investor service requests. The complaints received from bondholders are monitored regularly and redressal action is taken immediately.

A. Composition of Stakeholder Relationship Committee

As on 31.03.2024, the Stakeholder Relationship Committee comprised of the following Members:

Smt. Sarla Balagopal	- Chairperson
Shri Sunil Paliwal	- Member
Smt. J.P. Irene Cynthia	- Member

In the Board Meeting held on 22.9.2023, Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S., Managing Director was inducted as Member of the Stakeholder Relationship Committee.

B. Meetings and Attendance during the year

During the year 2023-24, 4 (four) Stakeholder Relationship Committee meetings were held on

05.05.2023, 14.08.2023, 08.11.2023 and 14.02.2024 and the attendance of members is as detailed below:

Members	Entitled to attend	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Smt. Sarla Balagopal	4	4	100
Shri Sunil Paliwal	4	4	100
Smt. J.P. Irene Cynthia	2	2	100

6.0 BOARD LEVEL COMMITTEE ON CSR AND SUSTAINABILITY DEVELOPMENT

The role, terms of reference and composition of the Committee is in accordance with Companies Act, 2013 and other applicable provisions.

Shri P. Radhakrishnan, Deputy General Manager (Civil) acted as Nodal Officer of the Committee till his superannuation on 31.08.2023 after which Board, in its meeting held on 22.09.2023 approved the appointment of Shri A. Karupiah, Deputy General Manager (Civil) as the Nodal Officer of the Committee.

A. Composition of Board Level Committee on CSR and Sustainability Development

The Board Level Committee on CSR and Sustainability Development of the Company comprised of the following members as on 31.03.2024:

Shri Sunil Paliwal	- Chairman
Smt J.P. Irene Cynthia	- Member
Shri S. Viswanathan	- Member
Shri V.M.V. Subba Rao	- Member
Capt. Anoop Kumar Sharma	- Member

Shri S. Balaji Arunkumar, ceased to be a member of the Committee w.e.f. 27.04.2023 and Shri S. Viswanathan, I.A.S. was inducted as member w.e.f. 27.04.2023.

In the Board Meeting held on 22.9.2023, Smt. J.P. Irene Cynthia, I.A.S., Managing Director and Captain Anoop Kumar Sharma, Independent Director were inducted as Members of the Board Level Committee on CSR and Sustainability Development.

B. Meetings and Attendance during the year

During the year under review, 5 (five) Meetings of the Committee on CSR and Sustainable Development were held on 05.05.2023, 26.06.2023, 14.08.2023, 11.01.2024 and 23.03.2024 and the attendance of members is as detailed below:

Members	Entitled to attend	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Shri Sunil Paliwal	5	5	100
Smt J.P. Irene Cynthia	2	2	100
Shri S. Viswanathan	5	4	80
Shri V.M.V. Subba Rao	5	5	100
Capt. Anoop Kumar Sharma	2	2	100

7.0 SEPARATE MEETING OF INDEPENDENT DIRECTORS

In terms of Schedule IV of the Companies Act, 2013, a Meeting of the Non-Executive Independent Directors of the Company was held on 14th February, 2024, in which all the Independent Directors participated. The attendance details of the said Meeting are given in the table below:

Members	Entitled to attend	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Shri V.M.V. Subba Rao	1	1	100
Capt. Anoop Kumar Sharma	1	1	100
Smt. Sarla Balagopal	1	1	100

8.0 GENERAL BODY MEETING

The date, time and place of the AGMs held during the preceding three years and special resolution passed thereat are as under:

Year	Date	Time	Place	Special Resolution Passed
2022-23	29.09.2023	3.00 P.M	Through two way Video conferencing/ Other Audio Visual Means (OAVM)	NIL
2021-22	28.09.2022	3.00 P.M	Through two way Video conferencing/ Other Audio Visual Means (OAVM)	NIL
2020-21	24.09.2021	12.30 P.M	Through two way Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	NIL

9.0 DISCLOSURES

- (i) Related Party Transactions are set out in Note No.30 (12) to the notes forming part of the financial statement for the year ended 31st March 2024 in the Annual Report.
- (ii) The statutory authorities have also not passed any strictures or imposed penalty on the Company under any Act/Rules during the last three financial years.
- (iii) Your Company has a Whistle Blower Policy and no personnel of the Company have been denied access to the Audit Committee.
- (iv) No item of expenditure was debited in books of accounts which was not for the purpose of the business. Further, no expense was incurred for the Board of Directors and Top Management which was personal in nature.
- (v) None of the Part time Directors of the Company have pecuniary relationship or transaction with the Company.
- (vi) Details of administrative & office expenses and financial expenses for the year under review and for the previous year are available in annual accounts.
- (vii) Pursuant to clause 7.3 of SEB Circular No. SEBI/HO/DDHS -RACPODI/P/CIR/2023/172 dated 19.10.2023, it is hereby informed that there was no requirement to borrow funds. Further, the Company has ceased to be a large corporate.

10.0 CODE OF CONDUCT

As part of Kamarajar Port's persisting endeavor to set a high standard of conduct for its employees, a "Code of Business Conduct and Ethics" has been laid down for all Board Members and Senior Management Personnel.

All Board Members and Senior Management personnel have affirmed compliance with Kamarajar Port's "Code of Business Conduct and Ethics" for the financial year 2023-24.

Declaration

All the Board Members and Senior Management of the Company have confirmed compliance with 'Code of Business Conduct and Ethics' for the year ended 31st March 2024.

Kamarajar Port Limited
Sd/-

Smt J.P. Irene Cynthia, I.A.S.
Managing Director
(DIN: 08839241)

Place: Chennai
Date : 15.05.2024

11.0 TRAINING OF BOARD MEMBERS

Your Company has a policy for Training of Directors for Promoting better understanding of professional requirements as well as sensitization to professional, socio-economic and political environment in which work is done.

12.0 REVIEW OF COMPLIANCE OF APPLICABLE LAWS

The Board periodically reviews the compliance reports of all laws applicable to the Company to ensure compliance of all the applicable laws.

13.0 MEANS OF COMMUNICATION

The quarterly, half-yearly, annual financial results are furnished immediately to Bombay Stock Exchange where the Company's Tax Free Bonds are listed and published in the Business Standard all Editions. The results are displayed on the website of the Company www.kamarajarport.in and also sent to Debenture Trustees.

Annual Report containing inter-alia, Audited Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, Cash Flow Statement and other important information is circulated to the members and others entitled thereto and are also available in

the Company's website www.kamarajarport.in. All the events/information as per the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are being displayed on the website of the Company.

Website

The Company's website www.kamarajarport.in contains separate dedicated section 'Investors' wherein information for bondholders is available.

Address for Correspondence

Bondholders may send their correspondence to the Company Secretary at the Registered Office at 2nd Floor (North Wing) & 3rd Floor

Jawahar Building, 17, Rajaji Salai, Chennai-01 and electronically to jayasrin@kplmail.in for addressing the queries of bondholders. Investors may also communicate to Link Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent for redressal of their grievance, if any. The details of their address, contact numbers are as under:

Address:

C-101, 247 Park, L.B.S. Marg,
Vikhroli (West), Mumbai - 400 083

Tel No.: 91-22-4918 6000/08108116767,

Fax : 91-22-4918 6060

Email : bonds.helpdesk@linkintime.co.in

**For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited**

Sd/-

**Shri Sunil Paliwal, I.A.S.
Chairman
(DIN: 01310101)**

Place: Chennai

Date : 12.08.2024



भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
का कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
चेन्नै

Indian Audit and Accounts Department
Office of the Principal Director of Commercial Audit,
Chennai

No: PDCA/CA-II//4-79/2024-25/21

Date : 24.07.2024

To

The Chairman
Kamarajar Port Limited,
No.17, Jawahar Building, Rajaji Salai,
Chennai - 600 001.

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Kamarajar Port Limited, for the year ended 31 March 2024.

I am to forward herewith the comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013, on the Financial Statements of Kamarajar Port Limited, for the year ended 31 March 2024.

Five (5) copies of Annual Report of your Company may kindly be arranged to be forwarded to this office. The date of holding of Annual General Meeting may also be intimated please.

Receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/-
(S. Velliangiri)
Principal Director of Commercial Audit

Encl : Audit Certificate

इंडियन आइल भवन, स्तर - 2, 139, महात्मा गाँधी मार्ग, चेन्नै 600034

Indian Oil Bhavan, Level - 2, 139, Mahatma Gandhi Road, Chennai - 600 034

Tel : 044-28330147 Fax : 044-28330142/145 e-mail : pdcachennai@cag.gov.in

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b)
OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF KAMARAJAR PORT LIMITED
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024**

The preparation of financial statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 22.05.2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2024 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Comment on Profitability:

Comment No. 1

Statement of Profit and Loss for the year ended 31 March 2024

Expenses - (V) Other Expenses (Note 27) - Rs.5,115.95 lakh

International Seaport Dredging Private Limited undertook Capital Dredging Phase - III at Kamarajar Port Limited. Due to disputes, the

matter was referred to Arbitration Tribunal (2019) and the final Arbitration Award (7 March 2024) was against the Company. Total award amount was Rs. 3,638.91 lakh (Award - Rs. 2,107.67 lakh, - Interest Rs. 1,210.38 lakh and Cost Rs. 320.86 lakh). The Board of Directors had approved (23 March 2024) the proposal for appeal. This liability has been disclosed under 'Contingent Liabilities' under Note No.30. However, since the liability exists on the Balance Sheet date to an extent of Rs. 3,638.91 lakh a provision for the same should have been made in the financial statements as per the recognition criteria given in Ind AS 37 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets).

The above non-provision has resulted in understatement of liability, Property, Plant and Equipment, (Port Basin and Entrance Channel) and expenditure by Rs. 3,638.91 lakh, Rs. 2,428.53 lakh, and Rs. 1,210.38 lakh respectively. This has also resulted in overstatement of profit by Rs.1,210.38 lakh.

B. Comment on Financial Position

Comment No. 2

Assets -Current Assets (a) Financial Assets — (ii) Cash and Cash Equivalents (Note 13) - Rs.12,080.19 lakh

Kamarajar Port Limited was maintaining various accounts with Axis Bank and other Banks, which had a combined balance of Rs. 2,079.84 lakh as on 31 March 2024. However, unpaid interest pertaining to the period 2013-14 to 2022-23 amounting to Rs. 46.85 lakh on bonds issued by the Company which was lying unpaid for various reasons in different bank accounts were not accounted in the financial statements. Scrutiny of Cash and Bank balances and related documents revealed that these bank balances were maintained outside the books of account. Further, Management is responsible for transfer of unclaimed interest by bond holders to Investor Education Protection Fund account, after a lapse of seven years.

Audit noted that out of Rs. 46.85 lakh, Rs. 8.03 lakh is more than seven years old. Thus, the Company also failed to transfer the same to Investor Education Protection Fund account.

In view of above, Cash and bank balances account, interest payable and dues to Investor Education Protection Fund account are understated by Rs. 46.85 lakh, Rs. 38.82 lakh and Rs. 8.03 lakh respectively.

C. Comment on Statutory Auditors' Report

Comment No. 3

Independent Auditors Report

Report on Other Legal and Regulatory

Requirements- Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2021

The stipulation laid down under Rule 11 (g) of Companies (Audit and Auditors) Amendment

Rules, 2021 provides for reporting by the Statutory Auditors on the matters relating to accounting software/audit trail. Independent Auditors reported that the Company is maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility. However, Independent Auditors Report did not provide a statement that feature of recording audit trail (edit log) facility of the accounting software used by the Company has been operated throughout the year for all transactions recorded in the software and the audit trail feature has not been tampered.

Thus, reporting by the Statutory Auditors on the stipulation laid down under Rule 11(g) of Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2021 is deficient to that extent.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
(S. Velliangiri)
Principal Director of Commercial Audit

Place: Chennai
Date : 24.07.2024

**MANAGEMENT REPLIES TO THE COMMENTS OF CAG UNDER SEC. 143 (6) (B)
OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF
KAMARAJAR PORT LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2024.**

CAG COMMENTS	MANAGEMENT REPLIES
<p>A. Comment on Profitability: Comment No.1 Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March 2024 Expenses – (V) Other Expenses (Note 27) – Rs.5,115.95 lakh</p> <p>International Seaport Dredging Pvt. Ltd. undertook Capital Dredging Phase-III at Kamarajar Port Limited. Due to disputes, the matter was referred to Arbitration Tribunal (2019) and the final Arbitration Award (7 March 2024) was against the Company. Total award amount was Rs.3,638.91 lakh (Award – Rs.2,107.67 lakh, Interest Rs.1,210.38 lakh and Cost – Rs.320.86 lakh). The Board of Directors had approved (23 March 2024) the proposal for appeal. This liability has been disclosed under 'Contingent Liabilities' under Note No.30. However, since the liability exists on the Balance Sheet date to an extent of Rs.3,638.91 lakh a provision for the same should have been made in the financial statements as per the recognition criteria given in Ind AS 37 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets).</p> <p>The above non-provision has resulted in understatement of liability, Property, Plant and Equipment, (Port Basin and Entrance Channel) and expenditure by Rs.3,638.91 lakh, Rs.2,428.53 lakh, and Rs.1,210.38 lakh respectively. This has also resulted in overstatement of profit by Rs.1,210.38 lakh.</p>	<p>As per Ind AS-37, A <i>Contingent Liability</i> is:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) <i>a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity; or</i> (b) <i>a present obligation that arises from past events but is not recognized because:</i> <ul style="list-style-type: none"> (i) <i>it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or</i> (ii) <i>the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability.</i> <p>Since the Board approval for appeal against arbitration award exists on the Balance sheet date, the Company considered this as a Contingent Liability as per Ind AS. The Board decided on the basis of legal opinion and merits of the case.</p> <p>The fact that the Company is appealing against the arbitration decision indicates that the liability is uncertain, and that final outcome is still pending. On account of Appeal against arbitration award, the possibility to estimate the reliable monetary outflow is unknown & uncertain and therefore the Company's decision to maintain the same under Contingent Liabilities with the disclosure is more appropriate.</p> <p>An Appeal has also been filed before Appropriate authority on 15.07.2024 (within 90 days from the date of award) duly following the legal process.</p>

B. Comment on Financial Position**Comment No. 2**

**Assets -Current Assets - (a) Financial Assets - (ii) Cash and Cash Equivalents(Note 13)-
Rs.12,080.19 lakh**

Kamarajar Port Limited was maintaining various accounts with Axis Bank and other Banks, which had a combined balance of Rs.2,079.84 lakh as on 31 March 2024. However, unpaid interest pertaining to the period 2013-14 to 2022-23 amounting to Rs.46.85 lakh on bonds issued by the Company which was lying unpaid for various reasons in different bank accounts were not accounted in the financial statements. Scrutiny of Cash and Bank balances and related documents revealed that these bank balances were maintained outside the books of account. Further, Management is responsible for transfer of unclaimed interest by bond holders to Investor Education Protection Fund account, after a lapse of seven years.

Audit noted that out of Rs.46.85 lakh, Rs.8.03 lakh is more than seven years old. Thus, the Company also failed to transfer the same to Investor Education Protection Fund account.

In view of above, Cash and bank balances account, interest payable and dues to Investor Education Protection Fund account are understated by Rs.46.85 lakh, Rs.38.82 lakh and Rs.8.03 lakh respectively.

It is stated that the Company maintains the unpaid interest to Bondholders outside the books of accounts of the Company. It is further informed that the Company follows the same practice since the issue of tax free bonds i.e. 2012-13 and 2013-14.

In this context, it is further informed that as per Sec,125 (2) of the Companies Act read with Rules,

1. The Central Government shall establish a Fund to be called the Investor Education and Protection Fund (herein referred to as the Fund)

2. There shall be credited to the Fund-

(g) the amount received under sub-section (4) of Section 38;

(h) the application money received by companies for allotment of any securities and due for refund;

(i) matured deposits with companies other than banking companies

(j) matured debenture with companies

(k) interest accrued on the amount referred to clauses (h) to (j);

Provided that no such amount referred to in clauses (h) to (j) shall form part of the Fund unless such amount has remained unclaimed and unpaid for a period of seven years from the date it became due for payment.

From the above, it is understood that the unpaid interest shall always to be transferred with the main principal amount after seven years from the date of redemption.

Since CAG commented on the statutory provision, it is assured that the Company shall obtain the confirmation from the appropriate authority and the needful will be done during the current financial year.

C. Comment on Statutory Auditors' Report**Comment No. 3****Independent Auditors Report****Report on Other Legal and Regulatory****Requirements- Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2021**

The stipulation laid down under Rule 11 (g) of Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2021 provides for reporting by the Statutory Auditors on the matters relating to accounting software/audit trail. Independent Auditors reported that the Company is maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility. However, Independent Auditors Report did not provide a statement that feature of recording audit trail (edit log) facility of the accounting software used by the Company has been operated throughout the year for all transactions recorded in the software and the audit trail feature has not been tampered.

Thus, reporting by the Statutory Auditors on the stipulation laid down under Rule 11(g) of Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2021 is deficient to that extent.

We would like to confirm that the audit trail facility has been actively utilized for all transactions throughout the year, and we assure you that it has remained intact and untampered.

Although our current auditor's report did not specifically address this feature, we recognize its importance and will ensure that it is included in future reports.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Kamarajar Port Limited

Report on the Audit of Ind AS Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Ind AS financial statements of **Kamarajar Port Limited** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2024, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year ended, and notes to the financial statements, including summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "financial statements").
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2024 and its profit, total comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under

section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Emphasis of Matters

4. Reference is invited to Note 4(a) regarding pending conveyance deed/registration deeds for several of the immovable properties obtained by the Company from Government/ Government owned entities. Further, consideration/ compensation payable to various agencies is yet to be finalized and have not been provided for.
5. Reference is invited to Note 30(15)(iii)(a) regarding initiation of arbitration proceedings by one of the BOT operators against the Company during the year stating various claims amounting to a sum of Rs 162968.63 Lakhs in respect of which counter claims have been filed by the

Company and arbitrators appointed by both parties and the status of the arbitration proceedings as at the year end. Accordingly, for reasons mentioned in the said Note, no provision for the claims raised by the BOT operator is considered necessary as at the year end.

Our opinion is not modified in respect of the matters referred to Paragraphs 4 & 5 above.

Key Audit Matters

6. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

7. The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the consolidated financial statements, financial statements and our auditor's report thereon.
8. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
9. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the

other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

10. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Financial Statements

11. The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Indian accounting standards and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safe guarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material

misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

12. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

13. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
14. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 - Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.

However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

15. Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

16. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

17. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

18. From the matters communicated with those charged with governance, we determine

those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

19. As required under section 143(5) of the Act, 2013, we give in the Annexure A, our report on the directions/sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

20. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("The order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section 11 of section 143 of the Act, we give in the Annexure B, a statement on the matters specified in Paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

21. As required by section 143(3) of the Act, we report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;

- c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
- d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014
- e) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2024 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2024 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.
- f) With respect to the adequacy of the internal financial control over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such control, refer to our separate report in "Annexure C". Our report expresses a Un-modified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.
- g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Act.
- h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements vide Note Reference 30(15).
 - ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
 - iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

- (b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- (c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub- clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
- v. As stated in Note 30(20) to the financial statements
- (a) The final dividend proposed in the previous year, declared and paid by the Company during the year is in accordance with Section 123 of the Act, as applicable.
- vi. Company is maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility.

For M/s. Jasminder Singh & Associates
Chartered Accountants
FRN.016192N

Sd/-
CA Jasminder Singh
Partner
M. No. 096895
UDIN:24096895BKALNO7193

Place : Chennai
Date : 22.05.2024

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Annexure referred to in paragraph 19 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our Independent Auditors Report of even date on the Financial Statement of Kamarajar Port Limited for the year ended 31st March 2024

1.	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If no, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	The Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loan/interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	There are no cases of restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loan/interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan.
3.	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of Deviation.	During the year under review, the Company has not received funds for specific schemes from Central/State agencies.

For M/s. Jasminder Singh & Associates

Chartered Accountants

FRN.016192N

Sd/-

CA Jasminder Singh

Partner

M. No. 096895

UDIN:24096895BKALNO7193

Place : Chennai

Date : 22.05.2024

ANNEXURE 'B' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 20 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Kamarajar Port Limited of even date)

- | | |
|--|---|
| <p>1. (a) (i) The Company is maintaining proper records including quantitative details of Property, Plant and Equipment.</p> <p>(ii) The Company is maintaining proper records showing full particulars of Intangible assets.</p> <p>(b) The Company has a program of verification to cover all the items of</p> | <p>Property, Plant and Equipment in a phased manner which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. Pursuant to the program, Property, Plant and Equipment were physically verified by the management during the year. According to the information and</p> |
|--|---|

explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.

- (c) The Company owns land measuring 2,787.27 acres acquired from TIDCO (950.00 acres), TNEB (1092.20 acres), Salt Department, Ministry of Commerce, Government of India (712.42 acres) and Government of Tamil Nadu (47.87 acres), which are under the possession of the Company. Further, out of the total land area owned, 2,038.10 acres including 297.98 acres procured from TIDCO, 995.05 acres from TANGEDCO, 712.42 acres from Salt Department and 0.69 from Government of Tamil Nadu have been registered in the name of the Company and patta has been obtained for 31.96 acres procured from Government of Tamil Nadu and in respect of the balance, registration is in process.
 - (d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not revalued its property, plant and equipment (including right of use assets) or intangible assets or both during the year.
 - (e) No proceedings have been initiated or are pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder. Accordingly, reporting under clause 3(i)(e) of the Order is not applicable to the Company.
2. (a) The Company is engaged in the development and operation of port and is primarily rendering port services. It does not hold any physical inventories. Accordingly, clause 3(ii)(a) of the Order is not applicable.
 - (b) According to the information and explanations given to us and on the

basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of the security of current assets at any point of time during the year. Accordingly, clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable to the Company.

3. (a) During the year, the Company has not provided any loans or provided any advances in the nature of loans, or guarantee, or security to any other entity. Accordingly, reporting under clauses 3(iii)(a) and 3(iii)(e) of the Order is not applicable to the Company.
 - (b) The investments made, guarantees provided, security given and terms and conditions of the grant of all loans and advances in the nature of loans and guarantees provided are not, prima facie, prejudicial to the Company's interest.
 - (c) The Company does not have any outstanding loans and advances in the nature of loans at the beginning of the year nor has granted any loans or advances in the nature of loans during the year. Accordingly, reporting under clauses 3(iii)(c), 3(iii)(d), 3(iii)(e) and 3(iii)(f) of the Order is not applicable to the Company.
4. According to the information and explanations given to us and based on the audit procedures conducted by us, the Company has neither made any investments nor has it given loans or provided guarantee or security in violation of Sections 185 & 186 of the Companies Act.
 5. The Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits within the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant

provisions of the Companies Act. Accordingly, provisions of clause 3(v) of the Order are not applicable.

6. As per the information and explanation given to us, the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act for any of the services rendered by the Company. Accordingly, clause 3(vi) of the Order is not applicable.
7. (a) According to the information and explanation given to us and as per our examination of the records of the Company, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Service Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added

tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities.

There were no undisputed amounts payable in respect of Goods and Service tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, duty of Custom, duty of Excise, Value Added Tax, Cess and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2024 for a period of more than six months from the date they became payable.

- (b) According to the information and explanation given to us and as per our verification of the records of the Company, the following disputed amounts of tax/ duty have not been deposited with appropriate authorities as at 31st March 2024.

Statute	Nature of dues	Amount (Rs. In Lakhs)	Period to which the amount relates	Forum to which amount is pending	Remarks, if any
Income Tax Act, 1961	Income tax	2577.81	AY 2007-08 to AY 2021-22	CIT (Appeals)	Nil
Goods and Service Tax	GST	**78.57	FY 2018-19	JC (Appeals)	Nil

** - Against this, the Company has paid a sum of Rs 9.30 Lakhs under protest

8. According to information and explanation given to us and as per our examination of the records of the Company, the Company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as income in the books of account, in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 as income during the year.
9. (a) According to information and explanation given to us and as per our examination of the records of the Company, the Company has not defaulted in repayment of loans or

other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender.

- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been declared a willful defaulter by any bank or financial institution or government or government authority.
- (c) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has utilized the money obtained by way of term loans during

the year for the purposes for which they were obtained.

- (d) According to the information and explanations given to us, and the procedures performed by us, and on an overall examination of the financial statements of the Company, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term purposes by the Company.
 - (e) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the financial statements of the Company, we report that the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures.
 - (f) According to the information and explanations given to us and procedures performed by us, we report that the Company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies.
10. (a) The Company has not raised any moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) accordingly, clause 3(x) (a) of the Order is not applicable.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, clause 3(x) (b) of the Order is not applicable.
11. (a) To the best of our knowledge and according to the information and

explanations given to us, no fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the period covered by our audit.

- (b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.
 - (c) According to the information and explanations given to us including the representation made to us by the management of the Company whistleblower complaints received by the Company during the year.
12. The Company is not a Nidhi Company and accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.
13. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act where applicable and details of such transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable Indian accounting standards.
14. (a) In our opinion and based on our examination, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.
- (b) We have considered, the internal audit reports for the year under audit, issued to the Company during the year and till date, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.
15. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him.

Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.

16. (a) In our opinion, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence, reporting under clause 3(xvi)(a), (b) and (c) of the Order is not applicable.
- (b) In our opinion, there is no core investment Company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi) (d) of the Order is not applicable.
17. The Company has not incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.
18. There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, clause 3(xviii) of the Order is not applicable.
19. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, the auditor's knowledge of the Board of Directors and management plans, we are

of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report that Company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.

20. (a) In respect of other than ongoing projects, the Company has transferred unspent amount to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act, 2013 within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of section 135 of the said Act.
- (b) In respect of ongoing projects, the Company has transferred unspent Corporate Social Responsibility (CSR) amount as at the end of the previous financial year, to a Special account within a period of 30 days from the end of the said financial year in compliance with the provision of section 135(6) of the Act.
21. The reporting under Clause 3(xxi) of the Order is not applicable in respect of audit of the standalone financial statements. Accordingly, no comment in respect of the said clause has been included in this report.

Place : Chennai
Date : 22.05.2024

For M/s Jasminder Singh & Associates
Chartered Accountants
FRN.016192N
Sd/-
CA Jasminder Singh
Partner
M. No. 096895
UDIN:24096895BKALNO7193

ANNEXURE - C TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in paragraph 25(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Kamarajar Port Limited of even date)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **M/s Kamarajar Port Limited** ("the Company") as of 31st March 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be

prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to

provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting,

including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Place : Chennai
Date : 22.05.2024

For M/s Jasminder Singh & Associates
Chartered Accountants
FRN.016192N
Sd/-
CA Jasminder Singh
Partner
M. No. 096895
UDIN:24096895BKALNO7193

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd Office : 2nd Floor, (North Wing) & 3rd Floor, "Jawahar Buildings", 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS AT 31st MARCH, 2024

(Rupees in lakhs)

Particulars	Note No	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
ASSETS		Audited	Audited
Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	4	312955.22	271221.35
(b) Right-of-Use Assets	4 A	1738.53	1834.41
(c) Capital work-in-progress	5	27438.85	43763.51
(d) Other intangible assets	6	169.62	171.36
(e) Financial Assets			
(i) Investments	7	4190.31	4151.19
(ii) Loans & Advances	8	297.35	299.46
(iii) Others Financial Assets	9	442.82	440.89
(f) Deferred Tax Assets	10	-	3959.37
(g) Other non-current Assets	11	7573.37	11625.13
		354806.06	337466.66
Current Assets			
(a) Financial Assets			
(i) Trade Receivables	12	7537.95	5875.87
(ii) Cash & Cash Equivalents	13	12080.19	8756.70
(iii) Loans & Advances	8	122.42	82.64
(iv) Other Financial Assets	9	261.63	988.41
(b) Current Tax Assets	14	3261.60	3620.95
(c) Other Current Assets	11	1587.86	1663.77
		24851.65	20988.34
Total Assets		379657.72	358455.00
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
(a) Equity Share Capital	15	30000.00	30000.00
(b) Other Equity		261088.98	235637.95
		291088.98	265637.95
Liabilities			
Non-current liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	16	44783.19	48773.52
(ii) Other Financial Liabilities	17	570.69	551.01
(b) Other non-current liabilities	19	6390.52	6874.95
(c) Deferred Tax Liabilities (Net)	10	9675.02	-
		61419.42	56199.48
Current liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	16	3301.25	10550.76
(ii) Trade payables			
-Outstanding dues to Micro & Small Enterprises	20	1605.69	435.43
-Outstanding dues to Creditors other than MSME	20	6536.62	3578.58
(iii) Other Financial Liabilities	17	431.55	417.67
(b) Current Tax liabilities	14	-	-
(c) Other current liabilities	19	6465.51	5825.66
(d) Provisions	18	8808.69	15809.46
		27149.32	36617.58
Total Equity and Liabilities		379657.72	358455.00
Notes to Accounts	30		
Significant Accounting policies	1 to 3		
The notes referred to above form an integral part of the financial statements.			

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,

Chairman
DIN : 01310101

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-

J P IRENE CYNTHIA I.A.S.,

Managing Director
DIN : 08839241For M/s. JASMINDER SINGH
& ASSOCIATES

Chartered Accountant FRN 016192N

Sd/-

KAVITA SATVI

Chief Financial Officer

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN

Company Secretary &
Compliance Officer

Sd/-

CA. JASMINDER SINGH

Partner, M.No.096895
UDIN:24096895BKALNO7193Place : Chennai
Date : 22.05.2024

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd Office : 2nd Floor, (North Wing) & 3rd Floor, "Jawahar Buildings", 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001**STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024**

(Rupees in lakhs)

Particulars	Note No	Year ended March 31 st , 2024	Year ended March 31 st , 2023
Income		Audited	Audited
i) Revenue From Operations	21	106221.97	98272.23
ii) Other Income	22	1921.62	2650.27
Total Income		108143.59	100922.50
Expenses			
i) Operating Cost	23	10476.64	9834.16
ii) Employee Benefits Cost	24	2074.27	2078.78
iii) Finance Cost	25	6262.61	5870.38
iv) Depreciation & Amortization Expenses	26	7554.97	6177.82
v) Other Expenses	27	5115.95	4534.50
Total expenses		31484.44	28495.64
Profit before exceptional items and tax		76659.15	72426.87
Exceptional Items	28	-	14688.36
Profit Before Tax		76659.15	57738.50
Less : Tax expense			
- Current Tax	10	13393.89	10088.07
- Deferred Tax	10	13697.23	10300.21
		27091.12	20388.29
Profit for the period from continuing operations		49568.03	37350.21
Profit/(loss) from discontinued operations		-	-
Tax expense of discontinued operations		-	-
Profit from discontinued operations after tax			
I Profit for the year		49568.03	37350.21
II Other Comprehensive Income			
i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
a) - Remeasurements of the defined benefit plans		(218.96)	(93.19)
Less: Income Tax on Above		76.52	32.56
b) - Change in fair value of Equity instruments		39.12	(3.37)
Less: Income Tax on Above		(13.67)	1.18
Other Comprehensive Income		(117.00)	(62.82)
Total Comprehensive Income for the period		49451.03	37287.39
Earnings per equity share :			
(1) Basic	29	16.52	12.45
(2) Diluted		16.52	12.45
Notes to Accounts	30		
Significant Accounting Policies	1 to 3		
The notes referred to above form an integral part of the financial statements.			

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,Chairman
DIN : 01310101

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-

J P IRENE CYNTHIA I.A.S.,Managing Director
DIN : 08839241For M/s. JASMINDER SINGH
& ASSOCIATES

Chartered Accountant FRN 016192N

Sd/-

KAVITA SATVI

Chief Financial Officer

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASANCompany Secretary &
Compliance Officer

Sd/-

CA. JASMINDER SINGHPartner, M.No.096895
UDIN:24096895BKALNO7193Place : Chennai
Date : 22.05.2024

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd Office : 2nd Floor, (North Wing) & 3rd Floor, "Jawahar Buildings", 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended	For the year ended
	Mar 31, 2024	Mar 31, 2023
A. Cash Flow from Operating Activities	Audited	Audited
Net Profit/Loss Before Tax	76659.15	57738.50
Adjustment for:-		
Loss / (Profit) on Sale of Fixed Assets	1.02	-
Depreciation	7554.97	6177.82
Interest & Finance Charges	6256.55	5864.68
Provision of Expected Credit Loss	1.41	-
Exceptional Items	-	14,057.64
Interest Income	(1316.56)	(1086.44)
Operating Profit before Working Capital Changes	89156.53	82752.21
Adjustment for:-		
Loans & Advances (Non-Current)	2.11	61.41
Other Assets (Non-Current)	(1.94)	-
Other non-current Assets	132.10	30.88
Trade Receivables	(1663.49)	(86.94)
Loans & Advances	(39.79)	(32.90)
Other Assets	726.78	(759.68)
Other Current Assets	75.92	(130.97)
Other Financial Liabilities (Non-Current)	19.68	115.81
Other Non-current Liabilities	(484.43)	(471.10)
Trade payables	4128.31	885.14
Other Financial Liabilities	13.88	(90.36)
Other current liabilities	639.84	324.81
Provisions	(7219.74)	324.75
Current Tax Payments	(13034.54)	(12840.36)
Net Cash From / (used in) Operating Activities	72451.23	70082.69
B. Cash Flow from Investment Activities		
Expenditure of Property Plant and Equipment	(32867.57)	(24202.26)
Capital Advance	3919.65	(3636.77)
Short Term gain on Mutual Funds	-	-
Interest Income	1316.56	1086.44
Net Cash From / (used in) Investing Activities	(27631.35)	(26752.59)
C. Cash Flow from Financing Activities		
Dividend paid during the Year	(24000.00)	(27000.00)
Loans raised during the year	-	-
Loans repaid during the year	(11239.84)	(11079.82)
Interest & Finance Charges	(6256.55)	(5864.68)
Net Cash From / (used in) Financing Activities	(41496.38)	(43944.50)
D. Net increase/ (decrease) in Cash & Cash equivalents	3323.49	(614.41)
E. Opening Cash & Cash Equivalents	8756.70	9371.11
F. Closing Cash & Cash Equivalents	12080.19	8756.70

Sd/-

For KAMARAJAR PORT LIMITED

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,

Chairman
DIN : 01310101

Sd/-

J P IRENE CYNTHIA I.A.S.,

Managing Director
DIN : 08839241For M/s. JASMINDER SINGH
& ASSOCIATES

Chartered Accountant FRN 016192N

Sd/-

KAVITA SATVI

Chief Financial Officer

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN

Company Secretary &
Compliance Officer

Sd/-

CA. JASMINDER SINGH

Partner, M.No.096895
UDIN:24096895BKALNO7193Place : Chennai
Date : 22.05.2024

Statement of Changes in Equity Balance as at 31st March 2024

Equity Share Capital

Balance as at April 1, 2023	Changes in share Capital during the year	Balance as at Mar 31, 2024
30,000	-	30,000

Balance as at April 1, 2022	Changes in share Capital during the year	Balance as at Mar 31, 2023
30,000	-	30,000

Other Equity

For the year ended 31st March, 2024

Particulars	Debenture Redemption Reserve	Reserves and Surplus		Other Components of Equity		Total
		General Reserve	Retained Earnings	Remeasurement of Net Defined benefit Liability/ Asset	FVTOCI - Investments	
	(Rupees in lakhs)					
Balance at the beginning of the reporting period	6575.47	7902.00	223074.30	42.96	(1956.79)	235637.95
Total Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00	49568.03	0.00	0.00	49568.03
Other Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00	0.00	(142.45)	25.45	(117.00)
Transfer from Retained Earnings	(1530.52)	0.00	1530.52	0.00	0.00	0.00
Final Dividend - FY. 2022-23	0.00	0.00	(24000.00)	0.00	0.00	(24000.00)
Balance at the end of the reporting period	5044.95	7902.00	250172.86	(99.49)	(1931.34)	261088.98

Other Equity

For the year ended 31st March, 2023

Particulars	Debenture Redemption Reserve	Reserves and Surplus		Other Components of Equity		Total
		General Reserve	Retained Earnings	Remeasurement of Net Defined benefit Liability/ Asset	FVTOCI - Investments	
(Rupees in lakhs)						
Balance at the beginning of the reporting period	7993.23	7902.00	211306.33	103.59	(1954.60)	225350.55
Total Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00	37350.22	0.00	0.00	37350.22
Other Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00	0.00	(60.63)	(2.19)	(62.82)
Transfer from Retained Earnings	(1417.76)	0.00	1417.76	0.00	0.00	0.00
Dividend - FY. 2021-22	0.00	0.00	(21000.00)	0.00	0.00	(21000.00)
Interim Dividend - FY. 2022-23	0.00	0.00	(6000.00)	0.00	0.00	(6000.00)
Balance at the end of the reporting period	6575.47	7902.00	223074.30	42.96	(1956.79)	235637.95

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd Office : 2nd Floor, (North Wing) & 3rd Floor, "Jawahar Buildings". 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001

Notes to the Financial Statement

1. Corporate Information :

Kamarajar Port Limited is a Public Limited Company domiciled in India and incorporated under the provisions of Companies Act, 1956. The Company is operating mostly on landlord port model limiting its functions to overall planning, development, mobilization of investments for the development of port and common infrastructure facilities. The development and operations of the terminals are mostly entrusted to private operators/captive users.

2. Basis of Preparation :

The Company has adopted Ind-AS, in accordance with Notification dated February 16, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, with effect from April 01, 2016 with a transition date of April 01, 2015.

All amounts included in the financial statements are reported in Indian rupees (Rupees in Lacs) except equity shares, which are expressed in numbers.

3. Significant Accounting Policies**3.1. Use of estimates and judgement:**

The preparation of stand-alone financial statements of the Company requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities.

3.2. Functional and presentation currency:

These financial statements are presented in Indian rupees, the national currency of India, which is the functional currency of the Company.

3.3. Revenue Recognition:

1) Revenue from services is measured at the fair value of the consideration received or receivable net of discounts and excluding taxes and duties. Revenue from service rendered will be recognised upon completion of services. Revenue is recognised when following conditions are met

- i) the amount of revenue can be measured reliably;
- ii) It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity;
- iii) the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.
- iv) No significant uncertainty exists as to its collection.

Revenue stream Includes:

- i) Vessel Related Income.
- ii) Cargo related income.
- iii) Revenue share and Licence fee arising from Leasing of land and waterfront on BOT and other port users / captive users.
- iv) Composite Tariff.

Revenue recognition in respect of each stream of revenue is described below:

i) Vessel Related Income

Vessel related income consists of income from handling of the vessels. Revenue attributable to Vessel related operations are recognized on completion of the specific services.

ii) Cargo related income

Cargo related income consists of income from rendering services with respect to cargo and are recognised on completion of related services.

iii) Leasing of land and waterfront on BOT/Captive use basis

- a) Revenue share from BOT operators is calculated at the quoted % on the gross revenue as per concession / licence agreement on accrual basis up to end of the financial year.
- b) Income from Operating Lease which include escalation clause in line with the general inflation trends is accounted as per terms of the contract.
- c) Income from other Operating Lease is recognized on a straight-line basis over the term of lease.
- d) Contingent Rent is recognized as income in the period in which they accrue.

iv) Composite Tariff

Composite Tariff represents the income earned at a composite tariff for the cargo handled by captive users.

- 2) Dividend income from investments is recognized when the Company's right to receive payment is established and it is probable that the economic benefits associated with the transactions will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably.
- 3) a. Interest income from financial instruments is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts

estimated future cash flows through the expected life of the financial instruments to that instrument's net carrying amount on initial recognition.

- b. Interest income on belated/disputed revenue are recognised on realization basis.

3.4. Property, Plant and Equipment:

Property, Plant and Equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment, if any. Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the property, plant and equipment are ready for use, as intended by the Management. The Company depreciates property, plant and equipment over their estimated useful lives using the straight-line method.

The cost of an item of property, plant and equipment is recognized as an asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The cost of an item of PPE is the cash price equivalent at the recognition date.

The cost of an item of PPE comprises:

- i) Purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts, rebates, taxes/duties and cess on which input credit for capital goods is availed.
- ii) Costs directly attributable to bringing the PPE to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.
- iii) The initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located.

The amounts becoming payable by the Company on account of uncontested arbitral awards on project claims and interest on such awards up to the date of commissioning of the

asset are capitalized in the year of award as additions during the year in the respective asset category. The interest after the date of commissioning of the asset on such awards payable to the contractor is treated as revenue expenditure in the year of award.

When parts of an item of Property, Plant and Equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of Property, Plant and Equipment.

Gains and losses on disposal of an item of Property, Plant and Equipment are determined by comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of Property, Plant and Equipment and are stated at net values under "Other Income/ Other Expenses" in the Statement of Profit or Loss.

The Company has chosen the cost model for recognition and this model is applied to all class of assets. After recognition as an asset, an item of PPE is carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Major repairs and overhauling costs:

The Company recognises in the carrying amount of property, plant and equipment, the cost of replacing part of such an item when that cost is incurred, cost of major repairs/overhauling if the recognition criteria are met. The carrying amount of replaced part is derecognised and the cost of repairs is amortized over the remaining useful life of the repair/overhaul.

3.5. Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment, if any.

Identifiable intangible assets are recognized when the Company controls the asset; it is probable that future economic benefits expected with the respective assets will flow to the Company for more than one economic

period; and the cost of the asset can be measured reliably. Amortisation is provided on Straight Line Method (SLM), which reflect the management's estimate of the useful life of the intangible assets.

Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the Statement of Profit and Loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

3.6. Depreciation

The depreciable amount of an item of PPE is allocated on a straight line basis over its useful life as prescribed in the manner specified in Schedule II of Companies Act, 2013.

For each part of an item of PPE with a cost that is significant in relation to the total cost of the asset and useful life of that part is different from remaining part of the asset, is depreciated separately. Depreciation on all such items is provided from the date they are 'Available for Use' till the date of sale / disposal and includes amortization of intangible assets. Freehold land is not depreciated. An item of PPE is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. In case of port specific assets, the depreciation is charged at the rate as determined in accordance with the life of those assets as per the practice prevailing in Major ports in India. Depreciation on addition in value of assets due to arbitral award is claimed over the remaining useful life of the assets from the start of the financial year in which such award is passed and accepted.

3.7. Borrowing Costs

The Company capitalises borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying asset as a part of the cost of the asset. The Company

recognises other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs them. A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.

To the extent the Company borrows generally and uses them for the purpose of obtaining a qualifying asset, amount of borrowing cost eligible for capitalization is computed by applying a capitalization rate to the expenditure incurred. The capitalization rate is determined based on the weighted average of borrowing costs, other than borrowings made specifically towards purchase of a qualifying asset. Borrowing costs also includes exchange differences to the extent as an adjustment to the borrowing costs.

3.8. Foreign Currency Transactions

Transactions in currencies other than the functional currency are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions.

At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are translated at the rates prevailing at the reporting date.

Foreign currency monetary items (except where realisability of overdue receivable is uncertain) are converted using the closing rate as defined in the Ind AS-21. Non-monetary items are reported using the exchange rate at the date of the transaction. The exchange difference gain/loss is recognized in the Statement of Profit and Loss.

3.9. Government Grant

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be received and all related conditions are complied with. These grants are classified as grants relating to assets or revenue based on the nature of the grants.

Grants relating to depreciable assets are initially recognised as deferred revenue and subsequently recognised in the Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the useful life of the asset generally in the same proportion in which depreciation is charged on the depreciable assets acquired out of such contribution. Changes in estimates are recognised prospectively over the remaining life of the assets.

Grants in the form of revenue grant are recognised as income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed.

Grants in the form of non-monetary assets such as land and other resources are recognised at fair value and presented as deferred income which income is recognized in the Statement of Profit and Loss over the expected useful life in a pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

Grants under 'Service Export from India Scheme (SEIS)' are recognised when the conditions attached with the grant have been satisfied and there is reasonable assurance that the grants will be received. These are recognized in the period in which the right to receive the same is established i.e. the year during which the services eligible for grant of SEIS have been performed.

3.10. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. A provision is reversed when it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

3.11. Contingent Liabilities / Assets

Contingent Liabilities

Contingent liabilities are not recognized but disclosed in Notes to the Accounts when the Company has possible obligation due to past events and existence of the obligation depends upon occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the Company.

Contingent liabilities are assessed continuously to determine whether outflow of economic resources have become probable. If the outflow becomes probable then relative provision is recognized in the financial statements.

Where an entity is jointly and severally liable for an obligation, the part of the obligation that is expected to be met by other parties is also treated as a contingent liability. The entity recognises a provision for the part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets

Contingent Assets are not recognised in the financial statement or disclosed in Notes.

3.12. Employee benefits

i) Defined Benefit Plan

Provision for gratuity, leave encashment/availment and other terminal benefits is made on the basis of actuarial valuation using the projected unit credit method. Re-measurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset

ceiling and the return on plan assets excluding interest (if applicable), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to Statement of Profit or Loss.

ii) Defined Contribution Plan

Contribution to Provident Fund is recorded as expenses on accrual basis.

iii) Short Term Employee Benefits

Short term employee benefits obligations are measured on an undiscounted basis and expensed as the related services are provided. A liability is recognized for the amount expected to be paid under short-term employee benefits if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

3.13. Taxation

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Current tax

The current tax is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from 'profit before tax' as reported in the Statement of Profit and Loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible. The Company's current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the balance sheet approach on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for

financial reporting purposes at the reporting date.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be utilised. Unrecognised deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

The break-up of the major components of the deferred tax assets and liabilities as at balance sheet date is arrived at after setting off deferred tax assets and liabilities.

Current and deferred tax for the year

Current and deferred tax are recognized in profit or loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity respectively. Where current tax or deferred tax arises from the initial accounting for a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

3.14. Impairment

If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit/Fixed Assets) is estimated to be

less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognized immediately in Statement of Profit and Loss.

Recoverable amount is the higher of fair value less costs of disposal and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in Statement of Profit and Loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amounts of its tangible, intangible assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.

Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for impairment at least annually or whenever there is an indication that the asset may be impaired.

3.15. Earnings per share

Basic earnings per equity are computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per equity share and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares.

3.16. Financial instruments

i) Non-derivative financial instruments

Non-derivative financial instruments consist of:

- Financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables, employee advances, other advances, security deposits, investments in equity securities and other eligible current/non-current assets;
- Financial liabilities include long/short-term loan, borrowings, trade payables, security deposits, retention monies and other eligible current/non-current liabilities.

Non derivative financial instruments are recognized initially at fair value including any directly attributable transaction costs except financial instrument measured at fair value through Statement of Profit and Loss which are initially measured at fair value. Financial assets are derecognized when substantial risks and rewards of ownership of the financial asset have been transferred. In cases where substantial risks and rewards of ownership of the financial assets are neither transferred nor retained, financial assets are derecognized only when the Company has not retained control over the financial asset.

Subsequent to initial recognition, non-derivative financial instruments are measured as described below:

a) Investments

Investments in, equity securities (other than Subsidiaries, Joint Venture and Associates) are valued at their fair value. These investments are measured at fair value and changes therein, other than impairment losses, are recognized in Statement of Other Comprehensive Income. The impairment losses, if any, are reclassified from Other Equity to Statement of Profit and Loss. When an available for sale financial asset is derecognized, the related cumulative gain or loss recognised in Other Equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

b) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are presented as current assets, except for those maturing later than 12 months after the reporting date which are presented as non-current assets. Loans and receivables are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment losses. Loans and receivables comprise trade receivables, unbilled revenues, staff advances, security deposits paid and other assets.

The Company estimates the uncollectability of accounts receivable by analysing historical payment patterns, customer concentrations, customer creditworthiness and current economic trends. If the financial condition of a customer deteriorates, evaluation is made for additional allowances required, if any.

c) Trade and other payables

Trade and other payables are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest method. For these financial instruments, the carrying amounts are approximate fair value due to the short term maturity of these instruments.

d) Security Deposits

Security Deposits are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment losses.

e) Tax Free Bonds

Tax free bonds are recognized initially at fair value net of transaction costs. In subsequent periods, Tax free bonds are presented at amortised cost using effective interest method. Interest expenses are recognised in the statement of profit or loss as financial expenses over the life of the tax free bonds using effective interest rate.

ii) Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at Fair Value through Profit and Loss (FVTPL), are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting period. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the financial asset have been affected. For Available for Sale (AFS) equity investments, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- Significant financial difficulty of the issuer or counterparty;
- Breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- Probability that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.

Certain categories of financial assets such as trade receivables are assessed for impairment on individual basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include companies past experience of collecting payments, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets that are carried at cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of trade receivables; such impairment loss is reduced through the use of an allowance account for respective financial asset. When a trade receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in Statement of Profit and Loss.

For financial assets measured at amortised cost, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease

can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through Statement of Profit and Loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortised cost would have been had the impairment not been recognized

iii) De-recognition of financial assets

The Company de-recognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another party. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

On de-recognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

3.17. Segment Information

The Managing Director (MD) of the Company is identified as the Chief Operating Decision Maker (CODM) as defined by Ind AS-108, "Operating Segments." The MD of the Company evaluates the segments based on standalone financial statements. The Management considers "Port Services" rendered in India as a

single reportable Business/Geographical segment.

3.18. Prior Period

Errors of material amount relating to prior period(s) are disclosed by a note with nature of prior period errors, amount of correction of each such prior period presented retrospectively, to the extent practicable along with change in basic and diluted earnings per share. However where retrospective restatement is not practicable for a particular period then the circumstances that lead to the existence of that condition and the description of how and from where the error is corrected are disclosed in Notes on Accounts.

3.19. Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

As a lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognises lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

i) Right-of-Use Assets

The Company recognises right-of-use assets ("RoU Assets") at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any re measurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognised, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the

commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also subject to impairment. Refer to the accounting policies in Section (I) Impairment of non-financial assets.

ii) Lease Liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognises lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognised as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Company uses its incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is re measured if there is a

modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset. Lease liabilities has been presented under the head "Other Financial Liabilities". Lease liabilities has been presented under the head "Other Financial Liabilities".

iii) Short-term leases and leases of low-value assets

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognised as expense on a straight-line basis over the lease term.

As a lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income from operating lease is recognised on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognised as revenue in the period in which they are earned.

Leases are classified as finance leases when substantially all of the risks and rewards of ownership transfer from the Company to the lessee. Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting

periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the lease.

3.20. Current/Non-Current Classification

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/non-current classification. An asset is classified as current if:

- (a) it is expected to be realized or sold or consumed in the Company's normal operating cycle;
- (b) it is held primarily for the purpose of trading;
- (c) it is expected to be realized within twelve months after the reporting period; or
- (d) it is cash or a cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is classified as current if:

- (a) it is expected to be settled in normal operating cycle;
- (b) it is held primarily for the purpose of trading;
- (c) it is expected to be settled within twelve months after the reporting period;
- (d) it has no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

The operating cycle is the time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents. The Company's normal operating cycle is twelve months.

3.21. Dividend distribution to shareholders

Dividends proposed by the Board of Directors are recognized in the financial statements when approved by the shareholders at the Annual General Meeting.

3.22. Prepaid expenses

Revenue expenditure under each head are segregated into current year and prepaid wherever the amount exceeds Rs.20,000/-

3.23. Premia for foreclosure

Premia for foreclosure of loans or any part thereof is recognised as finance cost in the year in which the foreclosure is effected.

3.24. Liquidated damages

Liquidated damages is accounted on certainty basis.

3.25. Statement of Cash Flows

Cash Flows are reported using the Indirect Method. For the purposes of the cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in hand, at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand and are considered part of the Company's cash management system.

4. Property, Plant and Equipment

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2023	Additions	Disposal/ adjustments	Gross carrying value as at March 31, 2024	Accumulated depreciation as at April 1, 2023	Depreciation for the year	Disposal/ adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31, 2024	Carrying Value as at Mar 31, 2024
Land	63,952.64			63,952.64					63,952.64
Building, Sheds & Other Structures	13,183.71	8,815.81	-	21,999.52	2,156.70	323.64	-	2,480.34	19,519.18
Wharves & Boundaries	64,485.91	-	-	64,485.91	11,186.35	1,536.35	-	12,722.70	51,763.21
Roads	19,039.73	11,009.03	-	30,048.76	4,974.56	2,460.63	-	7,435.19	22,613.57
Railway Track & Signalling System	8,795.38	-	-	8,795.38	3,950.41	568.08	-	4,518.49	4,276.88
Docks, Seawalls, Piers & Break Water	57,637.86	14,396.77	-	72,034.64	14,161.42	785.13	-	14,946.55	57,088.08
Navigational Aids	381.67	-	-	381.67	310.22	6.61	-	316.83	64.84
Vehicles	208.25	-	-9.84	198.41	109.35	22.14	-7.14	124.35	74.06
Electrical Installations	2,266.05	255.87	-	2,521.92	1,478.28	147.80	-	1,626.08	895.83
Installation For Water, Communication & Fire Syst	306.19	-	-	306.19	175.82	8.69	-	184.51	121.69
Electrical Appliance	245.94	15.58	-	261.52	164.10	17.14	-	181.24	80.28
Office Equipment	274.72	183.12	-	457.85	191.34	29.20	-	220.54	237.30
Furniture & Fittings	1,051.26	98.75	-	1,150.01	652.25	85.63	-	737.88	412.13
Computers	1,130.92	32.08	-1.27	1,161.73	848.14	94.01	-0.94	941.21	220.52
Port Basin & Entrance Channel	91,157.14	13,808.23	-	1,04,965.37	14,124.37	1,095.39	-	15,219.76	89,745.61
Plant & Machinery	2,772.39	449.89	-	3,222.28	1,217.48	139.91	-	1,357.38	1,864.89
Security Asset	92.09	1.07	-	93.16	59.73	8.93	-	68.66	24.50
Total	3,26,981.85	49,066.20	-11.11	3,76,036.94	55,760.52	7,329.28	-8.08	63,081.72	3,12,955.22
Previous Year	3,24,110.37	2,876.60	-5.11	3,26,981.85	49,845.71	5,919.55	-4.75	55,760.50	2,71,221.35

Land:

- (i) a) The Company owns land measuring 2802.49 acres acquired from GoTN, TNEB, TIDCO and Salt Department, Ministry of Commerce, out of which 2787.27 acres is under possession of the Company and the balance 15.22 acres of land is yet to take possession as these lands were under litigation. Out of 15.22 acres of land under litigation, two writ petitions W.P. No. 26041/2001 & 26042/2001 were filed by Tmt. Pappa & Thiru P. Selvaraj against the land acquisition. The Hon'ble High Court of Madras vide its Judgement dated 19.11.2019 quashed the Notification u/s 4(1) and the Declaration u/s. 6 of the Land Acquisition Act, in so far as the lands of the petitioners. The court advised to initiate land acquisition proceedings afresh by issuing a fresh Notification u/s.4(1) of the Land Acquisitions Act.
- b) The Company has decided not to appeal against the Judgement of the Hon'ble High Court of Madras dated 19.11.2019 in W.P. No.26041/2001 and 26042/2001. The port had remitted an amount of Rs.2.86 lakhs for 6.82 acres of land belonging to Shri P. Selvaraj and Rs.0.58 lakhs for 1.38 acres of land belonging to Smt. S. Pappa as compensation amount and the same was ordered to be kept in revenue deposit and cumulative of Rs.3.44 lakhs.
- (ii) a) The Company procured 950 acres of land from TIDCO, out of which 297.98 acres got registered in the name of the Company, 2.02 acres Govt poromboke lands for which alienation is in progress and the balance 650 acres land, the title transfer is in process.
- b) The Company procured 1092.20 acres of land from TANGEDCO, out of which 995.05 acres got registered in the name of the Company and the balance 97.15 acre Govt poromboke lands for which alienation is in progress.
- c) The Company procured 712.42 acres of land from Salt Department and got registered in the name of the Company.

- d) The Company acquired 31.96 acres of land from GoTN, out of which 0.31 acre has been reacquired by NHAI and the compensation was wrongly paid to Mr. Ethiraj. The issue has been taken up to High Court of Madras who directed Mr Ethiraj to refund the compensation amount. The amount has been recovered and deposited in the Sub-Court, Ponneri. The action has been initiated through the District Collector, Tiruvallur as directed by the Court to recover the deposited compensation amount from the Sub-Court Ponneri.
- e) The Company acquired 0.69 acres of land from GoTN for railway siding and the Patta obtained in the name of Company.
- (iii) Land measuring 40.11, 134.06, 116.75, 95.08, 42.41, 128.51 & 5.00 (total measuring 561.92 acres) allotted to BOT operators viz. M/s. Ennore Tank Terminals Private Limited, M/s. Ennore Coal Terminal Private Limited and M/s. SICAL Iron Ore Terminals Limited, M/s. Adani Container Terminal Private Limited, M/s. Ennore Bulk Terminal Private Limited, M/s. IOC LNG Private Ltd and M/s. Indian Oil Corporation Limited respectively.

4. (A) Right of Use Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2023	Additions	Disposal/ adjustments	Gross carrying value as at March 31, 2024	Accumulated depreciation as at April 1, 2023	Depreciation for the year	Disposal/ adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31, 2024	Carrying Value as at Mar 31, 2024
Leased assets of Registered office	2,564.80	-	--	2,564.80	730.39	95.87	-	826.26	1,738.53
Total	2,564.80	-	--	2,564.80	730.39	95.87	-	826.26	1,738.53
Previous Year	2,661.85	-	97.06	2,564.80	626.52	103.86	-	730.39	1,834.41

5. Capital Work-In-Progress

(Rupees in lakhs)

Particulars	Balance as at April 1, 2023	Additions/ Adjustments during the year	Capitalized / Adjustments during the year	Balance as at Mar 31, 2024
CWIP - Building, Sheds & Other Structures	2,156.40	1,091.44	-2,274.92	972.92
CWIP - Wharves & Boundaries	13,898.05	6,909.03	-20,807.08	-
CWIP - Roads	10,745.55	553.17	-11,009.03	289.69
CWIP - Railway Track & Signalling System	16,170.77	4,468.05	-	20,638.82
CWIP - Electrical Installations	-	2,058.05	-255.87	1,802.18
CWIP - Port Basin & Entrance Channel	535.51	16,991.45	-13,866.73	3,660.23
CWIP - Plant & Machinery	129.16	-	-54.16	75.00
CWIP - Furniture & Fittings	-	6.11	-6.11	-
CWIP-Computer software	128.07	-	-128.07	-
Total	43763.51	32077.31	(48401.97)	27438.85
Previous Year	22351.01	24075.00	(2662.50)	43763.51

6. Intangible Assets - Software

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2023	Additions	Disposal/ adjustments	Gross carrying value as at Mar 31, 2024	Accumulated depreciation as at April 1, 2023	Depreciation for the year	Disposal/ adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31, 2024	Carrying Value as at Mar-31,2024
Leased assets of Registered office	1,104.73	128.07	-	1,232.79	933.37	129.81		1,063.18	169.62
Total	1,104.73	128.07	-	1,232.79	933.37	129.81	-	1,063.18	169.62
Previous Year	1,094.15	10.58	-	1,104.73	778.96	154.41	-	933.37	171.36

7. Investments

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Non-Current		
Investment in Shares-Quoted		
10000 shares in Dredging Corporation of India (Market value as at 31 st March, 2023 - Rs.67,30,500/-)	67.31	28.19
Investment in Shares - Unquoted		
Equity Shares of Sethusamudram Corporation Ltd #	3000.00	3000.00
Less: Provision for Diminution in value of Investments	-3000.00	-3000.00
Equity Shares of Chennai Ennore Port Road Company Ltd (3,40,00,000 Equity shares of Rs.10/- per share; Previous year - 3,40,00,000 Equity shares of Rs.10/- per share)	3400.00	3400.00
Equity Shares of Indian Port Rail Corporation Limited (72,00,000 Equity shares of Rs.10/- per share; Previous year - 72,00,000 Equity shares of Rs.10/- per share)	720.00	720.00
Equity Shares of Kanniyakumari Port Limited (20,000 Equity shares of Rs.10/- per share; Previous year - 20,000 Equity shares of Rs.10/- per share)	2.00	2.00
Investments in Renewable Energy Certificate (66 Equity shares of Rs.1515.52/- per share; Previous year - 66 Equity shares of Rs.1515.52 per share)	1.00	1.00
Total	4190.31	4151.19

#. As the dredging work is suspended from 14.09.2007 upon the direction of the Hon'ble Supreme Court of India and as there is no further progress in the project since then, the Management has provided for diminution towards the Investments in Equity shares of Sethusamudram Corporation Limited.

8. Loans & Advances

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Long Term		
<i>Secured (considered good)</i>		
Advances to Employees (House Building Advance)	283.99	297.10
Advances to Employees (Vehicle Advance)	13.35	2.36
Total	297.35	299.46
Short Term		
<i>Secured (considered good)</i>		
Advances to Employees (House Building Advance)	65.60	68.00
Advances to Employees (Vehicle Advance)	2.78	1.73
Advances to Employees (Others)	20.54	12.90
Advances to Employees (Flood Advances)	33.50	-
Total	122.42	82.64

Advances to Employees (House Building Advance) pending Memo of Deposit of Title Deeds - Nil (Prev. Year Rs.23.44 lakhs).

9. Other Financial Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Long Term		
Deposits		
-Advances other than Related Parties	183.16	181.22
-Advances to Related Parties	259.66	259.66
Total	442.82	440.89
Short Term		
Interest accrued on:		
-Short Term Deposits	37.08	10.55
-Advances to Related Parties	0.00	0.00
Income Receivable	224.54	977.85
Total	261.63	988.41

Income receivable includes Rs. 859.12 lakhs (Prev. Year Rs. 2022-23) realised from sale of DGFT Scrips under SEIS scheme, sold in April 2023.

10. Tax Expense

Tax recognised in Statement of profit and loss

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Current income tax		
In respect of current year	13393.89	10088.07
Sub Total (A)	13393.89	10088.07
Deferred tax expense		
Origination and reversal of temporary differences	2558.49	2131.02
MAT Credit Availment	11138.74	8169.20
Sub Total (B)	13697.23	10300.21
Total (A+B)	27091.12	20388.29

Tax recognised in other comprehensive income

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Defined benefit plan actuarial gains (losses)	76.52	32.56
Change in fair value of Equity instruments	-13.67	1.18
Total	62.84	33.74

Movement in deferred tax balances during the year along with category wise break up

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Deferred Tax Liability		
Property, Plant & Equipment	-37,093.88	-34,551.88
Sub Total	(37,093.88)	(34,551.88)
Deferred tax Assets		
Provision for Bad & Doubtful Debts - @ effective tax rate	1,359.75	1,359.75
MAT Credit entitlement	24,411.95	35,550.69
Movement in Defined Benefit Plan	133.66	128.68
Dimunition in Investment - @ effective tax rate	1,048.32	1,048.32
Others	465.18	423.81
Sub Total	27418.86	38511.25
Net Deferred Tax Assets/ (Liabilities)	-9675.02	3959.37

11. Other Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Non-Current		
Advance to Contractors	-	-
Advance for Capital Expenditure	7,417.61	11,337.26
Prepaid Expenses	82.94	89.70
Deferred Employee Cost	129.08	122.19
Deferred Fair Valuation Gain - Security Deposits	-	-
Advance against Arbitration Award	-	-
Balance with Government Authorities	-	-
Defined Benefit Plan Asset/(Liabilities) - Gratuity	5.24	51.23
Defined Benefit Plan Asset/ (Liabilities) Earned Leave Encashment	-61.50	24.75
Total	7573.37	11625.13
Current		
Advance to Contractors	770.69	715.12
Prepaid Lease Rental	-	-
Prepaid Expenses	135.58	119.35
GST Input Credit	681.59	829.29
Deferred Employee Cost	-	-
Other Assets	-	-0.00
Total	1587.86	1663.77

Advance for Capital expenditure under Non-current includes Rs.4509.50 lakhs - being excess payment to Project contractors referred to High Court of Madras at the time of taken over the Assets and liabilities from Chennai Port Trust on 22.06.2001.

12. Trade Receivables

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Trade receivables		
- Unsecured - Considered good	7537.95	5875.87
- Doubtful	3891.22	3891.22
Less: Allowances for doubtful debts	-3891.22	-3891.22
Total	7537.95	5875.87

13. Cash & Cash Equivalents

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Cash on hand	0.35	0.16
Balances with Banks	2079.84	756.54
Sub-total (A)	2080.19	756.70
Other Bank Balances		
- Term Deposit		
- Less than 3 months	2000.00	0.00
- More than 3 months but less than 12 months	8000.00	8000.00
Sub-total (B)	10000.00	8000.00
Total	12080.19	8756.70

14. Current Tax Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Advance Tax and Tax Deducted at Source	106971.36	93936.81
Provision for Income Tax	-103709.75	-90315.87
Total	3261.60	3620.95

15. Equity Share Capital

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Authorized		
Equity shares of Rs.10/- each		
500,000,000 equity shares	50000.00	50000.00
Issued, subscribed and fully paid		
Equity shares of Rs.10/- each		
300,000,000 equity shares held by Chennai Port Authority	30000.00	30000.00
	30000.00	30000.00

Reconciliation of Share Capital:

Particulars	As at Mar 31, 2024	
	No of Shares	Amount
Opening Equity Shares	300000000	3000000000
Add: -No. of Shares, Share Capital issued/ subscribed during the year	0	0
Closing balance	300000000	3000000000

Particulars	As at Mar 31, 2023	
	No of Shares	Amount
Opening Equity Shares	300000000	3000000000
Add: -No. of Shares, Share Capital issued/ subscribed during the year	0	0
Closing balance	300000000	3000000000

Shares in the Company held by Promoter & Shareholder holding more than 5 percent

Name of the Shareholder	%	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Chennai Port Authority	100%	30000	30000

Government of India disinvested its entire Equity shares held in the Company to Chennai Port Authority through Share Purchase Agreement entered on 25.03.2020

16 Borrowings

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
<u>SECURED - LONG TERM</u>		
Term Loan		
Chennai Port Authority	13602.50	15903.75
Tax Free Bonds		
(i) Series 2012-13	1166.02	1164.88
(ii) Series 2013-14	28514.67	29204.89
<u>UNSECURED - LONG TERM</u>		
Term Loan		
Loan From HDFC Bank	1500.00	2500.00
Total	44783.19	48773.52
<u>SECURED - SHORT TERM</u>		
Current maturities of long term debt		
- Chennai Port Authority	2301.25	2301.25
- Tax Free Bonds - Series 2013-14	-	7249.51
<u>UNSECURED - SHORT TERM</u>		
Current maturities of long term debt		
Loan From HDFC Bank	1000.00	1000.00
Total	3301.25	10550.76

Secured Redeemable Non-Convertible Bonds

(i) Redeemable at par, 117156 Nos of 15 Year bonds of Face Value - Rs.1000/- each amounting to Rs.11,71,56,000/- are due on 25.03.2028 with interest rates @ 7.51% and 7.67% to Retail Investors and 7.01% and 7.17% to others respectively, payable annually. The bonds are secured against the assets of the Company viz. Small Craft Jetty 1, 2 and 3 and General Cargo Berth pursuant to the terms of the Bond Trust Deed registered on 25.03.2013.

(ii) Redeemable at par, 794951 Nos of 10 Year Bonds of Face value- Rs.1000/- each amounting to Rs.79,49,51,000/-were due on 25.03.2024 and the same was repaid to the bondholders on due date. Further, 1916630 Nos of 15 Year bonds of Face Value - Rs.1000/- each amounting to Rs.191,66,30,000/- are due on 25.03.2029 and 943142 Nos of 20 Year Bonds of Face Value - Rs.1000/- each amount to Rs.94,31,42,000/- are due on 25.03.2034 with interest rates @ 8.61%, 9% and 9% respectively to Retail Investors and 8.36%, 8.75% and 8.75% respectively to others, payable annually. The bonds are secured against the assets of the Company viz. North Break Water pursuant to the terms of the Bond Trust Deed registered on 19.03.2014.

Term loan from Chennai Port Trust

Term Loan due to Chennai Port Trust converted at the time of taken over of assets & liabilities in the year 2001-02 and is repayable in 60 Equated Quarterly instalments commencing from 30.06.2012. The instalments are paid up to date during this period. The above loan is secured by hypothecation of specifically earmarked immovable fixed assets of the Company. The Company has borrowed an additional amount of Rs.70 crs and Rs 20 crs on 18.06.2018 and 29.09.2018 respectively on the same terms and conditions of the original loan.

Term loan from HDFC Bank

HDFC Bank has sanctioned Unsecured Rupee Term Loan of Rs.50 Crore on 27th July 2021 @ interest rate of 91 days T Bill Plus 1.80% per annum with reset quarterly repayable within Five year including one year moratorium. During the year 2021-22, the Company has availed Rs.40 Cr for Capital Projects.

17. Other Financial Liabilities

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Long Term		
Security Deposits	570.69	551.01
Retention Money Payable	-	-
Total	570.69	551.01
Short term		
Security Deposits	148.11	131.56
Retention Money Payable	156.10	158.37
Amount Payable to Employees	-	0.48
Other Liabilities	127.35	127.27
Total	431.55	417.67

18. Provisions

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Non- Current FOR EMPLOYEE BENEFITS		
Leave Encashment	-	-
Gratuity	-	-
Total	0.00	0.00
Current FOR EMPLOYEE BENEFITS		
Leave Encashment	-	-
Gratuity	-	-
Performance Related Pay	258.00	254.10
Sub Total (A)	258.00	254.10
OTHER Expenses		
- Revenue	8550.69	15496.86
- Capital	-	58.50
Sub Total (B)	8550.69	15555.36
Total (A+B)	8808.69	15809.46

19. Other Liabilities

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Non-Current		
Income Received in Advance	-	-
Advance Lease Charges	5882.87	6345.75
Deferred Fair Valuation Gain - Security Deposits	507.65	529.20
Total	6390.52	6874.95
Current		
Income Received in Advance	610.35	895.23
Other Statutory Payables	2737.60	2380.55
Advance Received from Customers	2484.28	1922.60
Advance Lease Charges	462.88	487.08
Other Liabilities	170.40	140.20
Total	6465.51	5825.66

Advance Lease Charges includes Rs.5094.01 lakhs under Non-Current represents an amount from Indian Oil LNG Private Limited towards upfront licence fees for 30 years for 5,20,000 sq.m. Land allotted for the construction of LNG Terminal as per the Licence Agreement dated 31st July 2015.

20. Trade Payables

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2024	As at Mar 31, 2023
Total outstanding dues to Micro & Small Enterprises	1605.69	435.43
Total outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises	6536.62	3578.58
Total	8142.32	4014.01

21. Revenue From Operations

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2024	Year ended 31 st March 2023
Lease Income		
Composite Tariff on Coal	33303.25	33184.97
Estate Income	2617.24	2530.53
Revenue Share	39097.05	33832.76
Marine Services		
Vessel Related Income	23717.62	21670.51
Cargo Related Service		
Wharfage	5485.24	5633.02
Royalty	1616.38	960.69
Other Operating Revenues		
Other Services	385.18	459.75
Total	106 221.97	98272.23

22. Other Income

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2024	Year ended 31 st March 2023
Interest from Banks	1197.85	950.61
Interest on Staff Advances	31.31	32.83
Interest - Others	87.40	102.99
Interest on IT Refunds	118.02	-
Other non operating income		
Personnel & Vehicle Entry Pass	102.94	96.55
Profit on sale of Fixed Assets	1.02	-
Liquidated Damages	-	164.42
SEIS Scrips allotted	-	859.13
Other Income	383.08	443.74
Total	1921.62	2650.27

23 Operating Cost

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2024	Year ended 31 st March 2023
Time Charter Crafts	3245.08	3176.11
Consultancy Services - Operations	109.99	153.31
Power & Water charges	337.96	306.96
Environment	508.10	352.12
Research & Development Expenses	28.88	17.87
Fuel Expense	1358.55	1110.98
Manning Services	844.06	856.14
Survey & Maintenance Dredging	125.04	5.05
Repairs and Maintenance	1260.89	811.31
Incentive	2354.96	2767.05
Insurance	303.13	277.26
Total	10476.64	9834.16

24 Employee Benefits

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2024	Year ended 31 st March 2023
Salaries and Wages	1531.15	1478.24
Contribution to Provident Fund	125.48	120.43
Staff Welfare expenses	14.45	36.36
Performance Related Pay	260.42	217.38
Employee Medical expenses	42.27	47.62
Terminal Benefits	100.50	178.75
Total	2074.27	2078.78

25 Finance Cost

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2024	Year ended 31 st March 2023
Interest Expense :		
- From Banks	150.60	58.15
- Tax Free Bonds - 2012-13	83.92	686.48
- Tax Free Bonds - 2013-14	3229.17	3220.76
- Others (including ChPA interest Rs. 17.82 Cr)	2792.86	1899.29
- Tax Free Bond Expenses	6.07	5.70
Total	6262.61	5870.38

26 Depreciation and Amortization Expenses

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2024	Year ended 31 st March 2023
Depreciation / Amortisation for the year		
Tangible Assets	7329.28	5919.55
Right-of-Use Assets	95.87	103.86
Intangible Assets	129.81	154.41
Total	7554.97	6177.82

27 Other Expenses

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2024	Year ended 31 st March 2023
AMC - Software Expenses	365.58	202.08
- Statutory audit	6.00	6.00
- Tax Audit Fees	1.00	1.25
- Payment for other Services	1.60	1.70
- Reimbursement of expenses	0.60	0.60
Electricity & Water Charges	126.83	103.07
Legal & Professional Charges	315.33	567.99
Miscellaneous Expense	238.54	229.51
Printing and stationery	21.78	12.01
Rent, Rates & Taxes	77.10	118.65
Safety & security expenses	1321.70	1300.21
Corporate Social Responsibility Expenses	983.07	854.94
Subscription & Membership fees	162.32	93.80
Communication Expenses	77.19	56.83
Travelling and conveyance	34.79	24.57
Vehicle running expenses	373.65	343.79
Advertising and promotional expenses	251.07	43.96
Flood relief Expenses	44.49	-
Manning Contract - Admin	711.91	573.52
Provision for Expected Credit Loss	1.41	-
Total	5115.95	4534.50

Corporate Social Responsibility (CSR)

- (a) Where the Company covered under section 135 of the Companies Act , the following shall be disclosed with regard to CSR activities

Sl.No.	Name of the activity	Amount spent
(i)	The amount required to be spent by the Company during the year,	Rs.941.20 lakhs
(ii)	Amount of expenditure incurred	Rs.583.15 lakhs
(iii)	Shortfall at the end of the year,	Rs.358.05 lakhs
(iv)	Total of previous years shortfall	No shortfall
(v)	Reason of shortfall	Not Applicable
(vi)	Nature of CSR activities,	Education, Health, Care, Rural Development etc.,
(vii)	Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the Company in relation to CSR expenditure as per relevant accounting standard	NIL
(viii)	Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately	NIL

(b) Amount spent during the year on :

S.No.	Particulars	Yet to be paid in Cash
(i)	Construction / acquisition of any asset	0.00
(ii)	on purposes other than (i) above	0.00
	Total	0.00

Note : As approved by the Board, CSR expenses for the FY 2023-24 was Rs.10.93 Cr and actually incurred was Rs.5.83 Cr, the balance Rs. 5.10 Cr was transferred to CSR Unspent account.

28. Exceptional Items

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2024	Previous year ended 31 st March 2023
Exceptional Items - Shore Protection Structure	0.00	14688.36
Total	0.00	14688.36

The Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India, while granting permission to the Company for various proposal to expand the port area for creating additional terminals, imposed a condition that shore protection and other suitable structures be constructed to prevent the closing of the mouth of Ennore creek which is located nearby the Port premises, thereby constituting a legal obligation cast on the Company.

The amount of Rs.14688.36 lakhs provision had been recognised in the books of account during the year 2022-23, since it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and represents the present value of reliable estimates given by Public Works Department, Government of Tamil Nadu finalised during the year in respect of the above obligation. The said provision is net of expenditure already incurred during 2022-23.

29. Earnings per Share

Particulars	Year ended 31 st March 2024	Year ended 31 st March 2023
Total Comprehensive Income for the Year	4945103407	3728739870
Weighted average number of shares - Basic	300000000	300000000
Weighted average number of shares - Diluted	300000000	300000000
Earnings per Share - Basic	16.52	12.43
Earnings per Share - Diluted	16.52	12.43

Note 30 : Disclosure Notes**1. Commitments****Capital Commitments**

Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Expenditure (net of advances) and not provided for Rs.8378.61 lakhs (Previous Year Rs.32879.08 lakhs)

2. Payment to the Statutory Auditors

(Amount in Lakhs)

Particulars	2023-24	2022-23
Audit Fees	6.00	6.00
Tax Audit Fees	1.00	1.25
Certification fees	1.60	1.70
Reimbursements:		
- Out of Pocket Expenses	0.60	0.60

3. Additional information pursuant to Schedule III of the Companies Act, 2013

(Amount in Lakhs)

	Particulars	2023-24	2022-23
A	Expenditure in Foreign currency on:		
	(i) Professional and consultancy fee	-	-
	(ii) Tours and Travels	0.63	-
	(iii) Interest on Foreign Currency Loan including Hedging	-	-
	(iv) Others	-	-
B	Earnings in Foreign Exchange	-	-

4. Information in respect of Micro, Small and Medium Enterprises as at 31st March 2024

(Rupees in lakhs)

Sl.	Particulars	2023-24	2022-23
1	Amount remaining unpaid to any supplier:		
	a) Principal Amount	1605.69	435.43
	b) Interest due thereon	-	-
2	Amount of interest paid in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount paid to the supplier beyond the appointed day;	Nil	Nil
3	Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;	Nil	Nil
4	Amount of interest accrued and remaining unpaid	Nil	Nil
5	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	Nil	Nil

Classification of Vendors into Micro, Small and Medium Enterprises have been made to the extent information is available with the Company.

Disclosure requirements of Indian Accounting Standards**5. Disclosures in respect of Ind AS 107 - Financial Instruments****5.1 Financial Instruments by Categories**

The carrying value and fair value of financial instruments by categories were as follows:

(Amount in Lakhs as of March 31, 2024)

Particulars	Amortized cost	Financial assets/ liabilities at fair value through profit or loss	Financial assets/ liabilities at fair value through OCI	Total carrying value	Total fair value
Assets:					
Non-current Investment (Ref Note No.7)	4123.00	-	67.31	4190.31	4190.31
Cash & Cash Equivalents (Ref Note No.13)	12080.19	-	-	12080.19	12080.19
Trade Receivable (Ref Note No. 12)	7537.95	-	-	7537.95	7537.95
Loans and Advances (Ref Note No. 8)	419.77	-	-	419.77	419.77
Other Financial Assets (Ref Note No. 9)	704.45	-	-	704.45	704.45
Liabilities:					
Term loan from Chennai Port Trust (Ref Note No. 16)	15903.75	-	-	15903.75	15903.75
Tax Free bonds (Ref Note No. 16)	29680.69	-	-	29680.69	29680.69
Loan from HDFC Bank (Ref Note No.16)	2500.00	-	-	2500.00	2500.00
Trade Payables -Outstanding dues to Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	1605.69	-	-	1605.69	1605.69
Trade Payables - Outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	6536.62	-	-	6536.62	6536.62
Other Financial Liabilities (Ref Note No.17)	1002.24	-	-	1002.24	1002.24

Particulars	Amortized cost	Financial assets/ liabilities at fair value through profit or loss	Financial assets/ liabilities at fair value through OCI	Total carrying value	Total fair value
Assets:					
Non-current Investment (Ref Note No.7)	4123.00	-	28.19	4151.19	4151.19
Cash & Cash Equivalents (Ref Note No.13)	8756.70	-	-	8756.70	8756.70
Trade Receivable (Ref Note No. 12)	5875.87	-	-	5875.87	5875.87
Loans and Advances (Ref Note No. 8)	382.09	-	-	382.09	382.09
Other Financial Assets (Ref Note No. 9)	1429.29	-	-	1429.29	1429.29
Liabilities:					
Term loan from Chennai Port Trust (Ref Note No. 16)	18205.00	-	-	18205.00	18205.00
Tax Free bonds (Ref Note No. 16)	37619.28	-	-	37619.28	37619.28
Loan from HDFC Bank (Ref Note No.16)	3500.00	-	-	3500.00	3500.00
Trade Payables - Outstanding dues to Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	435.43	-	-	435.43	435.43
Trade Payables - Outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	3578.58	-	-	3578.58	3578.58
Other Financial Liabilities (Ref Note No.17)	968.68	-	-	968.68	968.68

5.2. Fair Value Hierarchy

- **Level 1** - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- **Level 2** - Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- **Level 3** - Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The following table presents fair value hierarchy of assets and liabilities measured at fair value:

(Amount in lakhs)

	For the year 31.03.2024				For the year 31.03.2023			
Particulars	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets								
Investments in unquoted equity instruments	-	-	4,123.00	4,123.00	-	-	4,123.00	4,123.00
Investments in quoted equity instruments	67.31	-	-	67.31	28.19	-	-	28.19

5.3. Financial risk management

Financial Risk factors

The Company's activities are exposed to limited financial risks: market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's primary focus is to foresee the unpredictability of financial markets and seek to minimize potential adverse effects on its financial performance.

a) Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flow of financial instruments will fluctuate because of changes in market price.

The Company has interest rate risk as the Market risk. The Company does not have price risk on its financial instruments since Company does not have any derivative financial asset.

Interest Rate Risk :

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The exposure to the risk of changes in

market interest rates relates primarily to the long-term debt obligations with floating interest rates.

The Company has interest rate risk on the loans obtained from Chennai Port Trust as the annual interest rate reset is pegged to the movement in MCLR rate of State Bank of India.

The Company has availed Term loan from HDFC bank as the annual interest rate reset is pegged to the movement in 91 days T Bills.

As at the reporting date, the interest rate profile of the Company's interest-bearing financial instruments are as follows.

(Amount in lakhs)

Particulars	31 st Mar 2024	31 st Mar 2023
Financial Asset		
- Fixed Deposit with Bank	10000.00	8000.00
- Employee Advance	365.73	369.19
Financial Liabilities		
- Tax Free Bonds	29680.69	37619.28
Variable Rate Instruments		
- Loan from Chennai Port Trust	15903.75	18205.00
- Foreign Currency Loan	-	-
- HDFC Bank	2500.00	3500.00

b) Credit Risk

Credit risk refers to the risk of default on its obligation by the counterparty resulting in a financial loss. Since the Company generally stipulates pre-payment with respect to its income for major port services, there is normally no credit offered to anyone. In such cases there is no credit default risk. However, where the Company is rendering certain ancillary / support services the invoices are raised, as and when the services are rendered and in cases of disagreement on user charges, licence fee etc. on settlement of disputes and in these cases, there could be an element of credit default risk.

Trade Receivables

The Company has outstanding trade receivables amounting to Rs.7537.95 lakhs and Rs. 5875.87 lakhs as of March 31, 2024 and March 31, 2023, respectively. Trade receivables are typically

unsecured and are derived from revenue accrual from customers. Since most of the port services are rendered on pre-recovery basis by collecting in advance, Trade receivable constitutes the unpaid Revenue dues mostly towards Estate rentals and allied services. Provision for disputed debts are reviewed at each balance sheet date and provided for on a case to case basis.

The Company filed its claim of Rs.65.29 Cr in Form C on 24.07.2023 before the liquidator of SIOTL in the capacity of an operational creditor. The said claim was rejected partially by the liquidator vide e-mail dated 03.08.2023. Out of claim of Rs.65.29 Cr before Liquidator, an amount of Rs.9.37 Cr towards Arrears on Licence fee, Rs.14.97Cr towards Interest on delayed payments and Rs.2.05 Cr towards Others etc., were not recognised in the books of accounts as per Accounting policy.

Credit risk exposure

An age-wise analysis of trade receivables at each reporting date is summarized below:

(Amount in Lakhs as of 31st March 2024)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables-considered good	4516.10	19.90	30.73	3.24	33.27	4603.24
(ii) Undisputed Trade Receivables which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	915.55	2975.67	3891.22
(iv) Disputed Trade Receivables - considered good	274.56	84.89	149.75	638.38	1787.12	2934.70
(v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	-	-	-

(Amount in Lakhs as of 31st March 2023)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables-considered good	2338.22	56.49	27.54	218.13	67.66	2708.04
(ii) Undisputed Trade Receivables which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	915.55	1675.93	1299.74	3891.22
(iv) Disputed Trade Receivables - considered good	-	174.11	482.31	1324.30	1187.11	3167.83
(v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	-	-	-

Provision for impairment of trade receivables on a case to case basis is made in the year when recoverability is assessed as doubtful based on the recovery analysis performed by the Company or is based on likely outcome of disputes over the interpretation of certain clauses in the concessionaire agreements. The Company considers all other financial assets which are not impaired and past due for each reporting dates under review are of good credit quality.

Other financial assets

Credit risk relating to cash and cash equivalents is considered negligible because our counterparties are banks. We consider the credit quality of term deposits with banks which are subjected to the regulatory oversight of the Reserve Bank of India to be good, and we review these banking relationships on an ongoing basis. Credit risk related to employee loans are considered negligible since loan is secured either as mortgage of the title deed of the property or by way of hypothecation of the vehicle for which these loans have been granted to the employees. Besides, the Company has appropriation right over the terminal benefits due to the employees. Therefore, there is no requirement for impairment provision for these financial assets. We consider all the above financial assets as at the reporting dates to be of good credit quality.

c) Liquidity Risk

Our liquidity needs are monitored on the basis of

monthly and yearly projections. The Company's principal sources of liquidity are cash and cash equivalents, cash generated from operations.

We manage our liquidity needs by continuously monitoring cash inflows and by maintaining adequate cash and cash equivalents. Net cash requirements are compared to available cash in order to determine any shortfalls.

Short term liquidity requirement consists mainly of resources required to settle trade payables, expenses payable, employee dues, repayment of current maturities of loans, etc., arising during the normal course of business as of each reporting date. We maintain sufficient balance in cash and cash equivalents to meet our short term liquidity requirements.

We assess long term liquidity requirements on a periodical basis and manage them through internal accruals. Our non-current liabilities include borrowings from Chennai Port Trust, Tax Free Bonds, and Term loan from HDFC Bank, Retention money payable and Security deposits.

The table below provides details regarding the contractual maturities of non-derivative financial liabilities. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Company can be required to pay. The table includes both principal & interest cash flows.

(Amount in Lakhs as of March 31, 2024)

Particulars	Less than 6 months	6 months to 1 year	1-3 years	3-5 years	More than 5 years	Total
Chennai Port Authority Loan	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	4397.55	15903.75
Loan from HDFC Bank	500.00	500.00	1500.00	-	-	2500.00
Tax Free Bonds	-	-	-	20332.32	9348.37	29680.69
Retention money	156.10	-	-	-	-	156.10
Security Deposits	-	148.11	-	-	570.69	718.80
Other Liabilities	-	127.35	-	-	-	127.35
Total	1806.72	1926.08	6102.48	24934.8	14316.61	49086.69

(Amount in Lakhs as of March 31, 2023)

Particulars	Less than 6 months	6 months to 1 year	1-3 years	3-5 years	More than 5 years	Total
Chennai Port Authority Loan	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	6698.80	18205.00
Loan from HDFC Bank	500.00	500.00	2500.00	-	-	3500.00
Tax Free Bonds	-	7249.51	-	1164.88	29204.89	37619.28
Retention money	158.37	-	-	-	-	158.37
Security Deposits	-	131.56	-	-	551.01	682.57
Other Liabilities	-	127.27	-	-	-	127.27
Total	1808.99	9158.96	7102.48	5767.36	36454.70	60292.49

Trade Payables ageing schedule for the FY 2023 - 24

(Amount in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME	1605.69	-	-	-	1605.69
(ii) Others	6121.30	104.81	141.82	168.69	6536.62
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

Trade Payables ageing schedule for the FY 2022 - 23

(Amount in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	435.43	-	-	-	435.43
(ii) Others	3046.91	81.67	149.76	300.24	3578.58
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

6. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-21 "The Effects of changes in Foreign Exchange Rates"

The amount of exchange differences (net) debited to the Statement of Profit & Loss is **NIL** (Previous year - NIL) under Other Expenses.

7. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-36 "Impairment of assets"

During the year, the Company has reviewed its Fixed Assets for impairment of assets as per Ind AS-36 and has observed no impairment of assets in the current Financial year **NIL** (Previous year – NIL).

8. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-20 "Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance"

(Amount in Lakhs)

Grant received for	2023-24	2022-23
Government Grants	-	859.13
Total Grants Received	-	859.13

9. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-19 "Employee Benefits"

a. General description of various employee's benefit schemes are as under:

a) Provident Fund:

The Company's Provident Fund is deposited with Regional Provident Fund Commissioner. The Company pays fixed contribution to provident fund at pre-determined rate.

b) Gratuity:

The Company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has rendered continuous service of five years or more is entitled to get gratuity @ 15 days salary (15/26 x last drawn basic pay plus dearness allowance) for each completed year of service on superannuation, resignation, termination, and disablement or on death. A trust has been formed for this purpose. This scheme is being managed by the Life Insurance Corporation of India (LIC) for which the Company has taken a Master Policy.

The scheme is funded by the Company and the contributions are paid to the insurer, i.e., the Life Insurance Corporation of India as per the demand made by them. The recognition of net

obligation for the defined benefit plan and the disclosure of information as required under Ind AS-19 is made in accordance with the actuarial valuation report.

c) Superannuation Scheme:

The Company has implemented a non-contributory Employee's Group Superannuation Pension Scheme which is also managed by LIC of India. Contributions @12% of Basic Pay plus dearness allowance of the enrolled employee is made to the Corporation.

The contribution to the scheme for the period is grouped under Employee Cost on accrual basis. In respect of employees on deputation, pension contribution is calculated as per lending organization/Govt. of India Rules and is accounted for on accrual basis.

d) Leave:

The Company provides for Earned Leave benefits and Half-Pay Leave to the employees of the Company, which accrue annually at 30 days & 20 days respectively. The Earned Leave is encashable once in a calendar year while in service for a period of maximum 30 days as per eligibility and on Superannuation, the maximum limited to 300 days.

The liability on Earned leave is recognized on the basis of actuarial valuation.

b. The summarized position of various defined benefits recognized in the Statement of Profit & Loss, Other Comprehensive Income (OCI) and Balance Sheet & other disclosures are as under:

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Defined Benefit Obligation	C.Y.	502.47	454.15
	P.Y.	440.56	389.81
Fair Value of Plan Assets	C.Y.	507.71	392.65
	P.Y.	491.79	414.57
Funded Status [Surplus/ (Deficit)]	C.Y.	(5.24)	61.50
	P.Y.	(51.23)	(24.75)
Effect of asset ceiling	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Net Defined Benefit Assets/(Liabilities)	C.Y.	(5.24)	61.50
	P.Y.	(51.23)	(24.74)

Movement in defined benefit obligation

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Defined benefit obligation - Beginning of the year	C.Y.	440.56	389.82
	P.Y.	350.20	326.86
Current service cost	C.Y.	32.11	39.26
	P.Y.	31.73	-
Interest Cost	C.Y.	30.87	23.36
	P.Y.	24.63	23.66
Benefits Paid	C.Y.	(58.99)	(157.37)
	P.Y.	(20.00)	-
Re-measurements - actuarial loss/(gain)	C.Y.	57.93	159.08
	P.Y.	54.00	39.29
Defined benefit obligation - End of the year	C.Y.	502.48	454.15
	P.Y.	440.56	389.82

Movement in plan asset

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave Encashment (Funded)
Fair value of plan assets at beginning of year	C.Y.	491.79	414.57
	P.Y.	418.89	377.47
Interest income	C.Y.	36.19	29.27
	P.Y.	31.81	27.67
Employer contributions	C.Y.	39.07	107.81
	P.Y.	60.90	9.51
Benefits Paid	C.Y.	(58.99)	(157.37)
	P.Y.	(20.00)	-
Re-measurements - Return on plan assets	C.Y.	(0.33)	(1.62)
	P.Y.	0.20	(0.09)
Fair value of plan assets at end of year	C.Y.	507.72	392.65
	P.Y.	491.79	414.57

Amount Recognized in Statement of Profit and Loss

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Current service cost	C.Y.	32.11	39.26
	P.Y.	31.73	-
Past Service Cost - Plan Amendment	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Curtailement cost/(credit)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Settlement cost/(credit)	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0
Service Cost (A)	C.Y.	32.11	39.26
	P.Y.	31.73	-
Net Interest on Net Defined Benefit Liability/(assets) (B)	C.Y.	(5.31)	(5.91)
	P.Y.	(7.18)	(4.01)
Cost Recognized in P&L (A+B)	C.Y.	26.79	(33.36)
	P.Y.	24.55	(4.01)

Sensitivity Analysis

(Amount in Lakhs as of March 31, 2024)

Assumption	Change in Assumption	Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Discount rate	+1.00%	461.59	435.41
	-1.00%	549.17	474.58
Salary growth rate	+1.00%	536.89	477.44
	-1.00%	466.37	432.42
Attrition rate	+1.00%	511.3	456.01
	-1.00%	492.62	452.15
Discount rate	+1.00%	461.59	435.41
	-1.00%	549.18	474.58
Mortality rate	10.00%	502.87	454.23
	-10.00%	502.07	454.07

(Amount in Lakhs as of March 31, 2023)

Assumption	Change in Assumption	Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Discount rate	+1.00%	406.95	374.57
	-1.00%	479.14	406.46
Salary growth rate	+1.00%	475.67	409.04
	-1.00%	405.86	371.89
Attrition rate	+1.00%	447.85	391.60
	-1.00%	432.42	387.91
Discount rate	+1.00%	406.94	374.57
	-1.00%	479.14	406.46
Mortality rate	10.00%	440.87	389.9
	-10.00%	440.24	389.74

Actuarial Assumption

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Method used	C.Y.	PUC	PUC
	P.Y.	PUC	PUC
Discount rate	C.Y.	7.21%	7.21%
	P.Y.	7.51%	7.51%
Rate of salary increase	C.Y.	5%	5%
	P.Y.	5%	5%
Rate of return of plan Asset	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Withdrawal Rate	C.Y.	1% to 3%	1% to 3%
	P.Y.	1% to 3%	1% to 3%
Retirement Age	C.Y.	60 Years	60 Years
	P.Y.	60 Years	60 Years
Average Future Service	C.Y.	13.85	13.85
	P.Y.	14.02	14.02
Mortality rate	C.Y.	IALM (2012-14) Table	IALM (2012-14) Table
	P.Y.	IALM (2006-08) Table	IALM (2006-08) Table
Disability Rate	C.Y.	No explicit loading	No explicit loading
	P.Y.	No explicit loading	No explicit loading

Category of investment in Plan assets

Category of Investment	% of fair value of plan assets
Insurance Policies	100%

10. Disclosure in respect of Indian Accounting standard (Ind AS)-108: "Operating Segments"

The Company primarily operates in one segment – Port Services and there is no reportable Geographical segment either.

The Company derives revenues from the following customers which accounts for 10 per cent or more of Company's revenues. In respect of the other customers, their individual share is less than 10% of the Company's revenues

(Amount in Lakhs)

Customer	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
TANGEDCO	19508.14	16745.40
NTECL (JV of Tangedco & NTPCL)	13795.11	18419.18
Ennore Coal Terminal Private Limited (Erstwhile Chettinad International Coal Terminal Pvt Ltd)	18945.53	18277.43
Adani Ennore Container Terminal Pvt Ltd	12311.06	-

11. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard 23 "Borrowing Costs"

Borrowing costs capitalised during the year is Rs.131.23 lakhs(Previous Year Rs.225.63) in the respective carrying amount of Property, Plant and Equipment / Capital works in Progress (CWIP).

12. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard 24 "Related Parties Disclosures"

A. Disclosures for Other than Govt. Related Entities

a. List of Related parties:
Key Managerial Persons:

Name	Designation
Shri Sunil Paliwal, IAS.,	Chairman (was also MD upto 20.08.2023)
Smt J.D. Irene Cynthia, IAS.,	Managing Director (w.e.f.21.08.2023)
Shri S. Balaji Arunkumar, IRTS	Nominee Director (upto 26.04.2023)
Shri S.Viswanathan, IAS.,	Nominee Director (from 27.04.2023)
Shri V.M.V. Subba Rao, FCA, DISA (ICAI)	Independent Director
Capt. Anoop Kumar Sharma	Independent Director
Smt. Sarla Balagopal, I.R.T.S. (Retd.)	Independent Director
Shri C.S. Vemanna,	Chief Financial Officer(I/c) (from 01.03.2023 to 13.08.2023)
Smt. Kavita Satvi	Chief Financial Officer (w.e.f. 14.08.2023)
Smt. Jayalakshmi Srinivasan	Company Secretary & Compliance Officer

Compensation of key management personnel

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
Remuneration and Short-term benefits	103.70	103.83
Post-employment benefits	9.26	30.98
Other long-term benefits	-	-
Share-based payments	-	-
Sitting fee	15.40	12.20
Total	128.36	147.01
Recovery of Loans & Advances during the year	-	-
Advances released during the year	-	-
Closing Balance of Loans & Advances	-	-

b. Other Entries :
M/s. Kanyakumar Port Ltd.,

c. Chennai Port trust
Transaction with other related parties:

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
Interest Paid	1782.42	1866.34
Loan Repaid	2301.25	2301.25
Lease Rent Expenses	50.36	50.33
Project Management Services	43.43	119.16
Interim & Final Dividend	24000.00	27000.00
Manpower	472.93	377.52
Others	129.72	16.54
Closing Balance of Term Loan	15903.75	18205.00

13. Disclosure in respect of Indian Accounting standard (Ind AS) 116 "Leases"

a. Operating lease

i) As a Lessee

- Future minimum lease payments under non-cancellable operating leases excluding upfront fee payments

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
Not later than 1 year	-	-
Later than 1 year and not later than 5 years	-	-
Later than 5 years	-	-

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
Minimum lease payments	-	-

Leasing arrangement :

The Company has leased office premises for 30 years from Chennai Port Trust on upfront premium lease payments.

ii. As a lessor

- Future minimum lease receivables under non-cancellable operating lease

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
Not later than 1 year	3571.33	3401.27
Later than 1 year and not later than 5 years	20720.54	19733.85
Later than 5 years	75206.40	79764.42

• **Leasing arrangement:**

As per the business model adopted by the Company, the development, operation, marketing and maintenance of cargo terminals are left with the Captive / PPP BOT operators on 30 years Licence / Concession Agreement. The Company leased out water front and land area for development of Berths through BOT operators / Captive users as per the Licence / Concession Agreement.

14. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-33 "Earnings Per Share (EPS)"

a) Basic EPS

The earnings and weighted average number of ordinary shares used in the calculation of basic EPS is as follows:

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
Profit (loss) for the year, attributable to the owners of the Company	49568.03	37350.21
Earnings used in calculation of basic earnings per share (A)	49568.03	37350.21
Weighted average number of ordinary shares for the purpose of basic earnings per share(B)	300000000	300000000
Basic EPS(A/B) – Rs.	16.52	12.45

b) Diluted EPS

The earnings and weighted average number of ordinary shares used in the calculation of Diluted EPS is as follows:

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
Profit (loss) for the year, attributable to the owners of the Company	49568.03	37350.21
Earnings used in calculation of basic earnings per share (A)	49568.03	37350.21
Weighted average number of ordinary shares for the purpose of basic earnings per share(B)	300000000	300000000
Basic EPS(A/B) – Rs.	16.52	12.45

15. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-37 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”

Contingent Liabilities**(i) Disputed Tax demand**

Disputed tax matters amounting to Rs. 2647.08 lakhs (Previous year Rs.12980.02 lakhs) are being contested before Appellate authorities.

(ii) Contract / supply works

Some of the contractors for construction / supply and execution of works at our projects

have made claims on the Company aggregating to Rs.4116.44 lakhs (Previous Year :Rs. 13604.45 lakhs) seeking enhancement of the contract price, revision of work schedule with price escalation, compensation for extended period of work, idle charges etc. These claims are being contested by the Company as being not admissible in terms of the provision of the respective contracts. The Company is pursuing various options under the dispute resolution mechanism available in the contract for settlement of these claims.

(iii) (a) Revenue Contracts with PPP Concessionaires – M/s AECTPL

KPL entered into a Concession Agreement with M/s.Adani Ennore Container Terminal Private Limited under PPP DFBOT mode on 15.03.2014 for the Development of Container Terminal for 30 years.

The commercial operation commenced during October 2017 for Phase I and Phase II of the project is under construction. The concessionaire had raised certain disputes and invoked Arbitration clause and issued the Arbitration notice to the Company. Post constitution of Arbitration Tribunal on 1st August 2020, claims and counter claims were filed before the Arbitration Tribunal by both the Concessionaire and the Company.

The nature of disputes and claims by the Concessionaire were on account of the following:

- Delay in Phase-I of the project is attributable to KPL.
- Delay in Phase-II of the project is attributable to KPL and therefore milestones to be revised by KPL.
- L.D. in Phase I & Phase II are unenforceable and to be refunded by KPL.
- Issuance of consultation notice by KPL and resumption of the same are unlawful.

- (e) Invocation of change in law claiming Rs.1405 Cr and extension and modification of Concession Agreement.
- (f) Declaring Actual Project Cost, Estimated Project Cost and financial documents as valid & enforceable and to take on record the same by KPL.
- (g) Refund of lease rentals & royalty paid by AECTPL
- (h) Claim for interest.

The Company has denied the claims by the concessionaire in its entirety and has preferred a counter claims amounting to Rs.16781 lakhs.

The arbitration hearing concluded on 26.03.2023 and the arbitral award is awaited from the Arbitral Tribunal. The Arbitral Tribunal has sought for extension of time for the passing of the Arbitral Award and the same was extended up to June 5, 2024 by the Hon'ble Madras High Court vide its order dated 05.03.2024 with the consent of both parties.

(b) Revenue Contracts with PPP Concessionaires – M/s. SIOTL

Kamarajar Port Limited entered into a License Agreement with M/s. SICAL Iron Ore terminal Agreement (SIOTL) on 11.7.2016 for "Modification of existing Iron Ore Terminal to also handle Coal" under PPP - DBFOT basis. The 27 year concession period commenced from 20.7.2018. However due to various problems and difficulties faced by SIOTL, the Project could not be completed and commissioned on the scheduled date. In the meantime, the Lenders have issued 'Notice of Financial Default' by SIOTL and requested KPL to issue Termination Notice by exercising their rights available under the License Agreement. KPL has commenced the Termination process by issuing a Termination Notice on 22.3.2021 under relevant provisions of the License Agreement and termination took effect on 20.06.2021.

In the meantime, M/s. SIOTL has been declared

as Corporate Debtor under IBC Code, 2016 by Hon'ble NCLT, Chennai vide its Order dated 01.03.2022 on the basis of the Creditor Application filed by ITD Cementation India Limited and M/s.Portman India Limited. Hon'ble NCLT appointed Mr.Shivshanker as Interim Resolution Professional (IRP) as per the provisions of the IBC, Code. Since lenders of the SIOTL project namely Yes Bank Limited and UCO Bank who had claimed Rs.287.03 are the financial creditors of the Corporate Debtor having the major voting rights in the CIRP, it was informed by the IRP that the Committee of Creditors comprising of M/s. Yes bank and M/s.UCO Bank have confirmed the IRP as Resolution Professional (RP) in its meeting held on 16.04.2022 and accordingly the Project Assets are entrusted with the RP.

It was informed that in the CIRP process, the Resolution Professional had received a Resolution Plan from M/s. JSW Infrastructure Limited and the same was put up before the Committee of Creditors (CoC) by the RP on 16.11.2022. As per the MoM, CoC rejected the Resolution Plan submitted by the M/s. JSW Infrastructure Limited and also decided to liquidate. Further the CoC also decided to appoint Mr. N. Veerapandian, Insolvency Professional as the Liquidator. The NCLT vide its order dated 23.06.2023 confirmed the appointment of the Liquidator. KPL filed its claim of Rs.65,29,78,190/- in Form C on 24.07.2023 before the liquidator in the capacity of an operational creditor. The claim was admitted for Rs.3779.74 lakh and Rs.2750.04 lakh was not admitted vide Liquidator's email dated 30.08.2023.

In the meanwhile, M/s. Yes Bank Limited, the Lender to M/s. SIOTL assigned its loan to JC Flowers Asset Reconstruction Company ('ARC') in November 2023 through an assignment deed. Further, two writ petitions which were filed by the ARC and Liquidator before the Hon'ble Madras High Court seeking prayers against the

Company for the compensation arising out of the termination were disposed by the Hon'ble Court vide its order dated 08.04.2024.

(c) National Green Tribunal (NGT)

The Original Applications were filed before the Hon'ble National Green Tribunal raising issues relating illegal discharge of fly ash by the NCTPS and the purported dumping of dredged soil by the KPL in Buckingham Canal and Kosasthalaiyar River and the encroachment of the Kosasthalaiyar River and dumping of dredged soil by the KPL and NCTPS which affected the livelihood of the fishing communities. The Hon'ble NGT passed its order on 20.01.2020 directing the Company to deposit an amount of Rs.8.34 crores as interim environmental

compensation for the purpose of remediation based on the Report of the Committee appointed by NGT. Aggrieved by the NGT order, Company filed a Review Application before the Hon'ble NGT. On 06.11.2020, review order was passed whereby the previous order dated 20.01.2020 was modified to the limited extent that the Company was directed to deposit a sum of Rs. 4 Crores as interim compensation. On 26.12.2020, Civil Appeal was filed by the Company before the Hon'ble Supreme Court of India challenging the review order. On 05.01.2021, the Hon'ble Supreme Court has stayed the NGT orders and ordered Notice to the Respondents. The matter is pending before the Supreme Court for final hearing.

Summary of Contingent Liabilities

(Amount in Lakhs)

	Particulars	2023-24	2022-23
a	Disputed Tax Demand but not acknowledged as debt	2647.08	12980.02
b	Claims against the Company not acknowledged as debt		
	-NGT	400.00	400.00
	-Contract / supply works	4116.44	13604.45
	Total	7163.52	14004.45
c	Claims against Revenue contract with PPP Concessionaires	162968.63	162968.63

16. Expected Credit Loss ('ECL')

The impairment provisions are based on an evaluation of the risk of default over the expected life of the receivables and expected timing of collection. The Company uses judgement in making these assumptions and

selecting the inputs to the impairment calculation, based on the Company's past history of collections, customer's credit worthiness, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

17. CWIP Ageing Schedule

(Amount in Lakhs as of March 31, 2024)

Particulars	Less than 1 year	1 - 2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Projects in Progress	5881.01	102.44	19503.22	1210.60	26697.27
Projects temporarily suspended	-	-	-	741.58	741.58
Total	5881.01	102.44	19503.22	1952.18	27438.85

(Amount in Lakhs as of March 31, 2023)

Particulars	Less than 1 year	1 - 2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Projects in Progress	324.60	27102.67	-	15466.59	42893.86
Projects temporarily suspended	-	-	-	741.58	741.58
Total	324.60	27102.67	-	16208.17	43635.44

Intangible Assets under development aging schedule

(Amount in Lakhs as of March 31, 2024)

Particulars	Less than 1 year	1 - 2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Projects in Progress	-	-	-	-	-
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Intangible Assets under development aging schedule

(Amount in Lakhs as of March 31, 2023)

Particulars	Less than 1 year	1 - 2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Projects in Progress	128.07	-	-	-	128.07
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
Total	128.07	-	-	-	128.07

18. Confirmation of balances

Trade Receivables/Payables, Term Loans and Advances, GST input credit/GST and Deposits are subject to confirmation and reconciliation.

19. Capital Management

The Company's capital comprises equity share capital, retained earnings and other equity attributable to equity holders. The primary objective of Company's capital management is to maximize shareholders value. The Company

manages its capital and makes adjustment to it in the light of the changes in economic and market conditions.

The Company monitors capital using gearing ratio, which is net debt divided by total capital plus net debt. Net debt comprises of long term and short term borrowings less cash and bank balances. Equity includes equity share capital and reserves that are managed as capital. The gearing at the end of the reporting period was as follows:

(Amount in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March 2024	As at 31 st March 2023
Total Debt	48084.44	59324.28
Less : Cash and cash equivalent	12080.19	8756.70
Net Debt	36004.25	50567.58
Total Equity	291088.98	265637.95
Net debt to equity ratio	12.37%	19.04%

20. Information of Dividends for the year ended 31st March, 2024

During the year, the Company paid a Final Dividend of @ 80% of Equity Share capital i.e. Rs.8/- per equity share amounting to Rs.240 Crore for the Financial year 2022-23.

21. Additional Regulatory Information**a. ANALYTICAL RATIOS**

Ratio	Numerator	Denominator	As at 31 st March 2024	As at 31 st March 2023	% Variance *
Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	0.92	0.58	58.62%
Debt – Equity Ratio	Total Debts	Share holders' equity	0.17	0.22	-22.73%
Debt Service Coverage Ratio	Earnings for Debt Service (Profit after tax+ Depreciation+ finance cost+ Profit on sale of property, plant and equipment)	Debt Service (Interest + Principal repayments)	3.77	2.91	29.55%
Return on Equity (ROE)	Net Profit	Shareholders' equity	17.03%	14.06%	21.12%
Trade receivables turnover ratio (In times)	Income from Operations	Trade Receivables	14.09	16.72	-15.73%
Net profit ratio	Net Profit	Income from Operations	46.66%	38.01%	22.76%
Return on capital employed (ROCE)	Earning before interest, exceptional items and taxes	Net worth + debt	24.45%	24.09%	1.49%

* Reason for variation:

- Current ratio: increased primarily on account of increase in Cash and cash equivalents and Trade receivables (Revenue share receivable) and decrease in Current liabilities (due to redemption of Tax Free Bonds).
- Net Profit ratio: increased primarily on account of exceptional item for construction of training wall amounting to Rs.146.88 Crore accounted in last fiscal year.

22. M/s. Kanniyakumari Port Limited

The Company has made an equity investment of Rs.2 lakhs being 40% of the paid-up capital of Kanniyakumari Port Limited (KKPL) along with VOC – TPT (40%) & Chennai Port Authority (20%). KKPL is in the process of carrying out pre-project activities. KKPL is an Associate

Company and hence, its financial statements are not required to be consolidated as per IND AS- 27. Further, there was no significant income / expenditure in KKPL during the year FY 2023-24.

23. Previous year's figures have been regrouped wherever necessary.

24. Approval of financial statements

The financial statements were approved by the board of directors and authorised for issue on 22nd May 2024.

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,

Chairman
DIN : 01310101

Sd/-

J P IRENE CYNTHIA I.A.S.,

Managing Director
DIN : 08839241

**For M/s. JASMINDER SINGH
& ASSOCIATES**

Chartered Accountant FRN 016192N

Sd/-

KAVITA SATVI

Chief Financial Officer

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN

Company Secretary &
Compliance Officer

Sd/-

CA. JASMINDER SINGH

Partner, M.No.096895
UDIN:24096895BKALNO7193

Place : Chennai
Date : 22.05.2024

Form AOC- 1
(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of Section 129
read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)
Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries
or associate companies or Joint ventures

Part B Associates and Joint Ventures

Statement pursuant to Section 129 (3) of the Companies Act, 2013 related to Associate Companies and Joint Ventures

Sl.	Name of Associates or Joint Ventures	Kanniyakumari Port Limited
1	Latest audited Balance Sheet Date	31 st March 2024
2	Date on which the Associate or Joint Venture was associated or acquired	11.02.2019
3	Shares of Associate or Joint Ventures held by the Company on the year end	Nil
	No.	20,000 Shares
	Amount of Investment in Associates or Joint Venture	Rs.2,00,000/-
	Extent of Holding (in percentage)	40%
4	Description of how there is significant influence	Insignificant influence
5	Reason why the associate/Joint venture is not consolidated.	The associate is not considered material for consolidation.
6	Net worth attributable to shareholding as per latest audited Balance Sheet	(10,64,230)
7	Profit or Loss for the year	
	i Considered in Consolidation	Nil
	ii Not Considered in Consolidation	(30,121)

- Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations
- Kanniyakumari Port Limited
- Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year - Nil

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-
SUNIL PALIWAL, I.A.S.,
 Chairman
 DIN: 01310101

Sd/-
KAVITA SATVI
 Chief Financial Officer

Sd/-
J P IRENE CYNTHIA, I.A.S.,
 Managing Director
 DIN : 08839241

Sd/-
JAYALAKSHMI SRINIVASAN
 Company Secretary &
 Compliance Officer



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पत्तन प्राधिकरण की कंपनी)
(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय – भारत सरकार)

(सीआईएन: U45203TN1999PLC043322)



चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन
2023 - 24



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पत्तन प्राधिकरण की कंपनी)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय – भारत सरकार

निदेशक मंडल

	डिन
श्री सुनील पालीवाल, अध्यक्ष (20.08.2023 तक प्रबंध निदेशक बनाया गया)	01310101
श्रीमती जे.पी. आइरीन सिंथिया, प्रबंध निदेशक (21.08.2023 से प्रभावी)	08839241
श्री एस. विश्वनाथन, नामांकित निदेशक – सीएचपीए (27.04.2023 से प्रभावी)	09634577
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, स्वतंत्र निदेशक	02435597
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	03531392
श्रीमति सरला बालगोपाल, स्वतंत्र निदेशक	01572718

प्रमुख अधिकारी

महा प्रबंधक (एमएस)

श्री जी.एम. बालन

महा प्रबंधक (वित्त)

श्रीमती कविता सतवी (1.8.2023 से प्रभावी)

महा प्रबंधक (सीएस एवं बीडी)

श्री यतिन किशोरभाई पटेल (दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री सी.एस. वेमन्ना (13.8.2023 तक)

श्रीमती कविता सतवी (दिनांक 14.08.2023 से प्रभावी)

उप महा प्रबंधक (वित्त)

श्री सी.एस. वेमन्ना (1.6.2023 से प्रभावी)

उप महा प्रबंधक (एमएस)

श्री सी. उमा शंकर (1.6.2023 से प्रभावी)

उप महा प्रबंधक (सिविल)

श्री ए. करुणैया (1.9.2023 से प्रभावी)

कंपनी सचिव & अनुपालन अधिकारी

श्रीमति जयलक्ष्मी श्रीनिवासन

पंजीकृत कार्यालय

द्वितीय मंजिल (उत्तर विंग) & तृतीय मंजिल

जवाहर भवन, 17, राजाजी साले, चेन्नै – 600 001

फोन : 044-25251666-70/फैक्स : 044 – 25251665

रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट

लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,

सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस मार्ग,

विक्रोली (पश्चिम), मुंबई – 400 083

दूरभाष : 022 – 49186000/फैक्स : 022 – 49186060

जमाकर्ता

नैशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स जसमिंदर सिंह एण्ड असोसियेट्स

सनदी लेखाकार

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स जोसफ एण्ड राजाराम

सनदी लेखाकार

सचिवीय परीक्षक

मेसर्स धनपाल एण्ड असोसियेट्स, कंपनी सचिव

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक

एक्सिस बैंक

एचडीएफसी बैंक



उद्देश्य

“ भारतीय पूर्वीय मार्ग पोर्ट बनाने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ कामराजर पोर्ट को एक मेगा पोर्ट के रूप में विकसित करना । ”

लक्ष्य

“ अंतरराष्ट्रीय मानकों की पोर्ट सेवाएं प्रदान करना ”





कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(वेनै पत्तन प्राधिकरण की कंपनी)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय – भारत सरकार

निदेशक मंडल

(12.08.2024 तक)



श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.
अध्यक्ष
डिन – 01310101



श्रीमति जे.पी. आइरीन सिंथिया, आई.ए.एस.
प्रबंध निदेशक
डिन – 08839241



श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस.
नामांकित निदेशक
डिन – 09634577



श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव
एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)
स्वतंत्र निदेशक
डिन – 02435597




कैप्टन अनूप कुमार शर्मा
स्वतंत्र निदेशक
डिन – 03531392



श्रीमति सरला बालगोपाल,
आई.आर.टी.एस (रिटायर्ड)
स्वतंत्र निदेशक
डिन – 01572718



विगत 5 वर्षों के दौरान परिचालन आय और पीबीटी



गत 5 वर्षों के दौरान संचालित कार्गो



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24

विषय सूची

क्र सं	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	अध्यक्ष का संदेश	8
2.	सूचना	10
3.	बोर्ड की रिपोर्ट	13
4.	सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	32
5.	सचिवीय परीक्षण रिपोर्ट	37
6.	कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट	43
7.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	48
8.	स्वतंत्र संपरीक्षकों की रिपोर्ट	54
9.	संपत्तियों व देयताओं का विवरण	64
10.	लाभ एवं हानि की विवरणिका	65
11.	नकदी प्रवाह की विवरणिका	66
12.	वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियाँ	68

अध्यक्ष महोदय का संदेश



प्रिय शेयरहोल्डर,

मैं, कंपनी के 24वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा उक्त बैठक आपकी कंपनी की रजत जयंती के शुभ अवसर पर है। मुझे, आप सभी के साथ में वर्ष 2023-2024 की अवधि में कंपनी की प्रगति एवं उपलब्धियों को साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

भौतिक निष्पादन एवं उपलब्धियां

मुझे, कंपनी के औसत कुल टर्नराऊण्ड समय (पायलट बोर्डिंग से डीबोर्डिंग तक) एवं औसत प्रतिदिन आऊटपुट जहाज बर्थ में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 2.27% एवं 4.30% सुधार हुआ है।

कंटेनर टर्मिनल से दिनांक 02.01.2024 से एक नए तटवर्ती कंटेनर सर्विस (सीसीजी) का प्रारंभ हुआ है तथा आपके पोर्ट पर कॉल करते हुए दी नीमो (उत्तरी यूरोप मेड ओशिनिया)/ऑस्ट्रेलियन एक्सप्रेस मेडनलाइन कंटेनर सर्विस से शुरू किया गया है, वह ग्राहकों के लिए यूरोप सीधे यूरोप कॉल के रूप में सेवा प्रदान करेगा।

- नए निर्मित सामान्य कार्गो बर्थ सं.2 को दिनांक 31.03.2024 से प्रथम रोरो वेसल एम.वी. आईआरआईएस एसीई के बर्थिंग प्रचालन से शुरू किया गया।

- 16,550 टीईयू क्षमता युक्त सबसे बड़े कंटेनर वेसल एम.वी. एमएससी जीआईयूएससी कंटेनर वेसल 1.3.2024 को बर्थ किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में संभाले गए कंटेनर ट्रैफिक 5,50,151 टीईयू की तुलना में इस वर्ष 22.04% अधिक 6,71,393 टीईयू संभाला गया।

- आपके पोर्ट को वैध यात्रा दस्तावेज रखनेवाले सभी वर्ग के यात्रियों के लिए भारत से प्रवेश करने / निकास करने के लिए एक प्राधिकृत प्रवासी चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। इसके साथ ही, आपके पोर्ट द्वारा नव निर्मित कंटेनर परीक्षण यार्ड का भी शुभारंभ हो गया है।

वित्तीय निष्पादन

पुनरीक्षण वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष रिपोर्ट किए गए रु.982.72 की तुलना में इस वर्ष रु.1062.23 करोड़ की प्रचालन आमदनी हुई है जो 8.09% की वृद्धि है। तदनुसार, कंपनी को कर से पूर्व (पीबीटी) रु.766.59 करोड़ का लाभ हुआ है जो पिछले वर्ष के रु.577.39 करोड़ की तुलना में 32.77% की वृद्धि देखी जाती है।

लाभांश

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आपकी कंपनी ने रु.60 करोड़ तक की रकम के समतुल्य 20% की दर पर इक्विटी शेयर पूंजी (जो रु'2/- प्रति शेयर के समतुल्य है) लाभांश का भुगतान किया है।

निदेशक बोर्ड ने आगामी वार्षिक सामान्य सभा में आपके अनुमोदन अधीन रु.240 करोड़ की रकम रु.8/- प्रति शेयर के समतुल्य इक्विटी शेयर पूंजी का 80% अंतिम लाभांश के भुगतान को संस्तुति प्रदान की है। इसके साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए (प्रस्तावित अंतिम लाभांश के साथ) इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल लाभांश (प्रस्तावित अंतिम लाभांश सहित) पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में भुगतान किए गए 100% लाभांश के अनुरूप भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी पर 100% लाभांश प्राप्त होगा।

उपलब्धियां एवं पुरस्कार

यह अत्यंत गर्व की बात है कि आपकी कंपनी ने सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम के माननीय मंत्री, श्री नारायण राणे से पुनरीक्षणाधीन वर्ष की अवधि में महिला स्वामित्व के एमएसएमई उद्यमों से उच्चतम प्रतिशत खरीद हेतु पुरस्कार प्राप्त किया है।

आपकी कंपनी को चेन्नै में दिनांक 03.07.2024 को ऐंकिज्म इंडिया शिपिंग टाईम्स द्वारा आयोजित 15वें दक्षिण पूर्व सीईओ सम्मलेन एवं पुरस्कार समारोह 2024 में व्यवसाय में 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के लिए सम्मानित किया गया।

कॉर्पोरेट शासन

आपकी कंपनी, अपने पणधारियों की आवश्यकताओं एवं आशाओं को पूर्ण करने के लिए अच्छे कॉर्पोरेट शासन को एक पूर्व-अपेक्षा मानती है। इस दृष्टि से आपकी कंपनी, अत्यंत प्रभावी नीतियों, व्यवहार, प्रभावी प्रक्रियाएं एवं जवाबदेही, ईमानदारी तथा शासन के उच्चतम मानकों के माध्यम से अपने लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखता है। अंतरू रिपोर्ट में कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट स्वतंत्र ही प्रस्तुत की जा रही है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की सीएसआर नीति एवं आवश्यकताओं में स्पष्ट रूप से उल्लिखित के अनुसरण में अत्यंत उत्साह से सीएसआर परियोजनाएं प्रचालित कर रहा है तथा आपकी कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा सीएसआर प्रयासों के लिए रु.9.65 करोड़ के अनुमोदन से स्पष्ट है, जो रु.8.11 करोड़ के सीएसआर दायित्व से रु.1.54 करोड़ से अधिक है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए रु.4.55 करोड़ का व्यय किया है जिसमें से रु.2.20 करोड़ एवं रु.1.91 करोड़ की रकम को क्रमशः

लोकनाथ नारायणस्वामी सरकारी कला कॉलेज एवं चेन्नै महानगर निगम को कक्षाओं के लिए भवन के निर्माण हेतु प्रदान किया है।

अभिस्वीकृति

निदेशक बोर्ड की तरफ से मैं, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, तथा टैन्जेडको/टीएनईबी, एनटीईसीएल, आईओसीएल, टीएनपीसीबी, टीएनआरडीसी, भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार, भारतीय पत्तन संघ, वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रेलवे/दक्षिणी रेलवे से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनकी सराहना करता हूँ। मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक, सचिवीय परीक्षक, पत्तन उपयोगकर्ताओं, वीओटी रियायतदार, ठेकेदार एवं बैंकों से प्राप्त सतत समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में, मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए गए सतत उत्कृष्ट कार्य के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

सादर,

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी)

सीआईएन: U45203TN1999PLC043322

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल (उत्तरी विंग) एवं तृतीय तल, जवाहर भवन,
17, राजाजी सालै, चेन्नै - 600 001.

फोन : 044-25251666-70/फैक्स : 044-25251665

वेबसाइट : www.kamarajarport.in ईमेल : jayasrin@kplmail.in

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों की 24वीं वार्षिक सामान्यसभा, निम्नलिखित व्यवसाय के निष्पादन हेतु, दोतरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा 30 सितंबर 2024 सोमवार को प्रातः/सायं (आईएसटी) 3.00 बजे आयोजित की जाएगी:

सामान्य व्यवसाय

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) केअंतर्गत 31 मार्च 2024 तक की लेखापरीक्षित तुलनपत्र, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा के विवरण तथा निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
2. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी (रु.2/- प्रतिशेयर) के 20% की दर से भुगतान किए

गए अंतरिम लाभांश की पुष्टि तथा भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी (रु.8/- प्रतिशेयर) पर 80% की दर से अंतिम लाभांश की घोषणा को संस्वीकृति।

3. श्रीएस. विश्वनाथन, आई.ए.एस., (डिन : 09634577) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति, जो रोटेशन परसेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं प्रस्तुत किया है।

4. निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, सांविधिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा142(1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जानेवाले कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक बोर्ड को अनुमोदन दिया जाता है।”

निदेशक बोर्ड के आदेश द्वारा

ह/-

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन
कंपनी सचिव

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 12.08.2024

टिप्पणियां:

ए) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी 7 अक्टूबर, 2023 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 (जिसे आगे सामूहिक रूप से "परिपत्र" कहा जाएगा) के अनुसार, कंपनियों को 30 सितंबर, 2024 तक सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एक सामान्य स्थान पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है। परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की 24वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। 24वीं एजीएम के लिए माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। 24वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया ध्यान दें कि यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर उपलब्ध होगी।

बी) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में एजीएम में उपस्थित होने तथा मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। चूंकि, यह एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है, और सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, इसलिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, रूट मैप और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किए जा रहे हैं। वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य बैठक के दौरान प्रस्तावों पर हाथ उठाकर या कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ईमेल पतों के माध्यम से ईमेल भेजकर अपना वोट दे सकते हैं।

सी) सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक-2 के अनुसरण में आगामी वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति चाहने वाले रोटेशन से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों का प्रासंगिक विवरण संलग्न है तथा यह नोटिस का एक भाग है।

डी) जो कॉर्पोरेट सदस्य अपने प्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव/ऐसे अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भेजें, जो उनके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करते हों।

इ) सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेनेवाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

एफ) कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित वैधानिक रजिस्टर एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध रहेंगे/निरीक्षण के लिए खुले रखे जाएंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य agm-shareholders@kplmail-in पर ईमेल भेज सकते हैं।

जी) सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी को दें।

वीसी द्वारा वार्षिक सामान्य सभा में भाग लेनेवाले व्यक्तियों के लिए निर्देश:

1. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए वेब-लिंक और लॉग-इन क्रिडेंशियल की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट को ईमेल द्वारा अग्रेषित किया जाएगा।
2. सदस्य मोबाइल/लैपटॉप/डेस्कटॉप द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं।

सामान्य सभा पर सचिवीय मानक-2 के अनुसरण में आगामी वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति पुनर्नियुक्ति चाहनेवाले निदेशकों के विवरण।

मद सं. 3

श्री एस. विश्वनाथन के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

विशिष्ट	विवरण	
जन्म तिथि एवं आयु	07/11/1979 तथा 44 वर्ष	
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तारीख	27/04/2023	
शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं	बि.ई (यांत्रिकी), एम.बि.ए.,	
अनुभव	<p>श्री एस.विश्वनाथन, अप्रैल 2023 से भारत सरकार के पल्लन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग के चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं।</p> <p>इससे पहले वे दिनांक 04/08/2020 से 05/04/2023 तक की अवधि में मध्यप्रदेश पर्यटन विकास अनिगम के प्रबंध निदेशक रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे मध्यप्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षण विभाग के अपर निदेशक तथा भोपाल के आयुष्मान भारत योजना के सीईओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। उनकी अंतिम तैनातीमें वे मध्यप्रदेश जल निगम के प्रबंध निदेशक रहे।</p> <p>उनके विस्तृत अनुभव में वे 2015 से 2020 तक की अवधि में असम और मध्यप्रदेश राज्यों के विभिन्न जिलाओं के कलेक्टर रहे हैं।</p> <p>उन्होंने वर्ष 2009 में असम में जोरहाट जिले के सहायक आयुक्त के पद से अपना कैरियर प्रारंभ किया।</p>	
केपीएल में उनकी प्रतिभूतियां	चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के नामिती के रूप में रु.10/- की 1 ईक्विटी शेयर	
अन्य कंपनियों के विभिन्न समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता नियुक्ति के शर्त एवं प्रतिबंध	श्री विश्वनाथन, आईएएस, नामिती निदेशक कामराजर पोर्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया के पति हैं।	
अन्य कंपनियों में निदेशक & सदस्यता के पद	कंपनी का नाम	पद की प्रवृत्ति
	चेन्नै ऐन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	नामित निदेशक
	कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड	नामित निदेशक
अन्य कंपनियों के विभिन्न समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं	
नियुक्ति के शर्त एवं प्रतिबंध	नामिती निदेशक, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो सकते हैं। सिटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।	
अंतिम आहरित पारिश्रमिक	लागू नहीं	
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने की संख्या	कॉर्पोरेट शासन (बोर्ड की रिपोर्ट का संलग्नक V) का संदर्भ लें।	

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यो,

आपके निदेशक बोर्ड को आपकी कंपनी के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणिकाओं के साथ व्यवसाय, प्रचालन, विकास एवं की गई प्रगति पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

1.0 निष्पादन एवं मुख्य विशेषताएं

1.1 वित्तीय निष्पादन

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	2023-24	2022-23
प्रचालनों से आय	1062.22	982.72
अन्य आय	19.22	26.50
कुल आय	1081.44	1009.22
प्रचालन व्यय	176.67	164.47
वित्त लागत	62.63	58.70
मूल्यहास एवं परिशोधन	75.55	61.78
कुल व्यय	314.85	284.95
विशिष्ट मदों एवं कर से पूर्व लाभ	766.59	724.27
विशिष्ट मद	-	146.88
कर पूर्व लाभ	766.59	577.39
कर	270.91	203.88
कर के बाद लाभ	495.68	373.51

1.2 वित्तीय मुख्य विशेषताएं

पुनरीक्षण वर्ष की अवधि के दौरान आपकी कंपनी ने पूर्व वर्ष में रिपोर्ट की गई रु.982.72 रकम की तुलना में इस वर्ष रु.1062.22 करोड़ का प्रचालन आय रिपोर्ट किया है जो 8.09% की वृद्धि दर्शाता है। यह पिछले संबंधित वर्ष में 43.51 मिलियन टन की तुलना में 45.28 मिलियन टन श्रुपुट की प्राप्ति से हुआ है (लगभग 4.07% की वृद्धि)। तदनुसार, कंपनी ने कर से पहले पूर्व वर्ष की प्राप्ति रु.577.39 करोड़ के लाभ की तुलना में वर्तमान वर्ष में कर से पहले रु.766.59 करोड़ (32.77% की वृद्धि) का लाभ प्राप्त हुआ है।

1.3 प्रचालनात्मक निष्पादन

औसत कुल टर्न राउंड टाइम तथा प्रति जहाज बर्थडे औसत आऊटपुट में सुधार निम्नलिखित मापदण्डों से देखा जा सकता है :

निष्पादन मापदण्ड	यूनिट	2023-24	2022-23	टिप्पण
औसत कुल टर्न राउंड टाइम (पायलट बोर्डिंग से डी-बोर्डिंग तक)	घंटे	44.37	45.40	2.27% सुधार
प्रति जहाज बर्थडे औसत आऊटपुट	टन	27,197	26,075	4.30% सुधार

(i) निष्पादन मुख्य विशेषताएं

- एनईएमओ (उत्तरी यूरोप मेड ओशिनिया) / ऑस्ट्रेलियन एक्सप्रेस मेइनलाइन कंटेनर सर्विस जो आपके पोर्ट को दिनांक 15.06.2023 से बुलाना शुरू किया था, वह ग्राहकों के लिए सीधे यूरोप कॉल का कार्य करेगा।
- मेसर्स सिमा मेराइन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 02.01.2024 को कंटेनर टर्मिनल से नए समुद्री तट कंटेनर सर्विस (सीसीजी) प्रारंभ किया है।
- नव निर्मित सामान्य कार्गो बर्थ सं. 2 का प्रचालन दिनांक 31.03.2024 से किया गया जिसे निस्सान, रेनॉल्ट, टोयोटा, मारुति, सिट्रॉन के 2,422 यूनिटों के ऑटोमोबाइलों के लोडिंग तथा कोबेल्को एवं कोमाट्सू के भारी उपकरणों के लिए प्रथम रोर वेसल एम. वी. आइआरआईएस एसीई के बर्थिंग द्वारा किया गया।



जीसीबी-2 पर बर्थड एम.वी.आईआरआईएस एसीई प्रथम रोर वेसल

(ii) अन्य उपलब्धियां

- आपके पोर्ट को सभी वर्ग के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश / निकास करने के लिए प्राधिकृत अप्रवास चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है।
- चेन्नै सीमा शुल्क ने आपके पोर्ट द्वारा विकसित कंटेनर परीक्षण यार्ड से प्रचालन आरंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(iii) कार्गो निष्पादन

- कोयला बर्थ 1 में दिनांक 27.12.2023 को 61,940 मेट्रिक टन थर्मल कोयला 24 घंटों में अनलोड किया गया जो वर्तमान पुनरीक्षण वर्ष के दौरान अत्यधिक है।
- आपकी कंपनी ने निम्नांकित संभाला है :

- दिनांक 22.03.2024 को एक दिन में 2.68 लाख टन की अत्यधिक कार्गो मात्रा ।
- मार्च 2024 में 4.39 मिलियन टनों का अत्यधिक प्रतिमाह कार्गो थ्रूपुट ।
- कंटेनर टर्मिनल में दिनांक 23.10.2023 को पूर्व उच्चतम रिकार्ड को पार करते हुए 7,119 टीईयू कंटेनर ।
- नवंबर 2023 के महीने में 62,242 टीईयू का अत्यधिक कंटेनर परिमाण ।
- मार्च 2024 के महीने में 95 वेसलों की अत्यधिक संख्या ।
- कंटेनर टर्मिनल में दिनांक 01.03.2024 को एलओए 366 मीटर, जीआरटी 155492, ड्राफ्ट 15 मीटर तथा 16,550 टीईयू क्षमता युक्त अत्यंत बृहत् कंटेनर वेसल एम.वी. एमएससी जीआईयूएससी ।



कंटेनर टर्मिनल में बर्ष किया गया सबसे बृहत् कंटेनर वेसल एम.वी. एमएससी जीआईयूएससी

- 2022-23 की अवधि में संभाले गए 5,50,151 टीईयू की तुलना में वर्ष 2023-24 की अवधि में संभाले गए 6,71,393 टीईयू जो 22.04% अधिक है ।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4.07% अधिक कार्गो थ्रूपुट, विवरण निम्नानुसार है :

(मिलियन टनों में)

क्रम सं	टर्मिनल	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2022-23		यातायात में भिन्नता	
		कार्गो परिमाण	वेसलों की सं	कार्गो परिमाण	वेसलों की सं	(+/-)	%
1	कोयला बर्ष 1	9.36	129	7.88	110	1.48	18.78
2	कोयला बर्ष 2	5.53	72	7.65	99	-2.12	-27.74
3	सामान्य उपयोगकर्ता कोयला टर्मिनल	9.30	153	8.71	133	0.59	6.77
	कुल कोयला	24.19	354	24.24	342	0.05	-0.21
4	समुद्री द्रव टर्मिनल - 1	4.16	233	4.20	246	0.04	-0.95
5	सामान्य कार्गो बर्ष	1.51	110	1.93	102	0.42	-21.76
6	कंटेनर टर्मिनल (फेज 1)	12.96	219	10.62	186	2.34	22.03
7	बहु कार्गो टर्मिनल	1.47	35	1.89	40	0.42	-22.22
8	एलएनजी टर्मिनल	0.99	16	0.63	11	0.36	57.14
	पूर्ण कुल	45.28	967	43.51	927	1.77	4.07
9	संभाले गए ऑटोमोबाइल (संख्या में)	1,14,604	110	1,48,307	102	-33,703	-22.73
10	संभाले गए कंटेनर (टीईयू में)	6,71,393	219	5,50,151	186	1,21,242	22.04

2.0 लाभांश

निदेशक बोर्ड की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 22.05.2024 को कुल रु.60 करोड़ तक की रकम रु.2/- प्रतिशेयर के समतुल्य भुगतानित ईक्विटी शेयर पूंजी पर @ 20% पर अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया। निदेशक बोर्ड के दिनांक 12.08.2024 की बैठक में आगामी वार्षिक सामान्य सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन रु.240 करोड़ की कुल रकम रु.8/- प्रति शेयर के समतुल्य भुगतानित ईक्विटी शेयर पूंजी पर 80% अंतिम लाभांश का भुगतान करने की संस्तुति प्रदान की गई।

3.0 रिजर्व को हस्तांतरण

3.1 सामान्य रिजर्व:

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान सामान्य रिजर्व में किसी भी रकम को हस्तांतरित नहीं किया है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाभांश की घोषणा से पहले किसी भी रकम को हस्तांतरित करना अनिवार्य नहीं है। अतः 31 मार्च 2024 को शेष रु.79.02 करोड़ है।

3.2 डिबेंचर/बॉण्ड मोचन रिजर्व:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 के क्रम में वर्ष के दौरान रु.79.49 करोड़ की रकम तक के कर मुक्त बॉण्डों के मोचन के क्रम में रु.15.31 करोड़ (निवल) तक की रकम को डिबेन्चर/बॉण्ड मोचन रिजर्व में वापस हस्तांतरित किया गया तथा 31 मार्च 2024 तक शेष रु.50.45 करोड़ था।

4.0 वित्त

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने निम्नकित सावधि ऋण के निर्धारित किश्तों का भुगतान किया गया

- एचडीएफसी बैंक से प्राप्त किए गए रु.40 करोड़ की रकम में से रु.10 करोड़ का भुगतान किया गया।
- चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण को रु.23.01 करोड़ दिया गया।

रिपोर्टिंग वर्ष की अवधि के दौरान कंपनी ने वर्ष 2013-14 की अवधि में जारी रु.79.49 करोड़ तक की रकम के समतुल्य रु.1000/- प्रति बॉण्ड के अंकित मूल्य पर 10 वर्षीय 7.94,951 कर मुक्त बॉण्डों का मोचन किया है तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की अवधि में जारी कर मुक्त बॉण्डों के लिए क्रमशः रु.0.88 करोड़ एवं रु.32.03 करोड़ के समतुल्य वार्षिक ब्याज दायित्व के साथ नियत तारीख को भुगतान किया।

4.1 रेटिंग

आपकी कंपनी द्वारा जारी कर मुक्त बॉण्डों के प्रस्ताव दस्तावेज के अनुसार आपकी कंपनी ने क्रेडिट रेटिंगों पर वार्षिक निरीक्षण किया है तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निम्नांकित रेटिंग प्रदान किए गए:

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	रेटिंग / आउटलुक
क्रिसिल	एए / स्थिर
कैयर	एए / स्थिर
आईसीआरए	एए(-) / स्थिर
ब्रिक वर्क	एए / स्थिर

4.2 संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेन-देन के विवरण

आपकी कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत प्रपत्र एओसी-2 में संबंधित पार्टी लेन-देन के प्रकटन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। सदस्य वित्तीय विवरणों के टिप्पण सं.30(12) का संदर्भ लें जिसमें भारतीय लेखांकन मानक - 24 के क्रम में संबंधित पार्टी प्रकटन के बारे में उल्लेख किया गया है।

4.3 वित्तीय वर्ष के अंत में तथा रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थान को प्रभावित करनेवाले भौतिकपरिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष के अंत में तथा रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थान को प्रभावित करनेवाले भौतिकपरिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

4.4 व्यवसाय की प्रवृत्ति में परिवर्तन, यदि कोई हो तो

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

4.5 ऋण, गारंटी के विवरण

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत न कोई ऋण और गारंटी दी है तथा कोई सुरक्षा प्रदान किया है।

4.6 निवेश

पुनरीक्षण वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने निवेश नहीं किया है / निवेश के सन्दर्भ में कोई अग्रिम का भुगतान नहीं किया है।

4.7 पूंजी व्यय

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय पर 327.39 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि पिछले वर्ष 279.80 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए।

4.8 सावधि जमा

पुनरीक्षण वर्ष के दौरान, दिनांक 31.03.2024 तक आपकी कंपनी ने कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है, न ही कोई बकाया दावा नहीं किए गए या अभुगतानित जमा है।

4.9 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी निम्नांकित के लिए अपनाए गए नीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है

- अपने व्यवसाय के व्यवस्थित एवं सक्षम आयोजन सुनिश्चित करता है,
- धोखाधड़ी और त्रुटियों के होने से रोकने तथा उनकी पहचान करने हेतु अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करना,
- लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, तथा
- विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण को समय पर तैयार करने।

आंतरिक नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की नियमित रूप से आंतरिक लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षा समिति द्वारा उनकी पर्याप्तता और प्रभावकारिता के लिए समीक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को वित्तीय विवरणों की अखंडता और विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

5.0 वैश्विक समुद्री भारत सम्मेलन 2023

आपकी कंपनी ने वैश्विक समुद्री भारत सम्मेलन (जीएमआईएस) 2023 में निम्नलिखित प्रतिष्ठित संगठन के साथ लगभग 1,920 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के समझौता ज्ञापनों को औपचारिक अंतिम रूप दिया:

1. भारतीय ऑयल निगम (आईओसीएल) – 2
2. ऐन्नोर टैंक टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (ईटीटीपीएल)
3. राष्ट्रीय पत्तन, जलमार्ग एवं तट प्रौद्योगिकी केंद्र – एनटीसीपीडब्ल्यूसी – आईआईटीएम – 3
4. जल स्रोत विभाग (डब्ल्यूआरडी), तमिलनाडु सरकार
5. तमिलनाडु रोड विकास कंपनी लिमिटेड (टीएनआरडीसीएल)
6. भारतीय पोर्ट रेल और रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल)
7. तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड
8. तमिलनाडु औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन (आईटीसीओटी)
9. तमिलनाडु जल निवेश कंपनी लिमिटेड (टीडब्ल्यूआईसी)
10. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जेएनपीए)
11. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) और
12. ओशन स्पार्कल लिमिटेड (ओएसएल)

यह पर्याप्त निवेश माननीय प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के दृष्टिकोण के अनुरूप है तथा इस क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण वृद्धि करने के लिए समर्पित है।

6.0 कॉर्पोरेट दिवस

आपकी कंपनी ने एक प्रथम कॉर्पोरेट प्रमुख पोर्ट के रूप में दिनांक 11.10.2023 को 24वां कॉर्पोरेट दिवस मनाया था। श्रीमती जे. पी. आईरीन सिन्थिया, आईएसएस, प्रबंध निदेशक ने समारोह की अध्यक्षता की तथा केपीएल द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के लिए सभी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए केपीएल को देश में अग्रणी पोर्ट का रूप देने के लिए आगे भी ठोस प्रयास करने का आग्रह किया।

7.0 टीएनजीआईएम 2024

आपके पोर्ट को 7 जनवरी एवं 8 जनवरी, 2024 की अवधि में आयोजित तमिलनाडु वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 के

तमिलनाडु वैश्विक पारिस्थिति की पेविलियन में अपनी शक्ति एवं अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए भाग लेने का मौका प्राप्त हुआ। उक्त सम्मेलन में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल की गरिमायुगी उपस्थिति में तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

8.0 खेलकूद कार्यक्रम

कामराजर पोर्ट खेलकूद परिषद् एवं चेन्नै पोर्ट खेलकूद परिषद् ने संयुक्त रूप से 7 फरवरी से 9 फरवरी 2024 की अवधि में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में अखिल भारतीय मुख्य पोर्ट शटल बैडमिंटन एवं कैरम टूर्नामेंट 2023 आयोजित किया। तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक तथा शैक्षिक सेवा निगम के प्रबंध निदेशक, श्री आर. गजलक्ष्मी, आईएसएस ने दिनांक 07.07.2024 को उक्त टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। भारत के सभी प्रमुख पोर्टों से 30 महिला खिलाड़ियों के साथ 280 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम के प्रबंध निदेशक, श्री. एम. अरविन्द, आईएसएस दिनांक 09.02.2024 को आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। उक्त समापन समारोह में खेलकूद कार्यक्रम के विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।



अखिल भारतीय प्रमुख पोर्ट शटल बैडमिंटन एवं कैरम टूर्नामेंट – 2023 का उद्घाटन समारोह

9.0 स्थायी संसदीय समिति का भ्रमण

चेन्नै में दिनांक 25.01.2024 को सार्वजनिक क्रय नीति की चर्चा करने के लिए राज्यसभा के माननीय संसद सदस्य, श्री तिरुची एन शिवा की अध्यक्षता में उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई।

10.0 पुरस्कार

चेन्नै तमिलनाडु में दिनांक 03.07.2024 को ऐक्ज्मि इंडिया शिपिंग टाईम्स द्वारा आयोजित 15वीं दक्षिण पूर्वी सीईओ कॉन्फ्लेव एवं पुरस्कार 2024 में व्यवसाय की सेवा में 25 वर्ष

पूर्ण करने के सुअवसर पर कामराजर पोर्ट को सम्मानित किया गया।

सीएचपीए के पूर्व अध्यक्ष, श्री पी. रवीन्द्रन, ने केपीएल के अध्यक्ष श्री सुनील पालीवाल, आईएसएस तथा केपीएल के प्रबंध निदेशक श्रीमती जे.पी. आइरीन सिन्थिया, आईएसएस को व्यापार के क्षेत्र में दक्षिण भारत के प्रमुख प्रवेश द्वार होकर 25 वर्षों की कुशल सेवा प्रदान करने हेतु उक्त पुरस्कार प्रदान किया।



श्री पी. रवीन्द्रन, पूर्व अध्यक्ष, सीएचपीए ने केपीएल के अध्यक्ष, श्री सुनील पालीवाल, आईएसएस तथा प्रबंध निदेशक, श्रीमती जे.पी. आइरीन सिन्थिया, आईएसएस को पुरस्कार प्रदान किया

आपकी कंपनी को पुनरीक्षण वर्ष के दौरान महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई से खरीद के उच्चतम प्रतिशत प्राप्त करने के लिए माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे से पुरस्कार प्राप्त हुआ है।



एमएसएमई के संघ राज्य मंत्री, माननीय श्री नारायण राणे से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री यतिन किशोरीबाई पटेल, महा प्रबंधक(सीएस एवं बीडी)

11.0 समझौता करार

वर्ष 2023-24 में दिनांक 15.11.2023 को चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के साथ समझौता करार (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निष्पादन के आधार पर एमओयू की रेटिंग 'उत्कृष्ट' है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इसे 'अच्छी' रेटिंग प्रदान की गई।



कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के साथ समझौता करार 2023-24 पर हस्ताक्षर किया

12.0 प्रचालन

वर्तमान में आपकी कंपनी में 9 टर्मिनल प्रचालित हैं, जिनमें से 4 टर्मिनल बीओटी टर्मिनल हैं, तीन (3) कैप्टिव यूजर टर्मिनल हैं तथा दो (2) केपीएल के स्वामित्व के टर्मिनल हैं। सभी टर्मिनल तेजी से निकासी और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए पूरी तरह से मशीनीकृत कार्गो हैंडलिंग संचालन के साथ 'अत्याधुनिक' बुनियादी ढांचे की सुविधाओं से युक्त हैं। वर्तमान में चालू 9 बर्थ की क्षमता 57.44 मिलियन टन है। वर्तमान में टर्मिनलों का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है:

i) कोयला बर्थ 1 एवं 2

वर्तमान में कोयला बर्थ 1 एवं 2 की प्रति हैण्डलिंग क्षमता 8 एमपीटीए है तथा हर बर्थ 77,000 डीडब्ल्यूटी तक के 280 मीटर लम्बे दो कोयला कैरियारों को रख सकते हैं तथा टीएनईबी (टैन्जेडको) एवं उसकी जेवी कंपनियों के थर्मल पवर संयंत्रों के थर्मल कोयला को संभाल सकते हैं। अनलोड किए गए कोयले को कन्वेयर व्यवस्था के माध्यम से साथ वाले उत्तर चेन्नैथर्मल पवर स्टेशन (एनसीटीपीएस) में स्थित स्टैकयार्ड में भेजा जाता है जहां से उसके एक भाग को रेल द्वारा आगे मेडूर में भेजा जाता है। व्यवसाय मॉडल के अनुसरण में आपकी कंपनी ने बर्थिंग संरचना का निर्माण किया है तथा टैन्जेडको ने उसमें निवेश किया है तथा थर्मल कोयला को संभालने के लिए शोर अनलोडर्स, कन्वेयर व्यवस्था, आदि जैसी उच्च सुविधाओं को प्रचालित करने के साथ साथ उनका रखरखाव भी करता है।



टैन्जेडको के लिए थर्मल कोयला संभालने के लिए कोयला बर्थ 1 एवं 2

ii) समुद्री द्रव टर्मिनल

मेसर्स ऐन्नोर टैंक टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (ईटीटीपीएल) ने बीओटी आधार पर 3 एमटीपीए कार्गो संभालने की क्षमता युक्त समुद्री द्रव टर्मिनल का विकास किया तथा 16 जनवरी 2009 से प्रचालन आरंभ किए गए। व्यवसाय में मांग पूरा करने के लिए बीओटी प्रचालक ने अतिरिक्त स्टोरेज टैंकों का विकास किया तथा एलपीजी संभालने के उपकरण संस्थापित किए। वर्तमान में टर्मिनल पीओएल, एलपीजी, सीवीएफएस, रासायनिक पदार्थ एवं अन्य को संभालता है। वेसलों के भीड़ को रोकने के लिए मेसर्स ईटीटीपीएल ने अतिरिक्त डॉक लाइन बनाए तथा समुद्री अनलोडिंग ऑर्म्स संस्थापित किए जिससे कि वेसलों का प्रमतीक्षा समय कम हुआ। टैंक खेत बर्थ से 3.7 किलोमीटर पर स्थित पोर्ट द्वारा लीज किए गए 33 एकड़ प्लॉट में स्थित है जिसकी कुल भण्डारण क्षमता लगभग 247,990 केल है तथा यह ए/बी/सी वर्गों के पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रो-रासायनिक पदार्थ, वनस्पति तेल, जैव ऑयल, अम्ल एवं सुरक्षित वर्ग के द्रवों को भी भण्डारित कर सकता है। पूरे टर्मिनल में ओआईएसडी की आवश्यकताओं के अनुसरण में सुसंगत समेकित अग्निशामक व्यवस्था है।



समुद्री द्रव टर्मिनल

iii) आम उपयोगकर्ता कोयला टर्मिनल

मेसर्स चेष्टिनाड इंटरनेशनल कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने बीओटी आधार पर 10एमटीपीए कार्गो संभालने की क्षमता युक्त समुद्री द्रव टर्मिनल का विकास किया तथा 11 मार्च 2011 से वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ किए गए। क्रेप साइज वेसलों को संभालने के लिए बीओटी प्रचालक ने 16 मीटर के ड्रॉफ्ट के साथ 22.5 मीटर से बर्थ की लम्बाई में विस्तार किया। 48.0 एचए का स्टैकयार्ड क्षेत्र, पोर्ट के कम्पाऊण्ड दीवार से लगभग 2.50 किलोमीटर पर स्थित है। 59 वैगनों (3500 टी) के पुरे एक रैक को लोड करने के लिए एक इन-मोशन वैगन लोडिंग स्टेशन संस्थापित किया गया। ट्रक के माध्यम से निकासी के लिए ट्रक लोडिंग स्टेशन का प्रावधान किया गया है। प्रदूषण कम करने के लिए धूल दमन तंत्र युक्त कन्वेयर को संस्थापित किया गया है। टर्मिनल को जएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ग्रुप द्वारा टर्मिनल का अधिग्रहण करने के बाद पुनः

मेसर्स ऐन्नोर कोयला टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया गया है।



आम उपयोगकर्ता कोयला टर्मिनल

iv) आम कार्गो बर्थ सह ऑटोमोबाइल निर्यात टर्मिनल

बर्थ में विश्व के सबसे बड़े कार कैरियर वेसल के लिए स्थान है तथा इसमें लगभग 3,70,313 वर्ग मीटर का बैक-अप क्षेत्र है, जिसमें 25,000 कारों के लिए ट्रांजिट पार्किंग यार्ड सहित एक विशाल कार पार्किंग यार्ड भी है, जो किसी भी भारतीय पोर्ट की सबसे बड़ी सुविधा कही जा सकती है। संस्थापन के बाद दिनांक 31.03.2024 तक जीसीबी के माध्यम से ऑटोमोबाइल इकाइयों का निर्यात 22.18 लाख इकाइयों की संख्या से पार कर गया है।

आपकी कंपनी ने कंपीएल के माध्यम से ऑटोमोबाइल के निर्यात के लिए प्रमुख ओईएम अर्थात् मेसर्स निस्सान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स टोयोटा किर्लोस्कर मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इजुजु मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स जेडएफ विंड पावर कोयंबतूर प्राइवेट लिमिटेड (विंडमिल कंपोनेंट्स), मेसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मेसर्स कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स पीसीए ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक समझौता किया है। कंपीएल घाटशुल्क पर मात्रा आधारित छूट भी प्रदान कर रहा है।



सामान्य कार्गो बर्थ सह ऑटोमोबाइल निर्यात टर्मिनल

v) कंटेनर टर्मिनल

आपकी कंपनी ने पीपीपी मोड के अंतर्गत एक फेज़्ड पद्धति से 1.40 मिलियन टीईयू प्रतिवर्ष की क्षमता संभालने के लिए कंटेनर टर्मिनल का विकास करने हेतु मेसर्स अदानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किया है। कंटेनर टर्मिनल के लिए कुल बैंक-अप क्षेत्र 36.5 एचए है। फेज़-1 बर्थ में 62 एम आऊटरीच एवं 12 ईआरटीजीएस युक्त चार रेल माऊण्टेड क्वे क्रेन से सज्जित है। तीन और रेल माऊण्टेड क्रेन हैं तथा द्वितीय फेज़ के कार्यान्वयन के दौरान 9 ईआरटीजीएस जोड़े जाएंगे। कंटेनर निकास रोड और रेल मोड से किया जाता है। कंटेनर टर्मिनल (फेज़-1) के वाणिज्यिक प्रचालन वित्तीय वर्ष 2017-18 से शुरू किए गए।



कंटेनर टर्मिनल

vi) बहु कार्गो टर्मिनल

मेसर्स चेट्टीनाड इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने डीबीएफओटी के आधार पर 2.0 मिलियन टन क्षमता युक्त टर्मिनल का विकास किया गया था। टर्मिनल में स्टील, उर्वरक, जिप्सम, बेराइट्स एवं चूना पत्थर संभाला जाता है। टर्मिनल का कुल बैंकअप क्षेत्र 13.5 हेक्टेयर है। बर्थ में दो (2) हार्बर मोबाइल क्रेन हैं जिनकी क्षमता 100 टन प्रति है तथा यार्ड भंडारण सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। कार्गो निकासी सड़क और रेल मोड से किया जाता है। टर्मिनल का वाणिज्यिक प्रचालन दिनांक 05.08.2017 से शुरू हुआ। मेसर्स जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ग्रुप ने दिनांक 13.11.2020 से अधिग्रहण प्राप्त करने के बाद उसे मेसर्स एन्नोर बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया।



बहु कार्गो बर्थ

vii) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात टर्मिनल

जेवी के साथ संयुक्त उद्यम के प्रमुख भागीदार मेसर्स आईओसीएल ने 5 एमटीपीए (10 एमटीपीए तक विस्तार करने योग्य) की क्षमता युक्त री-गैसिफिकेशन सुविधाओं के साथ एलएनजी टर्मिनल की स्थापना की है। री-गैसिफिकेशन टर्मिनल में 2 टैंक हैं, जिनमें से प्रत्येक की सकल क्षमता 1,80,000m³ है। टर्मिनल दिनांक 26.02.2019 से प्रचालित है तथा परियोजना की लागत रु.3834.51 करोड़ है।



भारतीय ऑयल एलएनजी टैंक फार्म

viii) ऑटोमोबाइल निर्यात/आयात टर्मिनल-2 (3 एमटीपीए)

आपकी कंपनी ने 3 एमटीपीए की अनुमानित क्षमता युक्त दूसरे ऑटोमोबाइल निर्यात/आयात टर्मिनल का विकास करने के लिए मेसर्स एल & टी जियोस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ठेकेदार के रूप में चुना। ठेके पर प्रदत्त परियोजना की लागत रु.149.36 करोड़ था। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 2 जनवरी 2024 को उक्त टर्मिनल का उद्घाटन किया गया और यह मार्च 2024 से प्रचालित है।

13.0 परियोजनाएं :

आपके पोर्ट की क्षमता में वृद्धि करने तथा अपने ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु विभिन्न बर्थ/टर्मिनल के विकास हेतु कार्रवाई शुरू की गई है, जिसकी स्थिति नीचे प्रस्तुत की गई है:

i) कोयला बर्थ 3 एवं 4 (18 एमटीपीए)

आपकी कंपनी ने टैन्जेडको के अनुरोध पर रु.500 करोड़ के निवेश से दो अतिरिक्त कोल बर्थ (सीबी3 और सीबी 4) का निर्माण किया है। उक्त दो नए कोल बर्थोंकी प्रतिक्रमता 9 एमटीपीए है और वे 18 मीटर ड्राफ्ट के कंप साइज के जहाज को जगह दे सकते हैं। बर्थ को अनलोडर, कन्वेयर व्यवस्था आदि जैसी शीर्ष अनलोडिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए टैन्जेडको को सौंप दिया गया है। सीबी-3 और सीबी-4 में मशीनीकरण कार्य चल रहा है तथा यह क्रमशः वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2024-25 में प्रचालित किए जाने की उम्मीद है।

ii) आईओसीएल कैप्टिव जेड्री (3 एमटीपीए)

आपकी कंपनी ने 921 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत पर पीओएल एवं एलपीजी उत्पादों को संभालने के लिए कैप्टिव जेड्री के निर्माण हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ रियायत समझौताकरार पर हस्ताक्षर किया है तथा मेसर्स एरिसस्टम इंडिया लिमिटेड (पूर्व में एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड) को स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया है। आईओसीएल ने जेड्री निर्माण के लिए ईपीसी ठेकेदार के रूप में मेसर्स आईटीडी सीमेंटेशन लिमिटेड, मुंबई का चयन किया है। आपकी कंपनी ने आईओसीएल कोवाटर फ्रंट एवं आरओडब्ल्यू के लिए पाइपलाइन, कॉरिडोर के लिए भूमि भागआवंटित किया है तथा दिनांक 02.03.2022 से रियायत आदेश की तिथि घोषित की है। जुलाई 2022 से निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है तथा दिसंबर 2024 तक जेड्री कोप्रचालित करने की उम्मीद की जा रही है।

iii) आयरन ओर टर्मिनल के रूपांतरण को "जहां है जैसा है" के आधार पर आम उपयोगकर्ता कोयला (12 एमटीपीए) भी संभालने हेतु

आपकी कंपनी ने सितंबर 2006 के दौरान प्रोजेक्ट कंपनी मेसर्स एसआईसीएल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) के साथ 30 साल की अवधि बीओटी के आधार पर आयरन ओर टर्मिनल के लिए करार पर हस्ताक्षर किया है। बीओटी ऑपरेटर ने वर्ष 2010-11 के दौरान 6 एमटीपीए के प्रथम चरण का विकास किया। तथापि, लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण, टर्मिनल का उपयोग नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, मौजूदा आयरन ओर

टर्मिनल को "जैसा है, वैसा ही" के आधार पर संशोधित करने पर विचार किया गया ताकि आम उपयोगकर्ता कोयले को भी संभाल सके। तदनुसार दिनांक 11.07.2016 से कंपीएल और एसआईओटीएल के बीच लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किया गया।

तथापि, रियायतकर्ता के वित्तीय चूक से आपकी कंपनी ने मेसर्स एसआईओटीएलको दिनांक 22.03.2021 से प्रभावी 'समाप्ति नोटिस' जारी किया तथा लाइसेंस करार को दिनांक 20.06.2021 से समाप्त किया गया। तदनुसार, एसआईओटीएल को आईबीसी कोड के अंतर्गत एनसीएलटी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

iv) समुद्री द्रव टर्मिनल - 2 (3 एमटीपीए)

पीओएल की लगातार बढ़ती मांग पूरा करने के लिए आपकी कंपनी ने डीबीएफओटी मोड में रु.393 करोड़ के निवेश से बर्थ और टैंकज सुविधाओं से युक्त दूसरे समुद्री तरल टर्मिनल के विकास के लिए कार्रवाई शुरू की है। प्रतिस्पर्धात्मक बोली के बाद, कंपीएल ने दिनांक 14.02.2018 को बीपीसीएल-एचपीसीएल के कंसोर्टियम को लेटर ऑफ अवाई जारी किया। तथापि, एमएलटी-1 के मौजूदा बीओटी प्रचालक द्वारा दायर किए गए मुकदमे के कारण रियायत समझौते पर हस्ताक्षर एवं वाटर फ्रंट का आबंटन कार्य लंबित है। मामले को सुलह एवं निपटान समिति (सीएससी) को भेज दिया गया है।

v) कंटेनर टर्मिनल - फेज 1 (स्तर 2) (6,00,000 टीईयू / 11.58 एमटीपीए)

रियायती करार के अनुसार, रियायतकर्ता मेसर्स आईसीटीपीएल को दिनांक 19.01.2019 से स्तर-2 का निर्माण शुरू करना था। तथापि, स्तर II के शुरू होने में देरी के कारण, रियायतकर्ता पर परिसमाप्त हर्जाना लगाया गया। रियायतकर्ता ने दिनांक 16.8.2020 को मध्यस्थता विवाद का प्रारंभ किया तथा दिनांक 28.5.2024 को बहुमत पुरस्कार पारित किया गया। मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध अपील दाय करने का प्रस्ताव है।

14.0 अवरसंरचनात्मक विकास

एक कॉर्पोरेट पोर्ट के रूप में, "लैंडलॉर्ड" मॉडल पर कार्य करते हुए आपके पोर्ट को सड़क और रेल संपर्क, ड्रेडज्ड बेसिन/चैनल, समुद्री सेवाएं और अन्य सामान्य उपयोगिताओं जैसी बुनियादी संरचना प्रदान करना पड़ता है। इस उद्देश्य से आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क और रेल संपर्क के प्रभावी नेटवर्क के लिए कार्रवाई शुरू की है ताकि कार्गो की त्वरित प्राप्ति और निकासी सुनिश्चित हो सके, इसके विवरण निम्नानुसार हैं :-

14.1 सड़क से कनेक्टिविटी

i) सड़क द्वारा आंतरिक कनेक्टिविटी

पोर्ट के अंदर आईओसीएल पुनः गैसिफिकेशन टर्मिनल के लिए सड़क द्वारा बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आपकी कंपनी ने रु.17.43 करोड़ की लागत पर 2 लेन कंक्रीट सड़क के निर्माण हेतु टीएनआरडीसी के साथ करार पर हस्ताक्षर किया है। सड़क की कुल लम्बाई 2.4 किलोमीटर है तथा इसे उक्त सेवा के लिए प्रदान किया जा चुका है।

ii) बाहरी सड़क कनेक्टिविटी

(ए) दक्षिणी पोर्ट एक्सेस सड़क

आपके पोर्ट से तीन राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच5, एनएच4 एवं एनएच45) के साथ वर्तमान सड़क कनेक्टिविटी पोर्ट एक्सेस रोड तिरुवोट्टियूर - पोन्नेरी - पणचेट्टी (टीपीपी) रोड, इन्नर रिंग रोड एवं चेन्नैबईपास रोड से है। आयात/ निर्यात की बढ़ती हुई कार्गो की गतिविधि को देखते हुए टीएनआरडीसी ने रु.195 करोड़ की लागत पर टर्नकी आधार पर वल्लूर जंक्शन (टीपीपी रोड) से कामराजर पोर्ट मुख्य प्रवेश द्वार तक के दो लेन सड़क का चार लेन सड़क में विस्तार किया है।

उक्त सड़क के कार्य को 2 भागों में कार्यान्वित किया गया। भाग-1 में वल्लूरजंक्शन से एनसीटीपीएस जंक्शन तक 4.8 किलोमीटर की लम्बाई के लिए सड़क में विस्तार / सुधार किया गया तथा एनसीटीपीएस जंक्शन से पोर्ट के मुख्य द्वार 2.3 किलोमीटर के लिए सड़क में सुधार किया गया। कार्य पूर्ण किए गए तथा पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग एवं आयुष मंत्रालय के माननीय मंत्री, श्री सरबानंद सोनोवाल ने दिनांक 23.04.2023 को उक्त मार्ग का उद्घाटन किया।

(बी) उत्तरी पोर्ट एक्सेस सड़क (एनपीएआर)

उत्तरी पोर्ट एक्सेस सड़क, आपके पोर्ट को एनएच 5 से कनेक्ट करती है तथा यह 21.148 किलोमीटर लम्बी है और वर्तमान में मौजूद ओआरआर के 4.3 किलोमीटर लम्बी स्पर रोड के साथ जुड़ा है। यह उत्तरी पोर्ट एक्सेस सड़क, चेन्नै पेरिफरल रिंग रोड (सीपीआरआर) के भाग-1 का एक भाग बनती है। राज्य सरकार ने अपने जी.ओ दिनांक 08.03.2019 के (एमएस) सं.37 महामार्ग एवं छोटे पोर्ट (एचडब्ल्यू 2) विभाग द्वारा उक्त सड़क बनाने के लिए रु.2122 करोड़ की प्रशासनिक संस्वीकृति दी है। यह परियोजना, टीएनआरडीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है तथा जेआईसीए से निधि प्राप्त है। मेसर्स टाटा परियोजनाएं उक्त कार्य का ठेकेदार है। जनवरी 2022 को कार्य प्रारंभ किए गए तथा उसे दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने की प्रत्याशा की जाती है।

14.2 रेल कनेक्टिविटी

वर्तमान में आपकी कंपनी, चेन्नै-दिल्ली/ कोलकाता मार्ग पर दक्षिण रेलवे के चेन्नै - गूडूर भाग में स्थित अततिपट्ट एवं अततिपट्ट पुदुनगर मेडनलाइन से कनेक्टेड है। आपकी कंपनी ने कोयला एवं आयर्न अयस्क टर्मिनलों को वर्तमान में मौजूद एनसीटीपीएस रेलवे लाइन के साथ रेल सुविधाओं का विकास किया है। आगे यह भी कि दायित्वों के भाग के रूप में आपकी कंपनी ने कंटेनर एवं बहु कार्गो टर्मिनलों के साथ रेल कनेक्टिविटी का विकास किया है।

रेल आधारित ट्रेफिक में बढ़ोतरी को कम करने की दृष्टि से आपकी कंपनी ने निम्नांकित रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर कार्रवाई शुरू की है :

i) दक्षिण रेलवे कनेक्टिविटी

आपकी कंपनी ने रु.88.81 करोड़ की परियोजना लागत पर होल्डिंग यार्ड सं. 1 से कंटेनर यार्ड तक वर्तमान एकल लाइन रेल कनेक्टिविटी को दोगुना करने के लिए मेसर्स इंडियन पोर्ट रेल एवं रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किया है। 2.65 किलोमीटर लम्बाई तक के लिए रेल कनेक्टिविटी को दुगुना किया जा रहा है। इस परियोजना को नवंबर 2024 तक पूर्ण करने एवं कमिशन करने की प्रत्याशा की जा रही है।

ii) उत्तर रेल कनेक्टिविटी

उत्तर रेल लिंक (एनआरएल), आपके पोर्ट को चेन्नै - गूडूर रेलवे मेडनलाइन यानी मीन्जूर स्टेशन के उत्तरी भाग के साथ कनेक्ट करता है। उक्त एनआरएल कनेक्टिविटी की लम्बाई 11.211 किलोमीटर है। आपकी कंपनी और काट्टुपल्ली पोर्ट ने एनपीएआर के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिग्रहीत 100मीटर आरओडब्ल्यू में से 30मीटर आरओडब्ल्यू (प्रति 15मीटर) के लिए सहमति प्रदान की है। आपकी कंपनी ने इसे एनआरएल कनेक्टिविटी परियोजना को दीर्घकालिक परियोजना के रूप में माना है।

iii) केपीएल एवं एनसीटीपीएस रेलवे लाइनों का एकबारगी उन्नयन

आपकी कंपनी ने होल्डिंग यार्ड II में रूपांतरण कार्य (पीवे, ओएचई, एस-टी) के साथ केपीएल ट्रैक (होल्डिंग यार्ड, I, II एवं केपीसीए) तथा एनसीटीपीएस रेलवे ट्रैकों (आम रेलवे ट्रैक) के एकबारगी उन्नयन के लिए मेसर्स इंडियन पोर्ट रेल एवं रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किया है। उक्त रेल कनेक्टिविटी का रु.35.20 करोड़ की लागत पर 26.38 ट्रैक किलोमीटर की लम्बाई तक के लिए उन्नयन किया जा रहा है।

अतिपट्ट स्टेशन पर वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी का अतिरिक्त कार्य प्रगतिशील है। कार्य, नवंबर 2024 तक पूर्ण करने की प्रत्याशा की जाती है।

14.3 ड्रेडिजिंग योजना

i) कैपिटल ड्रेडिजिंग फेज -V

रो-रो सह सामान्य कार्गो बर्थ-II एवं आईओसीएल कैप्टिव टर्मिनल जैसे बर्थों के लिए (-) 16 मीटर सीडी की पानी की गहराई रु.156,08,56,760/- (जीएसटी छोड़कर) के मूल्य पर कैपिटल ड्रेडिजिंग फेज-V का कार्य, मेसर्स जेन डे नूल ड्रेडिजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै को प्रदान किया गया तथा उक्त कार्य अक्टूबर 2023 को पूर्ण किया गया।

ii) कैपिटल ड्रेडिजिंग फेज-VI

एक्विजम व्यापार मांग में वृद्धि के साथ, व्यापार की प्राथमिकता पैमाने की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए गहरे ड्राफ्ट जहाजों को तैनात करना होगी। आपकी कंपनी ने एमआईवी-2030 पहल के साथ करने के लिए पोर्ट के बेसिन और चौनल क्षेत्र में (-)18 मीटर गहरा ड्राफ्ट प्रदान करने के लिए कैपिटल ड्रेडिजिंग चरण-VI को आगे बढ़ाने की कार्रवाई पुनरु शुरू की है। इस कार्य के लिए एनटीसीपीडीब्ल्यूसी द्वारा तैयार की गई विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट को संस्वीकृति प्रदान की गई है। पीआईवी द्वारा अनुमोदित अनुमानित ड्रेडिजिंग की रु.513.83 लागत का वित्तपोषण आंतरिक एवं अतिरिक्त बजट संसाधनों द्वारा किया जाएगा।

आपकी कंपनी ने कैपिटल ड्रेडिजिंग के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है।

15.0 औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी वर्ष 2023-24 के दौरान सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखती है। वर्ष के दौरान किसी भी हड़ताल या काम बंद होने के कारण कार्मिकों के कार्य दिवस नष्ट नहीं हुए। पोर्ट पर श्रमिकों की स्थिति सामान्य रही।

16.0 मानव संसाधन विकास

16.1 कार्मिक शक्ति

सभी कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 31.03.2024 तक कार्मिकशक्ति के विवरण निम्नानुसार है:

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ी जाति	अन्य	कुल
अधिकारी	13	2	27	20	62
कर्मचारी	9	1	15	9	34
कुल	22	3	42	29	96

16.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ी वर्गों, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों आदि के पदों/लामों के आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों एवं केन्द्र सरकार के आदेशों का पूर्ण अनुपालन करता है। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत कुल कार्मिकशक्ति का 23% है तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत कुल कार्मिकशक्ति का 3% है।

संगठन में आरक्षण आदेशों का अनुपालन एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

16.3 प्रशिक्षण

चूंकि, आपकी कंपनी का मानना है कि अपने कर्मचारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों के ज्ञान से अवगत रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है, इसलिए वर्ष के दौरान कर्मचारियों को 153 श्रम दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे लगभग 17.59 लाख रुपये का व्यय हुआ।

वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा भाग लिए जाने वाले कार्यक्रम – स्मार्ट पोर्ट टेक्नोलॉजीज एण्ड पोर्ट एण्ड टर्मिनल ऑप्टिमाइजेशन, पोर्ट पर्यावरण प्रबंधन तथा स्थिरता, पोर्ट एवं समुद्री सेवाएं, ड्रेडिजिंग टेक्नोलॉजी, आईएमओ लेवल I एवं II प्रशिक्षण स्तर, ग्रीन पोर्ट्स, सेबी, साइबर खतरा खुफिया, एनआईडीएम के साथ आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीपीपी फ्रेमवर्क, पर्यावरण, सामाजिक और शासन स्थिरता के तरीके, सीएसआर, पोर्ट और हार्बर इंजीनियरिंग, आरक्षण, पोर्ट सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा लेखा परीक्षा, हिंदी कार्यशालाएं, आदि।

16.4 शिकायत निवारण तंत्र

आपकी कंपनी में कार्यकारी अधिकारियों के साथ-साथ गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए भी शिकायत निवारण प्रक्रिया लागू की गई है। पुनरीक्षण अवधि के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

17.0 समुद्री

आपके पोर्ट में आने वाले सभी जहाजों और समुद्री व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए समय पर पायलटिंग सहित बेहतर दक्षता मापदंडों के साथ चौबीसों घंटे त्वरित पायलटिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

आपका पोर्ट, पर्याप्त संसाधनों से सुसज्जित है, जिसमें 1,50,000 डीडब्ल्यूटी कंटेनर तथा सबसे बड़े एलएनजी और कार वाहक को संभालने के लिए अलग-अलग बोर्डार्ड पुल क्षमता युक्त चार

टग शामिल हैं। सभी टग में तेल प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए फिफी व्यवस्था और उपकरण लगाए गए हैं क्योंकि यहां पीओएल, रसायन, एलपीजी और एलएनजी ले जाने वाले टैंकर जहाजों को मुख्य रूप से संभाला जाता है। मेक इन इंडिया नीति को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में निर्मित समर्थन क्रेपट भी लगाए गए हैं।

17.1 वेसल ट्रैफिक सेवाएं(वीटीएस):

आपके पोर्ट में "आत्मनिर्भर भारत मेक-इन-इंडिया" पहल के हिस्से के रूप में स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर सहित पोत यातायात सेवाएं उपलब्ध की गई हैं।

17.2 संभाले गए वेसल

- आपके पोर्ट ने पूर्व रिकार्ड से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2023-24 की अवधि में सफलतापूर्वक 967 वेसल संभाला है।
- आपका पोर्ट नियमित रूप से डीडब्ल्यूटी 1,50,000 तक विभिन्न प्रकार के वेसलों को संभालता है।
- आपके पोर्ट ने आईसीटीपीएल पर 325 मीटर से अधिक एलओए के 36 जहाजों को संभाला है।
- आपके पोर्ट ने दिनांक 01.03.2024 को एलओए 366 मीटर, जीआरटी 155492, ड्राफ्ट 15.0 मीटर तथा 16550 टीईयू क्षमता युक्त सबसे बड़े कंटेनर वेसल एमवी एमएससी गियूसी को संभाला है।
- आपके पोर्ट ने वर्ष में 16 एलएनजी वेसलों को संभाला है जोकि पूर्व वर्ष से 45.5% अधिक है।
- आपकी कंपनी ने पूर्व वर्ष की सांख्यिकी से 53.6% अधिक आगे बढ़ते हुए बंकर बार्ज द्वारा 172 वेसलों के लिए बंकर सुविधा प्रदान किया है।
- आपका पोर्ट, वेसल संबंधी प्रक्रियाओं के सहज एवं पारदर्शी निकास के लिए एनएलपी - समुद्री ऑनलाइन पोर्टल इस्तेमाल करते हुए प्रवेश एवं निकास नियमों का पूर्ण अनुपालन कर रहा है।

18.0 सर्वेक्षण एवं ड्रेडिजिंग

- आपका पोर्ट, वेसलों के सुरक्षित नौवहन बनाए रखने के लिए चौनल, बेसिन, हार्बर एवं बर्थ के तरफ में निर्धारित गहराई बनाए रखने के लिए नियमित रूप से रखरखाव ड्रेडिजिंग का कार्य करता है। निर्धारित गहराइयों का अनुवीक्षण करने के लिए अर्द्ध-वार्षिक आधार पर मार्च/अप्रैल एवं सितंबर/अक्टूबर की अवधि में पूर्व वर्ष ऋतु के आवधिक बाथमेट्री तथा वर्षा ऋतु पश्चात् सर्वेक्षण किया जाता है।

- आपका पोर्ट समुद्र तट अनुवीक्षण के लिए एनएचओ, एमओएस, एमओईएफ, एसओआई, आईपीए, सीपीसीबी तथा टीएनपीसीबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए आवधिक स्तर पर स्थलाकृति सर्वेक्षण किया जाता है तथा "कामराजर पोर्ट के समुद्र तट में परिवर्तन का अध्ययन" भी किया गया है।
- आपका पोर्ट पोर्ट में प्रत्येक परियोजना के पूरा होने पर वर्तमान में मौजूदा नौवहन एवं ईएनसी चार्ट को अद्यतन/संशोधित करने के लिए राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून के साथ समन्वय की अच्छी प्रथा सुनिश्चित करता है।
- आपका पोर्ट बर्थ और चौनल में ड्रेडिजिंग गहराई बनाए रखने की कार्रवाई को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। निर्धारित गहराई बनाए रखने के लिए रखरखाव ड्रेडिजिंग नियमित रूप से की जाती है।
- आपका पोर्ट के आधिकारिक उपयोग के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून के समन्वय में ज्वारीय डेटा को बनाए रखने तथा रिकॉर्ड करने एवं वार्षिक आधार पर भारतीय ज्वारीय तालिकाओं में प्रकाशित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केपीएल के इतिहास में पहली बार, कामराजर पोर्ट का ज्वारीय डेटा भारतीय ज्वारीय तालिका-2024 में प्रकाशित किया गया।

19.0 पोर्ट सुरक्षा

आपका पोर्ट, आईएसपीएस के अनुरूप है तथा सीआईएसएफ सुरक्षा कवर के अंतर्गत है। पोर्ट सुविधा और सुरक्षा स्तर, डीजी शिपिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार घोषित किए जाते हैं और उन्हें बनाए रखे जाते हैं। समय-समय पर आपके पोर्ट का परीक्षण किया जाता है तथा डीजी शिपिंग द्वारा जारी आईएसपीएस कोड के दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाता है। अनुपालन के एक भाग के रूप में, पोर्ट सुविधा सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक हर तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती है। सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ पोर्ट में नियमित सुरक्षा अभ्यास भी आयोजित किए जाते हैं। आपकी कंपनी ने तटरक्षक, भारतीय नौसेना तथा राज्य प्रशासन के साथ संयुक्त सुरक्षा अभ्यास में भी भाग लिया है।

20.0 स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण

सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अच्छे सुरक्षा अभ्यासों का पालन करें और उन्हें बढ़ावा दें, क्योंकि कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी बनती है। आपका पोर्ट कार्यस्थल पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों के संबंध में सभी लागू कानूनों और विनियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए सभी पणधिरियों के लिए एक उदाहरण के रूप में उभरता है।

पोर्ट प्रचालनों को दीर्घकालिक बनाए रखने के लिए निम्नलिखित स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण पद्धतियों का पालन किया जाता है:

20.1 स्वास्थ्य

आपका पोर्ट, 24X7 आधार पर प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ से सुसज्जित एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (ओएचसी) चला रहा है, साथ ही सभी कार्य दिवसों में सामान्य शिफ्ट में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर भी उपस्थित है। इसके अतिरिक्त, पोर्ट में 24X7 तैनात एक एम्बुलेंस कर्मचारियों और अन्य पणधिरियों की प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

आपके पोर्ट ने अड्यार कैंसर संस्थान, चेन्नै के माध्यम से सभी महिला कर्मचारियों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा ठेकेदारों के लिए कैंसर पर एक चिकित्सा शिविर और पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, चेन्नै के माध्यम से कर्मचारियों और पणधिरियों के लिए एक बुनियादी जीवन सहायता (बीएलएस) प्रशिक्षण आयोजित किया। विश्व एड्स दिवस पर ड्राइवरो तथा अन्य कार्मिकों को फेस टॉवल, जागरूकता पैम्फलेट वितरित करते हुए जागरूकता सत्र आयोजित किया। कर्मचारियों और अन्य पणधिरियों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए गए।

20.2 सुरक्षा

समय-समय पर प्रशिक्षण और अभ्यास आयोजित करते हुए आपका पोर्ट कार्यस्थल में सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देता है। आपके पोर्ट ने वर्ष 2023-24 की अवधि में प्रचालन के दौरान शून्य घातक घटनाएं तथा शून्य समय चोट हासिल किया है। टर्मिनल ऑपरेटर्स एवं परियोजना निष्पादकों ने भी शून्य घातक घटनाएं हासिल की हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा संस्कृति को बढ़ाने देने तथा जोखिम कम करने के लिए निकट चूक/ घटनाओं/ दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है तथा सीखे गए सबक को सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में लागू किया जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह और सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया ताकि कर्मचारियों, पणधिरियों और पोर्ट उपयोगकर्ताओं को

सुरक्षा के अनुपालन की आवश्यकता एवं महत्व तथा स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के बारे में जागरूक किया जा सके।

पोर्ट उपयोगकर्ताओं, बीओटी ऑपरेटर्स के लिए अग्निशमन तथा मॉक ड्रिल पर आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपका पोर्ट, ऑयल और गैस तथा ताप विद्युत संयंत्र क्षेत्रों में उद्योगों के साथ पारस्परिक सहायता अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लेता है जो आसपास के क्षेत्रों में हैं।

आपके पोर्ट ने किसी भी अप्रत्याशित आपात स्थिति के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया और कार्रवाई के लिए आपदा प्रबंधन योजना एवं संकट प्रबंधन योजना के लिए संस्वीकृति प्रदान की है तथा उसे लागू किया है। आपके पोर्ट के कर्मचारी और हितधारक, व्यक्तिगत सुरक्षा का पालन करते हैं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के महत्व को भी समझते हैं।

आपका पोर्ट, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में गैर-ज्वलनशील उत्पादों को संभालने वाले बर्थों/ टर्मिनलों/भंडारण सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) एवं ज्वलनशील उत्पादों को संभालने वाले बर्थों/टर्मिनलों/भंडारण सुविधाओं के लिए ऑयल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) को सम्मिलित करते हुए सुरक्षा ऑडिट एवं अनुवर्ती ऑडिट आयोजित करता है।

आपका पोर्ट, टियर I - तेल रिसाव प्रतिक्रिया उपकरण सहित पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है, जिन्हें राष्ट्रीय ऑयल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना (एनओएस-डीसीपी) दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए मानकों का पूर्णतः अनुपालन किया जाता है। एनओएस-डीसीपी दिशानिर्देशों के अनुसरण में आईएमओ स्तर I, II और III प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को भी पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए नए गेट परिसर में रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन उपकरण (आरडीई) भी स्थापित किया गया है।



केपीएल में सुरक्षा सप्ताह समापन कार्यक्रम

20.3 पर्यावरण

आपका पोर्ट, ग्रीन पोर्ट संक्रमण की ओर अग्रसर है तथा हरित सागर दिशा-निर्देशों को चरणबद्ध पद्धति से लागू किया जाता है। आपका पोर्ट, सभी लागू पर्यावरण कानूनों का अनुपालन करता है तथा पोर्ट परियोजनाओं के विभिन्न पर्यावरण संस्वीकृति में निर्धारित शर्तों पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। बीओटी प्रचालक भी अपने संबंधित टर्मिनलों में पर्यावरण का अनुवीक्षण करते हैं और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से पर्यावरण गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

आपके पोर्ट को 9.6 मिलियन टन प्रति वर्ष की बढ़ी हुई क्षमता को संभालने के लिए ईसीटीपीएल टर्मिनल के लिए पर्यावरण और सीआरजेड स्वीकृति प्रदान की गई है तथा 3 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता के ऑटोमोबाइल निर्यात/आयात टर्मिनल-II (जीसीबी-2) को संचालित करने की सहमति प्राप्त हुई है।

'मार्पोल' विनियमों के अनुपालन के एक भाग के रूप में, आपके पोर्ट ने 'मार्पोल' संलग्नक I, II, IV, V एवं VI के अंतर्गत स्वागत सुविधाएं प्रदान किया है। जहाज से उत्पन्न ऑयल अपशिष्टों के संग्रहण एवं निपटान के लिए तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित पांच रिसाइक्लर को सूचीबद्ध किया गया है। पोर्ट और जहाज से उत्पन्न जैविक/खाद्य अपशिष्टों के उपचार के लिए परिसर के अंदर जैविक अपशिष्ट कनवर्टर स्थापित किया गया है, जिसका हरित पट्टी में के लिए खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल तथा हरित पोर्ट के रूप में बने रहने के लिए मेसर्स नित्या प्रयोगशालाओं, एक एनएबीएल मान्यता प्राप्त और एमओईएफ एवं सीसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को विभिन्न पर्यावरणीय मापदंडों जैसे परिवेश वायु गुणवत्ता, परिवेश शोर स्तर, समुद्री जल गुणवत्ता, सतही जल गुणवत्ता, भूजल गुणवत्ता एवं एसटीपी आऊटलेट जल गुणवत्ता के नमूने लेने तथा परीक्षण के लिए लगाया गया था। वास्तविक समय अनुवीक्षण के लिए सीपीसीबी और टीएनपीसीबी के सर्वर के साथ डेटा को सिंक्रनाइज करने के लिए मुख्यद्वार, सिग्नलरेशन और सामान्य कार्गो बर्थ क्षेत्रों में 3 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वायु गुणवत्ता स्तर सहित सभी पर्यावरणीय मापदंडों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर बनाए रखा जाता है।

आपका पोर्ट, खतरनाक ठोस अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण तथा उसके निपटान के लिए प्राधिकृत है और पिछले वर्ष के दौरान संभाले गए खतरनाक ठोस अपशिष्ट की मात्रा के लिए खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (सीमा पार और प्रबंधन) नियम,

2016 के तहत वार्षिक रिटर्न जमा करता है। पोर्ट के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा गया है तथा इस संबंध में सभी पणधिरियों को सख्त अनुपालन के लिए एक परिपत्र भी जारी किया गया है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था के सृजन हेतु आपका पोर्ट, दीर्घकालिक पोर्ट प्रचालन के लिए कम करें पुनरुपयोग करें तथा पुनरुचक्रित (आरआरआर) के सिद्धांत का पालन करता है। पोर्ट क्षेत्रों के अंदर जहाजों और विभिन्न स्थानों से इकट्ठित ठोस अपशिष्ट को विभिन्न श्रेणियों में अलग किया जाता है तथा आगे उसके लाभकारी उपयोग के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित री-साइकिलर्स को भेजा जाता है।

आपके पोर्ट ने 320 किलोवाट पावर की नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा) संस्थापित किया है जो अपने कुल उपयोग के 50% भाग को नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करता है।

आपके पोर्ट और बीओटी प्रचालकों ने अपने-अपने परिसर में 83 केएलडी क्षमता युक्त सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किया है, क्योंकि आपका पोर्ट शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) सिद्धांत एवं पुनर्चक्रित जल के पुनरुपयोग में रुचि रखता है।

जहाज के उत्सर्जन स्तर कम करने के लिए, हार्बर क्राफ्टों को निष्क्रिय स्थिति में तटीय पवर की आपूर्ति की जाती है। कोयला बर्थ 1 और 2 में तटीय पवर आपूर्ति सुविधा का संस्थापन कार्य पूर्ण है। इसके अलावा, सभी कार्गो हैंडलिंग उपकरणों को विद्युतीकृत करके उत्सर्जन में काफी कमी लाई गई है।

आपके पोर्ट ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तीन ई-वाहन शुरू किए हैं और 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित किया। विभिन्न पणधारियों को शामिल करते हुए के नए सीआईएसएफ बैरकों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया।



विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के दौरान वृक्षारोपण

आपके पोर्ट ने पोर्ट क्षेत्रों के अंदर और बाहर दोनों जगहों में व्यापक सफाई कार्यक्रम आयोजित किया। 16 सितंबर 2023 को तटीय सफाई दिवस की पूर्व संध्या से एक सप्ताह तक के लिए

व्यापक सफाई कार्यक्रम आयोजित किया। कर्मचारी, हितधारक, सीआईएसएफ कार्मिकों के साथ लगभग 300 प्रतिभागियों ने सफाई कार्यक्रमों में भाग लिया तथा उत्तरी ब्रेकवाटर परिसर से लगभग 100 किलोग्राम ठोस अपशिष्ट इकट्ठा किया। समुद्री पर्यावरण में कचरे के खतरे पर प्रकाश डालने के लिए, आपके पोर्ट ने नियमित रूप से समुद्र तट क्षेत्रों को साफ करने के लिए समुद्र तट सफाई गतिविधियों को आयोजित किया है।

21.0 कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 तथा महिला सशक्तीकरण के अंतर्गत प्रकटन

कंपनी में 31 मार्च 2024 तक 18 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 3% कर्मचारी संवर्ग में हैं और लगभग 14% अधिकारी संवर्ग में हैं। महिला कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। मकार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए हिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू किया गया है। आपकी कंपनी में कभी भी किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का मामला सामने नहीं आया है।

22.0 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

आपकी कंपनी ने एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में सीएसआर नीति और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप परियोजनाएं आरंभ की हैं। सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति एवं वर्ष के दौरान किए गए क्रियाकलाप संबंधी अपेक्षित प्रकटन, सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट संलग्नक-1 में प्रस्तुत किए गए हैं और यह बोर्ड की रिपोर्ट का एक भाग भी है।

23.0 सार्वजनिक क्रय नीति

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सार्वजनिक क्रय नीति को अधिसूचित किया है। आपकी कंपनी ने वार्षिक मूल्य के 26.26% से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एससी/एसटी तथा महिला उद्यमियों के स्वामित्व के एमएसई सहित) से वस्तु एवं सेवाओं का क्रय किया है।

24.0 जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी ने संभावित जोखिम एवं अवसर की पहचान करने तथा उन्हें मूल्यांकित एवं संभालने हेतु एक फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है ताकि प्रबंधकों को सूचित प्रबंधन निर्णय लेने में मदद मिल सके। जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के कुछ उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- बाधाओं की पहचान करने तथा उनके प्रबंधन में एक केंद्रित दृष्टिकोण लाना, ताकि संगठन का निष्पादन बेहतर हो सके।
- पूरे संगठन में एक निश्चित जोखिम प्रबंधन पहल शुरू करना, जिससे संगठन के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव

डालनेवाले संभावित जोखिमों की पहचान की जा सके और सुपुर्द विशिष्ट जिम्मेदारियों के साथ उनके शमन की योजना बनाई जा सके।

- कार्यनीति युक्त निर्णय लेने में सुधार।
- व्यावसायिक निष्पादन में सुधार।
- प्रचालन में आश्चर्यजनक स्थिति एवं हानि को कम करना।
- पूंजी के नियोजन में सुधार।
- अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के घटकों के रूप में एकीकृत जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण के लिए एक ठोस आधार प्रदान करना।

जोखिमों की पहचान की जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है तथा समय-समय पर निवारण योजनाओं की समीक्षा और अनुवीक्षण भी किया जाता है।

25.0 विसल ब्लोअर नीति

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक "विसल ब्लोअर पॉलिसी" लागू की है, ताकि वे प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता और नैतिकता के उल्लंघन मामलों की रिपोर्ट कर सकें। इसके लिए व्यावसायिक प्रवृत्ति, ईमानदारी, निष्ठा एवं नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाया जाना चाहिए। वर्ष के दौरान ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जो नीति के दायरे में आती हो। विसल ब्लोअर पॉलिसी आपकी कंपनी की वेबसाइट <http://www-kamarajarport-in/upload/uploadfiles/files/blower-pdf> पर लगाया गया है।

26.0 नामांकन और पारिश्रमिक नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के क्रम में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने निदेशकों की नियुक्ति, निदेशकों के पारिश्रमिक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों सहित अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर नीति तैयार किया गया है। नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति वेबलंक https://kamarajarport-in/upload/uploadfiles/files/Nomination_RemunerationPolicy-pdf में उपलब्ध है।

27.0 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन कर रही है तथा आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुपालन की देखरेख के लिए एक लोक सूचना अधिकारी एवं एक अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुसार प्रदान की जाने वाली आवश्यक जानकारी कंपनी की वेबसाइट www-kamarajarport-in पर पोस्ट की गई है। वर्ष के दौरान प्राप्त 49

आवेदन एवं एक अपील का निपटान निर्धारित समय में किया गया।

28.0 सूचना प्रौद्योगिकी

आपकी कंपनी हमेशा बेहतर व्यावसायिक प्रक्रिया प्रबंधन एवं व्यवसाय को मूल्य प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने में सबसे आगे रही है। आपकी कंपनी ने आईटी सिस्टम तथा आईटी सक्षम सेवाओं द्वारा सभी व्यावसायिक प्रक्रियाएं एवं सेवा वितरण पूरा करने के लिए कई आईटी पहल से भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल परिवर्तन को साकार रूप दिया है। वर्ष के दौरान एसएपी प्रचालनों का 99.5% से अधिक अपटाइम बनाए रखा।

एसएपी प्रमाणित नो कोड/लो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म (मेंडिक्स) में पीओएस और बिजनेस इंटरफेस पोर्टल विकसित किया गया है। पीओएस मूल रूप से पोर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली संपूर्ण समुद्री और कार्गो परिचालन गतिविधियों की योजना, रिकॉर्डिंग एवं अनुवीक्षण के लिए एक आंतरिक एप्लिकेशन है। बिजनेस इंटरफेस पोर्टल ग्राहकों के लिए करबीजक, लेखांकन सारांश, गेट-इन/गेट-आउट एप्लिकेशन तक पहुंचने, सेवा की गुणवत्ता पर फीडबैक देने आदि के लिए एक इंटरफेस का कार्य करता है। पोत परिवहन एजेंट, पोत परिवहन लाइन्स, सीमाशुल्क ब्रोकर्स आदि जैसे विभिन्न पणधिरियों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए पीओएस को सागर-सेतु (एनएलपी-एम) सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है। प्रक्रिया में पारदर्शिता और पणधिरियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन सतर्कता शिकायत प्रबंधन पोर्टल भी विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

आपकी कंपनी निम्नानुसार योजना बना रही है

- 'राइज़ विथ एसएपी' प्लैटफॉर्म अपनाने तथा संपूर्ण एसएपी व्यवस्था को निजी क्लाउड में मूव करने।
- सीसीटीवी और वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, विद्युत वितरण प्रणाली एवं स्मार्ट स्ट्रीट लाइट की निगरानी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण प्रणाली, फायर स्टेशन तथा अन्य उपयोगिताओं, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, एकीकृत जीआईएस समाधान आदि के साथ एकीकरण कवर करने वाले एक एकीकृत पोर्ट कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित करना, जिससे कि पोर्ट परिसर के समग्र प्रशासन, अनुवीक्षण और निरीक्षण में सुधार हो।

29.0 राजभाषा का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति का प्रचार एवं कार्यान्वयन करने के लिए :

- पोर्ट के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में हर तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक की जाती है।
- सभी नियम/विनियमन/मैन्युअल/प्रपत्रों को द्विभाषी किया जाता है।
- सभी रबड़ की मुहरें, साइन बोर्ड, मुहर, पत्रशीर्ष, नाम पट्ट, वाहनों पर कार्यालयी विवरण, पहचान पत्र, आदि द्विभाषी किया जाता है।
- संकल्पों को द्विभाषी किया जाता है।
- राजभाषा के प्रगामी प्रयोग का विस्तृत प्रचार करने के लिए हर तिमाही हिंदी कार्यशालाएं की जाती हैं।

पोर्ट ने दिनांक 16.09.2023 से 27.09.2023 की अवधि में पूरे पक्ष के लिए हिंदी दिवस मनाया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन तथा पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। एक अभिनव उपाय के रूप में, परिवार के सदस्यों को निबंध लेखन एवं पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया, परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया।



पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता

27 सितंबर 2023 को "हिंदी दिवस" के आयोजन के साथ हिंदी पक्ष समारोह समाप्त हुआ। हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नै के हिंदी विभाग की प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉ. चिद्दी अन्नपूर्णा मुख्य अतिथि थीं। नवंबर

2023 के दौरान आयोजित हिंदी परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया।



केपीएल के अध्यक्ष ने डॉ. विट्ठी अन्नपूर्णा को सम्मानित किया

30.0 वर्ष के दौरान तथा रिपोर्ट की तारीख तक नियुक्त अथवा इस्तीफा देने वाले / सेवामुक्त निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण

30.1 निदेशक

वर्ष के दौरान, सदस्यों ने निदेशकों की निम्नलिखित नियुक्ति तथा पुनर्नियुक्ति को संस्वीकृति प्रदान दी:

- श्रीमती जे.पी. आइरीन सिंथिया, आई.ए.एस. (डिन: 08839241) की 21 अगस्त 2023 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति।
- श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस., (डिन: 09634577) की दिनांक 27 अप्रैल 2023 से कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति।
- कैप्टन अनूप कुमार शर्मा (डिन: 03531392) तथा श्रीमती सरला बालगोपाल (डिन: 01572718) की दिनांक 10 नवंबर 2023 से तीन साल तक की लगातार दूसरी अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति।

बोर्ड की राय में, कैप्टन अनूप कुमार शर्मा एवं श्रीमती सरला बालगोपाल ईमानदार व्यक्ति हैं तथा उनमें संबंधित विशेषज्ञता, अनुभव और अपेक्षित विशेषज्ञता है।

वर्ष के दौरान श्री एस. बालाजी अरुणकुमार आई.आर.टी.एस. (डिन: 07526368) दिनांक 27 अप्रैल, 2023 से चेन्नैपोर्ट प्राधिकरण के नामित निदेशक नहीं रहेंगे।

30.2 प्रमुख प्रबंध कार्मिक

कंपनी अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसरण में 31 मार्च 2024 से श्रीमती जे.पी. आइरीन सिंथिया, आई.ए.एस., प्रबंध निदेशक, श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, कंपनी सचिव

तथा श्रीमती कविता सात्वी, मुख्य वित्तीय अधिकारी को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं। श्रीमती कविता सात्वी का दिनांक 14.8.2023 से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्री सी.एस. वेमन्ना दिनांक 14.8.2023 से सीएफओ (आई.ए.एस.) के रूप में उनकी नियुक्ति समाप्त की जाती है।

21 अगस्त 2023 से श्रीमती जे.पी. आइरीन सिंथिया, आई.ए.एस. (डिन: 08839241) की प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस. (डिन: 01310101) प्रबंध निदेशक (प्रभारी) नहीं रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी) बने रहेंगे।

30.3 निदेशकों की रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसरण में श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस., (डिन: 09634577) आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे तथा पात्र होने के कारण वे पुनर्नियुक्ति के लिए खुद प्रस्तुत करते हैं। अन्य आवश्यकताओं के साथ उनका संक्षिप्त बायोडाटा 24वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस / व्याख्यात्मक विवरण में दिया गया है।

30.4 बोर्ड / समितियां एवं उनके गठन की बैठक के विवरण

बोर्ड को बोर्ड स्तरीय समितियों से सहायता प्रदान की जाती है। कंपनी सचिव सभी बोर्ड स्तरीय समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है। बोर्ड/समिति की बैठकों और उनके गठन के विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। समितियों की सभी सिफारिशें बोर्ड द्वारा स्वीकार की गई हैं।

30.5 वार्षिक मूल्यांकन

निदेशकों ने सभी निदेशकों में प्रतिभागिता स्तर तथा पर्याप्त समय देने जैसे प्रावधानों पर मूल्यांकन मानदण्ड प्रश्नावली परिचालित करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के अनुसरण में व्यक्तिगत निदेशकों, समग्र रूप से बोर्ड के निष्पादन, उसकी समितियों के वार्षिक मूल्यांकन किया।

31.0 स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

आपकी कंपनी को वर्ष के दौरान कंपनी के प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है, जिसमें यह पुष्टि की गई है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं), विनियम 2015 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदण्डों को पूरा करते हैं।

32.0 सतर्कता

श्री एस. मुरली कृष्णन, आई.डी.ए.एस., मुख्य सतर्कता अधिकारी, चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण दिनांक 25.04.2022 से आपकी कंपनी के सीवीओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं तथा योजना विभाग के एक प्रबंधक उन्हें सहायता प्रदान करेंगे।

सतर्कता प्रभाग विभागों द्वारा निष्पादित कार्य ठेका संबंधी दस्तावेजों की जांच करता है। संबंधित विभागों को प्रक्रियागत चूक, निविदा मानदंडों से विचलन और ठेके कार्यों में कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई और प्रणाली में सुधार से अवगत कराया जाता है। उचित मामलों में धन की वसूली की भी सलाह दी जाती है।

सीवीसी के दिशा-निर्देश/अधिसूचनाओं को विभागों में परिचालित किया जाता है। सतर्कता प्रभाग, केपीएल के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न की जांच करता है। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से यदि कोई असामान्यताएं हो, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। सतर्कता प्रभाग में लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अध्ययन किया जाता है तथा विभागों को सलाह दी जाती है कि वे जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें।

32.1 सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023

आपकी कंपनी में 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक की अवधि में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसका विषय था "भ्रष्टाचार को न कहें य राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हों"। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की प्रस्तावना के रूप में 3 महीने की अभियान अवधि (16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023) के दौरान निम्नलिखित छह निवारक सतर्कता उपायों को प्रमुख क्षेत्रों के रूप में लिया गया:

1. सार्वजनिक हित प्रकटीकरण तथा मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई संकल्प) के बारे में जागरूकता पैदा करना।
2. क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
3. प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन
4. शिकायत निपटन के लिए आईटी का प्रयोग।
5. परिपत्र / दिशा-निर्देश / मैन्युअल आदि का अद्यतन।
6. दिनांक 30.06.2023 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान

वॉकथॉन रैली का आयोजन किया गया तथा आम जनता को पीआईडीपीआई संकल्प पर पर्चे प्रदान किए गए। आयोजित कार्यशाला में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के डॉ. उपेंद्र वेन्म, आईपीओएस, सीवीओ ने "अनुशासनात्मक कार्यवाही" विषय पर भाषण दिया। पोर्ट कर्मचारियों के लिए आईएमयू चेन्नै में सार्वजनिक खरीद, कार्यालय प्रबंधन प्रणाली एवं प्रक्रियाएं,

पूछताछ अधिकारी/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान अवधि के दौरान चेन्नै के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों को शामिल करते हुए निबंध लेखन प्रतियोगिताएं, पीआईडीपीआई जागरूकता पर नुक्कड़ नाटक जैसी अन्य आउटरीच गतिविधियां भी आयोजित की गईं। चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी एवं केपीएल के अध्यक्ष, श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस. ने 07 नवंबर 2023 को चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी में आयोजित समापन समारोह की अध्यक्षता की और उन्होंने कार्यस्थल में कार्य की नैतिकता, सरल जीवन एवं ईमानदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। केपीएल के प्रबंध निदेशक, श्रीमती जे.पी.आई.सी. सिंथिया, आई.ए.एस. ने ईमानदार व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी एवं केपीएल के सीवीओ, श्री एस. मुरली कृष्णन, आई.डी.ए.एस., ने सतर्कता के निवारक उपाय के पहलुओं पर सीवीसी द्वारा किए गए विभिन्न पहल तथा सार्वजनिक जनता और पणधिरियों के बीच जागरूकता पैदा करने के उपायों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर स्कूल/कॉलेज के छात्रों, पोर्ट कर्मचारियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए।

भ्रष्टाचार संबंधी मामलों पर शिकायतें प्राप्त करने/दर्ज करने के लिए एक समर्पित "ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल" का विकास किया गया है। आपकी कंपनी व्यय विभाग द्वारा जारी खरीद मैन्युअल के अनुसरण में कंपनी का मौजूदा निविदा एवं कार्य मैन्युअल को अद्यतन करने की प्रक्रिया में लीन है।



वॉकथॉन रैली



वीएडव्यू - 2023 समापन समारोह

32.2 सत्यनिष्ठा संधि को अपनाना

केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता प्रशासन एवं अधीक्षण के एक भाग के रूप में सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों के लेन-देन में ईमानदारी, पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है। चूंकि, सार्वजनिक खरीद चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र है, इसलिए उचित प्रणालियाँ स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

सत्यनिष्ठा संधि अपनाने के लिए आयोग की सिफारिश के अनुसार आपके बोर्ड ने दिनांक 21.02.2015 को आयोजित बोर्ड की बैठक में प्रमुख क्रय संबंधी सत्यनिष्ठा संधि को संस्वीकृति दी है। सत्यनिष्ठा संधि के अंतर्गत आने वाले ठेके/खरीद के लिए सीमा मूल्य 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक है।

सत्यनिष्ठा संधि कार्यान्वित करने के लिए दो आईईएम के विवरण निम्नानुसार हैं:

- 1) श्री वीरेन्द्र नारायण गौर, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)
- 2) श्री अश्विनी कुमार, पूर्व सीएमडी, देना बैंक

सत्यनिष्ठा संधि, ठेके के सभी चरणों को कवर करती है, अर्थात् निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के चरण से लेकर ठेके के समापन तक सभी विभागों को सलाह दी गई कि वे एक करोड़ रुपये तथा उससे अधिक परियोजना मूल्य वाले कार्यों/क्रय के लिए निविदा दस्तावेजों में सत्यनिष्ठा संधि खंड को शामिल करें।

32.3 आईईएम की पुनरीक्षण बैठक:

सीवीसी के एसओपी के अनुसार, आपकी कंपनी के पणधिरियों को आमंत्रित करते हुए हर तिमाही में समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। पुनरीक्षण वर्ष के दौरान ठेकेदारों/विक्रेताओं/परामर्शदाताओं, यदि कोई हों, उनके द्वारा आईईएम के दायरे में उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए दिनांक 07.07.2023, 17.11.2023, 02.02.2024 और 12.06.2024 को 4 आईईएम की समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

33.0 वर्ष के दौरान उन कंपनियों के नाम जो इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बन गई हैं या नहीं रहीं

वर्ष के दौरान कोई भी कंपनी इसकी सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं बनी है या नहीं रहीं।

34.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

आपके निदेशकों का कहना है कि :-

- (ए) वार्षिक लेखांकन तैयार करने, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया तथा भौतिक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया।

- (बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

- (सी) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई;

- (डी) निदेशकों ने वार्षिक खाते को चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किया;

- (ई) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जानेवाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किया तथा यह कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

- (एफ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की तथा ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

35.0 कंपनी अधिनियम की धारा 197 और कंपनियों (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 की आवश्यकताएं के अनुसार प्रकटन।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अनुसार अपेक्षित विवरण, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित, बोर्ड की रिपोर्ट का भाग है तथा इस रिपोर्ट के साथ संलग्नक-II के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

36.0 लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ने 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी की लेखा पुस्तकियों के लेखा-परीक्षण हेतु मेसर्स जसमिंदर सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

36.1 सांविधिक लेखा-परीक्षण रिपोर्ट

कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक, मेसर्स जसमिंदर सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की लेखाओं पर एक अयोग्य रिपोर्ट दी है। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों पर प्रकाश तथा

वित्तीय विवरण पर नोट्स स्व-व्याख्यात्मक हैं और किसी भी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

36.2 भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के खातों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ और उस पर प्रबंधन के उत्तर बोर्ड की रिपोर्ट के संलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और वे इस रिपोर्ट के एक भाग हैं। कंपनी ने प्रबंधन के उत्तर महानिदेशक (वाणिज्यिक-1), सीएजी, नई दिल्ली को भी भेजा है, जिसमें टिप्पणियों को वापस लेने और शून्य प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।

37.0 सचिवीय परीक्षण

मेसर्स एस.धनपाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी का सचिवीय परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया। सचिवीय परीक्षक ने एक अयोग्य रिपोर्ट दी है तथा रिपोर्ट संलग्नक-III के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

38.0 विनियामकों अथवा न्यायालयों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश

विनियामकों अथवा न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण एवं तथ्यात्मक आदेश पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में कंपनी की चालू स्थिति एवं संचालन को प्रभावित करता हो।

39.0 वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और धारा 134(3)(ए) के अनुसरण में वार्षिक रिटर्न निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध किया गया है: <http://www.kamarajarport-in/content/innerpage/annual&return-php>

40.0 डिबेंचर ट्रस्टी

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान जारी कर मुक्त बॉण्ड के लिए मेसर्स एसबीआईसीएपी ट्रस्टीज कंपनी लिमिटेड तथा मेसर्स कैटालिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (जिसे पहले जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया। डिबेंचर ट्रस्टियों के संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:-

डिबेंचर ट्रस्टी	
एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, मिस्त्री भवन, चौथी मंजिल, 122, दिनशो वक्त्रा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020, फोन : 022 - 43025500 फ़ैक्स : 022 - 43025500	कैटालिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड, जीडीए हाउस, प्लॉट नंबर 85, भुसारी कॉलोनी (दाएं), पौड रोड, कोथरुड, पुणे - 411 038 फोन : 020 - 66807200 फ़ैक्स : 020 - 25280275

41.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसरण में ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय के संबंध में जानकारी इस रिपोर्ट के संलग्नक-IV में प्रस्तुत है।

42.0 कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट शासन पर एक स्वैच्छिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के संलग्नक -V में प्रस्तुत है।

42.1 सचिवीय मानक

आपकी कंपनी ने निदेशक मंडल की बैठकों पर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों (एसएस-1) तथा सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस-2) का अनुपालन किया है।

43.0 लागत रिकॉर्ड

केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।

44.0 आभार

आपके निदेशकगण, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, तथा चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं तथा टैन्जेडको/टीएनईबी, एनटीईसीएल, आईओसीएल, टीएनपीसीबी, तमिलनाडु सरकार और भारत सरकार, विशेष रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय पत्तन संघ, वित्त मंत्रालय और भारतीय रेलवे/दक्षिणी रेलवे से प्राप्त सहयोग की सराहना करते हैं।

आपके निदेशकगण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों एवं सचिवीय लेखा परीक्षक से प्राप्त निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। अंत में, आपके निदेशकगण, पोर्ट उपयोगकर्ताओं, बीओटी रियायतग्राहियों, ठेकेदारों और बैंकों को उनके निरंतर समर्थन और सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं तथा वर्ष के दौरान कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए निरंतर उत्कृष्ट कार्य की सराहना करना चाहते हैं।

निदेशक बोर्ड के लिए तथा उनकी तरफ से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/-
सुनील पातीवाल, आई.ए.एस,
अध्यक्ष
(डिन: 01310101)

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 12.08.2024

वित्तीय वर्ष 2023-24 के सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट
(कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में)

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के सीएसआर प्रावधानों के अनुरूप सतत आधार पर पारिस्थितिकी मुद्दों के साथ समझौता किए बिना समाज/समुदाय के बुनियादी ढांचे/जीवन की गुणवत्ता में सुधार के पहल का समर्थन करते हुए समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने का निरंतर प्रयास करती है।

आपका पोर्ट, एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट पोर्ट के रूप में निम्नांकित प्रयास करता है

- सामाजिक तथा पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देनवाले वस्तुओं एवं सेवाओं के सृजन हेतु हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और उनका लाभ उठाना।
- राष्ट्रीय विकास एजेंडा में शामिल सीएसआर परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मुख्य उद्देश्य वंचित लोग, वंचित लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना तथा सीएसआर नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नीति निर्देशों के अनुरूप सुरक्षित पेयजल, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालयों का प्रावधान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा शिक्षा आदि शुरू करना।

2. सीएसआर समिति का गठन (दिनांक 31.03.2024 तक):

क्र.सं.	निदेशक का नाम पदनाम	निदेशक पद की प्रवृत्ति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री सुनील पालीवाल	अध्यक्ष केपीएल एवं सीएसआर समिति के अध्यक्ष	5	5
2	श्रीमती जे. पी. आईरीन सिंथिया	प्रबंध निदेशक, केपीएल तथा सीएसआर समिति की सदस्य	2	2
3	श्री एस. विश्वनाथन	नामिती निदेशक तथा सीएसआर समिति के सदस्य	5	4
4	श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	गैर कार्यालयी स्वतंत्र निदेशक एवं सीएसआर समिति के सदस्य	5	5
5	कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	गैर कार्यालयी स्वतंत्र निदेशक एवं सीएसआर समिति के सदस्य	2	2

3. वह वेब-लिंक प्रदान करें जिसमें सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हों:

सीएसआर समिति के गठन का लिंक: <http://www.kamarajarport.in/content/innerpage/board.level.committee.php>

सीएसआर नीति लिंक: https://kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/csr_Policy.Revised.26072021.pdf

सीएसआर परियोजनाओं लिंक: <https://kamarajarport.in/content/innerpage/corporate.social.responsibility.csr.php>

4. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में कृत सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब-लिंक सहित कार्यकारी सारांश प्रदान करें: लागू नहीं
5. (ए) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: रु. 47060.38 लाख
(बी) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसरण में कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत:
रु. 9,41,20,760/-
(सी) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधि से उत्पन्न अधिशेष: कोई नहीं
(डी) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: रु. 1,30,05,780/-
(इ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(बी)(सी)-(डी)]: रु. 8,11,14,980*/-
- फुट नोट:* तथापि कंपनी का कुल सीएसआर दायित्व रु.8,11,14,980/- है, कंपनी बोर्ड ने रु.9,65,79,906/- मूल्य के सीएसआर पहलों को संस्वीकृति दी है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर दायित्व से रु.1,54,64,926/- अधिक है।
6. (ए) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (चालू परियोजना तथा चालू परियोजना के अलावा दोनों) : रु. 4,55,03,070.00/- (आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी छोड़कर)
(बी) प्रशासनिक उपरिव्यय के लिए व्ययित रकम: कोई नहीं
(सी) प्रभाव मूल्यांकन पर व्ययित रकम, यदि कोई लागू हो तो : कोई नहीं
(डी) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल रकम [(ए)(बी)(सी)] : रु. 4,55,03,070.00/- (आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी छोड़कर)
(इ) वित्तीय वर्ष में व्ययित एवं अप्रयुक्त सीएसआर रकम:

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल रकम (रुपयों में)	अप्रयुक्त रकम (रुपयों में)				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल रकम		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित रकम		
	रकम	हस्तांतरण की तारीख	निधि का नाम	रकम	रकमहस्तांतरण की तारीख
4,55,03,070/-	5,10,79,560/-*	29.04.2024	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* कंपनी ने अप्रयुक्त सीएसआर खाते में 5,10,79,560/- रुपए जमा किया है, क्योंकि कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर पहलों का कुल मूल्य रु.9,65,79,906/- है (अर्थात् सीएसआर दायित्व रु.8,11,14,980/- से रु.1,54,64,926/- अधिक है)

(एफ) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्रम	विवरण	रकम (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	9,41,20,760/-
(ii)	वित्तीय वर्ष में व्ययित कुल रकम	4,55,03,070/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अतिरिक्त रकम [(ii)-(i)]	0*
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	0

* तथापि, कंपनी बोर्ड ने सीएसआर दायित्व रु.8,11,14,980/- से अधिक रु.1,54,64,926/- की परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की है।

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के विवरण :

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तान्तरित रकम (रुपयों में)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष रकम (रुपयों में)	वित्तीय वर्ष में व्ययित रकम (रुपयों में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित रकम, यदि कोई हो	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपयों में)	अभाव यदि कोई हो तो
					रकम (रुपयों में)	हस्तांतरण की तारीख	
1	वित्तीय वर्ष-2020 - 21	2,83,37,640/-*	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0
2	FY-2021 - 22	1,49,70,952/-	15,134/-	15,134/-	लागू नहीं	लागू नहीं	0
3	वित्तीय वर्ष-2022 - 23	3,88,19,827/-	3,88,19,827/-	3,00,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	88,19,827/-

*वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक हस्तांतरित संपूर्ण रकम का पूर्ण उपयोग किया गया है।

8. क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है वित्तीय वर्ष में व्ययित रकम: नहीं

यदि हां तो सृजित/प्राप्त पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या प्रविष्ट करें : लागू नहीं

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा इस प्रकार सृजित या अर्जित ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें तथा वित्तीय वर्ष में व्यय की गई रकम का विवरण प्रस्तुत करें : लागू नहीं

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता सीन सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का पिनकोड	सृजन की तारीख	व्ययित सीएसआर की रकम	पंजीकृत स्वामी की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी के विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो
					नाम
					पंजीकृत पता
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9. कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं। :

लागू नहीं, क्योंकि धनराशि को चालू परियोजनाओं के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया गया है।

ह/- श्रीमती जे. पी. आईरीन सिथिया, आई.ए.एस. (प्रबंध निदेशक)	ह/- श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस. (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)
--	--

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत सूचना, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित

1. वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक का प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात :

टिप्पण 1 & 2 देखें

2. वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी सचिव या प्रबंधक, यदि कोई हो, के पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि:

क्र सं	नाम	प्रतिशत
1	श्री सुनील पालीवाल – अध्यक्ष	टिप्पण 1 देखें
2	श्रीमती जे. पी. आईरीन सिंधिया – प्रबंध निदेशक (दिनांक 21.8.2023 से प्रभावी)	टिप्पण 2 देखें
3	श्री सी. एस. वेमन्ना, सीएफओ (13.8.2023 तक)	टिप्पण 2 देखें
4	श्रीमती कविता सात्वो, जीएम (वित्त) एवं सीएफओ (दिनांक 14.08.2023 से प्रभावी)	टिप्पण 2 देखें
5	श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, सीएस	24.88 %

3. वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक में प्रतिशत में बढ़ोतरी:

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	प्रतिशत
औसत पारिश्रमिक	1364422.63	1249356.86	9.21%

4. कंपनी के रोल में स्थायी कर्मचारियों की संख्या:

31 मार्च 2024 तक कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 96 है।

5. पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन में अब तक की गई औसत प्रतिशत वृद्धि तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि के साथ इसकी तुलना एवं उसके औचित्य तथा यह बताएं कि क्या प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां हैं या नहीं।

कंपनी की नीति के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों के मूल वेतन में 3% की वार्षिक वृद्धि की जाती है। महंगाई भत्ते में सरकारी नियमों के अनुसरण में वृद्धि की जाती है। इसके अलावा, संबंधित वर्ष के दौरान कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर लागू नियमों के अनुसार प्रदर्शन संबंधी भुगतान सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान किया जाता है।

6. पुष्टीकरण करें कि पारिश्रमिक, कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है।

कंपनी के सभी कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक नीति के अनुसार है।

7. कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए विवरण प्रकट किया जाना अपेक्षित है।

किसी भी कर्मचारी ने निर्धारित सीमा से अधिक कमाई नहीं प्राप्त की।

टिप्पण 1: श्री सुनील पालीवाल ने वेन्यू पोर्ट ट्रस्ट (अब वेन्यू पोर्ट प्राधिकरण) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्हें दिनांक 10.11.2021 से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। परिणामस्वरूप, अनुपात प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

टिप्पण 2: चूंकि, इन केएमपी का पारिश्रमिक वर्ष के केवल एक भाग के लिए होता है, फलस्वरूप प्रतिशत वृद्धि निर्धारित नहीं की जा सकती।

दिनांक 31.03.2024 तक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले शीर्ष दस कर्मचारी

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	प्राप्त पारिश्रमिक (रुपयों में)	योग्यता एवं अनुभव	रोजगार प्रारंभ करने की तारीख	उम्र	पिछले रोजगार के विवरण
1	श्री एस.पी. देसिकामणि, मुख्य प्रबंधक (डॉक मास्टर)	45,23,452/-	बी.एससी/मास्टर एफजी के साथ 31 वर्ष का अनुभव	27-04-2018	53	वेस्ट एशिया मेरिटाइम लिमिटेड
2	श्री जी. एम. बालन, मुख्य प्रबंधक (एमएस)	42,72,738/-	बी.एससीफिजिक्स एवं मास्टर एफजी के साथ विभिन्न स्तरों में 28 वर्ष का अनुभव	16-08-2013	51	एलपी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3	श्री सी. एस. वेमन्ना, उप महाप्रबंधक (वित्त)	42,37,144/-	बी.कॉम, एआईसीडब्ल्यूएआई, मात्स्यकी प्रौद्योगिकी एवं पोत परिवहन में डिप्लोमा तथा एमबीए के साथ विभिन्न स्तरों में 32 वर्ष का अनुभव	05-03-2012	56	आईओसीएल
4	श्री सुब्रह्मण्यन मगेश्वरन, मुख्य प्रबंधक (डॉक मास्टर)	38,59,103/-	मास्टर एफजी के साथ 18 वर्ष का अनुभव	02-05-2018	53	वल्लेम शिप मैनेजमेंट
5	श्री ए. करुप्पैया, उप महाप्रबंधक (ट्रेफिक)	37,05,234/-	बी.ई. (सिविल) एवं एम.टेक (समुद्री अभियांत्रिकी) के साथ 26 वर्ष का अनुभव	01-02-2007	57	चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण
6	श्री निर्मोक सिंह पुअर, वरिष्ठ प्रबंधक (पयलट)	36,39,048/-	मास्टर एफजी के साथ 20 वर्ष का अनुभव	01-08-2018	49	हपाग लॉयड प्राइवेट लिमिटेड
7	श्री पी. ओम प्रवेश, वरिष्ठ कार्यकारी सचिव	35,88,197/-	बी.कॉम, एमबीए, पीजीडीएम (पीएम) के साथ 29 वर्ष का अनुभव	25-02-2002	51	केंद्र सरकार, जहाज मंत्रालय
8	श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, कंपनी सचिव	35,16,970/-	ए.सी.एस. बी.लॉ के साथ 30 वर्ष का अनुभव	29-05-2015	59	टेन्नेको ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	श्री सी. उमा शंकर, उप महाप्रबंधक (समुद्री सेवाएं)	34,71,964/-	बी.ई. (यांत्रिकी) & मास्टर एफजी के साथ 31 वर्ष का अनुभव	02-05-2018	56	डीपी वर्ल्ड, चेन्नै कंटेनर टर्मिनल
10	श्री के. कण्णन, मुख्य प्रबंधक, एचएसई	32,41,196/-	बी.ई (सिविल) के साथ 30 वर्ष का अनुभव	01-07-2011	54	अन्दमान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट

नोट:

- रोजगार की प्रवृत्ति रु कंपनी के कर्मचारी
- कोई भी कर्मचारी, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(3)(अपपप) में शामिल नहीं है।
- कोई भी कर्मचारी, कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक का रिश्तेदार नहीं है।
- "पारिश्रमिक" का अर्थ किसी व्यक्ति को उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले दिया गया धन या उसके समतुल्य है तथा इसमें आयकर अधिनियम 1961 के तहत परिभाषित अनुलाभ शामिल हैं।

सुइट नंबर 103, प्रथम तल, कावेरी कॉम्प्लेक्स नंबर 96/104,
नुंगमवाक्कम हाई रोड (नाबार्ड और आईसीआईसीआई बैंक के बगल में), नुंगमवाक्कम, चेन्नै - 600034
फोन नंबर 044-45530256, 4553 0257/4265 2127
ई-मेल: csdhanapal@gmail.com वेबसाइट: www.csdhanapal.com

एस धनपाल एंड एसोसिएट्स एलएलपी

कार्यरत कंपनी सचिव

एलएलपीआईएन - एसीबि 0368

एलएलपी अधिनियम 2008 के तहत सीमित देयता के साथ पंजीकृत

साझेदार

एस. धनपाल, बी.कॉम., बी.ए.बी.एल., एफसी.एस.

एन. रामनाथन, बी. कॉम., एफसी.एस.

स्मिता चिड़ीमार, एम. कॉम., एफ.सी.एस., डीसीजी (आईसीएसआई)

प्रपत्र सं. एमआर-3

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सचिवीय परीक्षण रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्यों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्य,

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

हमने मेसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड (जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय परीक्षण किया है। सचिवीय परीक्षण हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के आधार पर किया गया, इस तरह से कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी रायधसमझ व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक्स, फॉर्म तथा रिटर्न एवं कंपनी द्वारा बनाए गए और हमें उपलब्ध कराए गए अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन और सचिवीय परीक्षण के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारी, एजेंट और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम, उन रिकार्डों और प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय और समझ में, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली परीक्षण अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा अनुवीक्षण के दौरान कंपनी के पास उचित और आवश्यक बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं, जो कि इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए और हमें उपलब्ध कराए गए बहीखातों,

कागजातों, मिनट बुक, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्ड की जांच लागू प्रावधानों के अनुसार की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियम, जहां लागू हों;
- प्रतिभूति ठका (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, लागू सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में।
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश वर्ष के दौरान लागू रहेंगे:-
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015;
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018;

(डी) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(इ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियम, 2021;

(एफ) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (जरी करने की रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993;

(जी) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूचीकरण) विनियम, 2021;

(एच) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018

(vi) पोर्ट प्रबंधन संबंधी अधिनियम, नियम और विनियम, जिन्हें प्रबंधन द्वारा पहचाना गया है तथा हमें सूचित किया गया है।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) तथा आम बैठकों (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक, और
- ii) कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड तथा भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ किया गया लिस्टिंग समझौता।

पुनरीक्षण अवधि के दौरान कंपनी ने अपेक्षित सीमा तक उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के लागू प्रावधानों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमें सूचित किया गया है कि सहयोगी कंपनी, मेसर्स कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड के खातों को कंपनी के साथ समेकित नहीं किया गया है क्योंकि सहयोगी कंपनी में कोई महत्वपूर्ण आय/व्यय नहीं था तथा फॉर्म एओसी 1 में विवरण कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किया जाएगा।

हमें यह सूचित किया गया है कि कंपनी ने, जहां भी आवश्यक हो, वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं कंपनी पर लागू विभिन्न अधिनियमों के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को प्राप्त पत्रों/सूचनाओं के समाधान के लिए उपाय शुरू किया है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि, उपरोक्त के अधीन, संबंधित दस्तावेज जो हमें मिले हैं, वे दर्शाते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है तथा पुनरीक्षण अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, तथा बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली निर्दिष्ट है।

बहुमत से लिए गए निर्णय लागू किए जाते हैं, जबकि असहमत सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, तो कार्यवाही के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की हमारी सीमित पुनरीक्षण के आधार पर, कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन का अनुवीक्षण सुनिश्चित करती हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित विशेष व्यवसाय के लिए अपने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है:

- ए) श्री एस. विश्वनाथन, आईएएस (डीआईएन: 09634577) की कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति
- बी) श्रीमती जे.पी. आइरीन सिंधिया, आईएएस (डीआईएन: 08839241) की कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति
- सी) कैप्टन अनूप कुमार शर्मा (डीआईएन: 03531392) की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति
- डी) श्रीमती सरला बालगोपाल (डीआईएन: 01572718) की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारा परीक्षण केवल उन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की पुष्टि करने के लिए था जो कंपनी द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं तथा हम कंपनी की ओर से उन अनुपालनों में किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन जो अन्य परीक्षण/समीक्षाओं और अधिनियमों,

नियमों और विनियमों के अधीन हैं, जिन्हें प्रबंधन द्वारा पहचाना गया है, हमारे द्वारा स्वतंत्र रूप से परीक्षण नहीं है तथा बोर्ड के समक्ष रखी गई और हमें उपलब्ध कराई गई परीक्षण / अनुपालन रिपोर्ट पर आधारित है तथा उन्हीं के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमने इस रिपोर्ट को जारी करने के उद्देश्य से, कंपनी के अनुरोध तथा सुविधा के अनुसार, जहां भी आवश्यक हो, ऑनलाइन सत्यापन और अभिलेखों की जांच द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा की है।

एस धनपाल एण्ड असोसियेट्स एलएलपी के लिए
(प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव)
(फर्म पंजीकरण सं. L2023TN014200)
एलएलपीआईएन : एसीबी0368

ह/-

रामनाथन नाचियप्पन (नामित भागीदार)
एफसीएस. 6665 सीपी सं. 11084
सहकर्मि समीक्षा प्रमाणपत्र सं.1107/2021
यूडीआईएन : F006665F000954865

स्थान : चेन्नै

दिनांक: 12.08.2024

इस रिपोर्ट को हमारे सम तारीख की गवाही के साथ पढ़ा जाना है जो संलग्नक ए के रूप में प्रस्तुत है तथा इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सेवा में
सदस्यों,
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

लेखापरीक्षण के आधार पर, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन और अभिलेखों के रखरखाव पर राय व्यक्त करें। हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ("आईसीएसआई") द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों सीएसएस 1 से सीएसएस 4 ("सीएसएस") के अनुसरण में लेखा-परीक्षण किया है। इन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षक को वैधानिक तथा विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए और लागू कानूनों के अनुपालन एवं अभिलेखों के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षण की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए।

आंतरिक, वित्तीय और प्रचालन नियंत्रण सहित लेखापरीक्षण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत बयान या भौतिक गैर-अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षण ठीक से योजनाबद्ध हो और सीएसएस के अनुसार निष्पादित किया गया हो। हमारी सम तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करें।

- हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित रूप से लेखापरीक्षण पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, उन्हें सत्यापन परीक्षण के आधार पर परीक्षण किया गया था। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
- हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड, वित्तीय विवरण और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है तथा इसके लिए हमने वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा किया है।
- जहां भी आवश्यक हो, हमने कानून, नियम और विनियम के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
- कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित था।
- सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन देता है, न ही उसकी प्रभावत्मकता अथवा क्षमता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

एस धनपाल एण्ड असोसियेट्स एलएलपी के लिए
(प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव)
(फर्म पंजीकरण सं. L2023TN014200)
एलएलपीआईएन : एसीबी0368

ह/-

रामनाथन नाचियप्पन (नामित भागीदार)
एफसीएस. 6665 सीपी सं. 11084
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 1107/2021
यूडीआईएन : F006665F000954865

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 12.08.2024

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के अंतर्गत सूचना

ए) ऊर्जा संरक्षण:

(i) ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव :

विद्युत ऊर्जा के प्रभावी उपयोग हेतु मेसर्स ग्रीनसर्व इनर्जी द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षण किया गया तथा जून-2020 के दौरान परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई। लेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण उपायों की संस्तुति दी गई।

- जवाहर भवन के पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय की दूसरी एवं तीसरी मंजिल पर फॉल्स छत के अंदर एयर कंडीशनर डक्ट लीकेज को रोकना।
- शौचालय और बोर्ड रूम में ऑक्ज्यूपेन्सी संवेदी लगाना तथा अध्यक्ष कॉरिडोर और अन्य पैदल मार्गों में मोशन संवेदी लगाना, ताकि प्रकाश व्यवस्था प्रचालन प्रभावात्मकता में सुधार हो सके।
- सिग्नल स्टेशन में अतिरिक्त 40 किलोवाट के नए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना तथा मौजूदा भण्डारण प्रणाली का नवीनीकरण।
- वितरण घाटे को कम करने के लिए सिग्नल स्टेशन के पास नया सबस्टेशन स्थापित करना।

संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:

- ए) सितंबर 2020 के दौरान जवाहर भवन के पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय की दूसरी एवं तीसरी मंजिल में फॉल्स छत के अंदर एयर कंडीशनर डक्ट लीकेज रोका गया।
- बी) एकल स्टेशन पर स्थापित 20 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की मौजूदा भण्डारण प्रणाली का अक्टूबर-2022 के दौरान रु.5,90,360/- की लागत से नवीनीकृत किया गया है।
- सी) सिग्नल स्टेशन के पास नए 11 केवी/433 वी सबस्टेशन की स्थापना के लिए मेसर्स केविन इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई को रु.3.97 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया तथा यह काम लगभग पूरा होने वाला है।
- डी) प्रकाश व्यवस्था प्रचालन की प्रभावात्मकता में सुधार के लिए शौचालय और बोर्ड रूम में ऑक्ज्यूपेन्सी संवेदी तथा अध्यक्ष कॉरिडोर और अन्य पैदल मार्गों के मार्ग में मोशन संवेदी लगाने पर विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसके कार्यान्वयन की लागत की तुलना में काफी मात्रा में ऊर्जा की बचत नहीं हो पाएगी।

प्रभाव

- कार्बन फुटप्रिंट कम करना
- काफी हद तक उपयोगकर्ता बिल कम करना
- पर्यावरण की सुरक्षा करना
- ऊर्जा सक्षम
- जीवाष्म ईंधन के अस्तित्व को बढ़ाना
- वितरण में होनेवाली हानि कम करना

(ii) वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

वर्ष 2023-2024 की अवधि में डीजल जनरेटर द्वारा उत्पादित लगभग 39180 किलोवाट घंटा (यूनिट) बिजली और सौर ऊर्जा द्वारा उत्पादित लगभग 3,98,361 किलोवाट घंटा (यूनिट) बिजली का उपयोग किया गया है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश :

कोई नहीं।

बी) प्रौद्योगिकी अपनाना:

प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में किए गए प्रयास :

(i) एसएपी ईआरपी व्यवस्था

बजट, लेखा और वित्त, मानव संसाधन और पेट्रोल, सामग्री प्रबंधन, परियोजना प्रणाली आदि जैसे विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों को कवर करने वाली एसएपी एस/4 एचएएनए 1610 ईआरपी प्रणाली को नवंबर 2017 की अवधि में सफलतापूर्वक लागू किया गया था तथा बाद में वित्त वर्ष 2021-22 में एसएपी एस/4 एचएएनए 2020 में अपग्रेड किया गया। इससे न केवल आईटी उपयोग एवं समग्र उत्पादकता में वृद्धि हुई है, बल्कि ग्राहक सेवाओं, सेवा स्तर की प्रतिबद्धताओं, इष्टतम स्तर पर संसाधनों के उपयोग आदि में भी वृद्धि हुई है।

आपकी कंपनी ने वेब और मोबाइल अनुप्रयोगों के विकास के लिए एसएपी प्रमाणित नो कोड/लो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म (मेंडिक्स) को भी सफलतापूर्वक लागू किया है।

(ii) प्राप्त लाभ

मानव संसाधन/पैरोल, वित्त एवं लेखा, क्रय एवं अनुबंध और परियोजना प्रणाली (डब्ल्यूबीएस), कर्मचारी अनुरोध/दावा और ऋण प्रक्रियाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाएं और कार्यात्मकताएं कर्मचारी स्व-सेवा (ईएसएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर दी गई हैं, परिणामस्वरूप लेन-देन संबंधी दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जिससे लागत में कमी आई है।

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)

ए) आयातित प्रौद्योगिकी के विवरण: लागू नहीं

बी) आयात का वर्ष : लागू नहीं

सी) क्या प्रौद्योगिकी पूर्ण रूप से अपनाई गई है : लागू नहीं

डी) यदि पूर्ण रूप से नहीं अपनाई गई है, वे क्षेत्र जहां नहीं अपनाया गया और उसके कारण : लागू नहीं

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय : रु.28.88 लाख

सी) विदेशी विनिमय से प्राप्ति तथा व्यय:

विदेशी मुद्रा से आय शून्य है तथा विदेशी मुद्रा बहिर्वाह 0.63 लाख रुपये है.

बोर्ड के निदेशकों के लिए तथा उनकी तरफ से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,

अध्यक्ष

(डिन: 01310101)

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 12.08.2024

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1.0 शासन संहिता पर कंपनी की धारणा पर संक्षिप्त वक्तव्य

आपकी कंपनी का मानना है कि कॉर्पोरेट प्रशासन की प्रथाएँ ही एक मजबूत कंपनी का रूप देने की एकमात्र दिशा है। इसलिए, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट स्वैच्छिक रूप से प्रदान

की जा रही है। आपकी कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों, आपूर्तिकर्ताओं, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, निवेशकों, नियामकों तथा बड़े पैमाने पर समुदाय सहित सभी पक्षों के लिए नैतिक संचालन और निष्पक्षता की गारंटी देती हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते समय आपकी कंपनी पणधिरियों के हितों को ध्यान में रखती है।

2.0 निदेशक बोर्ड

2.1 31.03.2024 तक निदेशक बोर्ड का गठन एवं वर्गीकरण

क्र.सं.	नाम	श्रेणी
1.	श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.	अध्यक्ष
2.	श्रीमती जे. पी. आईरीन सिंथिया, आई.ए.एस.	प्रबंध निदेशक
3.	श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस.	नामिती निदेशक
4.	श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव, एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)	स्वतंत्र निदेशक
5.	कैप्टन अनूपकुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक
6.	श्रीमती सरला बालगोपाल, आई.आर.टी.एस. (सेवानिवृत्त)	स्वतंत्र निदेशक

वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में तथा इस रिपोर्ट की तारीख तक निदेशक मंडल का गठन और श्रेणी :

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	समाप्ति की तारीख
1.	श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.	अध्यक्ष (गैर कार्यकारी)	10.11.2021	जारी हैं
		प्रबंध निदेशक (प्रभारी)	10.11.2021	21.08.2023
2.	श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया आई.ए.एस.*	प्रबंध निदेशक	21.08.2023	जारी हैं
3.	श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस.*	नामिती निदेशक	27.04.2023	जारी हैं
4.	श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव, एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)	स्वतंत्र निदेशक	06.11.2022 (Second term)	जारी हैं
5.	कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	10.11.2023 (दूसरी अवधि)	जारी हैं
6.	श्रीमती सरला बालगोपाल, आई.आर.टी.एस. (सेवानिवृत्त)	स्वतंत्र निदेशक	10.11.2023 (दूसरी अवधि)	जारी हैं

* श्रीमती जे. पी. आईरीन सिंथिया, आई.ए.एस., श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस की पत्नी हैं।

2.2 बैठक की तारीख के साथ आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या:

वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में बोर्ड की 10 (दस) बैठकें आयोजित की गईं तथा बैठक 05.05.2023, 24.05.2023, 26.06.2023, 24.07.2023, 14.08.2023, 22.09.2023, 08.11.2023, 11.01.2024, 14.02.2024, एवं 23.03.2024 तारीखों को आयोजित किए गए।

2.3 वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति

कंपनी/समिति को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/विवरण के अनुसार सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (केपीएल सहित)

का लेखा-परीक्षण समिति (एसी) तथा हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) की अध्यक्षता/सदस्यता के साथ प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	निदेशक का पदनाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 में संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	उपस्थित बोर्ड बैठक की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति	31 मार्च 2024 तक अन्य निदेशक पद	सभी कंपनियों में समितियों की संख्या	
						31 मार्च 2024 तक सदस्य के रूप में	31 मार्च 2024 तक अध्यक्ष के रूप में
श्री सुनील पालीवाल	अध्यक्ष	10	10	जी हां	2	एसी-केपीएल एसआरसी-केपीएल एसी-एससीएल	कोई नहीं
श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया	प्रबंध निदेशक	5	5	जी हां	4	एसी-केपीएल एसआरसी-केपीएल	कोई नहीं
श्री एस. विश्वनाथन	नामिति निदेशक	10	9	जी हां	2	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव	स्वतंत्र निदेशक	10	10	जी हां	1	कोई नहीं	एसी-केपीएल
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा*	स्वतंत्र निदेशक	10	10	जी हां	1	एसी-केपीएल	कोई नहीं
श्रीमती सरला बालगोपाल*	स्वतंत्र निदेशक	10	10	जी हां	कोई नहीं	एसी-केपीएल	एसआरसी-केपीएल

टिप्पण : केपीएल - कामराजर पोर्ट लिमिटेड, एससीएल - सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

*29 सितंबर, 2023 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में दिनांक 10.11.2023 प्रभावी तीन साल तक की एक और अवधि के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनरु नियुक्ति

3.0 लेखा-परीक्षण समिति

लेखा-परीक्षण समिति की भूमिका, संदर्भ की शर्तें, संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में है। वित्त प्रमुख, आंतरिक लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक और विभिन्न कार्यों से वरिष्ठ अधिकारियों को लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए लेखा-परीक्षण समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया। लेखा-परीक्षण समिति के सदस्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, लेखा-परीक्षण प्रक्रिया, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा कानूनों और विनियमों के अनुपालन का सख्त अनुवीक्षण करते हैं।

ए. लेखा-परीक्षण समिति का गठन

दिनांक 31.03.2024 तक कंपनी की लेखा-परीक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे

श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव	— अध्यक्ष
श्री सुनील पालीवाल	— सदस्य
श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया	— सदस्य

कैप्टन अनूप कुमार शर्मा — सदस्य

श्रीमती सरला बालगोपाल — सदस्य

दिनांक 22.9.2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया, आई.ए.एस., प्रबंध निदेशक को लेखा-परीक्षण समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

बी. वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति:

वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 24.05.2023, 26.06.2023, 14.08.2023, 22.09.2023, 08.11.2023 और 14.02.2024 को 6 (छह) लेखा-परीक्षण समिति की बैठकें आयोजित की गईं तथा सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

सदस्य	कार्यावधि में आयोजित बैठकों की संख्या	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव	6	6	100
श्री सुनील पालीवाल	6	6	100
श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया	2	2	100
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	6	6	100
श्रीमती सरला बालगोपाल	6	6	100

4.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका में यह सुनिश्चित करती है कि संदर्भ की शर्तें तथा गठन, कंपनी अधिनियम, 2013 एवं अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में है तथा समिति निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के संबंध में बोर्ड को सिफारिश प्रदान करती है।

ए. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन

दिनांक 31.03.2024 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	— अध्यक्ष
श्री सुनील पालीवाल	— सदस्य
श्री एस. विश्वनाथन	— सदस्य
श्रीमती सरला बालगोपाल	— सदस्य

श्री एस. बालाजी अरुणकुमार दिनांक 27.04.2023 से समिति के सदस्य नहीं रहे तथा श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस. को दिनांक 27.04.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया।

बी. वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2023-24 के दौरान, 05.05.2023, 26.06.2023, 24.07.2023, 14.08.2023 और 22.09.2023 तारीखों को 5 (पांच) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकें आयोजित की गईं तथा सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं :

सदस्य	कार्यावधि में आयोजित बैठकों की संख्या	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	5	5	100
श्री सुनील पालीवाल	5	5	100
श्री एस. विश्वनाथन	5	4	80
श्रीमती सरला बालगोपाल	5	5	100

सी. प्रकार्यात्मक निदेशकों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतानित पारिश्रमिक का विवरण:

निदेशक का नाम	वेतन एवं अन्य भत्ते (रुपयों में)	लाभांश / कमिशन / पीआरपी (रुपयों में)	कुल (रुपयों में)
श्री सुनील पालीवाल (दिनांक 21.8.2023 तक)	कोई नहीं *		
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिंथिया (दिनांक 21.08.2023 से प्रभावी)	20,76,255/-	-	20,76,255/-

* चूंकि, श्री सुनील पालीवाल प्रबंध निदेशक थे (प्रभारी).

5.0 पणधारी संबंध समिति

पणधारी संबंध समिति बॉण्डधारकों की ब्याज न मिलन/बॉण्ड के हस्तांतरण/प्रेषण तथा अन्य विविध शिकायतों से संबंधित शिकायतों/शिकायतों के निवारण पर विचार करती है। श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी हैं। मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, कंपनी का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट हैं तथा वे सभी निवेशक सेवा अनुरोधों पर ध्यान देते हैं। बॉण्डधारकों से प्राप्त शिकायतों की नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जाता है तथा निवारण कार्रवाई तुरंत की जाती है।

ए. पणधारी संबंध समिति का गठन

दिनांक 31.03.2024 तक पणधारी संबंध समिति में निम्नांकित सदस्य थे:

श्रीमती सरला बालगोपाल	— अध्यक्ष
श्री सुनील पालीवाल	— सदस्य
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिंथिया	— सदस्य

दिनांक 22.9.2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में श्रीमती जे.पी. आईरीन सिंथिया, आई.ए.एस., प्रबंध निदेशक को पणधारी संबंध समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

बी. वर्ष के दौरान बैठकें एवं उपस्थिति

वर्ष 2023-24 के दौरान 05.05.2023, 14.08.2023, 08.11.2023 और 14.02.2024 तारीखों को 4 (चार) पणधारी संबंध समिति की बैठकें आयोजित की गईं तथा सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

सदस्य	उपस्थित होने की अर्हता	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्रीमती सरला बालगोपाल	4	4	100
श्री सुनील पालीवाल	4	4	100
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिंथिया	2	2	100

6.0 सीएसआर एवं दीर्घकालिकता विकास पर बोर्ड स्तरीय समिति

समिति की भूमिका, संदर्भ की शर्तों और गठन, कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार है।

श्री पी. राधाकृष्णन, उप महाप्रबंधक (सिविल) ने दिनांक 31.08.2023 को अपनी सेवानिवृत्ति तक समिति के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य किया, जिसके बाद बोर्ड ने दिनांक 22.09.2023 को आयोजित बैठक में श्री ए. करुप्पैया, उप महाप्रबंधक (सिविल) को समिति के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्ति को संस्वीकृति प्रदान की।

ए) सीएसआर एवं स्थिरता विकास पर बोर्ड स्तरीय समिति का गठन

कंपनी की सीएसआर और स्थिरता विकास पर बोर्ड स्तरीय समिति में दिनांक 31.03.2024 तक निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

श्री सुनील पालीवाल	— अध्यक्ष
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिंथिया	— सदस्य
श्री एस. विश्वनाथन	— सदस्य
श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव	— सदस्य
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	— सदस्य

श्री एस. बालाजी अरुणकुमार दिनांक 27.04.2023 से समिति के सदस्य नहीं रहे तथा श्री एस. विश्वनाथन, आई.ए.एस. को दिनांक 27.04.2023 से समिति का सदस्य बनाया गया।

दिनांक 22.9.2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में श्रीमती जे.पी. आईरीन सिंथिया, आई.ए.एस., प्रबंध निदेशक और कैप्टन अनूप कुमार शर्मा, स्वतंत्र निदेशक को सीएसआर तथा स्थिरता विकास पर बोर्ड स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

बी. वर्ष के दौरान बैठकें एवं उपस्थिति

पुनरीक्षण वर्ष के दौरान सीएसआर तथा दीर्घकालिक विकास संबंधी समिति की 5 (पांच) बैठकें 05.05.2023, 26.06.2023, 14.08.2023, 11.01.2024 और 23.03.2024 तारीखों को आयोजित की गईं और सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य	उपस्थित होने की अहंता	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री सुनील पालीवाल	5	5	100
श्रीमती जे. पी. आईरीन सिंथिया	2	2	100
श्री एस. विश्वनाथन	5	4	80
श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव	5	5	100
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	2	2	100

7.0 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसरण में कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों की बैठक 14 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई, जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। उक्त बैठक में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार तालिका में प्रस्तुत की गई है:

सदस्य	उपस्थित होने की अहंता	सदस्यों की उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव	1	1	100
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	1	1	100
श्रीमती सरला बालगोपाल	1	1	100

8.0 सामान्य सभा की बैठक

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक सामान्य सभा की बैठकों की तारीख, समय और स्थान तथा उनमें पारित विशेष प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित विशिष्ट संकल्प
2022-23	29.09.2023	अपराह्न 3.00 बजे	वीडियो कॉन्फरेंसिंग / अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यम (ओएवीएम) द्वारा	—कोई नहीं—
2021-22	28.09.2022	अपराह्न 3.00 बजे	वीडियो कॉन्फरेंसिंग / अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यम (ओएवीएम) द्वारा	—कोई नहीं—
2020-21	24.09.2021	अपराह्न 12.30 बजे	वीडियो कॉन्फरेंसिंग / अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यम (ओएवीएम) द्वारा	—कोई नहीं—

9.0 प्रकटन

- संबंधित पक्ष लेनदेन वार्षिक रिपोर्ट में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का एक भाग बनने वाली टिप्पणों की टिप्पण संख्या 30 (12) में निर्धारित किए गए हैं।
- वैधानिक प्राधिकारियों ने भी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी अधिनियम/नियम के तहत कंपनी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है या जुर्माना नहीं लगाया है।
- आपकी कंपनी में विसल ब्लोअर नीति है तथा कंपनी के किसी भी कर्मचारी को लेखा-परीक्षण समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाता।
- लेखा पुस्तकों में व्यय की कोई भी मद डेबिट नहीं की गई जो व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं थी। इसके अलावा, निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई भी व्यय नहीं किया गया जो व्यक्तिगत प्रकृति का था।
- कंपनी के किसी भी अंशकालिक निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है।
- पुनरीक्षण वर्ष तथा पिछले वर्ष के प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय तथा वित्तीय व्यय का ब्योरा वार्षिक लेखों में उपलब्ध है।
- सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस – आरएसीपीओडीआई/पी/सीआईआर/2023/172 दिनांक 19.10.2023 के खंड 7.3 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि धन उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, कंपनी एक बड़ी कॉर्पोरेट नहीं रह गई है।

10.0 आचार संहिता

अपने कर्मचारियों के लिए आचरण के उच्च मानक स्थापित करने के लिए कामराजर पोर्ट के सतत प्रयास के एक भाग के

रूप में सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए "व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता संहिता" निर्धारित की गई है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कामराजर पोर्ट की "व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

धोषणा

कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 'व्यावसायिक आचार और नैतिकता संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।

निदेशक बोर्ड के लिए तथा उनकी तरफ से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/-

श्रीमती जे. पी. आईरीन सिंधिया, आई.ए.एस.

प्रबंध निदेशक

(दिन: 08839241)

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 15.05.2024

11.0 बोर्ड सदस्यों की प्रशिक्षण

आपकी कंपनी की यह नीति है कि निदेशकों के प्रशिक्षण के माध्यम से व्यावसायिक आवश्यकताओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के साथ-साथ कार्य में व्यावसायिक, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक वातावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास करें।

12.0 लागू नियमों के अनुपालन का पुनरीक्षण

बोर्ड, सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

13.0 संचार के माध्यम

तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक वित्तीय परिणाम तुरंत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भेजे जाते हैं, जहाँ कंपनी के कर मुक्त बॉण्ड सूचीबद्ध होते हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी संस्करणों में

प्रकाशित होते हैं। परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर प्रदर्शित किए जाते हैं और डिबेंचर ट्रस्टियों को भी भेजे जाते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षित लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, नकदी प्रवाह विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सदस्यों और अन्य लोगों को वितरित की जाती है और यह कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर भी उपलब्ध की जाती है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के प्राधानों के अनुसार सभी घटनाएँ/सूचनाएँ कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं।

वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in में अलग से 'निवेशक' अनुभाग है, जिसमें बाण्डधारकों के लिए जानकारी उपलब्ध की गई है।

पत्राचार के लिए पता

बाण्डधारक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए द्वितीय मंजिल (उत्तर खण्ड) और तृतीय मंजिल जवाहर बिल्डिंग, 17, राजाजी सालाई, चेन्नै - 600 001 पर स्थित पंजीकृत कार्यालय के कंपनी सचिव को अपना पत्राचार भेज सकते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से jayasrin@kplmail.in पर भेज सकते हैं। निवेशक अपनी शिकायत के निवारण के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। उनके पते, संपर्क नंबर के विवरण निम्नानुसार है:

पता : सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग,
विखरोली (पश्चिम), मुम्बई - 400 083

दूरभाष : 91-22-4918 6000 / 08108116767

फैक्स : 91-22-4918 6060

ईमेल : bonds.helpdesk@linkintime.co.in

निदेशक बोर्ड के लिए तथा उनकी तरफ से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.,

अध्यक्ष

(दिन : 01310101)

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 12.08.2024



भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा का कार्यालय,
चेन्नै

Indian Audit and Accounts Department
Office of the Principal Director of Commercial Audit
Chennai

सं. पीडीसीए/सीए-II/4-79/2024-25/21

दिनांक 24.07.2024

सेवा में,
अध्यक्ष
कामराजर पोर्ट लिमिटेड
17, जवाहर भवन, राजाजी सालै
चेन्नै - 600001

महोदय,

विषय : 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

मुझे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत कामराजर पोर्ट लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को अग्रहित करने का निदेश हुआ है।

कृपया आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की पांच (5) प्रतियां इस कार्यालय को भेजने की व्यवस्था करें। कृपया वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तारीख भी सूचित करें।

उक्त की प्राप्ति की सूचना भेजें।

भवदीय

ह/-

(एस. वेल्लियंगिरि)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षण का प्रधान निदेशक

संलग्नक : लेखा-परीक्षण प्रमाण-पत्र

इंडियन आइल भवन, स्तर - 2, 139, महात्मा गाँधी मार्ग, चेन्नै 600034

Indian Oil Bhavan, Level - 2, 139, Mahatma Gandhi Road, Chennai - 600 034

Tel : 044-28330147 Fax : 044-28330142/145 E-mail : pdcachennai@cag.gov.in

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143(6) (बी) के वित्तीय रिपोर्टिंग की निर्धारित रूपरेखा के अनुसरण में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी है कि वे अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत अपना मत अभिव्यक्त करें। यह उनके द्वारा किया गया है जिसे उनके दिनांक 22.05.2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणिकाओं का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजातों तक पहुंचे बिना स्वतंत्र रूप से यह अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया गया है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों की पूछताछ एवं कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों के चयनित परीक्षण तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा-परीक्षण के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आए और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणिकाओं एवं संबंधित लेखा-परीक्षण रिपोर्ट को समझने के लिए आवश्यक हैं।

ए. लाभप्रदता पर टिप्पणी :

टिप्पणी सं. 1

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की विवरणिका

व्यय – (V) अन्य व्यय (टिप्पण 27) – रु.5,115.95 लाख

कामराजर पोर्ट लिमिटेड में अंतर्राष्ट्रीय सीपोर्ट ड्रेडिजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने कैपिटल ड्रेडिजिंग फ्रेज – III का कार्य किया है। विवाद के कारण मामले को विवाचन अधिकरण (2019) में प्रस्तुत किया गया तथा अंतिम विवाचन आदेश (7 मार्च 2024) कंपनी के विरुद्ध प्रदान किया गया। कुल आदेश रकम रु. 3,638.91 लाख (आदेश – रु.2,107.67 लाख, ब्याज रु. 1210.38 लाख तथा लागत रु.320.86 लाख) था। निदेशक बोर्ड ने अपील हेतु (23 मार्च 2024) के प्रस्ताव को

अनुमोदन प्रदान किया। इस देयता को टिप्पण संख्या 30 में 'आकस्मिक देयताओं' के अंतर्गत प्रकट किया गया। तथापि, देयता रु.3,638.91 लाख तक की रकम के रूप में तुलन पत्र की तारीख में मौजूद है, भारतीय लेखांकन मानक 37 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों) में दिए गए मान्यता मानदण्ड के अनुसरण में वित्तीय विवरणिकाओं में उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

उक्त गैर-प्रावधान के कारण देयता, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, (पोर्ट बेसिन और प्रवेश चौकल) एवं व्यय को क्रमशः रु.3,638.91 लाख, रु. 2,428.53 लाख एवं रु. 1210.38 लाख की न्यूनोक्ति देखी जाती है। इससे लाभ की भी अतिशयोक्ति देखी जाती है।

बी. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

टिप्पण सं. 2

परिसंपत्तियां – वर्तमान परिसंपत्तियां / (ए) वित्तीय परिसंपत्तियां – (पप) नकद और नकद समतुल्य (टिप्पण 13) – रु.12,080.19 लाख

कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने ऐक्सिस बैंक एवं अन्य बैंकों के साथ विभिन्न खाताओं को संभाल रहे थे जिसमें 31 मार्च 2024 तक रु.2079.84 लाख संयुक्त शेष था। तथापि, वर्ष 2013-14 से 2022-23 की अवधि से संबंधित कंपनी द्वारा जारी बॉण्ड पर विभिन्न कारणवश रु.46.85 लाख के अमुगतानित ब्याज की रकम उन विभिन्न बैंक खातों में पड़े थे जिनका वित्तीय विवरणिकाओं में उल्लेख नहीं किया गया है। नकद एवं बैंकों में शेष तथा संबंधित दस्तावेजों की जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त बैंकों में शेष रकमों को लेखा पुस्तिकाओं के बाहर संभाला गया। आगे यह भी कि प्रबंधन, सात वर्ष के अंतराल के बाद निवेशक शिक्षण सुरक्षा निधि में बॉण्ड धारकों के दावा नहीं किए गए ब्याज के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है।

लेखा-परीक्षण में यह पाया गया कि रु.46.85 लाख में से रु.8.06 लाख की रकम सात वर्ष से भी पुराना है। अतः कंपनी, उसे भी निवेशक शिक्षण सुरक्षा निधि में हस्तांतरित नहीं कर पाया है।

उक्त की दृष्टि में नकद एवं बैंक में शेष खाते, देय ब्याज एवं निवेशक शिक्षण सुरक्षा निधि को देय रकमों को क्रमशः रु.46.85 लाख, रु.38.82 लाख एवं रु.8.03 लाख की न्यूनोक्ति हुई है।

सी. सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर टिप्पणी

टिप्पण सं. 3

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट – कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11(जी) के अंतर्गत अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11(जी) के अंतर्गत निर्धारित शर्त के अनुसार लेखांकन सॉफ्टवेयर लेखा-परीक्षण ट्रेडल से संबंधित मामलों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट के लिए प्रावधान है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी लेखा की लेखांकन पुस्तिकाएं लेखांकन सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाए रखती हैं जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेडल (एडिट लॉग) रिकार्ड करने की सुविधा है। तथापि, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इस कथन का उल्लेख नहीं है कि कंपनी द्वारा प्रयोग किए गए लेखांकन सॉफ्टवेयर में लेखापरीक्षा ट्रेडल (एडिट लॉग) की सुविधा है जिसे वर्षभर में किए गए सभी लेन-देन रिकार्ड होता है तथा लेखापरीक्षा ट्रेडल में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है।

अतः कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11(जी) के निर्धारित शर्त के अंतर्गत की गई रिपोर्टिंग में उस हद तक अभाव है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए तथा की तरफ से

ह/-

(एस. वेल्लियंगिरि)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षण का प्रधान निदेशक

स्थान : चेन्नै

दिनांक: 24.07.2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 143(6)(बी) के तहत सीएजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

सीएजी टिप्पण	प्रबंधन के उत्तर
<p>ए. लाभप्रदता पर टिप्पणी: टिप्पणी सं.1 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की विवरणिका व्यय – (V) अन्य व्यय (टिप्पण 27) – रु.5,115.95 लाख</p>	
<p>कामराजर पोर्ट लिमिटेड में इंटरनेशनल सीपोर्ट ड्रेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने कैपिटल ड्रेजिंग फेज- III का कार्य किया। विवादों के कारण, मामला मध्यस्थता न्यायाधिकरण (2019) को भेज दिया गया तथा उसके अंतिम मध्यस्थता आदेश (7 मार्च 2024) कंपनी के विरुद्ध जारी किया गया। कुल आदेश रकम रु. 3,638.91 लाख रुपये थी (पुरस्कार – रु.2,107.67 लाख, ब्याज रु.1,210.38 लाख और लागत – 320.86 लाख रुपये)। निदेशक मंडल ने अपील के प्रस्ताव को संस्वीकृति प्रदान की (23 मार्च 2024)। इस देयता को नोट संख्या 30 के तहत 'आकस्मिक देयताओं' के तहत प्रकट किया गया है। हालांकि, देयता तुलन पत्र की तारीख को रु.3,638.91 लाख रुपये की सीमा तक मौजूद है, भारतीय लेखांकन मानक 37 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां) में दिए गए मानदण्डों के अनुसरण में वित्तीय विवरणिकाओं में उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था।</p> <p>उपयुक्त गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप देयता, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पोर्ट बेसिन और प्रवेश चैनल) तथा व्यय को क्रमशः रु.3,638.91 लाख, रु.2,428.53 लाख तथा रु.1,210.38 लाख कम दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप लाभ को भी रु. 1,210.38 लाख अधिक दर्शाया गया है।</p>	<p>भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसरण में, एक आकस्मिक देयता :</p> <p>(ए) एक संभावित दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से ही पुष्टि होगा जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं है या</p> <p>(बी) एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि:</p> <p>(i) यह सम्भव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता हो; या</p> <p>(ii) दायित्व की राशि को पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ नहीं मापा जा सकता।</p> <p>चूंकि, मध्यस्थता आदेश के विरुद्ध अपील के लिए बोर्ड की स्वीकृति तुलन पत्र की तारीख पर है, कंपनी ने इसे भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार आकस्मिक देयता के रूप में माना। बोर्ड ने कानूनी राय एवं मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय लिया है।</p> <p>तथ्य यह है कि कंपनी मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध अपील कर रही है, इससे यह स्पष्ट होता है कि देयता अनिश्चित है, और अंतिम परिणाम अभी भी लंबित है। मध्यस्थता आदेश के विरुद्ध अपील करने के कारण, विश्वसनीय मौद्रिक बहिर्वाह का अनुमान लगाने की संभावना अज्ञात और अनिश्चित है तथा कंपनी के प्रकटन के साथ आकस्मिक देयताओं के तहत इसे बनाए रखने का निर्णय अधिक उपयुक्त है।</p> <p>विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए दिनांक 15.07.2024 को (निर्णय की तिथि से 90 दिनों के अंदर) उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष अपील भी दायर की गई है।</p>

बी. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी
टिप्पण सं. 2

परिसंपत्ति – चालू परिसंपत्तियां – (ए) वित्तीय परिसंपत्तियां – (ii) नकद एवं नकद समतुल्य
(टिप्पण 13) – रु.12,080.19 लाख

कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने एक्सिस बैंक और अन्य बैंकों में विभिन्न खाते खोल रखे थे, जिसमें 31 मार्च 2024 तक रु. 2,079.84 लाख का संयुक्त शेष था। तथापि, कंपनी द्वारा जारी बॉण्ड पर 2013-14 से 2022-23 की अवधि से संबंधित बकाया ब्याज रु.46.85 लाख था, जो विभिन्न कारणों से कई बैंक खातों में बकाया पड़ा था, जिसका वित्तीय विवरणों में हिसाब नहीं दर्शाया गया। नकदी और बैंक शेष राशि तथा संबंधित दस्तावेजों की जांच से पता चला कि ये बैंक शेष राशि खाता बही से बाहर रखी गई थी। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन सात साल की अवधि के बाद बॉण्डधारकों द्वारा दावा न किए गए ब्याज को निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि खाते में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है।

लेखा-परीक्षण में यह पाया गया कि रु.46.85 लाख में से रु.8.03 लाख सात साल से ज्यादा पुराने हैं। इस प्रकार, कंपनी इसे निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि खाते में हस्तांतरित करने में भी विफल रही।

उपर्युक्त की दृष्टि में नकदी और बैंक शेष खाता, देय ब्याज और निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि खाते के बकाया को क्रमशः रु.46.85 लाख, रु.38.82 लाख और रु.8.03 लाख कम दर्शाया गया है।

यह कहा जाता है कि कंपनी बॉण्डधारकों को बकाया ब्याज कंपनी के खाता बही से बाहर रखती है। यह भी बताया जाता है कि कंपनी कर मुक्त बॉण्ड जारी करने के बाद से अर्थात् 2012-13 और 2013-14 से यही प्रथा अपना रही है।

इस संदर्भ में आगे बताया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 125 (2) के साथ नियमों के अनुसार,

1. केन्द्रीय सरकार एक कोष की स्थापना करेगी जिसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष कहा जाएगा (जिसे यहां कोष कहा गया है)

2. निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

(जी) धारा 38 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्राप्त राशि;

(एच) किसी भी प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन राशि और वापसी के लिए देय किसी भी प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन राशि और वापसी के लिए देय;

(आई) बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के पास परिपक्व जमाराशि

(जे) कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर

(के) खंड (एच) से (जे) तक निर्दिष्ट राशि पर उपचित ब्याज....

वर्तते कि खण्ड (एच) से (जे) में निर्दिष्ट कोई भी राशि निधि का भाग नहीं बनेगी, जब तक कि ऐसी राशि भुगतान के लिए देय होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और अप्रदत्त न रही हो।

उपरोक्त से यह समझा जा सकता है कि अदा न किया गया ब्याज सदैव मोचन की तिथि से सात वर्ष के बाद मुख्य मूल राशि के साथ हस्तांतरित किया जाएगा।

चूंकि, सीएजी ने वैधानिक प्रावधान पर टिप्पणी की है, इसलिए यह आश्चर्य है कि कंपनी उचित प्राधिकारी से पुष्टि प्राप्त करेगी तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सी. सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर टिप्पणी

टिप्पण सं. 3

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट – कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11(जी) के अंतर्गत अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11(जी) के अंतर्गत निर्धारित शर्त के अनुसार लेखांकन सॉफ्टवेयर लेखा-परीक्षण ट्रेडल से संबंधित मामलों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट के लिए प्रावधान है। स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी लेखा की लेखांकन पुस्तिकाएं लेखांकन सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाए रखती है जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेडल (एडिट लॉग) रिकार्ड करने की सुविधा है। तथापि, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इस कथन का उल्लेख नहीं है कि कंपनी द्वारा प्रयोग किए गए लेखांकन सॉफ्टवेयर में लेखापरीक्षा ट्रेडल (एडिट लॉग) की सुविधा है जिसे वर्षभर में किए गए सभी लेन-देन रिकार्ड होता है तथा लेखापरीक्षा ट्रेडल में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है।

अतः कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11(जी) के निर्धारित शर्त के अंतर्गत की गई रिपोर्टिंग में उस हद तक अभाव है।

हम यह पुष्टि करना चाहते हैं कि पूरे वर्ष में सभी लेन-देन के लिए लेखापरीक्षण ट्रेडल सुविधा का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया है, तथा हम आपको आश्वासन करते हैं कि यह जारी रहेगा और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।

तथापि हमारी वर्तमान लेखा परीक्षक रिपोर्ट में इस विशिष्टता को विशेष रूप से संबोधित नहीं किया गया है, फिर भी हम इसके महत्व को पहचानते हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे भविष्य की रिपोर्टों में शामिल किया जाएगा।

जसमिंदर सिंह एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

स्वतंत्र संपरीक्षकों का प्रतिवेदन
कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों को
भारतीय लेखांकन मानकों के वित्तीय विवरणिकाओं का लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मत

- हमने भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसरण में कामराजर पोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा प्रस्तुत विवरणिकाओं का लेखापरीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरणिका (अन्य विस्तृत आय सहित), ईक्विटी में परिवर्तनों की विवरणिका तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचनाओं (अब से "वित्तीय विवरणों" के रूप में प्रस्तुत) के सहित समाप्त वर्ष के नकद प्रवाहों की विवरणिका एवं वित्तीय विवरणिकाओं के लिए टिप्पणों सम्मिलित हैं।
- हमारे मत में एवं हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरणिकाओं में, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की आवश्यकताओं के अनुसरण में सूचनाएं इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं कि वे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक, यथासंशोधित (भारतीय लेखा-मानक) तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में 31 मार्च 2023 को समाप्त तारीख तक कंपनी की स्थिति एवं उद्धृत तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ, विस्तृत आमदनी, ईक्विटी में परिवर्तन तथा उसके नकद प्रवाह के संदर्भ में सही एवं निष्पक्ष पाए गए।

मत का आधार

- हमने वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण, अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षण मानकों (एसएएस) में उल्लिखित धारा 143(10) के आधार पर किया है। हमारी जिम्मेदारियों को उन मानकों के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणिकाओं के लेखापरीक्षण अनुभाग में प्रस्तुत किया गया है। हमने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इन आवश्यकताओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संघ (आईसीएआई) के अनुसरण में अन्य आचार जिम्मेदारियों को पूर्ण किया है। हम यह विश्वास रखते हैं कि हमने जिन लेखापरीक्षण सबूतों को इकट्ठा किया है, वे वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारे मत के लिए एक उचित आधार बनते हैं।

मामलों पर जोर देते हुए

- सरकार / सरकार के स्वामित्व से कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए कई अचल संपत्तियों के संबंध में लंबित हस्तांतरण विलेख / पंजीकरण विलेख से संबंधित टिप्पण 4 (ए) की

ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। आगे, विभिन्न एजेन्सियों को देय निश्चित रकम / प्रतिपूर्ति भुगतानों को अंतिम रूप दिया जाना है तथा उक्त विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

- वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध बीओटी प्रचालकों में से एक प्रारंभित विवाद प्रकरण के संबंध में टिप्पण 30(15)(पपप) (ए) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें रु.162968.63 की रकम तक विभिन्न दावों, कंपनी का जवाबी दावा एवं दोनों पार्टियों द्वारा मध्यस्थों को नियुक्त करने तथा समाप्त वर्ष की अवधि तक विवाद प्रकरणों की स्थिति संबंधी विवरणों का उल्लेख किया गया है। तदनुसार टिप्पण में बताए गए कारणों के अनुसार वर्ष की समाप्ति की अवधि तक बीओटी प्रचालक द्वारा किए गए दावों के लिए कोई प्रापधान नहीं किया गया है।

उपर्युक्त अनुच्छेद 4 से 5 तक उद्धृत मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षण मामले

- मुख्य लेखापरीक्षण मामलों में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणिकाओं के हमारे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण के व्यावसायिक निर्णय सम्मिलित हैं। इन मामलों को समग्र रूप में वित्तीय विवरणिकाओं के हमारे लेखा-परीक्षणों के प्रसंग में इन मामलों पर विचार किया गया जिनपर हमारे मत बने और हम इन मामलों पर अलग से राय प्रस्तुत नहीं करते।

वित्तीय विवरणिकाओं से पृथक जानकारी तथा उनपर लेखापरीक्षण रिपोर्ट

- कंपनी का निदेशक बोर्ड अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चाएं तथा विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट जिसके साथ में संलग्नक, व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन प्रणाली एवं शेरधारक जानकारी सम्मिलित हैं, लेकिन इनमें समेकित वित्तीय विवरण एवं उनपर हमारे लेखापरीक्षण रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।
- उन वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी सम्मिलित नहीं है तथा हम उनपर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष प्रदान नहीं करते हैं।
- वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के संबंध में अन्य जानकारी पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है तथा ऐसा करते हुए

वित्तीय विवरणों के साथ उक्त जानकारी विषयवस्तु की असंगतता या लेखापरीक्षण के दौरान प्राप्त की गई जानकारी अथवा विषयवस्तु के संदर्भ में असंगतता पर विचार किया जाता है।

10. हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम इस अन्य जानकारी के संबंध में इस निष्कर्ष पर आते हैं कि वह विषयवस्तु के संबंध में असंगत है, तो हमें उसे रिपोर्ट करना होगा। इस संदर्भ में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

11. कंपनी का निदेशक बोर्ड की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे इन वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन के साथ अन्य विस्तृत आमदनी, कंपनी के ईक्विटी एवं नकद प्रवाह में परिवर्तन के बारे में सही एवं निष्पक्ष पहलु प्रस्तुत करें। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के कार्य, धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान करने तथा उन्हें रोकने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं लागू करना, निर्णय एवं प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं औचित्यपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में हों ताकि लेखांकन रिकार्डों की शुद्धता एवं पूर्णता बनाए रखने के लिए प्रभावशाली रूप से प्रचालित किए जाते हैं तथा वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण सही एवं शुद्ध हों एवं धोखेबाजी या गलती से मूल रूप से गलत होने की स्थिति से दूर हों। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन, चालू संस्था के रूप में बनाए रखने की कंपनी की क्षमता, यथा लागू प्रकटीकरण, चालू संस्था एवं चालू संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है चाहे प्रबंधन, कंपनी को परिसमाप्त करना चाहे या प्रचालनों को बंद करना चाहे अथवा ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

12. कंपनी के निदेशक बोर्ड, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अनुवीक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा-परीक्षण के प्रति लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

13. वित्तीय विवरणिकाओं का पूर्ण रूप से चाहे धोखेबाजी या गलती के कारण मूलतः गलत कथन होने से मुक्त होने के लिए सुनिश्चित करते हुए हमारे मत को सम्मिलित करते

हुए लेखा-परीक्षक रिपोर्ट जारी करना ही हमारा उद्देश्य है। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन होता है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसएएस के आधार पर किया गया लेखा-परीक्षण हर समय गलतियों के होने से मूल गलतियों को उबारे। धोखेबाजी एवं गलती से उभरनेवाले गलत विवरण व्यक्तिगत या समग्र रूप में वित्तीय विवरणिकाओं के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।

14. लेखापरीक्षण मानकों के अनुसरण में किए गए लेखा-परीक्षण के एक भाग के रूप में संपूर्ण लेखापरीक्षण के दौरान हम व्यावसायिक निर्णय लेने के साथ साथ व्यावसायिक संदेह भी बनाए रखते हैं। साथ ही हम :

- वित्तीय विवरणिकाओं में धोखेबाजी या गलती के कारण होनेवाले मूल गलत कथन की पहचान करते हैं तथा उनके जोखिमों का मूल्यांकन करते हैं, उन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं अपनी के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित लेखा-परीक्षण सबूत प्राप्त करते हैं। धोखेबाजी से पैदा होनेवाले मूलतः गलत कथनों को न पहचानने का जोखिम, गलती से पैदा होनेवाले गलत कथनों से होनेवाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखेबाजी से मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का अतिक्रमण हो सकता है।
- परिस्थितियों में उचित होनेवाले लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं से संबद्ध आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक अच्छी समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम के धारा 143(3)(प) के अंतर्गत हम, इस राय को भी अभिव्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था अपनाई जाती है या नहीं तथा ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया गया है या नहीं।
- कंपनी में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य को मूल्यांकित करते हैं तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन प्राक्कलनों के औचित्य एवं संबंधित प्रकटीकरणों को भी मूल्यांकित करते हैं।
- लेखांकन एवं प्राप्त किए गए लेखापरीक्षण के आधार पर चालू संस्था के उपयोग में प्रबंधन, घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूदगी जो कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है या नहीं, इन औचित्यों पर निष्कर्ष प्राप्त किया जाना है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामग्री की

अनिश्चितता है, हमें अपने लेखापरीक्षण की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण या उन प्रकटीकरणों के अपूर्ण होने अथवा हमारे मत में रुपांतरित किए जाने की ओर ध्यान आकर्षित करना है। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखापरीक्षण रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षण सबूत पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या परिस्थितियां, कंपनी बंद करवाने या चालू संस्था के रूप में जारी रहने का कारण बन सकती हैं।

- वित्तीय विवरणिकाओं के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं विषयवस्तु के साथ प्रकटीकरणों को मूल्यांकित करते हुए यह पता लगाना कि वित्तीय विवरणिकाएं आधारभूत लेन-देन एवं घटनाएं इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करती हैं कि वे एक निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के रूप में साबित हों।

15. वित्तीय विवरणिकाओं में सामग्री गलत कथनों का आकार बनती है कि वे व्यक्तिगत या समग्र रूप में वित्तीय विवरणिकाओं के जानकारी उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकने की क्षमता रखती हैं। हम परिमाणात्मक सामग्री एवं गुणात्मक पहलुओं (i) अपने लेखापरीक्षण के कार्यक्षेत्र की योजना बनाना तथा अपने कार्य के परिणामों को मूल्यांकित करना तथा (ii) वित्तीय विवरणिकाओं में पहचान किए गए गलत कथनों के प्रभाव को मूल्यांकित करने पर विचार करते हैं।
16. हम उन्हें संप्रेषित करते हैं जो अन्य मामलों के साथ लेखापरीक्षण कार्यक्षेत्र की योजना एवं सटीक समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण की खोज के साथ आंतरिक नियंत्रण में अन्य कोई महत्वपूर्ण कमियों से संबंधित हैं।
17. हम शासन के अंतर्गत संस्थानों को यह भी संप्रेषित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा यह भी संप्रेषित करते हैं कि सभी संबंधितों एवं अन्य मामलों का असर हमारी स्वतंत्रता पर है और जहां भी लागू हो हमारी सुरक्षा संबंधित है।
18. शासन के अंतर्गत संस्थानों को संप्रेषित उन मामलों में से हम उन मामलों को निश्चित करते हैं जो वर्तमान अवधि की वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा-परीक्षणों में अत्यंत महत्वपूर्ण थे और वे मुख्य लेखा-परीक्षण मामले बन जाते हैं। हम इन मामलों को अपने लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में तब तक सम्मिलित नहीं करते हैं जब तक उक्त मामले के सार्वजनिक प्रकटन के बारे में कोई नियम या निनियमन न हो या किन्हीं विरल परिस्थितियों में हम यह निश्चित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में उनसे पैदा होनेवाली प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण संप्रेषित नहीं किया जाना

चाहिए जिससे कि सार्वजनिक हित में ऐसे संप्रेषणों का महत्व कम पड़ने की प्रत्याशा की जाती है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

19. अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) में उल्लेख किए गए अनुसार अपने रिपोर्ट के संलग्नक ए में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेश / उप-निदेशों का उल्लेख करते हैं।
20. केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसरण में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 के अनुसार हम अपने रिपोर्ट के अनुबंध-बी में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर यथा लागू अनुसार मामलों पर हमारे कथन प्रस्तुत करते हैं।
21. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसरण में हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :
 - ए) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर हमारे लेखा-परीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक सभी जानकारी एवं विवरणों की मांग की है तथा उन्हें प्राप्त किया है;
 - बी) हमारे मत में कंपनी में कानून की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा की उचित पुस्तकें रखी हुई हैं जो हमारे लेखापरीक्षण कार्य के लिए आवश्यक थे;
 - सी) तुलन पत्र, विस्तृत आमदनी सहित लाभ एवं हानि विवरणिका, ईक्विटी में परिवर्तन की विवरणिका एवं नकद प्रवाह की विवरणिका, लेखा पुस्तकों में किए गए उल्लेख के अनुसार हैं।
 - डी) हमारी राय में उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिकाओं में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 में उद्धृत साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा-मानकों का अनुपालन किया गया है।
 - ई) कंपनी के निदेशकों से निदेशक बोर्ड द्वारा स्वीकृत 31 मार्च 2023 तक प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसरण में नियुक्त किसी भी निदेशक को 31 मार्च 2023 तक अनर्हक नहीं घोषित किया गया है।
 - एफ) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रण की प्रचालनात्मक प्रभावात्मकता के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट के 'संलग्नक सी' का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय

नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रण की प्रचालनात्मक प्रभावत्मकता पर अपरिवर्तनशील विचारों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है।

जी) अधिनियम की धारा 197(16) यथा संशोधित, में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी उत्कृष्ट जानकारी एवं हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अपनू निदेशकों की भुगतानित प्रतिपूर्ति, अधिनियम की धारा 197 के अनुसरण में है।

एच) कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखा-परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत में तथा हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार तथा हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के आधार पर:

- कंपनी ने टिप्पण संदर्भ 30(15) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणिकाओं में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों का असर प्रकट किया है।
- यथा लागू कानून या लेखांकन मानकों की आवश्यकतानुसार कंपनी ने यदि कोई हों तो व्युत्पन्न ठेकों के साथ दीर्घकालिक ठेकों में सामग्रियों की संभावित हानि के लिए प्रावधान बनाया है।
- कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि के लिए हस्तांतरित की जानेवाली रकम के संबंध में रकम के हस्तांतरणों में कोई विलंब नहीं है।
- (ए) प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा (जो सामग्री न पृथक् स्तर पर या समग्र रूप में) अग्रिम स्तर पर या ऋण रूप में या निवेश (ऋण पर प्राप्त की गई निधि से अथवा शेयर प्रीमियम या किसी भी प्रकार के अन्य स्रोत निधि से) किसी विदेशी संस्था ("मध्यवर्ती संस्थाएं") सहित किसी व्यक्ति, संस्था को किसी समझौता के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा कोई भी निधि को प्रदान नहीं की गई है कि मध्यवर्ती संस्थाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में

ऋण रूप में अथवा निवेश रूप में पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थानों को किसी भी रूप में या कंपनी की तरफ से ("अंतिम हिताधिकारियों") या कोई गारंटी, सुरक्षा या उस प्रकार के कोई अंतिम हिताधिकारियों को प्रदान करेंगे;

(बी) प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन दिया है कि उसकी पूर्ण जानकारी एवं पूर्ण विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा (जो सामग्री न पृथक् स्तर पर या समग्र रूप में) अग्रिम स्तर पर या ऋण रूप में या निवेश (ऋण पर प्राप्त की गई निधि से अथवा शेयर प्रीमियम या किसी भी प्रकार के अन्य स्रोत निधि से) किसी विदेशी संस्था ("निधि प्रदान करनेवाली संस्थाओं") से किसी समझौता के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा कोई भी निधि प्राप्त नहीं की गई है कि मध्यवर्ती संस्थाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऋण रूप में अथवा निवेश रूप में पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थानों से किसी भी रूप में या कंपनी की तरफ से ("अंतिम हिताधिकारियों") या कोई गारंटी, सुरक्षा या उस प्रकार के कोई अंतिम हिताधिकारियों प्राप्त किया गया है;

(सी) परिस्थितियों में तर्कसंगत एवं उचित पाए गए लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी दृष्टि में ऐसी कोई बात नहीं आई जिसके कारण हम यह विश्वास करें कि प्रतिवेदन में उपर्युक्त (ए) और (बी) में नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के अनुसरण में मूलतः गलत पाए गए।

V. वित्तीय विवरणिकाओं के टिप्पण 30(20) में दिए गए अनुसार

(ए) पूर्व वर्ष में घोषित प्रस्तावित एवं कंपनी द्वारा इस वर्ष भुगतानित अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में जैसा लागू हो सही है।

VI. कंपनी लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता पुस्तकों का रखरखाव करती है जिसमें लेखापरीक्षण प्रवृत्ति रिकार्ड करने (एडिट लॉग) की सुविधा है।

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 016192एन
ह/-

सीए जसमिन्दर सिंह
साझेदार

एम. सं. 096895

यूडीआईएन : 24096895वीकेएएलएनओ7193

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 22.05.2024

लेखा-परीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट के लिए संलग्नक 'ए'

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका पर समसंख्यक लेखा-परीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट में "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में संदर्भित संलग्नक

1.	क्या कंपनी में ऐसी कोई व्यवस्था है कि वह अपने सभी लेखांकन प्रक्रियाओं को आईटी व्यवस्था द्वारा रखा जा सके? यदि नहीं, तो आईटी व्यवस्था से बाहर लेखांकन लेन-देनों के प्रकरण का असर लेखा की अखंडता पर यदि पड़ता है, तो वित्तीय असर के साथ उसका उल्लेख करें।	कंपनी में आईटी व्यवस्था द्वारा ही लेखांकन लेन-देनों का प्रकरण होता है।
2.	क्या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कोई वर्तमान ऋण की पुनर्रसंरचना या ऋण / कर्ज / ब्याज को छूट दिए जाने / बढ़े खाते में डालने के मामले हैं जिसे कंपनी वापस नहीं कर पाया है? यदि हां, तो उसके वित्तीय असर बताएं।	ऐसे कोई मामले जहां ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कोई वर्तमान ऋण की पुनर्रसंरचना या ऋण/कर्ज/ ब्याज को छूट दिए जाने / बढ़े खाते में डाले जाने की स्थिति नहीं है जिसे कंपनी वापस नहीं कर पाया हो।
3.	क्या केन्द्र / राज्य सरकारी एजेन्सियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों का सही लेखांकन हुआ / उनका सही उपयोग उनके शर्त एवं प्रतिबंधों के अनुसरण में हुआ है? विचलनों के मामलों को अधिसूचित करें	पुनरीक्षण के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी विशिष्ट योजना के लिए केन्द्र / राज्य सरकार से निधि प्राप्त नहीं किया है।

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 016192एन
ह/-

सीए जसमिन्दर सिंह
साझेदार
एम. सं. 096895

यूडीआईएन : 24096895बीकेएलएनओ7193

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 22.05.2024

लेखा-परीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट के लिए संलग्नक 'बी'

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका पर समसंख्यक लेखा-परीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट में "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में संदर्भित संलग्नक

1. (ए) (i) कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के गुणात्मक विवरणों के साथ सही रिकार्डों का रखरखाव कर रही है।

(ii) कंपनी अपने सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरणों के सही रिकार्ड दर्शाते हुए सही रिकार्ड का रखरखाव कर रही है।

(बी) कंपनी में उसकी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों को कवर करते हुए जांच करने हेतु एक प्रोग्राम है जो एक चरणबद्ध तरीके से जांच करती है जो हमारी राय में कंपनी के आकार एवं उसकी परिसंपत्तियों की प्रवृत्ति

देखते हुए उचित प्रतीत होता है। कंपनी ने प्रोग्राम के अनुसरण में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की भौतिक जांच की है। हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरणों के अनुसार जांच प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की भौतिक विसंगतियां नहीं हैं।

(सी) कंपनी 2,787.27 एकड़ भूमि क्षेत्र का स्वामी है जिसमें 950.00 एकड़ टिडका 1092.20 एकड़ टीएनईवी 712.42 एकड़ नमक विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा 47.87 एकड़ तमिलनाडु सरकार से प्राप्त किए गए 297.98 एकड़, टैन्जेडको से 995.05 एकड़, नमक विभाग से प्राप्त 712.42 एकड़ तथा तमिलनाडु

सरकार से प्राप्त 0.69 एकड़ भूमिक्षेत्र सहित स्वामित्व के 2,038.10 एकड़ के कुल भूमि क्षेत्र कंपनी के नाम से पंजीकृत है तथा तमिलनाडु सरकार से प्राप्त 31.96 एकड़ भूमि को पट्टा प्रदान किया गया है तथा शेष भूमिक्षेत्र की पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।

- (डी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण या अमूर्त परिसंपत्तियां (परिसंपत्तियों का प्रयोग करने का अधिकार सहित) या दोनों का पुनरुमूल्यन नहीं करवाया है।
- (ई) बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा बेनामी संपत्ति रखने के लिए किसी भी प्रकार के कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है न ही लंबित है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(ई) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
2. (ए) कंपनी, पोर्ट के विकास एवं प्रचालन के कार्यों में लगी हुई है तथा मूल रूप से पोर्ट सेवाएं प्रदान कर रही है। कंपनी के पास कोई भौतिक वस्तुसूची नहीं है। अतः आदेश का खंड 3(ii)(ए) कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (बी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से संकलित रूप में पांच करोड़ रुपयों से अधिक कार्यशील पूंजी सीमाओं की स्वीकृति नहीं दी गई है। अतः कंपनी पर आदेश का खंड 3(ii)(बी) लागू नहीं है।
3. (ए) वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी अन्य संस्था को कोई ऋण या ऋण के रूप में किसी भी प्रकार के अग्रिम या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार कंपनी पर आदेशक के 3(iii)(ए) और 3(iii)(ई) खंड लागू नहीं होते।
- (बी) प्रदत्त ऋण एवं गारंटी के रूप में सभी ऋण एवं अग्रिम द्वारा किए गए निवेश, प्रदत्त गारंटी, सुरक्षा तथा ऋण या ऋण के रूप में किसी भी प्रकार के अग्रिम या सुरक्षा प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के लिए हानिकारक नहीं हैं।

(सी) कंपनी के पास वर्ष के प्रारंभ में कोई ऋण के रूप में बकाया ऋण एवं अग्रिम नहीं है, न ही वर्ष के दौरान ऋण के रूप में ऋण या अग्रिमों को स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(सी), 3(iii)(सी), 3(iii)(ई) और 3(iii)(एफ) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

4. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा अपनाई गई लेखा-परीक्षण पद्धतियों के आधार पर कंपनी ने न ही कोई निवेश किया है, कंपनी अधिनियम की धारा 185 एवं 186 का उल्लंघन करते हुए न ही ऋण दिया है, न ही कोई गारंटी या सुरक्षा दी है।
5. कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों तथा धारा 73 से 76 से संबंधित प्रावधानों के अंदर या कंपनी अधिनियम से संबंधित अन्य कोई प्रावधानों के अंदर जमा या कोई रकम प्राप्त न की है। तदनुसार, कंपनी पर आदेश के खंड 3(अ) के प्रावधान लागू नहीं होते।
6. हमें दी गई जानकारी एवं विवरणों के अनुसार केन्द्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत रिकार्ड के रखरखाव की लागत को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(vi) लागू नहीं है।
7. (ए) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी प्राधिकृत अधिकारियों को सामान्यतया नियमित एवं अविवादित रूप से गूड्स एण्ड सर्विस कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय-कर, सर्विस कर, सीमाशुल्क कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य योजित कर, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक देय का भुगतान करता आ रहा है। कंपनी द्वारा 31 मार्च 2024 तक सामान्यतया नियमित एवं अविवादित रूप से गूड्स एण्ड सर्विस कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय-कर, सर्विस कर, सीमाशुल्क कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य योजित कर, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक देय के भुगतान में नियत तारीख से छह महीनों से अधिक अवधि के लिए कोई बकाया नहीं है।
- (बी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर 31 मार्च 2024 तक प्राधिकृत अधिकारियों के साथ निम्नांकित विवादित कर/ड्यूटी जमा नहीं किए गए।

सांविधिक	देय की प्रवृत्ति	रकम (रुपए लाखों में)	वह अवधि जिसके अंतर्गत रकम देय है	मंच जिसमें रकम का भुगतान लंबित है	टिप्पणी, यदि कोई हो
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	2577.81	वर्ष 2007-08 से वर्ष 2021-22 तक	सीआईटी (अपील)	कोई नहीं
गुड्स एण्ड सर्विस कर	जीएसटी	**78.57	वित्त वर्ष 2018-19	जेसी (अपील)	कोई नहीं

** - इसके विरुद्ध, कंपनी ने विरोध दर्शाते हुए रु. 9.30 लाख रुपयों को जमा किया है।

8. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने किसी भी प्रकार के लेननों को न प्रकट किया है न ही उन्हें समर्पित किया है जिन्हें पूर्व में वर्ष के दौरान आय के रूप में आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर मूल्यांकन के रूप में लेखा पुस्तकों में रिकार्ड नहीं किया गया है।
9. (ए) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने ऋण या अन्य वापसी में कोई गलती नहीं की है न ही ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में कोई गलती की है।
 - (बी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी को कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
 - (सी) हमारे मत में हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण के अनुसार कंपनी ने ऋण के रूप में प्राप्त राशि का उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया जिनके लिए राशि प्राप्त की गई।
 - (डी) हमें प्रदान की गई जानकारी, विवरण तथा लागू प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणिकों के संपूर्ण जांच के अनुसार यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किए गए।
 - (ई) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा लागू प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणिकों के संपूर्ण जांच के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियां, असोसियेटेड अथवा संयुक्त प्रयास के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से निधि प्राप्त नहीं की है।
- (एफ) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा लागू प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणिकों के संपूर्ण जांच के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक संस्थानों, संयुक्त प्रयास या असोसियेटेड कंपनियों के सुरक्षा को गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया है।
10. (ए) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या आगे किसी भी प्रकार के सार्वजनिक ऑफर (ऋण उपकरण सहित) द्वारा ऋण नहीं लिया है, तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(x)(ए) लागू नहीं होता।
 - (बी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्तमान वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रुपांतरित की जानेवाली डिबेंचरों का अधिमन्य आबंटन या निजी प्राइवेट प्लेसमेण्ट नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(x) (बी) लागू नहीं होता।
11. (ए) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरणों तथा हमारी उत्कृष्ट जानकारी के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षण कार्यों की अवधि में कंपनी ने कोई धोखा नहीं किया है न ही ऐसा कुछ देखा गया है।
 - (बी) वर्तमान वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तारीख तक केन्द्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखा-परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित एडीटी-4 प्रपत्र में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किया है।
 - (सी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरणों तथा प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई मुखबिर शिकायतें प्राप्त नहीं की हैं।

12. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है तथा उसपर आदेश का अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता।
13. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेन-देन जहां भी लागू हो अधिनियम की धारा 177 एवं धारा 188 के अनुपालन में किए गए तथा ऐसे लेन-देनों के विवरणों को भारतीय लेखा-मानकों की आवश्यकतानुसार वित्तीय विवरणिकाओं में प्रकट किया गया है।
14. (ए) हमारे मत में तथा की गई जांच के आधार पर कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षण व्यवस्था उसके व्यवसाय के आकार और उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप है।
(बी) हमने वर्ष के दौरान एवं आज की तारीख तक के लिए लेखा-परीक्षण के अंतर्गत कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षण की जांच की है तथा कंपनी को प्रवृत्ति, समय सटीकता एवं हमारे लेखा-परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुसार निश्चित करते हुए जारी किया है।
15. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं विवरण तथा रिकार्डों पर की गई हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का अनुच्छेद 3(xv) लागू नहीं होता।
16. (ए) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xvi)(ए), (बी) और (सी) के अंतर्गत रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
(बी) हमारी राय में कंपनी ग्रुप (रिज़र्व बैंक के कोर निवेश कंपनी निदेश 2016 में दी गई परिभाषा के अनुसार) के अंदर कोर निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi) (डी) लागू नहीं होता।
17. कंपनी को वित्तीय वर्ष में तथा आगामी वित्तीय वर्ष नकद हानि नहीं हुई है।
18. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा-परीक्षकों की तरफ से कोई इस्तीफा प्राप्त नहीं हुए। अतः कंपनी पर आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता।
19. वित्तीय अनुपातों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों का परिपक्वन एवं प्रत्याशित प्राप्ति की तिथि एवं वित्तीय देयताओं के भुगतान, कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणिकाओं के साथ प्रस्तुत अन्य जानकारी के आधार पर निदेशक बोर्ड तथा प्रबंधन की योजना के संबंध में लेखा-परीक्षकों की जानकारी के अनुसार हमारे मत में लेखा-परीक्षण रिपोर्ट की तारीख तक कोई सामग्री अनिश्चितता नहीं है तथा कंपनी तुलन पत्र की वर्तमान तारीख तक तथा जैसे ही तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष तक के लिए देय होने वाली देयताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है।
20. (ए) चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य के संबंध में संबंधित अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय नियम के अनुपालन में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छह महीनों के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दिए गए अनुसार कंपनी ने अप्रयुक्त रकम को निर्धारित निधि में हस्तांतरित किया है।
(बी) चालू परियोजनाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधानों के अनुसराण में उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के अंदर कंपनी ने पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के निहित अप्रयुक्त रकम को हस्तांतरित किया है।
21. अतः स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा-परीक्षण के संबंध में कंपनी पर आदेश के खंड 3(XXi) के अंतर्गत रिपोर्ट जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी सम्मिलित नहीं की गई है।

मेसर्स जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 016192एन
ह/-

सीए जसमिन्दर सिंह
साझेदार
एम. सं. 096895

यूडीआईएन : 24096895बीकेएलएनओ7193

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 22.05.2024

लेखा-परीक्षक के स्वतंत्र रिपोर्ट के लिए संलग्नक - सी

(कामराजर पोर्ट लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका पर समसंख्यक लेखा-परीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट में "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 25(एफ) में संदर्भित संलग्नक)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप - धारा 3 के खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के संयोजन में 31 मार्च 2024 तक मेसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पण में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के इन जिम्मेदारियों में अधिनियम की आवश्यकताओं के अंतर्गत पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखेबाजी एवं गलतियों का रोकथाम, लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं शुद्धता, समय पर विश्वसनीय जानकारी तैयार करने जैसी जिम्मेदारियां भी सम्मिलित हैं जो उसके व्यवसाय की प्रक्रिया चालू रखने के साथ-साथ कंपनी की नीति का अनुपालन करते हुए व्यवस्था एवं सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं और वे सही तरह प्रचालित भी किए जाते थे।

लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपने लेखापरीक्षण कार्य के आधार पर अपना मत व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पण एवं लेखापरीक्षणों पर मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर यथा लागू निर्धारित मानकों के अनुसरण में लेखापरीक्षण किया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा-परीक्षण द्वारा लागू होते हैं तथा दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। उक्त मानक एवं मार्गदर्शन टिप्पणों के अनुसार यह अनिवार्य है कि हम यह उचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू किए तथा ऐसे नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावशाली ढंग से प्रचालित किए जाते हैं।

हमारे लेखा-परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रभाववात्मक प्रचालन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण सबूत प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, सामग्री कमजोरी की मौजूदगी के जोखिम का मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना एवं प्रचालन प्रभाववात्मकता का मूल्यांकन एवं परीक्षण के कार्य भी सम्मिलित हैं। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणिकाओं में सामग्री संबंधी गलत कथन के जोखिमों का मूल्यांकन, चाहे वे धोखेबाजी या गलती के कारण क्यों न हों उसके साथ लेखा-परीक्षक के निर्णय पर आधारित होते हैं।

हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि हमने कंपनी के कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपने लेखा-परीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए जो सबूत प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त एवं उचित हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग का अर्थ

कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग वह प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अपनाई जाती है तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणिकाएं तैयार की जाती हैं। एक कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रियाओं में वे सभी नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) उन रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित हैं जो कंपनी के लेन-देन तथा परिसंपत्तियों के निपटान को निष्पक्ष एवं शुद्ध रूप में प्रस्तुत कीतह हैं (2) लेन-देन के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि उन्हें सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणिकाएं तैयार करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक पद्धतियों द्वारा रिकार्ड किए जाते हैं, तथा कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय प्रबंधन एवं निदेशकों द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर ही होते हैं (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान को रोकने अथवा समय पर पहचानने का मौका देती हैं जिनकी वजह से वित्तीय विवरणिकाओं पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं

चूंकि, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का उल्लंघन करने की संभावना भी शामिल है, गलती या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकती हैं और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के तथ्य, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियां या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा कम हो सकती है।

हमारा मत

हमारी राय में सभी पहलुओं में कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था है तथा ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावशाली ढंग से प्रचालित थे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में उद्धृत अनिवार्य तत्वों को ध्यान में रखते हुए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदण्ड स्थापित किए।

मेरसं जसमिन्दर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए
सनदी लेखाकार

एफआरएन 016192एन

ह/-

सीए जसमिन्दर सिंह

साझेदार

एम. सं. 096895

यूडीआईएन : 24096895वीकेएएलएनओ7193

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 22.05.2024

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआईएन:यू45203टिएन1999पिएलसी043322

पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) & तीसरी मंजिल, "जवाहर बिल्डिंग", न.17, राजाजी साल, चेन्नै - 600 001.

31 मार्च 2024 तक परिसंपत्तियां एवं देयताओं का विवरण

(राशी लाख में)

विवरण	नोट सं	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
परिसंपत्तियां		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
गैर वर्तमान परिसंपत्तियां			
(ए) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4	312955.22	271221.35
(बी) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	4 A	1738.53	1834.41
(सी) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	5	27438.85	43763.51
(डी) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	6	169.62	171.36
(ई) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	4190.31	4151.19
(ii) ऋण एवं अविम	8	297.35	299.46
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	442.82	440.89
(एफ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां	10	-	3959.37
(जी) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	11	7573.37	11625.13
		354806.06	337466.66
वर्तमान परिसंपत्तियां			
(ए) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्तियां	12	7537.95	5875.87
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	13	12080.19	8756.70
(iii) ऋण एवं अविम	8	122.42	82.64
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	261.63	988.41
(बी) वर्तमान कर परिसंपत्तियां	14	3261.60	3620.95
(सी) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	11	1587.86	1663.77
		24851.65	20988.34
कुल परिसंपत्तियां		379657.72	358455.00
ईविबटी एवं देयताएं			
ईविबटी			
(ए) ईविबटी शेयर पूंजी	15	30000.00	30000.00
(बी) अन्य ईविबटी		261088.98	235637.95
		291088.98	265637.95
देयताएं			
गैर वर्तमान देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण	16	44783.19	48773.52
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	570.69	551.01
(बी) अन्य गैर वर्तमान देयताएं	19	6390.52	6874.95
(सी) आस्थगित कर देयताएं (निवत)	10	9675.02	-
		61419.42	56199.48
वर्तमान देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण	16	3301.25	10550.76
(ii) व्यापार भुगतान			
- सूक्ष्म एवं छोटे संचर्मों को बकाया देय	20	1605.69	435.43
- सूक्ष्म एवं उद्यमों को छोड़कर ऋणदाताओं को बकाया देय	20	6536.62	3578.58
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	431.55	417.67
(बी) वर्तमान कर देयताएं	14	-	-
(सी) अन्य वर्तमान देयताएं	19	6465.51	5825.66
(डी) प्रावधान	18	8808.69	15809.46
		27149.32	36617.58
कुल ईविबटी एवं देयताएं		379657.72	358455.00
लेखाओं की टिप्पणियां	30		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 से 3		
वित्तीय विवरणिकाओं का एक भाग बननेवाले उपयुक्त संदर्भित टिप्पणियां			

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-
सुनील पालीवाल, मा.प्र.से.

अध्यक्ष
दिन : 01310101

ह/-
कविता सात्वी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 22.05.2024

ह/-
जे पी आइरीन सिन्धिया, मा.प्र.से.

प्रबंध निदेशक
दिन : 08839241

ह/-
जयलक्ष्मी श्रीनिवासन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

मेसर्स जसमिंदर सिंह एवं असोसियेट्स के लिए

सनदी लेखाकार एफआरएन016192एन

ह/-
सनदी लेखाकार जसमिंदर सिंह
साझेदार एम न, 096895
उद्दीन : 24096895बीकेएलएनओ7193

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआईएन:यू45203टिएन1999पिएलसी043322

पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) & तीसरी मंजिल, "जवाहर बिल्डिंग", न.17, राजाजी साहू, चेन्नै - 600 001.

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की विवरणिका

(राशी लाख में)

विवरण	नोट सं	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आय		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
i) प्रचालनों से राजस्व	21	106221.97	98272.23
ii) अन्य आय	22	1921.62	2650.27
कुल आय		108143.59	100922.50
व्यय			
i) प्रचालन लागत	23	10476.64	9834.16
ii) कर्मचारी लाभ लागत	24	2074.27	2078.78
iii) वित्त लागत	25	6262.61	5870.38
iv) मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	26	7554.97	6177.82
v) अन्य व्यय	27	5115.95	4534.50
कुल व्यय		31484.44	28495.64
विशिष्ट मद एवं कर से पूर्व लाभ		76659.15	72426.87
विशिष्ट मद	28	-	14688.36
कर से पहले लाभ		76659.15	57738.50
घटा : कर व्यय			
- वर्तमान कर	10	13393.89	10088.07
- आस्थगित कर	10	13697.23	10300.21
जारी प्रचालन अवधि से लाभ		27091.12	20388.29
समाप्त प्रचालनों से लाभ / (हानि)		49568.03	37350.21
समाप्त प्रचालनों से कर व्यय		-	-
कर के बाद समाप्त प्रचालनों से लाभ		49568.03	37350.21
I वर्ष का लाभ			
II अन्य विस्तृत लाभ			
i) वे मद जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
a) - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	10	(218.96)	(93.19)
घटा : उपर्युक्त पर आयकर		76.52	32.56
b) - ईविटटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन		39.12	(3.37)
घटा : उपर्युक्त पर आयकर		(13.67)	1.18
अन्य विस्तृत आय		(117.00)	(62.82)
अवधि के लिए कुल विस्तृत आय		49451.03	37287.39
प्रति ईविटटी शेयर से अर्जन :			
(1) मूल	29	16.52	12.45
(2) डायल्यूट किया गया		16.52	12.45
लेखाकों को टिप्पणियां	30		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 से 3		
उपर्युक्त के संदर्भ में वित्तीय विवरणिकाओं की एक भाग बननेवाली टिप्पणियां			

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-
सुनील पालीवाल, गा.प्र.से.

अध्यक्ष
डिन : 01310101

ह/-
कविता सात्वती
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 22.05.2024

ह/-
जे पी आइरीन सिन्थिया, गा.प्र.से.

प्रबंध निदेशक
डिन : 08839241

ह/-
जयलक्ष्मी श्रीनिवासन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

मेसर्स जसमिंदर सिंह एवं
असोसियेट्स के लिए
सनदी लेखाकार एफआरएन.016192एन

ह/-
सनदी लेखाकार जसमिंदर सिंह
साझेदार एम न. 096895
उडीन : 24096895 बीकेएएल न.7193

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआईएन:यू45203टिएन1999पिएलसी043322

पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) & तीसरी मंजिल, " जवाहर बिल्डिंग", न.17, राजाजी सालैं, चेन्नै - 600 001.

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणिका

(राशी लाख में)

विवरणिका	समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
ए. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकद प्रवाह	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
कर से पहले निवल लाभ / हानि	76659.15	57738.50
समायोजन :-		
नियत परिसंपत्तियों के विक्रय पर हानि / (लाभ)	1.02	-
अवमूल्यन	7554.97	6177.82
व्याज एवं वित्तीय प्रभार	6256.55	5864.68
प्रत्याशित क्रेडिट हानि का प्रावधान	1.41	-
विशिष्ट मद	-	14,057.64
व्याज आय	(1316.56)	(1086.44)
सक्रिय पूंजी परिवर्तनों से पहले प्रचालन लाभ	89156.53	82752.21
समायोजन :-		
ऋण एवं अग्रिम (गैर वर्तमान)	2.11	61.41
अन्य परिसंपत्तियां (गैर वर्तमान)	(1.94)	-
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	132.10	30.88
व्यापार से प्राप्य	(1663.49)	(86.94)
ऋण एवं अग्रिम	(39.79)	(32.90)
अन्य परिसंपत्तियां	726.78	(759.68)
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	75.92	(130.97)
अन्य वित्तीय देयताएं (गैर वर्तमान)	19.68	115.81
गैर वर्तमान देयताएं	(484.43)	(471.10)
व्यापार देय	4128.31	885.14
अन्य वित्तीय देयताएं	13.88	(90.36)
अन्य वर्तमान देयताएं	639.84	324.81
प्रावधान	(7219.74)	324.75
वर्तमान कर भुगतान	(13034.54)	(12840.36)
प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से / (प्रयुक्त) निवल नकद	72451.23	70082.69
बी. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण का व्यय	(32867.57)	(24202.26)
पूँजी अग्रिम	3919.65	(3636.77)
म्यूचुअल फण्डों से अल्पकालिक लाभ	-	-
व्याज से आय	1316.56	1086.44
निवेश क्रियाकलापों से / (प्रयुक्त) निवल नकद	(27631.35)	(26752.59)
सी. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
वर्ष के दौरान भुगतानित लाभों/हानि	(24000.00)	(27000.00)
वर्ष के दौरान लिए गए ऋण	-	-
वर्ष के दौरान वापस किए गए ऋण	(11239.84)	(11079.82)
व्याज और वित्तीय प्रभार	(6256.55)	(5864.68)
वित्तीय क्रियाकलापों से / (प्रयुक्त) निवल नकद	(41496.38)	(43944.50)
डी. नकद एवं नकद समतुल्यों में निवल बढ़ोतरी / (कमी)	3323.49	(614.41)
ई. अश्वशेष नकद एवं नकद समतुल्य	8756.70	9371.11
एफ. अंतिम नकद एवं नकद समतुल्य	12080.19	8756.70

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

मेसर्स जसमिंदर सिंह एवं
असोसियेट्स के लिए

समदी लेखाकार एकअरएन.016192एन

ह/-
सुनील पालीवाल, मा.प्र.से.

अध्यक्ष
दिन : 01310101

ह/-
कविता सात्वी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 22.05.2024

ह/-
जे पी आइरीन सिन्थिया, मा.प्र.से.

प्रबंध निदेशक
दिन : 08839241

ह/-
जयलक्ष्मी श्रीनिवासन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

ह/-
सनदी लेखाकार जसमिंदर सिंह
साझेदार एम नं. 096895
उडीन : 24096895बीकेएएलएनओ7193

ईक्विटी में परिवर्तनों की विवरणिका – 31 मार्च 2024 तक अथशेष

ईक्विटी शेयर पूंजी

अप्रैल 2023 को अथशेष	वर्ष के दौरान शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2024 को शेषराशि
30,000	-	30,000

1 अप्रैल 2022 को अथशेष	वर्ष के दौरान शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2023 को शेषराशि
30,000	-	30,000

अन्य ईक्विटी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	डिबेंचर पुनर्प्राप्ति आरक्षित	आरक्षित एवं अधिशेष		ईक्विटी के अन्य घटक		कुल
		सामान्य आरक्षित	आरक्षित आव	निवल परिभाषित लाभ देयता / परिसंपत्ति का पुनः मापन	FVTOCI – निवेश	
	(रुपए लाखों में)					
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में अधिशेष	6575.47	7902.00	223074.30	42.96	(1956.79)	235637.95
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	0.00	0.00	49568.03	0.00	0.00	49568.03
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	(142.45)	25.45	(117.00)
आरक्षित आय से हस्तांतरण	(1530.52)	0.00	1530.52	0.00	0.00	0.00
अंतिम लाभांश – वित्तीय वर्ष 2022–23	0.00	0.00	(24000.00)	0.00	0.00	(24000.00)
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिशेष	5044.95	7902.00	250172.86	(99.49)	(1931.34)	261088.98

अन्य ईक्विटी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	डिबेंचर पुनर्प्राप्ति आरक्षित निधि	आरक्षित एवं अधिशेष		ईक्विटी के अन्य घटक		कुल
		सामान्य आरक्षित निधि	आरक्षित आय	निवल परिभाषित लाभ देयता / परिसंपत्ति का पुनः मापन	FVTOCI – निवेश	
(रुपए लाखों में)						
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में अधिशेष	7993.23	7902.00	211306.33	103.59	(1954.60)	225350.55
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	0.00	0.00	37350.22	0.00	0.00	37350.22
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	(60.63)	(2.19)	(62.82)
आरक्षित आय से हस्तांतरण	(1417.76)	0.00	1417.76	0.00	0.00	0.00
लाभांश – वित्तीय वर्ष 2021-22	0.00	0.00	(21000.00)	0.00	0.00	(21000.00)
अंतरिम लाभांश – वित्तीय वर्ष 2022-23	0.00	0.00	(6000.00)	0.00	0.00	(6000.00)
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिशेष	6575.47	7902.00	223074.30	42.96	(1956.79)	235637.95

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

CIN: U45203TN1999PLC043322

द्वितीय मंजिल (उत्तर विंग) & तृतीय मंजिल, जवाहर भवन, 17, राजाजी सालै, चेन्नै - 600 001

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण

1. कॉर्पोरेट जानकारी :

कामराजर पोर्ट लिमिटेड, भारत में अधिवासित कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी प्रायः जमीनदार पोर्ट मॉडल की तरह कार्य करता है, इन कार्यों में उनके प्रकार्य, सम्पूर्ण योजना, विकास, पोर्ट एवं सामूहिक अवरसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए निवेश इकट्ठित करने तक सीमित हैं। आमतौर पर टर्मिनलों एवं प्रचालनों के विकास कार्यों को निजी प्रचालक / कैंपटिव उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया है।

2. तैयारी का आधार :

कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 के परिवर्तित तारीख के साथ 01 अप्रैल 2015 से प्रभावी भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार कंपनी ने भारतीय लेखांकन नीति को अपनाया है।

वित्तीय विवरणों में ईक्विटी शेयरों को छोड़कर सम्मिलित सभी राशियां भारतीय रुपयों (रुपए लाखों में) में रिपोर्ट किए गए हैं, जिन्हें संख्याओं में अभिव्यक्त किया गया है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

3.1. प्राक्कलन एवं निर्णय का प्रयोग :

कंपनी के स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति और देयताओं की रिपोर्ट की गई रकम तथा प्रकटीकरणों के साथ आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं।

3.2. प्रकार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा :

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किया गया है जो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है और कंपनी का प्रकार्यात्मक मुद्रा है।

3.3. राजस्व मान्यता :

i) सेवाओं से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्त होनेवाले प्रतिफल के कुल छूट के मूल्य पर लिया जाता है जिसमें करों और शुल्कों को शामिल नहीं किया जाता है। प्रदत्त सेवा से प्राप्त राजस्व को सेवाएं पूर्ण करने के बाद उल्लेख किया जाएगा। निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है :

i) राजस्व की राशि को विश्वसनीयता के साथ लिया जा सकता है;

ii) यह संभव है कि लेन-देन से संबंधित आर्थिक लाभ, संस्था में मिल जाएंगे।

iii) लेन-देन की लागत और लेन-देन पूरा करने की लागत को विश्वसनीयता से लिया जा सकता है।

iv) इसके संग्रह के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं है।

राजस्व प्रवाह में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

i) वेसल संबंधित आय

ii) कार्गो संबंधी आय

iii) बीओटी एवं अन्य पोर्ट/ कैंपटिव उपयोगकर्ताओं पर से होनेवाले भूमि एवं जल क्षेत्र द्वारा राजस्व भाग एवं लाइसेन्स शुल्क

iv) समग्र टैरिफ

निम्नलिखित प्रस्तुत विवरण में राजस्व के हर भाग के संबंध में राजस्व मान्यता :

i) वेसल संबंधी आय

जहाज से संबंधित आय में जहाजों के प्रबंधन से होनेवाली आय सम्मिलित है। पोत संबंधी प्रचालनों से संबंधित राजस्व का उल्लेख विशिष्ट सेवाएं पूर्ण करने के बाद ही किया जाएगा।

ii) कार्गो संबंधी आय

कार्गो संबंधी आय में कार्गो से संबंधित सेवाएं प्रदान किए जाने पर प्राप्त आय सम्मिलित है तथा संबंधित सेवाएं पूर्ण किए जाने पर ही उनका उल्लेख किया जाएगा।

iii) बीओटी / कैंपटिव उपयोग के आधार पर भूमि एवं जल क्षेत्र लीज करने

ए) बीओटी प्रचालकों से प्राप्त राजस्व का परिकलन, वित्तीय वर्ष के अंत तक वृद्धि आधार पर छूट / लाइसेन्स करार के अनुसरण में कोट किए गए % पर किया जाता है।

बी) सामान्य मुद्रास्फीति प्रवृत्ति के अनुरूप स्वतः वृद्धि युक्त प्रचालन लीज से आय को ठेके के शर्तों के अनुसार हिसाब किया जाता है।

सी) अन्य प्रचालन लीज से आय को लीज के शर्त के आधार पर उल्लेख किया जाता है।

डी) आकस्मिक किराए को उस अवधि के आय के रूप में उल्लेख किया जाता है जिसमें वे जमा किए जाते हैं।

iv) समग्र टैरिफ

समग्र टैरिफ उस अर्जित आमदनी का प्रतिनिधित्व करता है जो कैपिटल उपयोगकर्ताओं को समग्र टैरिफ के रूप में देकर प्राप्त किया जाता है।

2 निवेशों से लाभांश आय का वहां उल्लेख किया जाता है जहां कंपनी को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा यह संभाव्य है कि लेन-देन के साथ संबद्ध आर्थिक लाभ कंपनी में सम्मिलित होते हैं और आय की रकम को विश्वसनीयता के साथ लिया जा सकता है।

3 ए. वित्तीय लिखतों से ब्याज की आय का वहां उल्लेख किया जाता है जहां संभाव्य आर्थिक लाभ कंपनी में सम्मिलित होते हैं और आय की रकम को विश्वसनीयता के साथ लिया जा सकता है। ब्याज से आय, बकाया मूलधन के संदर्भ में एवं लागू प्रभावी ब्याज दर द्वारा समय के आधार पर उपचयति होते हैं, वह दर है जो प्रारंभिक मान्यता पर उस साधन की शुद्ध वहन राशि के लिए वित्तीय साधनों के अपेक्षित जीवनकाल के माध्यम से अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को सटीक रूप से छूट देती है।

बी. विलम्बित/विवादित राजस्व पर ब्याज आय को वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है।

3.4. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण :

संचित अवमूलन एवं क्षति, यदि कोई हों तो उन्हें कम करते हुए संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का उल्लेख किया जाता है। लागत यदि कोई हों तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोग हेतु तैयार होने तक प्रबंधन की इच्छानुसार सीधे अधिग्रहण के साथ जोड़कर लाभ उठाया जाता है। कंपनी, सीधी-रेखा पद्धति इस्तेमाल करते हुए परिकल्पित उपयोगी चीजों पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अवमूलन करता है।

यदि और केवल तभी जब मद के साथ भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होते हैं तथा मद की लागत को विश्वसनीयता के साथ लिया जा सकता है। पिपिई मद की लागत नकद दर है जो उल्लेख की तारीख के समतुल्य है।

पिपिई मद की लागत में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

i) खरीद मूल्य, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद कर शामिल हैं, व्यापार छूट, छूट, करों/शुल्कों और उपकरण को घटाने के बाद, जिस पर पूंजीगत वस्तुओं के लिए इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाया गया है।

ii) पिपिई को स्थान पर लाने के लिए सीधे लागत से जुड़े और प्रबंधन द्वारा निर्धारित पद्धतियों से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्तें।

iii) वस्तु काजिस पर वह स्थित है, उसके विखंडन एवं हटाने तथा उस स्थान को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान।

संबंधित परिसंपत्ति वर्ग में वर्ष के दौरान दिए गए वर्ष में परिसंपत्ति के कमिशनिंग की तारीख तक लाभ प्राप्त करने के ऐसे आदेशों पर परियोजना दावे एवं ब्याज पर निर्विरोध माध्यस्थता आदेशों के कारण कंपनी द्वारा रकम देय हो जाते हैं। ठेकेदार को ऐसे आदेशों पर परिसंपत्ति के कमिशनिंग की तारीख के बाद ब्याज देय हो जाते हैं, उन्हें आदेश वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में लिया जाता है।

जब संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के मद के भागों के भिन्न भिन्न उपयोग काल होते हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण जैसे अलग-अलग (मुख्य घटक) मदों के अंतर्गत हिसाब किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के मद के निपटानों के लाभ एवं हानि को उनके वहनीय रकम के साथ निपटान से प्राप्ति राशि की तुलना द्वारा बताया जाता है तथा उन्हें लाभ या हानि की के विवरण में "अन्य आय / अन्य व्यय" के अंतर्गत नेट मूल्य में उल्लेख किए जाते हैं।

कंपनी ने उल्लेख के लिए लागत मॉडल का चयन किया है तथा उक्त मॉडल को सभी परिसंपत्तियों के वर्ग पर लागू किया जाता है। परिसंपत्ति के रूप में लेख प्राप्त करने के बाद पिपिई के मद को उसकी लागत के साथ बताया जाता है जो किसी भी प्रकार के संचित मूल्यहास तथा संचित हानि कम करते हुए किया जाता है।

प्रमुख मरम्मत एवं पूरी जांच मरम्मत की लागत :

कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वहन राशि में मद जिसे प्रतिस्थापित करने की व्ययित लागत, प्रमुख मरम्मत/ पूर्ण जांच मरम्मत की लागत का उल्लेख करती है, जब वे उल्लेख मानदण्डों को पूरा करते हैं। मद की मरम्मत/ पूरी जांच मरम्मत के शेष उपयोगी काल में प्रतिस्थापित भाग एवं मरम्मत की लागत के परिशोधन की वहन राशि को विमान्य किया जाता है।

3.5.अमूर्त परिसंपत्तियां

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को संचित मूल्यहास एवं हानिक यदि कोई हों तो उन्हें कम करते हुए लागत पर उनका उल्लेख किया जाता है।

पहचान करने योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों को वहां उल्लेख किया जाता है जहां परिसंपत्ति पर कंपनी का पूरा नियंत्रण होता

है; यह संभव है कि संबंधित परिसंपत्तियों से प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभ पूर्ण एक आर्थिक अवधि से अधिक समय के लिए कंपनी में सम्मिलित होते हैं। परिशोधन, सीधे लाइन पद्धति (एसएलएम) पर दिया जाता है जो अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के उपयोगी काल के प्रबंधन आकलन बताता है।

निश्चित काल युक्त अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोगी आर्थिक काल पर परिशोधित किया जाता है तथा जब भी उक्त अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति की हानि हो सकने का संकेत मिले तो उसकी हानि के लिए मूल्यांकित किया जाता है। अन्य परिसंपत्ति के वहन मूल्य के भाग बनने तक निश्चित काल युक्त अमूर्त परिसंपत्तियों के हानि व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में उल्लेख किया जाता है।

3.6. मूल्यहास

पिपिई मद की मूल्यहास राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित पद्धति में बताए गए अनुसार सीधी रेखा आधार पर आबंटित किया जाता है।

पिपिई के मद के हर भाग की लागत जो परिसंपत्ति की कुल लागत से संबंधित है, वह परिसंपत्ति को अवमूल्यित करता है तथा उक्त भाग का उपयोगी काल परिसंपत्ति के शेष भाग से भिन्न होता है। ऐसे सभी मदों पर मूल्यहास उनके "उपयोग के लिए उपलब्ध" की तारीख से विक्रय/ निपटान की तारीख दिया जाता है जिसमें अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की हानि भी सम्मिलित है। मुक्त भूमि का मूल्यहास नहीं होता है। पिपिई मद को निपटान पर या भावी आर्थिक लाभ के नहीं होने पर विमान्यीकृत किया जाता है जब उक्त परिसंपत्ति के सतत उपयोग से होने की आशा की जाती है। पोर्ट विशिष्ट परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यहास को उस तारीख से निश्चित किया जाता है जहां से उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल के अनुरूप ऐसे आदेश पारित और स्वीकृत किए जाते हैं

3.7. उधार की लागतें

कंपनी, उधार की लागतों से लाभ प्राप्त करता है जो सीधा अधिग्रहण, संकीर्णन या अर्हक परिसंपत्ति से संबद्ध हैं तथा उत्पादन की परिसंपत्ति की लागत के एक भाग हैं। कंपनी, अन्य उधार लागतों का भी उल्लेख किया जाता है जो परिसंपत्ति की लागत के एक भाग हैं। कंपनी अन्य उधार लागतों को संबंधित अवधि में व्यय के रूप में उल्लेख किया जाता है जिनका व्यय वह वहन करती है। एक अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जो आवश्यक रूप से उसके उपयोग या विक्रय के लिए तैयार होने तक की अवधि का समय लेती है।

जहां तक कंपनी उधार लेती है, वह सामान्य रूप से अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए उपयोग करती है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत की राशि की गणना,

व्ययित राशि को पूंजीकरण दर पर लागू करके की जाती है। अर्हक परिसंपत्तियों के क्रय हेतु विशिष्ट रूप से लिए गए उधार को छोड़कर, पूंजीकरण दर को उधार की लागतों के भारित औसत पर निर्धारित किया जाता है। इनमें उधार की लागतों में समायोजन किए जाने तक विनिमय भिन्नताएं सम्मिलित हैं।

3.8. विदेशी मुद्रा लेन-देन:

प्रकार्यात्मक मुद्राओं को छोड़कर अन्य मुद्रा में किए गए लेन-देनों को लेन-देन की तारीखों में प्रचालित विनिमय दरों उल्लेख की गई है।

हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय मद वित्तीय मद जिन्हे विदेशी मुद्रा द्वारा अंकित किया गया है, उन्हें रिपोर्ट करने की तारीख पर प्रचालित दरों में रूपांतरित किया गया है।

विदेशी मुद्रा वित्तीय मदों को (अतिदेय प्राप्य का निष्पादन अनिश्चित है, उसे छोड़कर) भारतीय लेखांकन नीति-21 में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार अंतिम दर इस्तेमाल करते हुए रूपांतरित किया जाता है। गैर-वित्तीय मदों को लेन-देन की तारीख के विनिमय दर इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट किया जाता है। विनिमय भिन्नता लाभ/हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में उल्लेख की गई है।

3.9. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को जहां अनुदान के लिए प्राप्त होने के उचित आश्वासन के साथ संबंधित शर्तों का अनुपालन किया जाता है, वहां उल्लेख किया जाता है। इन अनुदानों को अनुदान की प्रवृत्ति के आधार पर परिसंपत्तियों या राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आरंभिक स्तर पर मूल्यहास योग्य संपत्तियों से संबंधित अनुदान को आस्थगित राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है तथा इसके क्रम में उन्हें ऐसे योगदान से परिसंपत्ति के उपयोगी काल के व्यवस्थित आधार पर आमतौर पर प्राप्त अवक्षयी परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यहास में उसी अनुपात में लाभ एवं हानि की विवरणिका में उल्लेख किया जाता है। प्राक्कलन में परिवर्तनों को परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल पर उत्तरव्यापी प्रभाव से उल्लेख किया जाता है।

राजस्व अनुदान के रूप में प्राप्त अनुदानों को संबंधित लागतों की अवधि के व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में उल्लेख किया जाता है जिसके लिए उसे क्षतिपूर्ति करनी है, उसका व्यय किया जाना है।

गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में अनुदान जैसे भूमि एवं अन्य स्रोतों को उचित मूल्य के रूप में उल्लेख किया जाता है, जिसे बुनियादी परिसंपत्ति के उपभोग लाभ के पैटर्न में प्रत्याशित उपयोग काल पर लाभ एवं हानि की विवरणिका में आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

भारत योजना के अंतर्गत सेवा निर्यात (एसईआईएस) के अंतर्गत अनुदानों का वहां उल्लेख किया जाता है जहां अनुदान के साथ संलग्न शर्त पूर्ण किए गए हैं और यह कि अनुदान प्राप्त होने के उचित आश्वासन हैं। इन्हें उस अवधि में उल्लेख किया जाता है जिसमें उन्हें प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है यानी वह वर्ष जिसमें एसईआईएस अनुदान के लिए योग्य सेवाएं प्रदान की गईं।

3.10. प्रावधान

प्रावधानों का वहां उल्लेख किया जाता है जहां कंपनी को पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं (कानूनी अथवा निर्माणात्मक) हैं, संभव है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता है तथा दायित्व की राशि से एक विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

प्रावधानों का हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनरीक्षण किया जाता है तथा उन्हें वर्तमान उत्कृष्ट प्राक्कलन को उल्लेख करने के लिए समायोजित किया जाता है। प्रावधान को तब वापस लिया जाता है जब दायित्व को निपटाने के लिए बाह्य प्रवाह के संगठनात्मक आर्थिक लाभों की आवश्यकता होने की संभावना नहीं है।

यदि वित्त के समय मूल्य का प्रभाव मातृक है प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर दर इस्तेमाल करते हुए छूट दिया जाता है जो औचित्य के अनुसार देयताओं के लिए विशिष्ट खतरों को उल्लेख करता है। जब छूट प्रदान करने की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है समय बीतने के साथ-साथ प्रावधान में बढ़ोतरी को वित्तीय लागत के रूप में उल्लेख किया जाता है।

3.11. आकस्मिक देयता / परिसंपत्तियां :

आकस्मिक देयता

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख नहीं किया जाता है लेकिन उन्हें लेखा टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है जब कंपनी के पूर्व घटनाओं के कारण संभाव्य देयताएं हैं तथा देयताओं का अस्तित्व भावी घटनाओं के होने या न होने पर आधारित है जो पूर्ण रूप से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

आकस्मिक देयताओं का सतत मूल्यांकन, आर्थिक स्रोतों के बाह्य प्रवाह के होने या न होने की संभावनाओं को निश्चित करने के लिए किया जाता है। यदि बाह्य प्रवाह संभाव्य है तो वित्तीय विवरणिकाओं में संबद्ध प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है।

जहां इकाई संयुक्त रूप से एवं पृथक् रूप से दायित्व के लिए उत्तरदायी है, दायित्व का वह हिस्सा जो अन्य पार्टियों द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है उसे भी एक आकस्मिक दायित्व के रूप में माना जाता है। इकाई किसी प्रावधान को देयता के उस

भाग में उल्लेख किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ को रूप देनेवाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह होना संभाव्य बन जाता है, केवल उन्हीं विरल स्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां :

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणिकाओं में उल्लेख नहीं की जाती है न ही उन्हें टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

3.12. कर्मचारी लाभ :

i) परिभाषित लाभ योजना :

उपादान, छुट्टी नकदीकरण / लाभ एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान, अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि इस्तेमाल करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक लाभ एवं हानि युक्त पुनरु मापन, परिसंपत्ति सीमा पर परिवर्तन का प्रभाव तथा ब्याज को छोड़कर (यदि लागू हो) योजना संपत्तियों पर वसूली को जिस अवधि में वे होते हैं उस अवधि में अन्य विस्तृत आय में चार्ज या क्रेडिट के साथ तुरंत वित्तीय स्थिति की विवरणिका में व्यक्त किया जाता है। पुनरुमापन को अन्य विस्तृत आय में बताया जाता है जिसका आरक्षित आय में तुरंत उल्लेख किया जाता है तथा उसे लाभ या हानि की विवरणिका में पुनरु वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

ii) परिभाषित अंशदान योजना :

भविष्य निधि में अंशदान को वृद्धि आधार पर व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

iii) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ :

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताओं को छूट रहित आधार पर लिया जाता है तथा संबंधित सेवाएं प्रदान किए जाने पर व्ययित होते हैं। यदि कंपनी द्वारा कर्मचारी प्रदत्त पूर्व सेवा के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या निर्माणात्मक दायित्वों की राशि का भुगतान किया जाना है तथा दायित्वों का प्राक्कलन विश्वसनीयता के साथ किया जाता है तो दायित्वों के प्रत्याशित भुगतान रकम का उल्लेख अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के अंतर्गत किया जाता है।

3.13. कर-निर्धारण

आयकर व्यय, वर्तमान कर एवं आस्थगित कर जोड़ का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान कर

वर्तमान कर, वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। लाभ और हानि विवरणिका तथा अन्य विस्तारित आय में रिपोर्ट किए गए अनुसार 'कर योग्य लाभ' लाभ पूर्व कर से भिन्न है तथा

उनका वर्गीकरण आगामी वर्षों में कर योग्य अथवा काट जा सकनेवाले आय या व्यय के मद में तथा कर योग्य न होने अथवा नहीं काटे जाने के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। कंपनी के वर्तमान कर का आकलन कर दर का प्रयोग करते हुए किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को रिपोर्ट की जानेवाली तारीख वित्तीय उद्देश्यों के लिए तुलन पत्र पद्धति इस्तेमाल करते हुए कर आधार एवं परिसंपत्तियों के बीच स्थायी भिन्नताएं तथा वहन राशियों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

हर रिपोर्टिंग तारीख पर वहन राशि के आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनरीक्षण किया जाता है तथा उसे उस हद तक घटाया जाता है जहां तक परिसंपत्ति के पूर्ण अथवा किसी भाग के उपयोग की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होने की कोई संभावना नहीं है। हर रिपोर्टिंग तारीख पर अमान्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनरु पुनरीक्षण किया जाता है तथा वहां तक मान्यता दी जाती है जहां तक वे आगामी कर योग्य लाभ, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल करने की अनुमति देंगे।

आस्थगित कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जिन्हें उन कर दरों को अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए हैं जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा होती है जिसमें देयता को निपटाया गया हो अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की गई।

यदि वर्तमान आयकर देयताओं के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को निर्धारित करने का वैधानिक प्रवर्तनीय अधिकार है जहां आस्थगित कर परिसंपत्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं को निर्धारित किया जाता सकता है तथा आस्थगित कर, वही कर योग्य मद एवं वही कर निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित है।

आस्थगित कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों को निपटाने के बाद उनके प्रमुख घटकों के पृथकों के रूप में तुलन पत्र की तारीख प्राप्त की जाती है।

वर्ष के लिए वर्तमान एवं आस्थगित कर

वर्ष के लिए वर्तमान एवं आस्थगित कर उन मदों से संबंधित हैं जो अन्य विस्तृत आय में या सीधे इक्विटी में उल्लेख किए जाते हैं लाभ या हानि में वर्तमान एवं आस्थगित कर का उल्लेख किया जाता है तथा इस मामले में वर्तमान एवं आस्थगित कर भी अन्य विस्तृत आय में या सीधे इक्विटी में मान्य बन जाते हैं। जहां किसी व्यावसायिक संयोग के लिए प्रारंभिक लेखा से वर्तमान कर या आस्थगित कर निर्धारित होते हैं, कर प्रभाव, व्यावसायिक संयोग के लिए लेखा में सम्मिलित किए जाते हैं।

3.14. नुकसान :

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि (या नकद पैदा करनेवाली इकाई / अचल संपत्ति) को उसकी वहन राशि से कम बताया जाता है तो परिसंपत्ति की वहन राशि (या नकद पैदा करनेवाली इकाई) को उसकी वसूली योग्य राशि तक कम किया जाता है।

वसूली योग्य राशि, निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य घटा उचित मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्यांकन मूल्य में प्राकलित भावी नकद प्रवाह को रकम के समय मूल्य के वर्तमान मार्केट मूल्यांकन बतानेवाले पूर्व-कर छूट दर एवं परिसंपत्ति के वे विशिष्ट जोखिम जिनके भावी नकद प्रवाह के प्राक्कलनों को समायोजित नहीं किया गया है, उनका प्रयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य तक छूट किया जाता है।

जब नुकसान के उत्क्रमण को परिसंपत्ति की वहन राशि (या नकद पैदा करनेवाली इकाई) को उसकी वसूली योग्य राशि के पुनरीक्षित प्राक्कलन तक बढ़ाया जाता है ताकि बढ़ी हुई वहन राशि, मूल वहन राशि से अधिक न हो जाए जिससे कि पूर्व वर्षों में परिसंपत्ति (या नकद राशि पैदा करनेवाली इकाई) के लिए नुकसान न होने की स्थिति बताई जाए। किसी हानि के उत्क्रमण का उल्लेख तब तक लाभ एवं हानि की विवरणिका में तुरंत किया जाता है जब तक संबंधित परिसंपत्ति को पुनरुमूल्यित राशि में लाया न जाए, तथा इस मामले में हानि के उत्क्रमण को पुनरुमूल्यांकन बढ़ोतरी के रूप में लिया जाता है।

हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी अपने मूर्त, अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशियों का पुनरीक्षण करता है ताकि वह यह पता लगा सके कि उन परिसंपत्तियों को कोई हानि हुई है या नहीं। यदि कोई ऐसा संकेत मिलता है तो परिसंपत्ति की वसूली की राशि सही है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत है तो परिसंपत्ति की वसूली की राशि का प्राक्कलन सही है ताकि हानि की स्थिति (यदि कोई हो) निश्चित की जा सके। जब किसी निश्चित परिसंपत्ति की वसूली राशि का प्राक्कलन किया जाना संभव नहीं है तो कंपनी नकद पैदा करनेवाली इकाई की वसूली राशि का प्राक्कलन करती है जिसके अंतर्गत उक्त परिसंपत्ति आती है।

कम से कम वर्ष में एक बार या जब भी परिसंपत्ति की हानि के संकेत मिलने से हानि के लिए अनिश्चित उपयोग काल युक्त अमूर्त परिसंपत्ति एवं उपयोग हेतु अनुपलब्ध अमूर्त परिसंपत्तियों का परीक्षण किया जाता है।

3.15. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति इक्विटी के मूल आय परिकलन, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी धारकों को मिलने वाले शुद्ध लाभ को विभाजित करते हुए किया जाता है। प्रति इक्विटी की सुस्त कमाई का परिकलन, कंपनी के

इक्विटी धारकों के कारण होने वाले शुद्ध लाभ को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करते हुए किया जाता है जो सभी संभाव्य सुस्त कमाई इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जाते हैं।

3.16. वित्तीय उपकरण :

i) गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण :

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों में :

- वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद एवं नकद समतुल्य, व्यवसाय प्राप्ति, कर्मचारी अग्रिम, अन्य अग्रिम, सुरक्षा जमा, इक्विटी सुरक्षाओं में निवेश तथा अन्य अर्हक वर्तमान/गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां सम्मिलित हैं;
- वित्तीय देयताओं में दीर्घ/अल्पकालिक ऋण, ऋण, व्यवसाय भुगतान राशियां, सुरक्षा जमा, अवरोधन एवं अन्य अर्हक वर्तमान/गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां सम्मिलित हैं।

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का उल्लेख, आरंभ में उचित मूल्य में किया जाता है जिसमें उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर लाभ एवं हानि की विवरणिका में मापित उचित मूल्य पर मापित वित्तीय उपकरणों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य तब किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व पारितोषों के पर्याप्त जोखिम एवं प्राप्ति को हस्तांतरित किया गया है। उन मामलों में जहां परिसंपत्तियों के जोखिम एवं पारितोष न ही हस्तांतरित हैं, न ही कायम रखे जाते हैं, वहां वित्तीय परिसंपत्तियों को तभी अमान्य किया जाता है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण कायम नहीं किया है।

प्रारंभिक मान्यता के क्रम में गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का वर्णन निम्नानुसार किया जाता है :

ए) निवेश :

इक्विटी सुरक्षाओं (गौण, संयुक्त स्थापनाएं एवं असोसियेटों को छोड़कर) में निवेशों को उनके उचित मूल्य पर मूल्यित किया जाता है। इन निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है तथा हानि को छोड़कर उनमें परिवर्तनों को अन्य विस्तृत आय विवरणिका में उल्लेख किया जाता है। हानि, यदि कोई हो तो उन्हें अन्य इक्विटी से लाभ एवं हानि की विवरणिका में पुनरुवर्गीकृत किया जाता है। जब वे विक्रय के लिए उपलब्ध हैं तो उन्हें अमान्य किया जाता है, संबंधित संचयी लाभ या हानि को अन्य-इक्विटी में मान्य किया जाता है तो उसे लाभ एवं हानिक की विवरणिका में हस्तांतरित किया जाता है।

बी) ऋण एवं प्राप्तियां :

ऋण एवं प्राप्तियां, सक्रिय मार्केट में कोट नहीं किए गए नियत अथवा निर्धारित करने योग्य गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं। उन्हें वर्तमान परिसंपत्तियों में प्रस्तुत किया जाता है, केवल उन्हें छोड़कर जो 12 महीनों से अधिक अवधि के बाद में मैच्योर हो रहे हैं तथा उन्हें रिपोर्टिंग तारीख के बाद गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। आरंभ में ऋण एवं प्राप्तिओं को उचित मूल्य जोड़ सीधे रोप्य लेन-देन लागतों के रूप में उल्लेख किया जाता है तथा किसी भी प्रकार की हानि को घटाकर प्रभावी ब्याज दर पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऋण एवं प्राप्तिओं में व्यवसाय प्राप्ति, बिल नहीं किए गए राजस्व, कर्मचारी अग्रिम, सुरक्षा जमा भुगतान एवं अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

कंपनी, कंपनी के प्राप्य योग्य ऐतिहासिक भुगतान पैटर्न, ग्राहक कॉन्सन्ट्रेशन, ग्राहक क्रेडिट क्षमता एवं वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों द्वारा इकत्रित नहीं हो पाने वाले लेखाओं का प्राक्कलन करता है। यदि ग्राहक की वित्तीय स्थिति खराब होती है, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त भत्ताओं के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

सी) व्यवसाय एवं अन्य भुगतान :

आरंभ में व्यवसाय एवं अन्य भुगतानों को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है तथा उसके बाद प्रभावी ब्याज पद्धति इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागत में किया जाता है। इन वित्तीय उपकरणों के लिए वहन राशियां इन उपकरणों की अल्पकालिक मेच्यूरिटी के कारण लगभग उचित मूल्य के समतुल्य होते हैं।

डी) सुरक्षा जमा :

प्रारंभ में सुरक्षा जमाओं को उचित मूल्य जोड़ सीधे रोप्य लेन-देन लागतों में उल्लेख किया जाता है तथा बाद में उसे किसी भी प्रकार की हानि कम करते हुए प्रभावी ब्याज पद्धति इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागत में मापा जाता है।

इ) कर मुक्त बॉण्ड :

प्रारंभ में कर मुक्त बॉण्डों को लेन-देन लागतों के उचित मूल्य लागतों में उल्लेख किया जाता है। आगामी अवधियों में कर मुक्त बॉण्डों को प्रभावी ब्याज पद्धति इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागत में प्रस्तुत किया जाता है। ब्याज व्ययों को प्रभावी ब्याज दर इस्तेमाल करते हुए परिशोधित लागतों में बताया जाता है। ब्याज व्ययों को प्रभावी ब्याज दर इस्तेमाल करते हुए कर मुक्त

बॉण्डों के जीवनकाल पर वित्तीय व्यय के रूप में लाभ या हानि की विवरणिका में बताया जाता है।

ii) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

लाभ एवं हानि द्वारा उचित मूल्य की वित्तीय परिसंपत्तियों (एफडबल्यूटीपीएल) से अलग ये वित्तीय परिसंपत्तियों को हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हानि के संकेतकों को मूल्यांकित किया जाता है। उन वित्तीय परिसंपत्तियों को हानि के अंतर्गत बताया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति की प्रारंभिक मान्यता के बाद होनेवाली एक या उससे अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप उद्देश्यपरक सबूत होने पर, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्राक्कलित भावी राशि प्रभावित हुए हैं तब उन्हें नष्ट माना जाता है। विक्रय के लिए उपलब्ध निवेश (एएफएस) हेतु अपनी लागत से कम सुरक्षाओं के उचित मूल्य में काफी अधिक या काफी समय के लिए हास दिखाई देते हैं।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि के उद्देश्यपरक सबूत में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं :

- जारी करनेवाले अथवा प्रतिस्थानी में अत्यधिक वित्तीय कठिनाई;
- ब्याज अथवा प्रधान भुगतानों में गलती या अपचार जैसे ठेके भंग;
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण संभव है कि ऋणी दिवाला या वित्तीय पुनर्गठन के लिए जाएंगे; अथवा उक्त वित्तीय परिसंपत्ति हेतु सक्रिय मार्केट के लुप्त हो।

व्यवसाय प्राप्ति जैसे वित्तीय परिसंपत्तियों के कुछ वर्गों को पृथक पृथक रूप में हानि के लिए मूल्यांकित किया जाता है। प्राप्तिताओं के पोर्टफोलियो में उद्देश्यपरक सबूत की हानि में कंपनी के भुगतान इकत्रीकरण में पूर्व अनुभव के साथ साथ राष्ट्रीय या स्थानीय आर्थिक स्थितियों में प्राप्तिताओं पर व्यक्तिगत के साथ संबद्धता स्थापित करते हैं।

उन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो लागत पर वहन किए जाते हैं, उनके लिए हानि की राशि को वहन राशि युक्त परिसंपत्तियां एवं ऐसी ही वित्तीय परिसंपत्ति के लिए वसूली के वर्तमान मार्केट दर पर प्राक्कलित भावी नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच भिन्नता को हानि के रूप में लिया जाता है। आगामी अवधियों में ऐसी हानि का उत्क्रम नहीं किया जाएगा।

वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि को व्यवसाय प्राप्ति को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए सीधे हानि द्वारा कम किया जाता है, ऐसी हानि को संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक भत्ता लेखा के उपयोग द्वारा कम किया जाता है। जब व्यवसाय प्राप्ति को इकत्रित न कर पाने के अंतर्गत माना जाता है तथा उसे भत्ता लेखा के अंतर्गत भट्टे खाते में डाला जाता है। भट्टे खाते में डाले उसके बाद की वसूली राशियों को भत्ता लेखा

के अंतर्गत क्रेडिट किया जाता है। भत्ता लेखा की वहन राशि में परिवर्तनों का उल्लेख लाभ एवं हानि की विवरणिका में किया जाता है।

परिशोधित लागत में मापित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए यदि बाद की अवधि में हानि कम होती है और हानि की पहचान करने के बाद में होनेवाली घटना के साथ में उद्देश्यपरक रूप से उस कमी के साथ में संबद्धता बताया जा सकता है, पूर्व में मान्य हानि को उस हद तक लाभ एवं हानि की विवरणिका में उत्क्रमित किया जाता है जहां तक हानि के उत्क्रमण की तारीख के निवेश पर वहन राशि परिशोधित लागत से अधिक न हो यदि उस हानि की पहचान नहीं की जाती।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों का विमान्यीकरण

कंपनी, एक वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमान्यीकृत करती है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह तक ठेके के अधिकार लुप्त हो जाते हैं या जब वित्तीय परिसंपत्ति एवं मांगों एवं स्वामित्व के पारितोषों को किसी दूसरे पार्टी को हस्तांतरित करता है। यदि कंपनी सभी जोखिमों एवं स्वामित्व के पारितोषों को न ही हस्तांतरित करती है और न ही अपने पास कायम रखती है और उन्हें हस्तांतरित परिसंपत्ति को नियंत्रित करती है, कंपनी अपनी कायम रखी वस्तु को पहचानती है तो परिसंपत्ति एवं संभाव्य देयताओं की रकम का भुगतानों में अपनी दिलचस्पी प्रकट करती है। यदि कंपनी हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं स्वामित्व के पारितोषों को कायम रखती है तथा परिसंपत्ति को सतत मान्यता देती है तो वह प्राप्तियों के लिए संपार्श्विक उधार को भी मान्यता देती है।

किसी समग्र वित्तीय परिसंपत्ति के विमान्यीकरण पर परिसंपत्ति की वहन राशि एवं प्राप्त एवं प्राप्ति प्रतिफल तथा संचित लाभ या हानि के जोड़ के बीच भिन्नता जिसे अन्य विस्तृत आय एवं इक्विटी में संचय को लाभ या हानि में उल्लेख किया जाता है।

3.17. खण्ड सूचना

कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) को भारतीय लेखांकन मानक-108, "प्रचालनात्मक खण्ड" प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार मुख्य निर्णय लेनेवाले (सीओडीएम) व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। कंपनी के एमडी पृथक वित्तीय विवरणिकाओं पर आधारित खण्डों के आधार पर मूल्यांकित करता है। प्रबंधन, भारत में प्रदत्त "पोर्ट सेवाओं" को एक एकल रिपोर्टबल व्यवसाय / भौगोलिक खण्ड मानता है।

3.18. पूर्व अवधि

पूर्व अवधि (अवधियों) से संबद्ध सामग्री राशि में गलतियों को पूर्व अवधि गलतियों की प्रवृत्ति युक्त नोट द्वारा प्रकट किया जाता है, ऐसी प्रत्येक पूर्व अवधि के सुधार की मात्रा उस हद तक जो प्रति शेयर के मूल एवं सुस्त कमाई व्यावहारिक परिवर्तन के साथ

पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई हो। तथापि, जहां पूर्वव्यापी पुनरुविवरणिका किसी विशिष्ट अवधि के लिए व्यावहारिक नहीं है, ऐसी परिस्थितियों तक ले जानेवाली स्थिति तथा गलती कैसे और कब हुई के विवरणों के साथ उन्हें ठीक करते हुए लेखा पर टिप्पणी में प्रकट किया जाता है।

3.19. पट्टा

कंपनी, ठेके के प्रारंभ में ठेके के विवरण उसकी सटीकता एवं लीज जैसे विवरणों को मूल्यांकित करती है। अर्थात् क्या वह ठेका किसी पहचान की गई परिसंपत्ति किसी निश्चित रकम के बदले में निश्चित अवधि के लिए उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी, अल्पकालिक लीज एवं निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों के लीजों को छोड़कर सभी लीजों पर एक ही प्रकार की मान्यता एवं मापन पद्धति लागू करती है। साथ ही कंपनी द्वारा लीज भुगतान करनेवाली देयताओं तथा विचाराधीन आठ प्रकार के परिसंपत्ति उपयोग अधिकार संबंधी लीज का उल्लेख किया गया है।

i) परिसंपत्ति उपयोग अधिकार

कंपनी, परिसंपत्ति उपयोग अधिकार ("आरओयू परिसंपत्तियां") का उल्लेख लीज (यानी वह तारीख जिसमें विचाराधीन परिसंपत्ति उपयोग हेतु उपलब्ध है) की प्रारंभिक तारीख पर करती है। परिसंपत्ति उपयोग अधिकार को लागत पर, मूल्यहास एवं हानि घटाकर, तथा लीज देयताओं के पुनरु मापन के लिए समायोजन पर मापा जाता है। परिसंपत्ति उपयोग अधिकार की लागत में मान्य लीज देयताएं, व्ययित प्रारंभिक सीधी लागतें तथा प्रारंभिक तारीख से पहले या बाद में भुगतानित लीज घटाकर प्राप्त लीज प्रोत्साहन सम्मिलित हैं। परिसंपत्ति उपयोग अधिकार का मूल्यहास का आकलन, अल्पकालिक लीज अवधि की सीधी रेखा आधार पर किया जाता है तथा परिसंपत्तियों के उपयोगकाल पर प्राक्कलन किया जाता है।

यदि लीज की गई परिसंपत्तियों का स्वामित्व कंपनी को लीज अवधि के अंत में हस्तांतरित किए गए हैं, तो लागत क्रय विकल्प के अधिकार बताती है तथा परिसंपत्ति के प्राक्कलित उपयोगकाल इस्तेमाल करते हुए मूल्यहास का प्राक्कलन किया जाता है। परिसंपत्तियों के परिसंपत्ति उपयोग अधिकार पर भी हानि लागू होती है। कृपया गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के अनुभाग (I) की लेखा नीतियों का संदर्भ लें।

ii) पट्टा की देयताएं

पट्टा की प्रारंभिक तारीख पर कंपनी, पट्टा देयताओं का उल्लेख पट्टा की अवधि पर किए जानेवाले पट्टाभुगतानों के वर्तमान मूल्य किया जाता है। पट्टाभुगतानों में नियत भुगतान (निश्चित नियत भुगतानों के साथ) सम्मिलित हैं, प्रायः कोई पट्टाप्रोत्साहन, किसी

इं डेक्स या दर पर निर्भर विविध पट्टा भुगतान को घटाकर मापा जाता है तथा भुगतान की जानेवाली राशियों को शेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत किया जाता है। पट्टाभुगतानों में कंपनी द्वारा निश्चित रूप से किए जानेवाले कुछ क्रय विकल्प के विकल्प प्रयोग मूल्य तथा यदि पट्टा की अवधि पट्टा समाप्त करने के लिए देयताएं भी सम्मिलित हैं। वे विविध पट्टा भुगतान जो किसी इंडेक्स या दर पर निर्भर नहीं हैं, उन्हें उस अवधि के व्यय में उल्लेख किया जाता है जिसमें वह घटना या स्थिति, भुगतान की स्थिति पैदा करता है। पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के आकलन में कंपनी, पट्टा प्रारंभ की तारीख पर अपने वृद्धिशील ऋण दर का प्रयोग करती है क्योंकि पट्टा में अस्पष्ट ब्याज दर सीधे निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक तारीख के बाद पट्टादेयताओं की राशि में वृद्धि की जाती है ताकि ब्याज का संचयन बताया जा सके तथा भुगतानित पट्टा भुगतानों के लिए कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त पट्टा देयताओं की वहन राशि को तब मापा जाता है जब पट्टा अवधि में रूपांतरण, परिवर्तन (उदाहरण के लिए भावी भुगतानों में परिवर्तन जो ऐसे भुगतानों को निर्धारित करने के लिए इंडेक्स या दर में परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है) होने पर या कोई विचाराधीन परिसंपत्ति के क्रय विकल्प के लिए मूल्यांकन में परिवर्तन होता है। पट्टा देयताओं को "अन्य वित्तीय देयता" शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

iii) अल्पकालिक पट्टा एवं निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों के लीज

कंपनी अपने अल्पकालिक पट्टों (यानी वे लीज जिसमें प्रारंभ की तारीख से 12 महीने या उससे कम अवधि की लीज अवधि हो तथा उसमें क्रय विकल्प नहीं होता) पर पट्टा मान्यता छूट लागू करता है। इसपर निम्न-मूल्य परिसंपत्ति मान्यता छूट भी लागू करता है जिन्हें निम्न-मूल्य माना जाता है। अल्पकालिक भुगतानों पर पट्टा भुगतान एवं निम्न-मूल्य की परिसंपत्तियों को पट्टा अवधि पर सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में उल्लेख किया जाता है।

पट्टा दाता के रूप में

वे लीज जिसमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के सभी जोखिम एवं स्वामित्व पारितोष को हस्तांतरित नहीं करती, उन्हें प्रचालित पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालित लीजों से किराए आय को संबंधित पट्टा की अवधि पर सीधी रेखा पर लिया जाता है। आरंभिक सीधी लागतें जो बातचीत में तथा प्रचालन पट्टा की व्यवस्था करने के लिए व्ययित होती हैं, उन्हें परिसंपत्ति की वहन राशि के साथ जोड़ा जाता है तथा उन्हें किराए आय की तरह उसी आधार पर उल्लेख किया जाता है। आकस्मिक किरायों को अर्जन की अवधि में राजस्व के रूप में उल्लेख किया जाता है।

पट्टा को वित्तीय लीज के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब कंपनी से परिसंपत्ति के सभी जोखिम एवं स्वामित्व के पारितोषों को ठेकेदार को हस्तांतरित करती है। ठेकेदार से वित्तीय पट्टा से राशियों का उल्लेख पट्टा में कंपनी के कुल निवेशों पर प्राप्य के रूप में उल्लेख किया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखा अवधियों में आबंटित किया जाता है ताकि पट्टा के संबंध में बकाया कुल निवेश पर वसूली के स्थिर आवधिक दर बताया जा सके।

3.20. वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण:

कंपनी, तुलन पत्र में वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करता है, यदि:

- (ए) वह कंपनी के सामान्य साइकिल में उनके वसूल किए जाने अथवा बेचे जाने अथवा उपभोग किए जाने की प्रत्याशा है;
- (बी) इस मूल रूप से ट्रेड करने के लिए रखा जाता है;
- (सी) इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद में बारह महीनों के अंदर वसूल किए जाने की संभावना है; अथवा
- (डी) यह नकद है अथवा नकद के समतुल्य है, इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों तक के लिए देयता निपटाने के लिए गदला जाता है या उसका उपयोग किया जाता है।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक देयता को वर्तमान के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाता है यदि:

- (ए) उसे सामान्य प्रचालन साइकिल में निपटाए जाने की संभावना है;
- (बी) इस मूल रूप से ट्रेड करने के लिए रखा जाता है;
- (सी) इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद में बारह महीनों के अंदर वसूल किए जाने की संभावना है;

- (डी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद में कम से कम बारह महीनों के लिए देयता निपटान को विलंबित करने की कोई शर्त रहित अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा नकद में तथा नकद के समतुल्य रूप में उनके प्रकरण एवं वसूली के बीच में निहित समय को ही प्रचालन साइकिल माना जाता है। कंपनी का सामान्य प्रचालन साइकिल बारह महीने है।

3.21. शेयरहोल्डरों में लाभांश वितरण:

बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित लाभांशों को वित्तीय विवरणिकाओं में तब उल्लेख किया जाता है जब उन्हें वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरहोल्डरों का अनुमोदन मिल जाता है।

3.22. पूर्व भुगतानित व्यय

हर शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय को वर्तमान वर्ष में तथा रकम के ₹20,000/- से अधिक होने पर पूर्व भुगतानित में अलग किया जाता है।

3.23. मोचन निषेध के लिए प्रीमिया

ऋणों या कोई भी अन्य भाग के लिए मोचन निषेध के लिए प्रीमिया का उल्लेख वर्ष के वित्तीय लागत के अंतर्गत उल्लेख किया जाता है जिसमें मोचन निषेध प्रभावित हुआ है।

3.24. परिनिर्धारित नुकसान

परिनिर्धारित नुकसान को असंशय आधार पर उल्लेख किया जाता है।

3.25. नकद प्रवाह विवरणिका

नकद प्रवाह विवरणिका को अप्रत्यक्ष पद्धति इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट किया जाता है। नकद प्रवाह के विवरणिका के उद्देश्य के लिए नकद एवं नकद के समतुल्य में, बैंक में उपलब्ध तथा बैंक में मांग जमा, कुल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट भी सम्मिलित हैं जो मांग पर चुकाने योग्य होते हैं और कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माने जाते हैं।

4. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(रुपए लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 तक सकल वहन मूल्य	जोड़	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2024 तक सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल 2023 तक संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए अवमूल्यन	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2024 तक संचित मूल्यहास	31 मार्च 2024 वहन मूल्य
भूमि	63,952.64	-	-	63,952.64	-	-	-	-	63,952.64
भवन, रोड एवं अन्य संरचनाएं	13,183.71	8,815.81	-	21,999.52	2,156.70	323.64	-	2,480.34	19,519.18
वॉर्क एवं सीमाएं	64,485.91	-	-	64,485.91	11,186.35	1,536.35	-	12,722.70	51,763.21
रोड	19,039.73	11,009.03	-	30,048.76	4,974.56	2,460.63	-	7,435.19	22,613.57
रेलवे ट्रैक एवं सिग्नलिंग व्यवस्था	8,795.38	-	-	8,795.38	3,950.41	568.08	-	4,518.49	4,276.88
डॉक, सीबॉल, पीयर्स एवं ब्रेक वॉटर	57,637.86	14,396.77	-	72,034.64	14,161.42	785.13	-	14,946.55	57,088.08
नीचाालन सहायक वस्तुएं	381.67	-	-	381.67	310.22	6.61	-	316.83	64.84
वाहन	208.25	-	-9.84	198.41	109.35	22.14	-7.14	124.35	74.06
इलेक्ट्रिकल संस्थापन	2,266.05	255.87	-	2,521.92	1,478.28	147.80	-	1,626.08	895.83
पानी, संभार एवं जल व्यवस्था के संस्थापन	306.19	-	-	306.19	175.82	8.69	-	184.51	121.69
इलेक्ट्रिकल अनुप्रयोग	245.94	15.58	-	261.52	164.10	17.14	-	181.24	80.28
कार्यालय उपकरण	274.72	183.12	-	457.85	191.34	29.20	-	220.54	237.30
फर्नीचर एवं फिटिंग	1,051.26	98.75	-	1,150.01	652.25	85.63	-	737.88	412.13
कंप्यूटर	1,130.92	32.08	-1.27	1,161.73	848.14	94.01	-0.94	941.21	220.52
पोर्ट बेसिन एवं प्रवेश चैनल	91,157.14	13,808.23	-	1,04,965.37	14,124.37	1,095.39	-	15,219.76	89,745.61
संयंत्र एवं मशीनरी	2,772.39	449.89	-	3,222.28	1,217.48	139.91	-	1,357.38	1,864.89
सुरक्षा परिसंपत्ति	92.09	1.07	-	93.16	59.73	8.93	-	68.66	24.50
कुल	3,26,981.85	49,066.20	-11.11	3,76,036.94	55,760.52	7,329.28	-8.08	63,081.72	3,12,955.22
पूर्व वर्ष	3,24,110.37	2,876.60	-5.11	3,26,981.85	49,845.71	5,919.55	-4.75	55,760.50	2,71,221.35

भूमि :

- (i) ए) कंपनी, तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, टिडको एवं नमक विभाग, वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त 2802.49 एकड़ भूमि का मालिक है, जिसमें से 2787.27 एकड़ की भूमि कंपनी के स्वामित्व के अंतर्गत है तथा शेष 15.22 एकड़ की भूमि पर कब्जा करना है क्योंकि यह मुकदमे के अधीन है। मुकदमे के अधीन 15.22 एकड़ भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध श्रीमती पाप्पा एवं श्री पी सेल्वराज द्वारा फाइल किए गए दो आज्ञा पत्र 26041/2001 – 26042/2001 के अंतर्गत है। जहां तक याचिकाकर्ताओं की भूमि का सवाल है मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 19.11.2019 के निर्णय में अधिसूचना नं 4(1) एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम की नं 6 घोषणा को खारिज किया है। न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की स्वच्छ अधिसूचना नं 4(1) जारी करते हुए नई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ करने की सलाह दी है।
- बी) कंपनी ने मद्रास उच्च न्यायालय के आज्ञापत्र सं. 26041/2001 एवं 26042/2001 के संबंध में दिनांक 19.11.2019 के निर्णय के खिलाफ अपील न करने का फैसला किया है। पोर्ट ने मुआवजा के रूप में श्री पी सेल्वराज के स्वामित्व की 6.82 एकड़ की भूमि के लिए रु.2.86 लाख प्रदान किया है तथा श्रीमती पाप्पा के स्वामित्व की 1.38 एकड़ की भूमि के लिए रु.0.58 लाख प्रदान किया है तथा कुल 3.44 लाख रुपये को राजस्व जमा में रखने का आदेश दिया गया।
- (ii) ए) कंपनी ने टिडको से 950 एकड़ की भूमि का क्रय किया है, जिसमें से 297.98 एकड़ की भूमि कंपनी के नाम से पंजीकृत हुआ है, सरकार के 2.02 एकड़ की भूमि पोरम्बोक भूमि है जिसके अलगाव की प्रक्रिया जारी है तथा शेष 650 एकड़ की भूमि का शीर्षक हस्तांतरण हो रहा है।
- बी) कंपनी ने टैन्जेडको से 1092.20 एकड़ की भूमि का क्रय किया है जिसमें से 995.05 एकड़ की भूमि कंपनी के नाम पर पंजीकृत किया गया है तथा शेष 97.15 एकड़ की भूमि सरकार की पोरम्बोक भूमि है जिसके अलगाव की प्रक्रिया जारी है।
- सी) कंपनी ने नमक विभाग से 712.42 एकड़ की भूमि का क्रय किया है तथा उसे कंपनी के नाम से पंजीकृत किया गया है।
- डी) कंपनी ने तमिलनाडु सरकार से 31.96 एकड़ की भूमि का क्रय किया है जिसमें से 0.31 एकड़ की भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुनरु प्राप्त कर लिया है जिसका मुआवजा गलती से श्री एतिराज को प्रदान किया गया है। मामला मद्रास उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है तथा न्यायालय ने श्री एतिराज को मुआवजे की रकम को वापस करने का आदेश दिया है। रकम को पुनरु प्राप्त किया जा चुका है और उसे पोन्नेरी के उप-न्यायालय में जमा किया गया है। न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में तिरुवल्लुवर के कलेक्टर को उक्त जमा मुआवजे को पोन्नेरी के उप-न्यायालय में जमा रकम को पुनरु प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।
- ई) कंपनी ने रेलवे साइडिंग के लिए तमिलनाडु सरकार से 0.69 एकड़ की भूमि का क्रय किया है तथा कंपनी के नाम पर पट्टा प्राप्त किया जा चुका है।

- (iii) मेसर्स ऐन्नोर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स सिकल आइर्न ओर टर्मिनल्स लिमिटेड, मेसर्स अदानी कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ऐन्नोर बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आईओसी एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे बी ओ टी प्रचालकों को क्रमशः 40.11, 134.06, 116.75, 95.08, 42.41, 128.51 & 5.00 (कुल क्षेत्रफल 561.92 एकड़) मापित भूमि आबंटित किया गया।

4. (ए) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(रुपए लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 तक सकल वहन मूल्य	जोड़	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2024 तक सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल 2023 तक संचित मूल्य	वर्ष के लिए अवमूल्यन	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2024 तक संचित मूल्य	31 मार्च 2024 वहन मूल्य
पंजीकृत कार्यालय के लीज की गई	2,564.80	-	--	2,564.80	730.39	95.87	-	826.26	1,738.53
कुल	2,564.80	-	--	2,564.80	730.39	95.87	-	826.26	1,738.53
पूर्व वर्ष	2,661.85	-	97.06	2,564.80	626.52	103.86	-	730.39	1,834.41

5. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

(रुपए लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 तक का अथशेष	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत / समायोजन	31 मार्च 2023 का अथशेष
सीडब्ल्यूआईपी - भवन, शेड एवं अन्य संरचनाएं	2,156.40	1,091.44	-2,274.92	972.92
सीडब्ल्यूआईपी - वॉर्क एवं सीमाएं	13,898.05	6,909.03	-20,807.08	-
सीडब्ल्यूआईपी - रोड	10,745.55	553.17	-11,009.03	289.69
सीडब्ल्यूआईपी - रेलवे ट्रैक एवं सिग्नलिंग व्यवस्था	16,170.77	4,468.05	-	20,638.82
सीडब्ल्यूआईपी - इलेक्ट्रिकल संस्थापनाएं	-	2,058.05	-255.87	1,802.18
सीडब्ल्यूआईपी - पोर्ट बेसिन एवं प्रवेश चैनल	535.51	16,991.45	-13,866.73	3,660.23
सीडब्ल्यूआईपी - संयंत्र एवं मशीनरी	129.16	-	-54.16	75.00
सीडब्ल्यूआईपी - फर्नीचर एवं फिटिंग	-	6.11	-6.11	-
सीडब्ल्यूआईपी - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	128.07	-	-128.07	-
कुल	43763.51	32077.31	(48401.97)	27438.85
पूर्व वर्ष	22351.01	24075.00	(2662.50)	43763.51

6. अमूर्त संपत्तियां - सॉफ्टवेयर

(रुपए लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 तक सकल वहन मूल्य	जोड़	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2024 तक सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल 2023 तक संचित मूल्य	वर्ष के लिए अवमूल्यन	निपटान / समायोजन	31 मार्च 2024 तक संचित मूल्य	31 मार्च 2024 वहन मूल्य
पंजीकृत कार्यालय के लीज की गई परिसंपत्तियां	1,104.73	128.07	-	1,232.79	933.37	129.81	-	1,063.18	169.62
कुल	1,104.73	128.07	-	1,232.79	933.37	129.81	-	1,063.18	169.62
पूर्व वर्ष	1,094.15	10.58	-	1,104.73	778.96	154.41	-	933.37	171.36

7. निवेश

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर वर्तमान		
उद्धृत शेयरों में निवेश		
ड्रेडिजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 10000 शेयर (31 मार्च 2023 तक मार्केट मूल्य रु.67,30,500/-)	67.31	28.19
अनुद्धृत शेयरों में निवेश		
सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयर #	3000.00	3000.00
घटा रु निवेशों के मूल्य में डिमुनिशन के लिए प्रावधान	-3000.00	-3000.00
चेन्नई एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयर रु.10/- प्रति शेयर के दर पर 3,40,00,000 इक्विटी शेयरय पूर्व वर्ष - रु.10/- प्रति शेयर के 3,40,00,000)	3400.00	3400.00
इंडिया पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयर (रु.10/- प्रति शेयर के दर पर 72,00,000 इक्विटी शेयरय पूर्व वर्ष - रु.10/- प्रति शेयर के 72,00,000 इक्विटी शेयर) कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड के इक्विटी शेयर (रु.10/- प्रति शेयर के 20,000 इक्विटी शेयरय पूर्व वर्ष - रु.10/- प्रति शेयर के 20,000 इक्विटी शेयर)	720.00	720.00
नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र में निवेश (रु.1515.52/- प्रति शेयर के 66 इक्विटी शेयरय पूर्व वर्ष - रु.1515.52/- प्रति शेयर के दर पर 66 इक्विटी शेयर)	2.00	2.00
	1.00	1.00
कुल	4190.31	4151.19

चूंकि, भारत के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में दिनांक 14.09.2007 से ड्रेडिजिंग का कार्य लंबित है तथा उक्त समय से परियोजना में कोई प्रगति नहीं है, प्रबंधन ने सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेशों के डिमुनिशन प्रदान किया है।

8. ऋण एवं अग्रिम

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
दीर्घकालिक		
सुरक्षित (अच्छा माना जाता है)		
कर्मचारियों को अग्रिम (घर निर्माण अग्रिम)	283.99	297.10
कर्मचारियों को अग्रिम (वाहन खरीद अग्रिम)	13.35	2.36
कुल	297.35	299.46
अल्पकालिक		
सुरक्षित (अच्छा माना जाता है)		
कर्मचारियों को अग्रिम (घर निर्माण अग्रिम)	65.60	68.00
कर्मचारियों को अग्रिम (वाहन खरीद अग्रिम)	2.78	1.73
कर्मचारियों को अग्रिम (अन्य)	20.54	12.90
कर्मचारियों को अग्रिम (बाढ़ अग्रिम)	33.50	-
कुल	122.42	82.64

कर्मचारियों को अग्रिम (घर निर्माण अग्रिम) शीर्षक विलेख के जमा के लंबित ज्ञापन - कोई नहीं (पूर्व वर्ष रु. 23.44 लाख)।

9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
दीर्घकालिक जमा		
— संबंधित पार्टियों के अतिरिक्त अग्रिम	183.16	181.22
— संबंधित पार्टियों को अग्रिम	259.66	259.66
कुल	442.82	440.89
अल्पकालिक		
इनपर उपार्जित ब्याज		
— अल्पकालिक जमा	37.08	10.55
— संबंधित पार्टियों को अग्रिम	0.00	0.00
प्राप्य आय	224.54	977.85
कुल	261.63	988.41

प्राप्य आय में अप्रैल 2023 में एसईआईएस योजना के अंतर्गत के विक्रय किए गए डीजीएफटी स्क्रिप्स के विक्रय से वसूल रु.859.12 लाख (पूर्व वर्ष 2022-23) आय शामिल है।

10. कर व्यय

लाभ एवं हानि की विवरणिका में मान्य कर

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान आयकर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	13393.89	10088.07
उप कुल (ए)	13393.89	10088.07
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी भिन्नता का उद्भव एवं व्युत्क्रम	2558.49	2131.02
एम ए टी क्रेडिट उपलब्धता	11138.74	8169.20
उप कुल (बी)	13697.23	10300.21
कुल (ए+बी)	27091.12	20388.29

अन्य व्यापक आय में मान्य कर

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
परिभाषित लाभ योजना बीमाकिक लाभ (हानि)	76.52	32.56
ईक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन	-13.67	1.18
कुल	62.84	33.74

वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेष में परिवर्तन तथा श्रेणीवार ब्यौरा

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आस्थगित कर देयता संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	-37,093.88	-34,551.88
उप कुल	(37,093.88)	(34,551.88)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
खराब एवं संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान - @ प्रभावी कर दर	1,359.75	1,359.75
एम ए टी ऋण पात्रता	24,411.95	35,550.69
परिभाषित लाभ योजना में गति	133.66	128.68
निवेश में डिमुनिशन - @ प्रभावी कर दर	1,048.32	1,048.32
अन्य	465.18	423.81
उप कुल	27418.86	38511.25
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	-9675.02	3959.37

11. अन्य परिसंपत्तियां

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर वर्तमान		
ठेकेदारों को अग्रिम	-	-
पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम	7,417.61	11,337.26
पूर्व भुगतानित व्यय	82.94	89.70
आस्थगित कर्मचारी लागत	129.08	122.19
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ - सुरक्षा जमा	-	-
मध्यस्थता आदेश के विरुद्ध अग्रिम	-	-
सरकारी प्राधिकारियों के शेष	-	-
परिभाषित लाभ योजना परिसंपत्ति(देयताएं) - ग्रेच्युटी	5.24	51.23
परिभाषित लाभ योजना परिसंपत्ति(देयताएं) अर्जित अवकाश नकदीकरण	-61.50	24.75
कुल	7573.37	11625.13
वर्तमान		
ठेकेदारों को अग्रिम	770.69	715.12
पूर्वभुगतानित लीज किराया	-	-
पूर्वभुगतानित व्यय	135.58	119.35
जीएसटी इनपुट ऋण	681.59	829.29
आस्थगित कर्मचारी व्यय	-	-
अन्य परिसंपत्तियां	-	-0.00
कुल	1587.86	1663.77

गैर-वर्तमान के अंतर्गत पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम में 4509.50 लाख रुपये सम्मिलित हैं, जिसका उल्लेख मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2001 चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर अधिग्रहण करते समय किया गया था।

12. व्यापार प्राप्य

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
व्यापार प्राप्य		
- असुरक्षित - अच्छा समझा गया	7537.95	5875.87
- संदेहास्पद	3891.22	3891.22
घटा : संदेहास्पद ऋणों के लिए अनुमति	-3891.22	-3891.22
कुल	7537.95	5875.87

13. नकद एवं नकद समतुल्य

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
हाथ में नकद	0.35	0.16
बैंकों में शेष	2079.84	756.54
उप-कुल (ए)	2080.19	756.70
अन्य बैंकों में शेष		
— सावधि जमा		
— तीन महीनों से कम	2000.00	0.00
— 3 महीनों से अधिक लेकिन 12 महीनों से कम	8000.00	8000.00
उप-कुल (बी)	10000.00	8000.00
कुल	12080.19	8756.70

14. वर्तमान कर परिसंपत्तियां

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अग्रिम कर एवं स्रोत तर घटाया गया कर	106971.36	93936.81
आयकर के लिए प्रावधान	-103709.75	-90315.87
कुल	3261.60	3620.95

15. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्राधिकृत		
रु.10/- प्रतिशेयर के इक्विटी शेयर		
500,000,000 इक्विटी शेयर	50000.00	50000.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से भुगतानित		
रु.10/- प्रतिशेयर के इक्विटी शेयर		
चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के पास 300,000,000 इक्विटी शेयर	30000.00	30000.00
	30000.00	30000.00

शेयर पूंजी का समाधान

विवरण	31 मार्च 2024 तक		
	सं	रकम	
प्रारंभिक ईक्विटी शेयर	3000000000	30000000000	
जोड़ :- वर्ष के दौरान शायरों की संख्या, जारी शेयरपूँजी/अभिदत्त की संख्या	0	0	
समापन शेष	3000000000	30000000000	
विवरण	31 मार्च 2023 तक		
	सं	रकम	
प्रारंभिक ईक्विटी शेयर	3000000000	30000000000	
जोड़ :- वर्ष के दौरान शायरों की संख्या, जारी शेयरपूँजी/अभिदत्त की संख्या	0	0	
समापन शेष	3000000000	30000000000	
कंपनी के शेयरों के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखनेवाले प्रोत्साहक एवं शेयरधारक			
शेयरधारक के नाम	%	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण	100%	30000	30000

भारत सरकार ने कंपनी के धारित सभी ईक्विटी शेयरों को दिनांक 25.03.2020 को शेयर क्रय करार द्वारा चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण को विनिवेश कर दिया।

16. ऋण

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सुरक्षित – दीर्घकालिक		
सावधि ऋण		
चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण	13602.50	15903.75
कर मुक्त बॉण्ड		
(प) क्रम 2012-13	1166.02	1164.88
(पप) क्रम 2013-14	28514.67	29204.89
असुरक्षित – दीर्घकालिक		
सावधि जमा		
एचडीएफसी से ऋण	1500.00	2500.00
कुल	44783.19	48773.52
सुरक्षित – अल्पकालिक		
दीर्घकालिक ऋण के वर्तमान मेच्यूरिटी		
– चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी	2301.25	2301.25
– कर मुक्त बॉण्ड – क्रम 2013-14	-	7249.51
असुरक्षित – अल्पकालिक		
दीर्घकालिक ऋण के वर्तमान मेच्यूरिटी		
एचडीएफसी से ऋण	1000.00	1000.00
कुल	3301.25	10550.76

सुरक्षित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड

(i) सममूल्य पद प्रतिदेय, दिनांक 25.03.2028 को देय रु.1000/- प्रति बॉण्ड के अंकित मूल्य पर रु.11,71,56,000/- रकम के समतुल्य 15 वर्षीय 117156 बॉण्ड, वार्षिक स्तर पर देय खुदरा निवेशकों एवं अन्य क्रमशः 7.51% दर 7.67% तथा 7.01% एवं 7.17% ब्याज दर पर देय है। बॉण्डों को दिनांक 25.03.2013 को पंजीकृत बॉण्ड ट्रस्ट प्रलेख के क्रम में उल्लिखित शर्तों के अनुसरण में कंपनी की छोटी क्रॉप्ट जेटी 1,2 एवं 3 तथा सामान्य कार्गो बर्थ परिसंपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित किए गए हैं।

(ii) सममूल्य पद प्रतिदेय, दिनांक 25.03.2024 को देय रु.1000/- प्रति बॉण्ड के अंकित मूल्य पर रु. 79,49,51,000/- रकम के समतुल्य 10 वर्षीय 794951 बॉण्ड, वार्षिक स्तर पर देय खुदरा निवेशकों एवं अन्य क्रमशः 8.61%, 9% एवं 9% तथा 8.36%, 8.75% एवं 8.75% ब्याज दर पर देय है। बॉण्डों को दिनांक 19.03.2014 को पंजीकृत बॉण्ड ट्रस्ट प्रलेख के क्रम में उल्लिखित शर्तों के अनुसरण में कंपनी के नॉर्थ ब्रेक वॉटर परिसंपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित किए गए हैं।

चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण से सावधि ऋण

चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण को देय वर्ष 2001-02 में लिए गए सावधि ऋण को परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर अधिग्रहण प्राप्त करने के समय से परिवर्तित किया गया है जथा 30.06.2012 की तारीख से 60 समतुल्य त्रैमासिक किश्तें देय हैं। इस अवधि में किश्तों का समय पर भुगतान किया गया। उक्त ऋण को कंपनी की विशेष रूप से चिन्हित अचल संपत्तियों के मालबन्धन द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। कंपनी ने मूल ऋण के सामान्य शर्तों पर क्रमशः दिनांक 18.06.2018 और 29.09.2018 को 70 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार ली है।

एचडीएफसी बैंक से सावधि ऋण

एचडीएफसी बैंक ने 27 जुलाई 2021 को 91 दिनों की टी बिल प्लस 1.80% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 50 करोड़ रुपये का असुरक्षित रुपया टर्म लोन स्वीकृत किया है, जो एक वर्ष की मोहलत सहित पांच वर्षों में रीसेट तिमाही स्तर पर देय है। वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने पूंजी परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त किया है।

17. अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
दीर्घकालिक		
सुरक्षा जमा	570.69	551.01
देय प्रतिधारण राशि	-	-
कुल	570.69	551.01
अल्पकालिक		
सुरक्षा जमा	148.11	131.56
देय प्रतिधारण राशि	156.10	158.37
कर्मचारियों को देय रकम	-	0.48
अन्य देयताएं	127.35	127.27
कुल	431.55	417.67

18. प्रावधान

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर वर्तमान		
कर्मचारी लाभों के लिए		
छुट्टी नकदीकरण	-	-
ग्रैज्युटी	-	-
कुल	0.00	0.00
वर्तमान		
कर्मचारी लाभों के लिए		
छुट्टी नकदीकरण	-	-
ग्रैज्युटी	-	-
कार्य-निष्पादन से संबंधित भुगतान	258.00	254.10
उप कुल (A)	258.00	254.10
अन्य		
व्यय		
- राजस्व	8550.69	15496.86
- पूंजी	-	58.50
उप कुल (B)	8550.69	15555.36
कुल (A+B)	8808.69	15809.46

19. अन्य देयताएं

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर वर्तमान		
अग्रिम में प्राप्त आय	-	-
अग्रिम लीज प्रभार	5882.87	6345.75
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ - सुरक्षा जमा	507.65	529.20
कुल	6390.52	6874.95
वर्तमान		
अग्रिम में प्राप्त आय	610.35	895.23
अन्य वैधानिक देय	2737.60	2380.55
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	2484.28	1922.60
अग्रिम लीज प्रभार	462.88	487.08
अन्य देयताएं	170.40	140.20
कुल	6465.51	5825.66

गैर वर्तमान के अंतर्गत उल्लिखित अग्रिम लीज प्रभारों में रु. 5094.01 लाख सम्मिलित हैं जो 31 जुलाई 2015 के लाइसेंस करार के अनुसरण में एलएनजी टर्मिनल के निर्माण हेतु आबंटित 5,20,000 वर्गमीटर भूमि के लिए 30 वर्ष के लिए अग्रिम लाइसेंस शुल्क की ओर भारतीय ऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड से ली गई रकम का प्रतिनिधित्व करता है।

20. व्यापार देय

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों को देय कुल बकाया देयताएं	1605.69	435.43
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों को छोड़कर ऋणदाताओं को देय कुल बकाया देयताएं	6536.62	3578.58
कुल	8142.32	4014.01

21. परिचालन से राजस्व

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
लीज आय		
कोयले पर समग्र टैरिफ	33303.25	33184.97
ऐस्टेट आय	2617.24	2530.53
राजस्व शेयर	39097.05	33832.76
समुद्री सेवाएँ		
वैसल संबंधी आय	23717.62	21670.51
कार्गो संबंधी आय		
वॉर्फेज	5485.24	5633.02
रॉयल्टी	1616.38	960.69
अन्य प्रचालन राजस्व		
अन्य सेवाएं	385.18	459.75
कुल	106221.97	98272.23

22. अन्य आय

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बैंकों से ब्याज	1197.85	950.61
कर्मचारी अग्रिमों से ब्याज	31.31	32.83
ब्याज — अन्य	87.40	102.99
आयकर धनवापसी पर ब्याज	118.02	-
अन्य गैर प्रचालनात्मक आय		
कार्मिक एवं वाहन प्रवेश पास	102.94	96.55
अचल संपत्तियों की विक्रय पर लाभ	1.02	-
परिसमाप्ति हर्जाना	-	164.42
एसईआईएस आर्बिट्रिब रिक्रप	-	859.13
अन्य आय	383.08	443.74
कुल	1921.62	2650.27

23. प्रचालन लागत

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
टाइम चार्टर क्राफ्ट्स	3245.08	3176.11
परामर्श सेवाएँ - प्रचालन	109.99	153.31
विद्युत एवं जल प्रभार	337.96	306.96
पर्यावरण 190.08 103.30	508.10	352.12
अनुसंधान एवं विकास व्यय	28.88	17.87
ईंधन व्यय	1358.55	1110.98
मैनिंग सेवाएँ	844.06	856.14
सर्वेक्षण एवं रखरखाव ड्रेजिंग	125.04	5.05
मरम्मत और रखरखाव	1260.89	811.31
प्रोत्साहन	2354.96	2767.05
बीमा	303.13	277.26
कुल	10476.64	9834.16

24. कर्मचारी लाभ

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वेतन एवं मजूदूरी	1531.15	1478.24
भविष्य निधि में अंशदान	125.48	120.43
कर्मचारी कल्याण व्यय	14.45	36.36
कार्य-निष्पादन संबंधी भुगतान	260.42	217.38
कर्मचारी चिकित्सा व्यय	42.27	47.62
टर्मिनल लाभ	100.50	178.75
कुल	2074.27	2078.78

25. वित्तीय लागत

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
व्यय ब्याज		
- बैंकों से	150.60	58.15
- कर मुक्त बॉण्ड - 2012-13	83.92	686.48
- कर मुक्त बॉण्ड - 2013-14	3229.17	3220.76
- अन्य (रु.17.82 करोड़ बेटा ब्याज सहित)	2792.86	1899.29
कर मुक्त बॉण्ड व्यय	6.07	5.70
कुल	6262.61	5870.38

26. मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन		
मूर्त संपत्ति	7329.28	5919.55
परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार	95.87	103.86
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	129.81	154.41
कुल	7554.97	6177.82

27. अन्य व्यय

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ए म सी – सॉफ्टवेयर व्यय	365.58	202.08
– सांविधिक लेखा	6.00	6.00
– कर लेखा शुल्क	1.00	1.25
– अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	1.60	1.70
– व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.60	0.60
विद्युत एवं जल प्रभार	126.83	103.07
कानूनी एवं व्यावसायिक प्रभार	315.33	567.99
अन्य व्यय	238.54	229.51
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	21.78	12.01
किराया, दर एवं कर	77.10	118.65
रक्षा एवं सुरक्षा व्यय	1321.70	1300.21
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	983.07	854.94
अशंदात एवं सदस्यता शुल्क	162.32	93.80
संचार व्यय	77.19	56.83
यात्रा और परिवहन	34.79	24.57
वाहन चलाने का खर्च	373.65	343.79
विज्ञापन और प्रचार व्यय	251.07	43.96
बाद राहत व्यय	44.49	-
मैनिंग ठेका – प्रशासन	711.91	573.52
अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	1.41	-
कुल	5115.95	4534.50

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व(सी एस आर)

(ए) जहां कोई कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत आती है, वहां सीएसआर गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित का खुलासा किया जाता है

क्र सँ	क्रियाकलाप का नाम	व्ययित रकम
(i)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि,	रु. 941.20 लाख
(ii)	व्यय की गई राशि	रु. 583.15 लाख
(iii)	वर्ष के अंत में कमी,	रु. 358.05 लाख
(iv)	पिछले वर्षों की कुल कमी	कोई कमी नहीं
(v)	कमी का कारण	लागू नहीं
(vi)	सीएसआर क्रियाकलापों की प्रवृत्ति,	शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं ग्रामीण विकास आदि
(vii)	संबंधित पार्टी लेन-देन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सी एस आर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	कोई नहीं
(viii)	जहां संविदागत दायित्व में प्रवेश करने से उत्पन्न देयता के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वहां वर्ष के दौरान प्रावधान में होने वाले परिवर्तनों को अलग से दर्शाया जाता है।	कोई नहीं

(बि) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि :

(रुपए लाखों में)

क्र सं	विवरण	नकद में भुगतान किया जाना है
(i)	किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	0.00
(ii)	उपरोक्त (प) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	0.00
	कुल	0.00

नोट: बोर्ड द्वारा अनुमोदित, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सी एस आर व्यय 10.93 करोड़ रुपये था, वास्तव में खर्च 5.83 करोड़ रुपये था, शेष 5.10 करोड़ रुपये सी एस आर के अप्रयुक्त खाते में हस्तांतरित किए गए।

28. विशिष्ट मद

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
विशिष्ट मद – समुद्र तट सुरक्षा संरचना	0.00	14688.36
कुल	0.00	14688.36

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने अतिरिक्त टर्मिनल बनाने के लिए बंदरगाह क्षेत्र के विस्तार करने के विभिन्न प्रस्तावों के लिए कंपनी को अनुमति प्रदान करते समय एक शर्त लगाई थी कि बंदरगाह परिसर के पास स्थित एन्नोर खाड़ी के मुहाने को बंद होने से बचाने के लिए तट संरक्षण और अन्य उपयुक्त संरचनाओं का निर्माण किया जाए, जिससे कंपनी पर कानूनी दायित्व आया।

वर्ष 2022-23 के दौरान लेखांकन पुस्तकों में 14688.36 लाख रुपए के प्रावधान को मान्यता दी गई है, क्योंकि यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और यह तमिलनाडु सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए विश्वसनीय अनुमानों के वर्तमान मूल्य दर्शाता है, जिसे उपरोक्त दायित्व के संबंध में अंतिम रूप दिया गया है। उक्त प्रावधान 2022-23 के दौरान पहले से किए गए व्यय को घटाकर है।

29. प्रतिशेयर अर्जन

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	4945103407	3728739870
शेयरों की भारित औसत संख्या – मूल	300000000	300000000
शेयरों की भारित औसत संख्या – डायिल्यूटेड	300000000	300000000
अर्जन प्रतिशेयर – मूल	16.52	12.43
अर्जन प्रतिशेयर – डायिल्यूटेड	16.52	12.43

टिप्पण 30: प्रकटीकरण टिप्पणी

1. प्रतिबद्धताएं:

पूँजी प्रतिबद्धताएं:

पूँजी गत व्यय (अग्रिमों को घटाकर) पर निष्पादित किए जानेवाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि 8378.61 लाख रुपये है (पिछले वर्ष यह 32879.08 लाख रुपये था)

2. सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान

(रुपए लाखों में)

विवरण	2023-24	2022-23
लेखापरीक्षा शुल्क	6.00	6.00
कर लेखापरीक्षा शुल्क	1.00	1.25
प्रमाणीकरण शुल्क	1.60	1.70
प्रतिपूर्ति - कर्मचारी द्वारा किया गया खर्चा	0.60	0.60

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के क्रम में अतिरिक्त जानकारी

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
A	निम्नलिखित पर विदेशी मुद्रा में व्यय:		
	(i) व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	-	-
	(ii) दौरे एवं यात्रा	0.63	-
	(iii) बचाव निधि सहित विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज	-	-
	(iv) अन्य	-	-
B	विदेशी मुद्रा विनिमय में अर्जन	-	-

4. 31 मार्च 2024 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों संबंधी जानकारी:

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	कसी भी आपूर्तिकार के अमुगतानित रकम का शेष: a) मूल रकम b) उसपर देय ब्याज	1605.69 -	435.43 -
2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को भुगतानित राशि	छपस	छपस
3	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया हो) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़ि बिना	छपस	छपस
4	संचित ब्याज एवं शेष अमुगतानित रकम	छपस	छपस
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु उस तिथि तक बकाया और आगामी वर्षों में भी देय ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है।	छपस	छपस

कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों का वर्गीकरण किया गया है।

भारतीय लेखांकन मानकों की आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण

5. भारतीय लेखांकन मानक 107 संबंधी प्रकटीकरण – वित्तीय उपकरण

5.1 वर्गों के अनुसार वित्तीय उपकरण

श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के वहनमूल्य और उचितमूल्य निम्नानुसार थे:

(31 मार्च 2024 तक रुपए लाखों में)

विवरण	परिशोधित लागत	लाम याहानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां :					
गैर वर्तमान निवेश (संदर्भ टिप्पणी सं.7)	4123.00	-	67.31	4190.31	4190.31
नकद एवं नकद समतुल्य (संदर्भ टिप्पणी सं.13)	12080.19	-	-	12080.19	12080.19
व्यापार प्राप्त (संदर्भ टिप्पणी सं.12)	7537.95	-	-	7537.95	7537.95
ऋण एवं अग्रिम (संदर्भ टिप्पणी सं. 8)	419.77	-	-	419.77	419.77
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ टिप्पणी सं. 9)	704.45	-	-	704.45	704.45
देयताएं :					
चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से सावधि ऋण (संदर्भ टिप्पणी सं. 16)	15903.75	-	-	15903.75	15903.75
कर मुक्त बॉण्ड (संदर्भ टिप्पणी सं. 16)	29680.69	-	-	29680.69	29680.69
एचडीएफसी बैंक से ऋण (संदर्भ टिप्पणी सं.16)	2500.00	-	-	2500.00	2500.00
व्यापारदेनदारियां-सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया देय (संदर्भ टिप्पणी सं. 20)	1605.69	-	-	1605.69	1605.69
व्यापारदेनदारियां-सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर ऋणदाताओं को बकाया देय (संदर्भ टिप्पणी सं. 20)	6536.62	-	-	6536.62	6536.62
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ टिप्पणी सं. 17)	1002.24	-	-	1002.24	1002.24

विवरण	परिशोधित लागत	लाम या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
परिसंपत्तियां :					
गैर वर्तमान निवेश (संदर्भ टिप्पणी सं.7)	4123.00	-	28.19	4151.19	4151.19
नकद एवं नकद समतुल्य (संदर्भ टिप्पणी सं.13)	8756.70	-	-	8756.70	8756.70
व्यापार प्राप्त्य (संदर्भ टिप्पणी सं.12)	5875.87	-	-	5875.87	5875.87
ऋण एवं अग्रिम (संदर्भ टिप्पणी सं. 8)	382.09	-	-	382.09	382.09
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ टिप्पणी सं. 9)	1429.29	-	-	1429.29	1429.29
देयताएं :					
घेन्ने पोर्ट ट्रस्ट से सावधि ऋण (संदर्भ टिप्पणी सं. 16)	18205.00	-	-	18205.00	18205.00
कर मुक्ता बॉण्ड (संदर्भ टिप्पणी सं. 16)	37619.28	-	-	37619.28	37619.28
एचडीएफसी बैंक से ऋण (संदर्भ टिप्पणी सं.16)	3500.00	-	-	3500.00	3500.00
व्यापारदेनदारियां—सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया देय (संदर्भ टिप्पणी सं. 20)	435.43	-	-	435.43	435.43
व्यापारदेनदारियां —सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर ऋणदाताओं को बकाया देय (संदर्भ टिप्पणी सं. 20)	3578.58	-	-	3578.58	3578.58
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ टिप्पणी सं. 17)	968.68	-	-	968.68	968.68

5.2. उचित मूल्य पदानुक्रम

- स्तर 1 – सक्रिय मार्केटों में समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं)।
- स्तर 2 – स्तर 1 में सम्मिलित उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्तियां देयता के लिए प्रत्यक्ष (अर्थात् मूल्यों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों से प्राप्त) अवलोकनीय हैं।
- स्तर 3 – उन परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकनीय मार्केट डेटा (अवलोकनीय इनपुट नहीं हैं) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचितमूल्य पदानुक्रम प्रस्तुत करती है:

(रुपए लाखों में)

	31.03.2024 वर्ष के लिए				31.03.2023 वर्ष के लिए			
विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुद्धृत इक्विटी उपकरणों में निवेश	-	-	4123.00	4123.00	-	-	4123.00	4123.00
उद्धृत इक्विटी उपकरणों में निवेश	67.31	-	-	67.31	28.19	-	-	28.19

5.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी की गतिविधियाँ सीमित वित्तीय जोखिमों के संपर्क में हैं: रू मार्केट जोखिम, क्रेडिट जोखिम और परिसमापन जोखिम। कंपनी का प्राथमिक ध्यान वित्तीय मार्केट की अप्रत्याशितता का पूर्वानुमान लगाना और अपने वित्तीय निष्पादन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है।

ए) मार्केट जोखिम

मार्केट जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों के भावी नकदी प्रवाह के उचितमूल्य में, मार्केट मूल्य में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी के पास मार्केट जोखिम के रूप में ब्याजदर जोखिम है। कंपनी के पास कोई व्युत्पन्नवित्तीय परिसंपत्ति नहीं होने के कारण कंपनी को अपने वित्तीय साधनों पर मूल्य जोखिम नहीं है।

ब्याज दर जोखिम:

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में मार्केट ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव करेगा। मार्केट ब्याज दरों में

परिवर्तन के जोखिम का जोखिम मुख्य रूप से अस्थिर ब्याजदरोंवाले दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है।

कंपनी को चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त ऋणों पर ब्याज दर जोखिम है, क्योंकि यह वार्षिक ब्याजदर पुनर्निर्धारण भारतीय स्टेट बैंक की एमसीएलआर दर में होनेवाले परिवर्तन से जुड़ा हुआ है।

कंपनी ने एचडीएफसी बैंक से टर्मलोन लिया है क्योंकि वार्षिक ब्याज दर का निर्धारण 91 दिनों के 'टी' बिलों में होनेवाले परिवर्तन पर आधारित है।

रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, कंपनी के ब्याज-असरवाले वित्तीय साधनों की ब्याजदर प्रोफाइल निम्नानुसार है:

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
वित्तीय परिसंपत्तियां		
– बैंक के साथ सावधि जमा	10000.00	8000.00
– कर्मचारी अग्रिम	365.73	369.19
वित्तीय देयताएं		
– कर मुक्त बॉण्ड	29680.69	37619.28
परिवर्तनीय दर उपकरण		
– चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से ऋण	15903.75	18205.00
– विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
– एचडीएफसी बैंक	2500.00	3500.00

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्षद्वारा अपने दायित्व से चूकने के जोखिम से है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। चूंकि, कंपनी आमतौर पर प्रमुख बंदरगाह सेवाओं के लिए अपनी आय के संबंध में पूर्व भुगतान निर्धारित करती है, सामान्यतः या किसी को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है। ऐसे मामलों में कोई क्रेडिट डिफॉल्ट जोखिम नहीं होता है। हालांकि, जहाँ कंपनी कुछ सहायक/ समर्थन सेवाएँ प्रदान करती है, वहाँ चालान बनाए जाते हैं, जब भी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और उपयोगकर्ता शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि पर असहमति के मामलों में विवादों के निपटान पर और इन मामलों में, क्रेडिट डिफॉल्ट जोखिम का एक तत्व हो सकता है।

व्यापार प्राप्ति

कंपनी के पास 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक क्रमशः 7537.95 लाख रुपये और 5875.87 लाख रुपये की बकाया व्यापारप्राप्तियाँ हैं। व्यापार प्राप्तियाँ आमतौर पर असुरक्षित होती

हैं और ग्राहकों से प्राप्त राजस्व से प्राप्त होती हैं। चूंकि, अधिकांश बंदरगाह सेवाएँ अग्रिम में संग्रहण के पूर्व-वसूली के आधार पर प्रदान की जाती हैं, इसलिए व्यापार प्राप्तियाँ ज्यादातर एस्टेट किराए और संबद्ध सेवाओं के लिए अभुगतानित राजस्व बकाया होती हैं। विवादित ऋणों के लिए प्रावधान प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा मामले के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

कंपनी ने दिनांक 24.07.2023 को एसआईओटीएल के परिसमापक के समक्षपरिचालन ऋण दाता की हैसियत से फॉर्म सी में 65.29 करोड़ रुपये का दावा किया है। परिसमापक ने दिनांक 03.08.2023 के ई-मेल द्वारा उक्त दावे को आंशिकरूप से खारिज किया है। परिसमापक के समक्ष रु.65.29 करोड़ रुपये के दावे में से, लाइसेंस शुल्क पर बकाया राशि के रूप में रु.9.37 करोड़ विलंबित भुगतानों पर ब्याज के रूप में रु.14.97 करोड़ तथा अन्य के रूप में रु.2.05 करोड़ राशि को लेखानीति के अनुसार लेखांकन पुस्तकों में मान्यता नहीं दी गई है।

क्रेडिट जोखिम खुलासा

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्तियों का अवधि-वार विश्लेषण निम्नानुसार है:

(रुपए लाखों में 31 मार्च 2024 तक)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीनों से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ दृ अच्छा समझा गया	4516.10	19.90	30.73	3.24	33.27	4603.24
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ जिनके क्रेडिट जोखिम में अत्यधिक वृद्धि है	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ कृ खराब क्रेडिट	-	-	-	915.55	2975.67	3891.22
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ दृ अच्छा समझा गया	274.56	84.89	149.75	638.38	1787.12	2934.70
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ कृ जिनके क्रेडिट जोखिम में अत्यधिक वृद्धि है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ कृ खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	-

(रुपए लाखों में 31 मार्च 2023 तक)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीनों से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ—अच्छा समझा गया	2338.22	56.49	27.54	218.13	67.66	2708.04
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ जिनके क्रेडिट जोखिम में अत्यधिक वृद्धि है	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ — खराब क्रेडिट	-	-	915.55	1675.93	1299.74	3891.22
(iv) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ —अच्छा समझा गया	-	174.11	482.31	1324.30	1187.11	3167.83
(v) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ जिनके क्रेडिट जोखिम में अत्यधिक वृद्धि है	-	-	-	-	-	-
(vi) अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ —	-	-	-	-	-	-

व्यापार प्राप्तियों की हानि के लिए प्रावधान प्रत्येक मामले के आधार पर उस वर्ष में किया जाता है जब कंपनी की वसूली के विश्लेषण के आधार पर वसूली योग्यता को संदिग्ध माना जाता है या रियायत कर्ता करारों के कुछ खंडों की व्याख्या पर विवादों के संभावित परिणाम पर आधारित होता है। कंपनी उन सभी अन्यवित्तीय परिसंपत्तियों पर विचार करती है जो क्षतिग्रस्त नहीं हैं और समीक्षाधीन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के लिए देय हैं और वे अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता वाली हैं।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

नकदी एवं नकदी समतुल्य से संबंधित ऋण जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि बैंक हमारे प्रतिपक्ष हैं। हम बैंकों के साथ सावधि जमा की ऋणगुणवत्ता पर विचार करते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक निगरानी के अधीन हैं, और हम इन बैंकिंग संबंधों को निरंतरता के आधार पर समीक्षा करते हैं। कर्मचारी ऋण से संबंधित ऋण जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि ऋण या तो संपत्ति के शीर्षकवि लेखके बंधक के रूप में या उस वाहन के बंधक के रूप में सुरक्षित है जिसके लिए कर्मचारियों को ये ऋण दिए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी के पास कर्मचारियों के कारण टर्मिनल लाभों पर विनियोजन अधिकार है। इसलिए, इन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है। हम रिपोर्टिंग तिथियों पर उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को अच्छी ऋण गुणवत्ता वाला मानते हैं।

सी) चक्रनिधि जोखिम

हमारे चक्रनिधियों की आवश्यकताओं की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। नकदी और नकदी

समकक्ष, परिचालन से उत्पन्न नकदी कंपनी के तरलता के मुख्य स्रोत हैं।

हम नकदी प्रवाह के सतत अनुवीक्षण से पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखते हुए अपनी चक्रनिधियों की आवश्यकताओं का प्रबंधन किया जाता है। किसी भी कमी का पता लगाने के लिए शुद्ध नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।

अल्पावधि चक्रनिधि की आवश्यकता में मुख्य रूप से व्यापार देय, देय व्यय, कर्मचारी बकाया, ऋणों की वर्तमान परिपक्वताओं का पुनर्भुगतान आदि के निपटान हेतु आवश्यक संसाधन शामिल हैं, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान उत्पन्न होते हैं। हम अपनी अल्पावधि चक्रनिधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी और नकदी समकक्षों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

हम समय-समय पर दीर्घकालिक परिसमापन आवश्यकताओं का आकलन द्वारा आंतरिक स्रोतों के माध्यम से उनका प्रबंधन किया जाता है। हमारी गैर-वर्तमान देनदारियों में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से उधार, कर मुक्त बॉण्ड और एचडीएफसी बैंक से सावधि ऋण, देय प्रतिधारण राशि और सुरक्षा जमा शामिल हैं।

नीचे दी गई तालिका गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान किया गया है। यह तालिका वित्तीय देनदारियों के बिना छूटवाले नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है, जोकि उस प्रारंभिक तिथि पर आधारित है जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। तालिका में मूल धन और व्याज दोनों के नकदी प्रवाह शामिल हैं।

(रुपए लाखों में 31 मार्च 2024 तक)

विवरण	6 महीनों से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 से अधिक वर्ष	कुल
चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी ऋण	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	4397.55	15903.75
एचडीएफसी से ऋण	500.00	500.00	1500.00	-	-	2500.00
कर मुक्त बॉण्ड	-	-	-	20332.32	9348.37	29680.69
प्रतिधारण धन	156.10	-	-	-	-	156.10
सुरक्षा जमा	-	148.11	-	-	570.69	718.80
अन्य देयताएं	-	127.35	-	-	-	127.35
कुल	1806.72	1926.08	6102.48	24934.8	14316.61	49086.69

(रुपए लाखों में 31 मार्च 2023 तक)

विवरण	6 महीनों से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 से अधिक वर्ष	कुल
चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी ऋण	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	6698.80	18205.00
एचडीएफसी से ऋण	500.00	500.00	2500.00	-	-	3500.00
कर मुक्त बॉण्ड	-	7249.51	-	1164.88	29204.89	37619.28
प्रतिधारण धन	158.37	-	-	-	-	158.37
सुरक्षा जमा	-	131.56	-	-	551.01	682.57
अन्य देयताएं	-	127.27	-	-	-	127.27
कुल	1808.99	9158.96	7102.48	5767.36	36454.70	60292.49

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यापार देय की नियत तारीख अनुसूची

(रुपए लाखों में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-3 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	1605.69	-	-	-	1605.69
(ii) अन्य	6121.30	104.81	141.82	168.69	6536.62
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए व्यापार देय की नियत तारीख अनुसूची

(रुपए लाखों में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-3 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	435.43	-	-	-	435.43
(ii) अन्य	3046.91	81.67	149.76	300.24	3578.58
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-

6. भारतीय लेखांकन मानक के संबंध में प्रकटीकरण (आईएनडी एस)-21 "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव"

लाभ एवं हानि विवरण में डेबिट की गई विनिमय अंतर (निवल) राशि अन्य व्यय के अंतर्गत शून्य (पिछले वर्ष - शून्य) है।

7. भारतीय लेखांकन मानक के संबंध में प्रकटीकरण (आईएनडी एस)-36 "परिसंपत्तियों की हानि"

वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक-36 के अनुसरण में परिसंपत्तियों की हानि के लिए अपनी अचल परिसंपत्तियों की समीक्षा की है और यह पाया गया कि वर्तमान वित्त वर्ष में परिसंपत्तियों की कोई हानि नहीं हुई है (शून्य) (पिछले वर्ष - शून्य)।

8. भारतीय लेखांकन मानक के संबंध में प्रकटीकरण (आईएनडी एस)-20 "सरकारी अनुदानों का लेखांकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण"

(रुपए लाखों में)

के लिए प्राप्त अनुदान	2023-24	2022-23
सरकारी अनुदान	-	859.13
कुल प्राप्त अनुदान	-	859.13

9. भारतीय लेखांकन मानक के संबंध में प्रकटीकरण (आईएनडी एस)-19 "कर्मचारी लाभ"

ए. विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

ए) भविष्य निधि :

कंपनी की भविष्य निधि को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा किया जाता है। कंपनी भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करती है।

बी) उपदान :

कंपनी का एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने लगातार पांच साल या उस से अधिक समय तक की सेवा प्रदान की है, उसे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति तथा विकलांगता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) के हिसाब से उपदान प्राप्त करने का अधिकार है। इस उद्देश्य के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जा रहा है जिस के लिए कंपनी ने एक मास्टर पॉलिसी ली है।

यह योजना, कंपनी द्वारा वित्तपोषित है तथा बीमाकर्ता, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम को उनकी मांग के अनुसार

अंशदान का भुगतान किया जाता है। परिभाषित लाभ योजना के लिए शुद्ध दायित्व की पहचान और भारतीय लेखा मानक-19 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी का खुलासा बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार किया जाता है।

सी) सेवानिवृत्ति योजना :

कंपनी ने एक गैर-अंशदायी कर्मचारी समूह सेवानिवृत्ति पेंशन योजना लागू की है जिसका प्रबंधन भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। कंपनी द्वारा नामांकित कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% योगदान निगम को दिया जाता है।

इस अवधि के लिए योजना में योगदान को प्रोद्भव आधार पर कर्मचारी लागत के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है। प्रति नियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में, पेंशन अंशदान की गणना ऋणदाता संगठन/भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है तथा इसका लेखा जोखा प्रोद्भव आधार पर किया जाता है।

डी) छुट्टी :

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्द्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के हिसाब से अर्जित होते हैं। अर्जित अवकाश को एक कैलेंडर वर्ष में एक बार नकद किया जा सकता है, जबकि पात्रता के अनुसार अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए सेवा में रहते हुए तथा सेवानिवृत्ति पर, अधिकतम 300 दिनों तक सीमित किया जा सकता है।

अर्जित अवकाश पर देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

वी. लाभ और हानि विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और बैलेंस शीट और अन्य प्रकटीकरणों में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

(रुपए लाखों में)

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित)
परिभाषित-लाभ दायित्व	सी.वाई.	502.47	454.15
	पी.वाई.	440.56	389.81
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सी.वाई.	507.71	392.65
	पी.वाई.	491.79	414.57
वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/घाटा]	सी.वाई.	(5.24)	61.50
	पी.वाई.	(51.23)	(24.75)
परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव सी.वाई.	सी.वाई.	-	-
	पी.वाई.	-	-
शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्तियां/(देयताएं)	सी.वाई.	(5.24)	61.50
	पी.वाई.	(51.23)	(24.74)

परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (रुपए लाखों में)

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्वद्वर्ष के आरंभ में	सी.वाई.	440.56	389.82
	पी.वाई.	350.20	326.86
वर्तमान सर्विस लागत	सी.वाई.	32.11	39.26
	पी.वाई.	31.73	-
ब्याज लागत	सी.वाई.	30.87	23.36
	पी.वाई.	24.63	23.66
भुगतानित लाभ	सी.वाई.	(58.99)	(157.37)
	पी.वाई.	(20.00)	-
पुनःमापन दृ बीमाकिक हानि/ (लाभ)	सी.वाई.	57.93	159.08
	पी.वाई.	54.00	39.29
परिभाषित लाभ दायित्वद्वर्ष के अंत में	सी.वाई.	502.48	454.15
	पी.वाई.	440.56	389.82

योजना परिसंपत्ति में परिवर्तन (रुपए लाखों में)

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित)
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सी.वाई.	491.79	414.57
	पी.वाई.	418.89	377.47
ब्याज आय	सी.वाई.	36.19	29.27
	पी.वाई.	31.81	27.67
नियोक्ता अंशदान	सी.वाई.	39.07	107.81
	पी.वाई.	60.90	9.51
भुगतानित लाभ	सी.वाई.	(58.99)	(157.37)
	पी.वाई.	(20.00)	-
पुनरु मापन दृ योजना परिसंपत्तियों पर वापसी	सी.वाई.	(0.33)	(1.62)
	पी.वाई.	0.20	(0.09)
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सी.वाई.	507.72	392.65
	पी.वाई.	491.79	414.57

लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत राशि (रुपए लाखों में)

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित)
वर्तमान सर्विस लागत	सी.वाई.	32.11	39.26
	पी.वाई.	31.73	-
पूर्व सर्विस लागत दृ योजना संशोधन	सी.वाई.	-	-
	पी.वाई.	-	-
कटौती लागत/(क्रेडिट)	सी.वाई.	-	-
	पी.वाई.	-	-

(रुपए लाखों में)

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित)
निपटान लागत/(क्रेडिट)	सी.वाई.	0	0
	पी.वाई.	0	0
सर्विस लागत (ए)	सी.वाई.	32.11	39.26
	पी.वाई.	31.73	-
निवल परिभाषित लाभ देयता/ (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज (बी)	सी.वाई.	(5.31)	(5.91)
	पी.वाई.	(7.18)	(4.01)
लाभ एवं हानि में स्वीकृत राशि (ए+बी)	सी.वाई.	26.79	(33.36)
	पी.वाई.	24.55	(4.01)

संवेदनशीलता विश्लेषण (रुपए लाखों में 31 मार्च 2024 तक)

पूर्वधारणा	पूर्वधारणा में परिवर्तन	उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी (वित्त पोषित)
छूट की दर	+1.00%	461.59	435.41
	-1.00%	549.17	474.58
वेतन वृद्धि दर	+1.00%	536.89	477.44
	-1.00%	466.37	432.42
क्षयण दर	+1.00%	511.3	456.01
	-1.00%	492.62	452.15
छूट की दर	+1.00%	461.59	435.41
	-1.00%	549.18	474.58
मृत्यु दर	10.00%	502.87	454.23
	-10.00%	502.07	454.07

(रुपए लाखों में 31 मार्च 2023 तक)

पूर्वधारणा	पूर्वधारणा में परिवर्तन	उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी (वित्त पोषित)
छूट की दर	+1.00%	406.95	374.57
	-1.00%	479.14	406.46
वेतन वृद्धि दर	+1.00%	475.67	409.04
	-1.00%	405.86	371.89
क्षयण दर	+1.00%	447.85	391.60
	-1.00%	432.42	387.91
छूट की दर	+1.00%	406.94	374.57
	-1.00%	479.14	406.46
मृत्यु दर	10.00%	440.87	389.9
	-10.00%	440.24	389.74

बीमांकिक पूर्वधारणा

(रुपए लाखों में)

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी (वित्त पोषित)
प्रयुक्त पद्धति	सी.वाई.	पीयूसी	पीयूसी
	पी.वाई.	पीयूसी	पीयूसी
छूट की दर	सी.वाई.	7.21%	7.21%
	पी.वाई.	7.51%	7.51%
वेतन वृद्धि दर	सी.वाई.	5%	5%
	पी.वाई.	5%	5%
योजना परिसंपत्ति की वापसी दर	सी.वाई.	0	0
	पी.वाई.	0	0

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी (वित्त पोषित)
आहरण दर	सी.वाई.	1% to 3%	1% to 3%
	पी.वाई.	1% to 3%	1% to 3%
सेवानिवृत्ति की आयु	सी.वाई.	60 Years	60 Years
	पी.वाई.	60 Years	60 Years
औसत भविष्य सेवा	सी.वाई.	13.85	13.85
	पी.वाई.	14.02	14.02
मृत्यु दर	सी.वाई.	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2012-14)
	पी.वाई.	जुंडसम आईएएलएम (2006-08) तालिका	आईएएलएम (2006-08) तालिका
विकलांगत दर	सी.वाई.	कोई स्पष्ट लोडिंग नहीं	कोई स्पष्ट लोडिंग नहीं
	पी.वाई.		

योजना परिसंपत्तियों में निवेश का वर्ग

निवेश वर्ग	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का %
बीमा पॉलिसी	100%

10. भारतीय लेखांकन मानक के संबंध में प्रकटीकरण (आईएनडी एस)-108 "प्रचालनात्मक खण्ड"

कंपनी मुख्य रूप से एक खंड - बंदरगाह सेवाएं प्रदान करती है तथा इस में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।

कंपनी निम्नलिखित ग्राहकों से राजस्व प्राप्त करती है जो कंपनी के राजस्व का 10 प्रतिशत या उससे अधिक है। अन्य ग्राहकों के संबंध में, उनका व्यक्तिगत हिस्सा कंपनी के राजस्व का 10% से कम है।

ग्राहक	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
टैन्जेडको	19508.14	16745.40
एनटीईसीएल (टैन्जेडको एवं एनटीपीसीएल का जेवी)	13795.11	18419.18
एन्नोर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व चेटीनाड इंटरनेशनल कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड)	18945.53	18277.43
अडानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड	12311.06	-

11. भारतीय लेखांकन मानक के संबंध में प्रकटीकरण (आईएनडी एस)-23 "उधार की लागत"

वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) की संबंधित वहन राशि में 131.23 लाख रुपये (पिछले वर्ष 225.63 लाख रुपये) है।

12. भारतीय लेखांकन मानक 24 के संबंध में प्रकटीकरण "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण"

ए. सरकारी संबंधी संस्थाओं से अलग अन्य के लिए प्रकटीकरण

(ए) संबंधित पार्टियों की सूची:

मुख्य प्रबंध व्यक्ति:

नाम	पदनाम
श्री सुनील फलीवाल, आईएएस,	अध्यक्ष (दिनांक 20.08.2023 तक प्रबंध निदेशक भी थे)
श्रीमती जे. पी. आइरीन सिन्धिया, आईएएस,	प्रबंध निदेशक (दिनांक 21.08.2023 से प्रभावी)
श्री एस. बालाजी अरुणकुमार, आईआरटीएस	नामिती निदेशक (दिनांक 26.04.2023 तक)
श्री एस. विश्वनाथन, आईएएस,	नामिती निदेशक (दिनांक 27.04.2023 तक)
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)	स्वतंत्र निदेशक
कैप्टन अंगूष कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती सरला बालगोपाल, आईआरटीएस (सेवानिवृत्त)	स्वतंत्र निदेशक
श्री सी.एस. वेमन्ना	मुख्य वित्तीय अधिकारी (प्रभावी) (दिनांक 01.03.2023 से 13.08.2023 तक)
श्रीमती कविता सात्वती	मुख्य वित्तीय अधिकारी (दिनांक 14.08.2023 से प्रभावी)
श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

मुख्य प्रबंध व्यक्तियों के लिए प्रतिपूर्ति

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रतिपूर्ति एवं अल्पकालिक लाभ	103.70	103.83
रोजगार परचात लाभ	9.26	30.98
अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
बैठक शुल्क	15.40	12.20
कुल	128.36	147.01
वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	-	-
वर्ष के दौरान जारी अग्रिम	-	-
ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष	-	-

बी. अन्य संस्थाएं :

—मेसर्स कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड,

(सी) चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण

अन्य संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन:

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
भुगतानित ब्याज	1782.42	1866.34
चुकाया गया ऋण	2301.25	2301.25
लीज किराया व्यय	50.36	50.33
परियोजना प्रबंधन सेवाएं	43.43	119.16
अंतरिम एवं अंतिम लाभांश	24000.00	27000.00
कार्मिकशक्ति	472.93	377.52
अन्य	129.72	16.54
सावधि ऋण का अंतिम शेष	15903.75	18205.00

13. भारतीय लेखांकन मानक 116 के संबंध में प्रकटीकरण "लीज"

ए. प्रचालित पट्टा

i) पट्टेदार के रूप में

- अग्रिम शुल्क भुगतान को छोड़ कर गैर-रद्द करने योग्य प्रचालित पट्टों के अंतर्गत भावीन्यूनतम पट्टा भुगतान

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं	-	-
1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से अधिक नहीं	-	-
5 वर्षों से अधिक	-	-

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
न्यूनतम पट्टे भुगतान	-	-

पट्टों की व्यवस्था:

कंपनी ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से कार्यालय परिसर, अग्रिम प्रीमियम पट्टे भुगतान पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया है।

ii. पट्टादाताके रूप में

- गैर-रद्द करने योग्य प्रचालित पट्टे के अंतर्गत भावीन्यूनतम पट्टा प्राप्य

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं	3571.33	3401.27
1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से अधिक नहीं	20720.54	19733.85
5 वर्षों से अधिक	75206.40	79764.42

➤ पट्टे की व्यवस्था :

कंपनी द्वारा अपनाए गए व्यवसाय मॉडल के अनुसार, कार्गो टर्मिनलों के विकास, संचालन, विपणन और रखरखाव का काम 30 साल के लाइसेंस/रियायती समझौते पर कैप्टिव/पीपीपी बीओटी ऑपरेटरों को दिया गया है। कंपनी ने लाइसेंस/रियायती समझौते के अनुसार बीओटी ऑपरेटरों/ कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के माध्यम से बर्थ के विकास के लिए जलक्षेत्र एवं भूमिक्षेत्र को पट्टे पर दिया है।

14. भारतीय लेखांकन मानक 33 के संबंध में प्रकटीकरण "अर्जन प्रति शेयर(ईपीएस)"

ए) मूलभूत ईपीएस

मूल ईपीएस की गणना में प्रयुक्त साधारण शेयरों की आय और भारित औसत संख्या निम्नानुसार है:

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए कंपनी के मालिकों को देय लाभ (हानि)	49568.03	37350.21
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय (ए)	49568.03	37350.21
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या(बी)	3000000000	3000000000
मूल ईपीएस(ए/बी) - रु.	16.52	12.45

बी) डायल्यूटेड ईपीएस

डायल्यूटेड ईपीएस की गणना में प्रयुक्त साधारण शेयरों की आय और भारित औसत संख्या निम्नानुसार है:

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए कंपनी के मालिकों को देय लाभ (हानि)	49568.03	37350.21
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय(ए)	49568.03	37350.21
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या(बी)	3000000000	3000000000
मूल ईपीएस(ए/बी) - रु.	16.52	12.45

15. भारतीय लेखांकन मानक 37 के संबंध में प्रकटीकरण "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां"

आकस्मिक देयताएं

(i) विवादित कर मांग :

विवादित कर मामले की कुल रकम रु.2647.08 लाख (पूर्व वर्ष रु.12980.02 लाख है) है जिसे अपील अधिकारियों के समक्ष समाधान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ii) ठेका / आपूर्ति कार्य :

हमारी परियोजनाओं में निर्माणआपूर्ति और कार्यों के निष्पादन

के लिए कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर कुल 4116.44 लाख रुपये (पिछले वर्ष : 13604.45 लाख रुपये) का दावा किया है, जिस में ठेके मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, कार्य की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजा, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग की गई है। इन दावों को कंपनी द्वारा संबंधित ठेके के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं होने के रूप में उनपर विवाद चल रहा है। कंपनी इन दावों के निपटान के लिए ठेके में उल्लेख किए गए विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों का अनुसरण कर रही है।

(iii) (ए) पीपीपी रियायतग्राहियों के साथ राजस्व ठेके -मेसर्स ईसीटीपीएल:

केपीएल ने 30 वर्ष की अवधि के लिए कंटेनर टर्मिनल के विकास हेतु दिनांक 15.03.2014 को पीपीपी डीएफबीओटी मोड के अंतर्गत मेसर्स अदानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ रियायत समझौता करार पर हस्ताक्षर किया है।

परियोजना के फेज I और फेज II के लिए अक्टूबर 2017 के दौरान वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ तथा यह निर्माणाधीन है। रियायतकर्ता ने कुछ विवाद उठाए थे और मध्यस्थता खंड का आह्वान किया था और कंपनी को मध्यस्थता नोटिस जारी किया था। 1 अगस्त 2020 को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के बाद, रियायतग्राही एवं कंपनी दोनों ने मध्यस्थ तान्यायाधिकरण के समक्ष दावे और प्रतिदावे दायर किया है।

रियायतग्राही द्वारा विवादों और दावों की प्रकृति निम्नानुसार है:

(ए) परियोजना के प्रथम चरण में देरी केपीएल के कारण हुई है

(बी) परियोजना के चरण-II में देरी केपीएल के कारण हुई है, इसलिए केपीएल द्वारा लक्ष्य-चिह्नों में संशोधन किया जाना चाहिए।

(सी) चरण - I और चरण II में एल.डी. अप्रवर्तनीय हैं तथा केपीएल द्वारा वापस किया जाए।

(डी) केपीएल द्वारा परामर्श नोटिस जारी करना तथा उसे पुनः प्रवर्तित करना गैर कानूनी है।

(इ) 1405 करोड़ रुपये का दावा करनेवाले कानून में परिवर्तन का आह्वान तथा रियायत समझौते का विस्तार और संशोधन।

(एफ) वास्तविक परियोजना लागत, अनुमानित परियोजना लागत तथा वित्तीय दस्तावेजों को वैध और लागू करने योग्य घोषित करना और केपीएल द्वारा उन्हें रिकॉर्ड में लेना।

(जी) आईसीटीपीएल द्वारा भुगतान किए गए पट्टा किराये और रॉयल्टी की वापसी

(एच) ब्याज का दावा

कंपनी ने रियायतग्राही के दावों का पूर्ण रूप से अस्वीकार किया है तथा रु.16781 लाख की रकम का प्रतिदावा प्रस्तुत किया है।

मध्यस्थता सुनवाई दिनांक 26.03.2023 को समाप्त हुई तथा मध्यस्थ न्यायाधिकरण से मध्यस्थता आदेशों की प्रतीक्षा है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने मध्यस्थता आदेश पारित करने हेतु समय बढ़ाने की मांग की है और इसे माननीय मद्रास उच्चन्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2024 के अपने आदेश द्वारा दोनों पक्षों की सहमति से प्रस्तुतीकरण की तारीख 5 जून, 2024 तक बढ़ा दी गई है।

(बी) पीपीपी रियायतग्राहियों के साथ राजस्व ठेके – मेसर्स एसआईओटीएल:

कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने पीपीपी – डीबीएफओटी के आधार पर "वर्तमान लौह अयस्क टर्मिनल को कोयला संभालने हेतु संशोधित करने" के लिए दिनांक 11.7.2016 को मेसर्स एसआईसीएल आयरन ओर टर्मिनल एग्रीमेंट (एसआईओटीएल) के साथ लाइसेंस का समझौता किया है। 27 साल की रियायत अवधि दिनांक 20.7.2018 से प्रारंभ हुआ है। तथापि, एसआईओटीएल के समक्ष विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों के कारण, परियोजना को नियत तिथि पर पूरा नहीं किया जा सका तथा उसका कमिशनिंग नहीं किया जा सका। इसी बीच, ऋणदाताओं ने एसआईओटीएल द्वारा श्वितीय चूक का नोटिस जारी किया है तथा कंपनी से लाइसेंस समझौते के तहत उपलब्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए समाप्ति नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है। कंपनी ने लाइसेंस समझौते के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दिनांक 22.3.2021 को समाप्ति नोटिस जारी करते हुए समाप्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा दिनांक 20.06.2021 को समाप्ति प्रभावी है।

इस बीच, आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड और मेसर्स पोर्टमैन इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर लेनदार आवेदन के आधार पर माननीय एनसीएलटी, चेन्नै द्वारा अपने दिनांक 01.03.2022 के आदेश के अनुसार मेसर्स एसआईओटीएल को आईबीसी कोड, 2016 के तहत कॉर्पोरेट देनदार घोषित किया गया है। माननीय एनसीएलटी ने आईबीसी, कोड के प्रावधानों के अनुसार श्री शिवशंकर को अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) नियुक्त किया। चूंकि, एसआईओटीएल परियोजना के ऋणदाता अर्थात् यस बैंक लिमिटेड एवं यूको बैंक, जिन्होंने रु.287.03 रुपये का दावा किया है, कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार हैं, जिनके पास सीआईआरपी में प्रमुख मतदान

अधिकार हैं, आईआरपी द्वारा यह सूचित किया गया कि मेसर्स यस बैंक एवं मेसर्स यूको बैंक से युक्त लेनदारों की समिति ने दिनांक 16.04.2022 को हुई अपनी बैठक में आईआरपी को समाधान पेशेवर के रूप में पुष्टि की तदनुसार परियोजना परिसंपत्तियां आरपी को सौंपी जाती हैं।

यह बताया गया कि सीआईआरपी प्रक्रिया में, समाधान पेशेवर को मेसर्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से एक समाधान योजना प्राप्त हुई तथा इसे आरपी द्वारा दिनांक 16.11.2022 को लेनदारों की समिति (सीओसी) के समक्ष रखा गया था। एमओएम के अनुसार, सीओसी ने मेसर्स जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को खारिज किया और परिसमापन का भी फैसला किया। इसके अलावा सीओसी ने दिवाला पेशेवर श्री एन. वीरपांडियन को परिसमापक नियुक्त करने का भी फैसला किया। एनसीएलटी ने अपने आदेश दिनांक 23.06.2023 के तहत परिसमापक की नियुक्ति की पुष्टि की। कंपनी ने परिचालन लेनदार की क्षमता में परिसमापक के समक्ष 24.07.2023 को फॉर्म सी में रु. 65,29,78,190/- रुपये का दावा दायर किया है। परिसमापक के दिनांक 30.08.2023 के ईमेल द्वारा 3779.74 लाख रुपये का दावा स्वीकार किया गया तथा 2750.04 लाख रुपये का दावा अस्वीकृत किया गया था।

इस बीच, मेसर्स एसआईओटीएल के ऋणदाता मेसर्स यस बैंक लिमिटेड ने नवंबर 2023 में एक असाइनमेंट डीड के माध्यम से जेसी फ्लावरस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ('एआरसी') को अपना ऋण सौंप दिया। इसके अलावा, एआरसी और लिक्विडेटर द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दो रिट याचिकाएँ दायर की जिसमें समाप्ति से उत्पन्न होनेवाले मुआवजे के लिए कंपनी के खिलाफ प्रार्थना की गई, जिसका माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से निपटारा किया।

(सी) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) :

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन माननीय दायर किए गए, जिसमें एनसीटीपीएस द्वारा फ्लाई ऐश के अवैधनिर्वहन एवं कंपनी द्वारा बकिंघमनहर एवं कोसास्थलैयार नदी में ड्रेज मिट्टी के कथितडंपिंग तथा कोसास्थलैयार नदी के अतिक्रमण एवं कंपनी तथा एनसीटीपीएस द्वारा ड्रेज मिट्टी के डंपिंग से संबंधित मुद्दे उठाए गए, जिससे मछली पकड़नेवाले समुदायों की आजीविका प्रभावित हुई है। माननीय एनजीटी ने 20.01.2020 को अपना आदेश पारित किया जिसमें कंपनी को एनजीटी द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर सुधार के उद्देश्य से अंतरिम पर्यावरण मुआवजे के रूप में 8.34 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया। एनजीटी के आदेश से

व्यथित हो कर, कंपनी ने माननीय एनजीटी के समक्ष एक समीक्षा आवेदन दायर किया। दिनांक 06.11.2020 को समीक्षा आदेश पारित किए गए जिस के तहत दिनांक 20.01.2020 के पूर्व आदेश को इस सीमित सीमा में संशोधित किया और कंपनी को अंतरिम मुआवजे के रूप में 4 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। कंपनी द्वारा दिनांक 26.12.2020 के समीक्षा आदेश

को चुनौती देते हुए भारत के माननीय सर्वोच्चन्यायालय के समक्ष सिविल अपील दायर की गई। माननीय सर्वोच्चन्यायालय ने दिनांक 05.01.2021 को एनजीटी के आदेशों पर रोक लगाई है तथा प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले अंतिम सुनवाई के लिए सर्वोच्चन्यायालय के समक्ष लंबित है।

आकस्मिक देयताओं का सारांश :

(रुपए लाखों में)

	विवरण	2023-24	2022-23
ए)	विवादित कर मांग लेकिन ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	2647.08	12980.02
बी)	कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया —एनजीटी —टैका / आपूर्ति कार्य	400.00 4116.44	400.00 13604.45
	कुल	7163.52	14004.45
सी)	पीपीपी रियायतग्राहियों के साथ राजस्व अनुबंध के विरुद्ध दावे	162968.63	162968.63

16. प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल')

हानि प्रावधान, प्राप्य राशियों की अपेक्षित समयावधि एवं संग्रह के अपेक्षित समय पर चूक के जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना

के लिए इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के संग्रह के पिछले इतिहास, ग्राहक की ऋण पात्रता, वर्तमान मार्केट स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों पर आधारित है।

17. सीडबल्यूआईपी परिपक्वन अनुसूची

(31 मार्च 2024 तक रुपए लाखों में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	5881.01	102.44	19503.22	1210.60	26697.27
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	741.58	741.58
कुल	5881.01	102.44	19503.22	1952.18	27438.85

(31 मार्च 2023 तक रुपए लाखों में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	324.60	27102.67	-	15466.59	42893.86
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	741.58	741.58
कुल	324.60	27102.67	-	16208.17	43635.44

विकास परिपक्वन अनुसूची के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियां

(31 मार्च 2024 तक रुपए लाखों में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	-	-	-	-	-
पूर्व वर्ष	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

विकास परिपक्वन अनुसूची के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियां

(31 मार्च 2023 तक रुपए लाखों में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिशील परियोजनाएं	128.07	-	-	-	128.07
पूर्व वर्ष	-	-	-	-	-
कुल	128.07	-	-	-	128.07

18. शेषराशि की पुष्टि:

व्यापार प्राप्त/देय, सावधि ऋण तथा अग्रिम, जीएसटी इनपुट क्रेडिट/जीएसटी एवंजमा, पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।

19. पूंजी प्रबंधन:

कंपनी की पूंजी में इक्विटी शेयर पूंजी, प्रति धारित आय एवं अन्य इक्विटी, इक्विटी धारकों के लिए आरोप्य है। उद्देश्य शेयर धारकों के मूल्य को अधिकतम करना ही कंपनी के पूंजीप्रबंधन का प्राथमिक ध्येय है। कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है

तथा आर्थिक एवं मार्केट स्थितियों में बदलाव को मद्देनजर रखते हुए इसमें समायोजन करती है।

कंपनी, गियरिंग अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी का अनुवीक्षण करती है, जो कुल पूंजी जोड़ शुद्ध ऋण से विभाजित निवल ऋण है। निवल ऋण में नकदी एवं बैंक शेष राशि को घटाकर दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधार शामिल हैं। इक्विटी में इक्विटी शेयर पूंजी और रिजर्व शामिल हैं जिन्हें पूंजी के रूप में प्रबंधित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में गियरिंग निम्नानुसार है :

(रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कुल ऋण	48084.44	59324.28
घटा रु नकद एवं नकद समतुल्य	12080.19	8756.70
निवल ऋण	36004.25	50567.58
कुल इक्विटी	291088.98	265637.95
निवल ऋण से इक्विटी अनुपात	12.37%	19.04%

20. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभान्शों की सूचना:

वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईक्विटी शेयर पूंजी के 80% दर पर रु. 8/- के प्रति ईक्विटी शेयर कुल रु.240 करोड़ तक अंतिम लाभान्श का भुगतान किया है।

21. अतिरिक्त विनियामक सूचना

a. विश्लेषणात्मक अनुपात

अनुपात	अंश-गणक	विभाजक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	% भिन्नता *
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयताएं	0.92	0.58	58.62%
ऋण - ईक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरहोल्डर्स ईक्विटी	0.17	0.22	-22.73%
ऋण सर्विस कवरेज अनुपात	ऋण सर्विस के लिए अर्जन (कर के बाद लाभ + अवमूल्यन + वित्त लागत + संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के विक्रय से लाभ)	ऋण सर्विस (ब्याज + मूलधन की चुकौती)	3.77	2.91	29.55%
लाभान्श (आरओई)	निवल लाभ	शेयरहोल्डर्स की ईक्विटी	17.03%	14.06%	21.12%
व्यापार प्राप्य टर्नोवर अनुपात (टाइम में)	प्रचालनों से आय	व्यापार प्राप्यताएं	14.09	16.72	-15.73%
निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ	प्रचालनों से आय	46.66%	38.01%	22.76%
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई)	ब्याज से पहले अर्जन, विशिष्ट मद एवं कर	निवल मूल्य + ऋण	24.45%	24.09%	1.49%

भिन्नता के लिए कारण:

- वर्तमान अनुपात: मुख्य रूप से नकदी और नकदी समकक्षों और व्यापार प्राप्य (राजस्व हिस्सा प्राप्य) में वृद्धि और चालू देयताओं में कमी (कर मुक्त बांड के मोचन के कारण) के कारण वृद्धि हुई।
- निवल लाभ अनुपात: मुख्य रूप से प्रशिक्षण दीवार के निर्माण के लिए असाधारण मद के कारण वृद्धि हुई, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 146.88 करोड़ रुपये थी।

22. मेसर्स कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड

कंपनी ने कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड (केकेपीएल) की चुकता पूंजी का 40% हिस्सा के 2 लाख रुपये इक्विटी का निवेश किया है, साथ ही वीओसी-टीपीटी (40%) और चेन्नै पोर्ट अथॉरिटी (20%) का भी निवेश किया है। वर्तमान में केकेपीएल परियोजना-पूर्व गतिविधियां कर रहा है। केकेपीएल एक सहयोगी कंपनी है अतः इसके वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखांकन मानकों 27 के अनुसरण में समेकित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2023-24 की अवधि में के केपीएल में कोई महत्वपूर्ण आय/व्यय नहीं था।

23. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो वहां उन्हें पुनः स्थापित किया गया है।

24. वित्तीय विवरणिकाओं का अनुमोदन

निदेशक मंडल ने वित्तीय विवरणिकाओं को अनुमोदन प्रदान किया है तथा 22 मई 2024 को जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

मेसर्स जसमिंदर सिंह एवं
असोसियेट्स के लिए
सनदी लेखाकार एफआरएन.016192एन

ह/-
सुनील पालीवाल, भा.प्र.से.
आध्यक्ष
दिन : 01310101

ह/-
जे पी आइरीन सिन्थिया, भा.प्र.से.
प्रबंध निदेशक
दिन : 08839241

ह/-
कविता सात्वती
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
जयलक्ष्मी श्रीनिवासन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

ह/-
सनदी लेखाकार जसमिंदर सिंह
साझेदार एम नं. 096895
उडीन : 24096895बीकेएएलनओ7193

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 22.05.2024

प्रपत्र एओसी – 1
(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129
की उपधारा (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में)
सहायक या सहयोगी कंपनी अथवा संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की
मुख्य विशेषताओं से युक्त विवरण

भाग बी असोसियेट्स एवं संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनी तथा संयुक्त उद्यमों संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में वक्तव्य

क्र.सं.	असोसियेट या संयुक्त उद्यम का नाम	कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र का दिनांक	31 मार्च 2024
2	वह तारीख जब सहयोगी या संयुक्त उद्यम संबद्ध हुआ या अधिग्रहित हुआ	11.02.2019
3	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी या संयुक्त उद्यम के शेयर	छपस
	सं.	20,000 शेयर
	सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	रु.2,00,000/-
	होलडिंग की सीमा (प्रतिशत में)	40%
4	महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने के विवरण	नगण्य प्रभाव
5	सहयोगी/संयुक्त उद्यम को एकीकृत न करने का कारण।	एकीकृत करने के लिए सहयोगी उपयुक्त नहीं है।
6	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के लिए निवल मूल्य	(10,64,230)
7	वर्ष के लिए लाभ या हानि	
	i. एकीकरण में विचार किया जाना	छपस
	ii. एकीकरण में विचार नहीं किया जाना	(30,121)

- वे असोसियेट्स या संयुक्त उद्यम के नाम जिन्होंने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है।
—कन्याकुमानरी पोर्ट लिमिटेड
- वे असोसियेट्स या संयुक्त उद्यम के नाम जो वर्ष के दौरान परिसमाप्त हुए या बेचे गए। — कोई नहीं

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-
सुनील पालीवाल, भा.प्र.से.
अध्यक्ष
डिन : 01310101

ह/-
जे पी आइरीन सिन्थिया, भा.प्र.से.
प्रबंध निदेशक
डिन : 08839241

ह/-
कविता सात्वती
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
जयलक्ष्मी श्रीनिवासन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



Inauguration of Swabodhini School & Vocational Centre for Special Children at Tondiarpet under CSR of KPL & ChPA



Provision of Play and Learning Materials for children with special educational needs at Swabodhini School & Vocational Centre, Tondiarpet



INDIA'S PORT OF THE MILLENNIUM

KAMARAJAR PORT LIMITED

(A Company of Chennai Port Authority)

(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)



Corporate cum Registered Office :
2nd Floor (North Wing) & 3rd Floor,
Jawahar Building,
No.17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

Port Office :
Vallur Post, Chennai - 600 120
Phone : 044 - 27950030 - 40
Fax : 044 - 27950002

 **website :** www.kamarajarport.in
 **facebook.com/kamarajarport**
 **Twitter@kamarajarport**